

वार्षिक रिपोर्ट  
ANNUAL REPORT  
2011-2012



1943 Lahore



1951 New Delhi



2012 Gurgaon

A JOURNEY OF  
COMMITMENT  
& TRUST...

1772 Branches, 1270 ATMs, 18.25 Million Customers and over 18,000 Employees

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स  
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है



**Oriental Bank of Commerce**

(A Government of India Undertaking)

*Where every individual is committed*

## विषय सूची Contents

अध्यक्ष का संदेश Chairman's Message	01-08
निदेशक मंडल Board of Directors	09
शीर्ष प्रबन्ध वर्ग Top Management Team	10
एक नजर कार्यनिष्पादन पर Performance at a Glance	11
सूचना Notice	12-14
निदेशकों की रिपोर्ट Director's Report	15-27
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	28-38
पूंजी पर्याप्तता के नए ढांचे के अनुसार बासेल II (पिलर 3) के अंतर्गत प्रकटन Disclosure under Basel II (Pillar 3) in terms of New Capital Adequacy Framework (NCAF)	39-53
कंपनी अभिशासन Corporate Governance	54-85
तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	86-87
अनुसूचियां Schedules	88-127
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	128-130
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	131-132
लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र Auditor's Certificate	133
ई-क्रेडिट अधिदेश फॉर्म E-Credit Mandate Form	139
प्रॉक्सी पर्ची/उपस्थिति पर्ची Proxy Slip/Attendance Slip	141-144



## अध्यक्ष का संदेश / Chairman's Message



### प्रिय शेयर धारक,

मैं आपके बैंक की अठारहवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ।

### वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा वित्तीय बाजार

वैश्विक समष्टि आर्थिक दशाओं में कुछ सुधार के संकेत दिखाई दिए। उपभोक्ता व्यय में सुधार हो रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई किंतु यह निरंतर प्रवृत्ति चिंताजनक बनी हुई है।

यूरो क्षेत्र में वित्तीय बाजारों पर आए तात्कालिक दबावों को बाह्य वाणिज्यिक उधार से दो दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालनों के जरिए एक ट्रिलियन यूरो से अधिक की तरलता के समावेश द्वारा काफी सीमा तक दूर किया गया किंतु यूरो क्षेत्र की ऋण समस्या का स्थायी समाधान किया जाना अभी शेष है। वर्ष 2011 की चौथी तिमाही में यूरो क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई। विशाल सार्वजनिक ऋण स्तर के कारण वित्तीय सुधार की आवश्यकता, ऋण दशाओं की सख्ती और बेरोजगारी की लगातार बढ़ती हुई दर से यूरो क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलापों पर अधोमुखी दबाव पड़ा।

उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में भी विकास की गति धीमी रही जो मौद्रिक सख्ती तथा वैश्विक विकास में हुई गिरावट के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। ब्रिक्स के मामले में, चीन में जीडीपी वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 2011 की पहली छमाही में 9.6 प्रतिशत के औसत से कम होकर 2012 की पहली तिमाही में 8.1 प्रतिशत रह गई। ब्राजील में 2011 की चौथी तिमाही में विकास में तीव्र गिरावट रही किंतु रूस तथा दक्षिण अफ्रीका में यह अपेक्षाकृत कम थी।

प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति के प्रमुख उपाय मार्च 2012 में उदार बने रहे। ब्रिक्स के मामले में ब्राजील तथा रूस में हेडलाइन मुद्रास्फीति मार्च में कम रही किंतु चीन में इसमें तेजी आई।

वर्ष 2012 के आरंभ से कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई जिससे भौगोलिक-राजनीतिक चिंता तथा पर्याप्त वैश्विक तरलता प्रतिफलित हुई। कच्चे तेल का औसत भारतीय मूल्य इसी अवधि के दौरान प्रति बैरल 110 अमरीकी डॉलर से बढ़कर प्रति बैरल 119 अमरीकी डॉलर हो गया।

### भारतीय आर्थिक परिदृश्य

2011-12 की तीसरी तिमाही के दौरान जीडीपी वृद्धि कम होकर 6.1% रह गई जबकि दूसरी तिमाही में यह 6.9% और 2010-11 की तदनुसूची तिमाही में 8.3% थी। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास में हुई गिरावट है जो दूसरी तिमाही के 2.8% से कम होकर तीसरी तिमाही में 0.8% रह गया। सेवा क्षेत्र अपेक्षाकृत बेहतर रहा (इसमें वर्ष 2011-12 की दूसरी व तीसरी दोनों तिमाहियों में 8.7% की वृद्धि हुई)। कुल मिलाकर अप्रैल-दिसंबर, 2011 के दौरान जीडीपी वृद्धि

### Dear Shareholders,

I have great pleasure to welcome all of you to the Eighteenth Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report of your Bank for the period ended March 2012.

### Global Economic Scenario & Financial Markets

Global macroeconomic conditions have shown signs of modest improvement. Consumer spending has been improving. While the unemployment rate has been trending down, concerns remain about the sustainability of this trend.

The immediate pressures on the financial markets in the euro area have been alleviated to a large extent by the ECB injecting liquidity of more than one trillion euro through two long-term refinancing operations. However, a sustainable solution to the euro area debt problem is yet to emerge. GDP growth in the euro area declined by 1.2 per cent in Q4 of 2011. The fiscal correction necessitated by the large public debt levels, tightening of credit conditions and persistently high unemployment have added to the downward pressure on the economic activity in the euro area.

Growth also slowed down in Emerging & Developing Economies (EDEs) reflecting the combined impact of monetary tightening and slowdown in global growth. As regards BRICS, GDP growth (y-o-y) in China declined from an average of 9.6 per cent in the first half of 2011 to 8.1 per cent in Q1 of 2012. The slowdown in growth was also sharp in Brazil in Q4 of 2011, but relatively modest in Russia and South Africa.

Headline measures of inflation in major advanced economies continued to soften in March 2012. Amongst the BRICS, while headline inflation moderated in Brazil and Russia in March, it edged up in China.

International crude oil prices have surged since the beginning of 2012 reflecting both geo-political concerns and abundant global liquidity. The price of the average Indian basket of crude increased from US\$ 110 per barrel to US\$ 119 per barrel during the same period.

### Indian Economic Scenario

GDP growth moderated to 6.1 per cent during Q3 of 2011-12 from 6.9 per cent in Q2 and 8.3 per cent in the corresponding quarter of 2010-11. This was mainly due to moderation in industrial growth from 2.8 per cent in Q2 to 0.8 per cent in Q3. The services sector held up relatively well (with growth being 8.7 per cent in both Q2 and Q3 of 2011-12). Overall, GDP growth during April-December



में काफी गिरावट आई और यह पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 8.1% से कम होकर 6.9% रह गई। वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2012 को जीडीपी 6.9% रही।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि 2011-12 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के 8.1% के मुकाबले 3.5% पर कम रही। उपभोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार जहां पूंजीगत माल तथा मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्र में क्रमशः 1.8% तथा 0.9% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई, वहीं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु क्षेत्र में वृद्धि कम होकर 2.7% पर रही। ये प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि चौथी तिमाही में गतिविधि का विस्तार जीडीपी के अग्रिम प्राक्कलनों में बताई गई 6.9% से कम रहा होगा।

प्रमुख थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति जो अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक रही, मार्च 2012 के अंत तक गिरकर 6.9 प्रतिशत हो गई जो रिजर्व बैंक के 7 प्रतिशत के प्रदर्शी प्राक्कलन के अनुरूप थी। फिर भी दिसंबर-जनवरी में मुद्रास्फीति में गिरावट प्रमुखतया खाद्य पदार्थों के मूल्य में आई कमी के कारण थी, फरवरी-मार्च में यह गिरावट प्रमुखतया मूलभूत गैर खाद्यान्न विनिर्मित उत्पादों की स्फीति के कारण हुई जो पहली बार दो वर्षों के बाद 5 प्रतिशत से कम रही।

मुद्रा आपूर्ति (एम-3) की वृद्धि जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के आरंभ में 17 प्रतिशत पर थी और जो मीयादी जमा राशियों में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाती है, वर्ष के दौरान मार्च, 2012 के अंत तक कम होकर लगभग 13 प्रतिशत हो गई जो रिजर्व बैंक की 15.5 प्रतिशत के मार्गदर्शी प्राक्कलन से कम है जिससे वर्ष के अधिकांश समय में मूल तरलता में सख्ती तथा ऋण की मांग कम बनी रही।

गैर खाद्यान्न ऋण में वृद्धि 2011-12 के आरंभ के 22.1 प्रतिशत से कम होकर फरवरी 2012 तक 15.4 प्रतिशत हो गई जो धीमी आर्थिक गतिविधियों को दर्शाती है। तथापि मार्च में यह बढ़कर 16.8 प्रतिशत हो गई जो 16 प्रतिशत के प्रदर्शी अनुमान में अधिक है। फरवरी 2012 तक के विभाजित आंकड़ों से पता चलता है कि ऋण वृद्धि में कमी व्यापक रूप से कृषि, उद्योग, सेवाओं तथा वैयक्तिक ऋणों पर आधारित थी। वर्ष के अंत में गैर खाद्यान्न बैंक ऋणों में आई तेजी कृषि व उद्योग को ऋण प्रवाह में वृद्धि का परिणाम थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मॉडल जमा दरें 45 आधार अंक और उनकी मॉडल आधार दरें 125 आधार अंक बढ़ गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के 5 प्रमुख बैंकों की भारित औसत ऋण दरें मार्च 2011 के 11.0 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2011 में 12.8 प्रतिशत हो गईं और फरवरी 2012 में लगभग इसी स्तर पर बनी रहीं, जो इस बात को दर्शाता है कि बैंक की ऋण दरें नीतिगत दर संकेत के लगभग अनुरूप थी।

### वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भावी परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2012-13 के केंद्रीय बजट में, बासेल-III के प्रतिमानों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 158.80 बिलियन रुपये की पूंजी आबंटित की गई है। यह वित्तीय वर्ष 2012 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लगाई गई 120 बिलियन रुपये की राशि के अतिरिक्त है।

किसानों को ऋण प्रवाह का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के 4750 बिलियन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013 में 5750 बिलियन कर दिया गया है। किसानों को 7 प्रतिशत के ब्याज पर लघु अवधि के फसल ऋण मुहैया कराने की मौजूदा ब्याज सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2013 तक बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड को एक

2011 slowed significantly to 6.9 per cent from 8.1 per cent in the corresponding period of the previous year. The GDP at the year end i.e. 31st March 2012 stood at 6.9%.

Growth in the index of industrial production (IIP) decelerated to 3.5 per cent during 2011-12 (April-February) from 8.1 per cent in the corresponding period of the previous year. In terms of use-based classification, while capital goods and intermediate goods sectors registered negative growth of 1.8 per cent and 0.9 per cent, respectively, the growth of the consumer durables sector decelerated to 2.7 per cent. These trends suggest that activity may have expanded slower than 6.9 per cent in Q4 implied in the advance estimates of GDP.

Headline wholesale price index (WPI) inflation, which remained above 9 per cent during April-November 2011, moderated to 6.9 per cent by end-March 2012, consistent with the Reserve Bank's indicative projection of 7 per cent. However, while the moderation in inflation in December-January owed largely to softening of food prices, the moderation in February-March was largely driven by core non-food manufactured products inflation, which fell below 5 per cent for the first time after two years.

Money supply (M3) growth, which was 17 per cent at the beginning of the financial year 2011-12, reflecting strong growth in time deposits, moderated during the course of the year to about 13 per cent by end-March 2012, lower than the Reserve Bank's indicative trajectory of 15.5 per cent, mirroring both tightness in primary liquidity and lower credit demand during most part of the year.

Non-food credit growth decelerated from 22.1 per cent at the beginning of 2011-12 to 15.4 per cent by February 2012 reflecting slower economic activity. However, it picked up to 16.8 per cent in March, higher than the indicative projection of 16 per cent. Disaggregated data up to February 2012 showed that the deceleration in credit growth was broad-based across agriculture, industry, services and personal loans. The pick-up in non-food bank credit towards the year-end was on account of increased credit flow to agriculture and industry.

During 2011-12, modal deposit rates of major scheduled commercial banks (SCBs) increased by 45 basis points (bps), and their modal base rates by 125 bps. Weighted average lending rates of five major public sector banks increased from 11.0 per cent in March 2011 to 12.8 per cent by September 2011 and remained broadly at that level in February 2012, suggesting that bank lending rates were broadly following the policy rate signal.

### Outlook for FY 2012-13

In the Union Budget for FY 2012-13, a sum of Rs.158.80 billion capital has been allocated to all Public Sector Banks and financial institutions for FY 2012, keeping in view Basel -III norms. This is in addition to the infusion of Rs 120 billion in PSBs in FY 2012.

The target for credit flow to farmers has been raised from Rs 4750 billion in FY12 to Rs. 5750 billion in FY13. The existing interest subvention scheme of providing short term crop loan to farmers at 7% interest has been extended to FY13. Kisan Credit card



स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए, जिसका प्रयोग एटीएम पर भी किया जा सके, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन किया जाएगा।

2013-16 के लिए भावी परिदृश्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ बहाली को दर्शाता है, जिससे इन देशों में मंदी से पूर्व की 2 प्रतिशत से कुछ अधिक के विकास की प्रवृत्ति लौट आएगी।

धीमी वृद्धि के इस वातावरण में वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है— उन लाखों व्यक्तियों के लिए, जो अपने जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए उपयुक्त वेतन वाली नौकरियों की तलाश में हैं, रोजगार के अवसर समाप्त किए बिना उत्पादकता को बढ़ाना।

### भारतीय बैंकिंग की प्रमुख घटनाएं

- घरेलू आर्थिक प्रणाली मजबूत रही, यद्यपि हाल ही में स्थिरता के प्रति जोखिम बढ़ा है।
- दबाव परीक्षण से भी प्रकट होता है कि बैंक की पूंजी पर्याप्तता, भारी दबावपूर्ण वातावरण में भी नियामक अपेक्षाओं से अधिक रही।
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रणाली जोखिम सर्वेक्षण के निष्कर्ष से सिस्टम के स्थायित्व की पुष्टि होती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों में 17.4% की वृद्धि हुई और ये 61,124.8 बिलियन रुपये के स्तर तक पहुंच गई जबकि इसी अवधि के दौरान ऋण प्रवाह में 19.3 % की वृद्धि हुई और ये 47,047.9 बिलियन रुपये के स्तर तक पहुंच गया। मार्च, 2012 के अंत में स्थूल मुद्रा (एम-3) 65,041.2 बिलियन रुपये रही और इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

मैं वर्ष 2011-12 के लिए आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की विशेषताएं सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ:-

- आपके बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष के 2,35,893 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च, 2012 को 2,69,015 करोड़ रुपये रहा और इसमें 33,122 करोड़ रुपये (14.04% की वृद्धि) की वृद्धि हुई। मार्च, 2012 के अंत में, जमा राशियां और कुल अग्रिम 1,55,965 करोड़ रुपये तथा 1,13,050 करोड़ रुपये रहे और इनमें क्रमशः 12.16% और 16.74 % की वृद्धि हुई।
- आपके बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च 2011 के 69.73% के मुकाबले मार्च 2012 में 72.68% रहा। बैंक का अग्रिम संविभाग पर्याप्त व्यापक तथा संतुलित है तथा अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- आपके बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40% के निर्धारित प्रतिमान के मुकाबले 42.26% रहे। मूल्य के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में 4,876 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई (13.68% की वृद्धि) और ये मार्च 2011 के 35,651 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2012 के अंत में 40,527 करोड़ रुपये हो गए।
- कृषि क्षेत्र के कुल अग्रिम 15,411 करोड़ रुपये रहे जिसमें से प्रत्यक्ष कृषि के अग्रिम 11,860 करोड़ रुपये थे। कुल कृषि अग्रिमों में 21.15% की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कृषि में 33.44% की वृद्धि हुई।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) को बैंक का एक्सपोजर 15,844 करोड़

scheme will be modified to make KCC a smart card which could be used at ATMs

For 2013-2016, the outlook suggests some recovery in advanced economies, bringing these countries back to the pre-recession growth trend of a little more than 2%.

The greatest challenge for the global economy in this slow growth environment is to raise productivity without losing job opportunities for the millions who are looking for reasonably paid jobs to support their living standards.

### Developments in Indian Banking

- The **domestic financial system remained robust**, though risks to stability increased in the recent period.
- Stress tests also revealed that banks' **capital adequacy remained above regulatory requirements**, even under severe stress scenarios.
- Findings of RBI's systemic risk survey (SRS) **reaffirmed the stability** of the system.

Aggregate Deposits of the Scheduled Commercial Banks (SCBs) grew by 17.4% during the year 2011-12 to a level of Rs. 61,124.8 billion while credit flow achieved a growth of 19.3% during the same period, to reach a level of Rs. 47,047.9 billion. The Broad Money (M3) as at end March 2012 was Rs.65,041.2 billion, with a growth of 13.0% on year-on-year basis.

### Performance Highlights of the Bank

I have immense pleasure in sharing with you, your Bank's performance for the year 2011-12:-

- The Total Business Mix of your Bank stood at Rs.2,69,015 crore as on March 31, 2012 as against Rs.2,35,893 crore in the previous year reflecting an increase of Rs.33,122 crore (growth of 14.04%). As at end-March 2012, Deposits and Gross Advances stood at Rs.1,55,965 crore and Rs.1,13,050 crore, registering a growth of 12.16% and 16.74%, respectively.
- The CD ratio of your Bank stood at 72.68 % as of March 2012 as against 69.73% as of March 2011. The Advances portfolio of the Bank is well diversified, balanced and the credit needs of productive sectors of the economy have been met.
- The Priority Sector (PS) Advances of your Bank constituted 42.26% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as against the requirement of 40%. In value terms, PS Advances increased by Rs.4,876 crore (a growth of 13.68%) to reach a level of Rs.40,527 crore as at end March 2012 from Rs.35,651 crore as at end March 2011.
- Total advances to Agriculture Sector stood at Rs.15,411 crore, out of which advances to Direct Agriculture was Rs.11,860 crore. Total Agriculture Advances grew by 21.15%. Direct Agriculture grew by 33.44%.
- Bank's exposure to Micro and Small Enterprises (MSE)



रुपये से बढ़कर 17,978 करोड़ रुपये हो गया और इसमें 2011-12 के दौरान 13.47% की वृद्धि हुई।

- शिक्षा ऋण 1102 करोड़ रुपये से बढ़कर 1191 करोड़ रुपये हो गए और इसमें वर्ष 2011-12 के दौरान 8.04% की वृद्धि दर्ज हुई।
- मार्च 2012 के अंत में, बैंक का परिचालन लाभ 3141 करोड़ रुपये रहा। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निवल ब्याज मार्जिन 4,178 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,216 करोड़ रुपये हो गया।

#### नवोन्मेष कार्य (2011-12)

##### **कारोबार के नवोन्मेष कार्य**

- बैंक ने ई-स्टैंपिंग सेवाओं के लिए अधिकृत वसूली केंद्र (एससीसी) के रूप में कार्य करने हेतु 27.07.2011 को स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह सेवा गुजरात की 8 शाखाओं में और कर्नाटक की 1 शाखा में शुरू हो चुकी है।
- हमारे बैंक ने 14 सितंबर, 2011 को एसबीआई कार्ड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 22 अक्टूबर, 2011 को को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किए। 31.03.2012 को हमारी शाखाओं द्वारा 8,550 कार्डों का कार्य आरम्भ किया गया, जिनमें से 5,910 कार्ड जारी किए गए थे।
- हमारे बैंक ने 3 अक्टूबर, 2011 को ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और ओरियंटल बैंक मेडिकलेम पॉलिसी शुरू की। 31.10.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान बैंक द्वारा 9,976 पॉलिसी बेची गईं।

##### **आईटी नवोन्मेष**

- नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए ऋण की किस्तों का ऑन लाइन भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई।
- आय मान्यता तथा खातों के वर्गीकरण के प्रतिमानों के अनुसार खातों का सिस्टम आधारित वर्गीकरण लागू किया गया।
- नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए लॉगिन तथा लेन-देन पासवर्ड के ऑनलाइन जनरेशन की सुविधा शुरू की गई।
- ऑनलाइन लेन-देनों के लिए एसएमएस आधारित ट्रैकर आईडी तथा नेट बैंकिंग ग्राहकों द्वारा यूजर आईडी डालने पर स्क्रीन पर व्यक्तिगत संदेश तथा छवि की पहचान करने के बाद पासवर्ड डालने जैसे सुरक्षा के उपाय लागू किए गए।
- महाराष्ट्र सरकार के लिए वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए शुरू की गई।
- बैंक की सभी वेबसाइट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 256-बिट वेरीसाइन एक्सटेंडेड वेलिडेशन (इवी) एसएसएल सर्टिफिकेट लागू किया गया।
- चेन्ने में चेक ट्रंकेशन पद्धति (सीटीएस) लागू की गई।
- सरकारी पेंशन के केंद्रीकृत भुगतान (सीपीपीसी) के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लागू किया गया।
- बैंक ने खरीद के लिए ई टेंडरिंग तथा ऑनलाइन रिवर्स नीलामी सुविधा शुरू की।

increased to Rs.17,978 crore from Rs.15,844 crore, thus growing by 13.47% during 2011-12.

- Loans for Education increased to Rs.1,191 crore from Rs.1102 crore, thus recording a growth of 8.04% during the year 2011-12.
- Operating Profit of the Bank as at end March 2012 stood at Rs. 3,141 Crore. During the FY 2011-12, Net Interest Income (NII) increased to Rs. 4,216 crore from Rs. 4,178 crore.

#### New Initiatives (2011-12)

##### **Business Initiatives**

- The Bank signed MoU with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) on 27.07.2011 to act as Authorized Collection Centre (ACC) for e-Stamping services. It has already started in 8 branches of Gujarat and 1 branch of Karnataka.
- Our Bank signed an MoU with SBI Cards on 14<sup>th</sup> Sep' 2011 and launched the Co-Branded Credit Cards on 22<sup>nd</sup> Oct' 2011. As on 31.03.2012, 8550 cards are sourced by our branches out of which 5910 cards were issued.
- The Bank signed an MoU with Oriental Insurance Company on 3<sup>rd</sup> Oct' 2011 and launched the Oriental Bank Mediclaim Policy. During the period from 03.10.2011 to 31.03.2012, 9976 policies have been sold by the Bank.

##### **IT Initiatives**

- Launched the facility for net banking customers to pay Loan installments online.
- System driven classification of accounts as per Income Recognition and Accounts Classification (IRAC) norms has been implemented.
- Facility launched for Online Generation of Login and Transaction passwords for net banking customers.
- Security features like SMS based Tracker-ID for online transactions and entering password by Net Banking customers after recognizing the personalized image and personalized text appearing on screen on entering the user ID, have been implemented.
- Launched facility for Net Banking customers to make online payments for VAT and Central Sales Tax for Govt. of Maharashtra.
- 256-bit VeriSign Extended Validation (EV) SSL certificate has been implemented to enhance security of Bank's all websites.
- Cheque Truncation System (CTS) has been extended in Chennai.
- Software solution for centralized payment of Govt. pension (CPPC) has been implemented.
- Bank has implemented e-Tendering and online Reverse Auction facilities for procurements.





- एटीएम के जरिए आय कर के भुगतान की सुविधा शुरू की गई।
- पीओएस सुविधा, एसएमएस अलर्ट तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का एटीएम पर पंजीकरण करने और पंजीकरण बंद करने की सुविधा शुरू की गई।

#### **नए कारपोरेट कदम 2012-13**

- 20 महाप्रबंधकों में से छह महाप्रबंधकों का प्रादेशिक अध्यक्ष के रूप में स्थापन तथा शेष को प्रधान कार्यालय में तैनात करके एक समरूप संगठनात्मक ढांचा अपनाना।
- बड़ी कारपोरेट शाखाओं को युक्तिसंगत बनाया गया और बड़े मूल्य के उधार खातों को इन शाखाओं में अंतरित किया गया। अब से 15 बड़ी कारपोरेट शाखाएं 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार संभालेगी और सीधे प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करेंगी।
- 7 प्रादेशिक कार्यालयों का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड (आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली तथा देहरादून) में 5 और राजस्थान (जयपुर तथा श्रीगंगानगर) में 2 तथा जोधपुर, मेरठ एवं वाराणसी में 3 नए प्रादेशिक कार्यालयों का गठन।
- प्रधान कार्यालय में वर्टिकल द्वारा रिटेल आस्तियों/रिटेल देयताओं तथा वैकल्पिक डिलिवरी चैनल पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।

#### **बेहतर ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी**

- आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कुछ बैंकों में से है जहां 100% कारोबार अत्यंत तीव्र तथा अत्याधुनिक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के जरिए किया जाता है, जिसका आईएसओ 27001 सर्टिफिकेशन है। ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं सुगम रूप से देने और किसी भी आपदा की स्थिति में कारोबार और शून्य डाटा हानि सुनिश्चित करने के लिए त्रिआयामी डाटा सेंटर सेटअप बनाया गया है।
- मार्च, 2012 के अंत में, आपके बैंक के 1270 एटीएम और 32.71 लाख का कार्ड आधार था। प्रतिदिन 1.2 लाख से अधिक लेनदेन बैंक के एटीएम के जरिए किए जा रहे हैं।
- आपके बैंक की कारपोरेट वेबसाइट समसामयिक है और हमारी कारपोरेट छवि के अनुरूप इसे अधिक सूचनाप्रद, आकर्षक, सूरूचिपूर्ण और प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए इसके डिजाइन में परिवर्तन किया गया है। मूल्यवर्धित लिंक जैसे एनएसई मार्किट ट्रैकर, एनएसई विदेशी मुद्रा कारोबार ट्रैकर, बीएसई सेंसेक्स, एनएसई निफ्टी, खेलकूद अपडेट तथा बैंक द्वारा बिलों के भुगतान की स्थिति इत्यादि को साइट में शामिल किया गया है। वेबसाइट की सुरक्षा वेरीसाइन से 256 बिट एसएसएल इंक्रिप्शन लागू करके की गई है।
- आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का व्यापक प्रयोग किया जाता है और कई अतिरिक्त विशेषताएं लागू करके इसे अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाया गया है जैसे ऋण की मासिक किश्तों का आनलाइन भुगतान, वैंट तथा बिद्री कर का भुगतान, प्रयोक्ता आदि द्वारा पासवर्ड सृजित करना तथा कई सुरक्षा उपाय। वर्ष के दौरान जोड़े गए 93,000 नए ग्राहकों से इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक आधार 4.46 लाख हो गया है और औसतन दैनिक हिट 74,000 तक पहुंच गए हैं।
- मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के जरिए शेष संबंधी पूछताछ, अंतर बैंक निधि अंतरण, एनईएफटी के जरिए अंतर बैंक निधि अंतरण तथा आईएमपीएस

- Facility of payment of Income Tax through ATMs has been launched.
- Launched features on ATMs for registration and deregistration for POS facility, SMS Alerts and Mobile Banking Services

#### **New Corporate Initiatives 2012-13**

- Change to a flat Organizational Structure with deployment of six General Managers out of 20 as Regional Heads and remaining deployed at Head Office.
- Rationalization of Large Corporate Branches and transfer of large value accounts to these LCBs. Henceforth 15 LCBs will handle over Rs.50000 crore business and report directly to Head Office.
- Reconstitution of 7 Regional Offices. 5 in Uttar Pradesh/Uttarakhand (Agra, Ghaziabad, Lucknow, Bareilly and Dehradun) and 2 in Rajasthan (Jaipur and Sriganganagar) and creation of 3 new Regional Offices at Jodhpur, Meerut and Varanasi.
- Verticals at Head Office to focus on Retail Assets/Retail Liabilities and Alternate Delivery Channels.

#### **Technology for Better Customer Service**

- Your Bank is amongst the few Public Sector Banks where 100% of the business is routed through robust and state of the art Core Banking Solution, which has ISO 27001 Certification. For offering one stop seamless services to customers as well as to ensure business continuity and zero data loss in case of any disaster situation a three way data center setup has been created.
- As at the end of March 2012, your Bank has got ATM base of 1270 and card base of 32.71 lakh. More than 1.2 lakh transactions are happening per day through Bank's ATMs.
- Your Bank's Corporate Website is contemporary and its design has been further changed in line with our corporate image to make it more informative, appealing, attractive and user friendly. Value added links like NSE Market Tracker, NSE Foreign Exchange Tracker, BSE Sensex, NSE Nifty, sports update and status of payments of bills by the Bank etc. have been incorporated in the site. The website has also been secured by implementing 256 bits SSL encryption from VeriSign.
- Your Bank's widely used Internet Banking facility has been further enriched and made more secure by implementation of various additional features such as online payment of loan EMI, payment of VAT and Sales Tax, generation of passwords by users etc. and several security features. With addition of 93,000 new customers during the year, the Internet Banking customer base has reached to 4.46 lakh and average daily hits to 74,000.
- Mobile Banking Services are offered facilitating balance inquiry, Intra-Bank funds transfer, Inter-Bank funds transfer



आदि के जरिए तत्काल मोबाइल से मोबाइल पर निधि अंतरण आदि।

### अंतरराष्ट्रीय पहचान

आपके बैंक ने 30.09.2009 को दुबई में अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय खोलकर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया। दुबई में हमारा प्रतिनिधि कार्यालय अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कारोबारी संभावनाओं के बारे में सहायता देता है और बैंक के उत्पादों व सेवाओं की मार्केटिंग करता है।

### वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

बैंक ने 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी आबंटित 569 गांवों में विभिन्न मॉडल अर्थात् शाखा (23 गांव), मोबाइल शाखा (54 गांव) तथा कारोबार प्रतिनिधि मॉडल (492 गांव) के द्वारा वित्तीय समावेशन योजना सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।

वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 4,38,314 नो फ्रिल/अन्य बचत खाते खोले और 569 एफआईपी आबंटित गांवों में आई टी समर्थित बैंकिंग सेवाएं देने के लिए 1,59,207 बायोमीट्रिक कार्ड जारी किए।

इसके अतिरिक्त बैंक 6 जिलों अर्थात् अमृतसर, मुक्तसर, गुरदासपुर (पंजाब) श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ (राजस्थान) तथा जींद (हरियाणा) में सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लाभों के संवितरण में भागीदार है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों के संवितरण के लिए कुल 2,75,766 लाभग्राहियों को बायोमीट्रिक कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं।

बैंक ने पंजाब के 31 एफआईपी आबंटित गांवों में जल शोधन पद्धति लगाई है ताकि गांवों को सुरक्षित पेय जल मिल सके। इसके अलावा एफआईपी गांव संपेरा, जिला सोनीपत, हरियाणा में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत रिक्शा दान किए गए।

बैंक ने गांव 24 एलएलडब्ल्यू (बी) जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में सुलभ शौचालय (सार्वजनिक शौचालय) बनवाए हैं। देहरादून क्षेत्र के एफआईपी आबंटित गांवों में विभिन्न स्थानों पर आठ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं।

### कंपनी अभिशासन

आपका बैंक उद्योग की श्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाकर, कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च मानदंडों को कायम रखे हुए हैं। बैंक सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कंपनी अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। बैंक की कंपनी अभिशासन नीतियों में हमारे ग्राहकों जिनमें जमा कर्ता, ऋण दाता, कर्मचारी एवं विनियामक प्राधिकारी शामिल हैं, के प्रति मंडल के उत्तरदायित्व और दिए गए निर्णयों के महत्व को स्वीकार किया गया है।

कंपनी कार्य मंत्रालय के 'कंपनी अभिशासन में हरित नवोन्मेष' और सूचीकरण प्रावधान के अनुरूप उन सभी शेरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भेज दी गई है जिन्होंने हमारे ई-मेल पते पर रजिस्ट्रेशन कराया है।

### कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में आपके बैंक ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित करने हेतु 09.12.2005 को ओबीसी ग्रामीण विकास ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट ने पांच जिलों

through NEFT and instant Mobile to Mobile funds transfer through IMPS etc.

### International Presence

Your Bank made its foray in International arena on 30.03.2009 with the opening of its first representative office at Dubai. Our representative office at Dubai has been extending assistance to NRIs and PIOs about business opportunities in India and marketing the Bank's products and services.

### Financial Inclusion Program

Bank has successfully rolled out Financial Inclusion Plan in all the 569 allotted villages with population more than 2,000 through different models i.e. Branch (23 villages), Mobile Branch (54 villages) and Business Correspondent model (492 villages).

During the year, the bank has opened a total number of 4,38,314 No-Frill/ Other savings accounts and issued 1,59,207 Bio-metric cards for extending IT enabled banking services in 569 FIP allotted villages.

Further, Bank is also participating in disbursement of financial benefits under Social Welfare Schemes in 6 districts namely Amritsar, Muktsar, Gurdaspur (Punjab), Sirganganagar, Hanumangarh (Rajasthan) and Jind (Haryana). A total number of 2,75,766 beneficiaries have been issued Bio-metric cards/ Smart cards for distribution of benefits of Social Welfare schemes.

Bank has provided Water Purifier System in 31 FIP allotted villages in Punjab to provide safe drinking water to villagers. Further, Tricycle to physically handicapped person has been donated under CSR activity in FIP village Sanpera, district Sonapat, Haryana.

The Bank got constructed Sulabh Shouchalaya (Public Toilet) at Village 24 LLW (B) Distt. Hanumangarh, Rajasthan. Eight Solar Street Lights were installed at various points in FIP allotted villages in Dehradun Region.

### Corporate Governance

Your Bank has been maintaining the highest standards of Corporate Governance by adopting best industry practices. The Bank has been adhering to the corporate governance guidelines laid down by SEBI and RBI. Bank's Corporate Governance policies recognize the accountability of the Board and the impact of its decisions on all our constituents including shareholders, depositors, lenders, customers, employees and the Regulatory authorities.

In line with Ministry of Corporate Affairs "Green Initiative in Corporate Governance" and Listing provisions, soft copies of Annual Report have been sent to all those shareholders who have registered their e-mail addressees with us.

### Corporate Social Responsibility

As a part of its Corporate Social Responsibility, your Bank set up a Trust in the name of 'OBC Rural Development Trust' on 09.12.2005 for setting up of Rural Self Employment Training







अर्थात् जयपुर, श्रीगंगानगर, फिरोजपुर एवं देहरादून में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। ग्रामीण बेरोजगार युवकों का कौशल बढ़ाने के लिए उन्हें स्वरोजगार सृजित करने वाले कार्यों जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एसेम्बलिंग तथा रखरखाव, मोबाइल मरम्मत, बेसिक कम्प्यूटर, हस्तशिल्प, टेलरिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, फुलकारी, लघु उद्योग स्तर पर कृषि खाद्य प्रोसेसिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रस्ट के कार्यों में किसानों को फसल विविधीकरण, स्व-सहायता समूहों का गठन, कौशल-विकास, उद्यमिता विकास तथा ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। आरंभ से लेकर अब तक कुल 753 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे 25,848 उम्मीदवारों को लाभ पहुंचा है।

### ग्राहक सेवा

हमारे बैंक के अपने ग्राहकों के साथ दीर्घ तथा स्थायी संबंध हैं जो वर्षों के विकास पर बने हैं और इस आशा पर आधारित हैं कि बैंक उनके सपनों को व्यावसायिक रूप से पूरा रखने के लिए सदैव तैयार है। हम अपने सम्मानित ग्राहकों को श्रेष्ठ बैंकिंग सेवाएं, उत्पाद देने और उत्कृष्टता की परंपरा निभाने के लिए वचनबद्ध हैं। बैंक अपने रिटेल उत्पादों पर रियायत देकर ग्राहकों को उनकी निष्ठा के लिए लाभान्वित करता रहा है।

### जोखिम प्रबंधन / बासेल II का कार्यान्वयन

मैं सहर्ष सूचित करता हूं कि आपका बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के मार्गनिर्देशों के अनुसार बासेल II अनुपालक है और बैंक की पूंजी में जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 12.69% रहा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट 9% की न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक है (6% के न्यूनतम निर्धारित स्तर के मुकाबले 10.12% की टियर-I पूंजी)। बैंक ने पर्याप्त जोखिम प्रबंधन पद्धति लागू की है जिसकी भारतीय रिजर्व बैंक से समय-समय पर प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार आवधिक तौर पर समीक्षा की जाती है तथा अद्यतन किया जाता है।

### लाभांश

आपके बैंक की लाभांश घोषित करने की नीति शेयर धारकों को उचित प्रतिफल देने तथा स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने और भावी विकास में सहयोग करने हेतु लाभ के पुनर्निवेश पर आधारित है। तदनुसार आपके निदेशक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 7.90 रुपये (79%) का लाभांश सहर्ष प्रस्तावित करते हैं।

### भावी योजना

आपका बैंक सभी प्रमुख वित्तीय मानदंडों पर सुदृढ़ बना रहा जैसा कि ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर पिछले वर्षों में किए गए इसके सतत कार्यनिष्पादन से स्पष्ट होता है। प्रतिबद्ध सामूहिक कार्यबल के साथ 18.25 मिलियन का सुदृढ़ ग्राहक आधार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

2012-13 में, सामान्य मानसून होने की आशा के साथ कृषि में वृद्धि प्रवृत्ति के लगभग अनुरूप रहने का पूर्वानुमान है। ऐसी आशा है कि उद्योग का प्रदर्शन पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर रहेगा क्योंकि उद्योग के अग्रणी संकेतक आईआईपी वृद्धि में परिवर्तन का संकेत देते हैं। 2012-13 के लिए वैश्विक परिदृश्य तथा घरेलू वृद्धि परिदृश्य 2011-12 के मुकाबले बेहतर रहने की

Institutes (RSETIs) and taking up other developmental activities. The Trust has established training Institutes in five Districts, viz., Jaipur, Sriganganagar, Ferozepur, Dehradun and Palwal. Free trainings on skill development to rural unemployed youth are being imparted for self-employment generating activities such as Computer Hardware assembling and maintenance, Mobile repairing, Basic computer, Handicraft, Tailoring, Dress designing & stitching, Embroidery, Phulkari, small scale agri food processing, etc. The activities of the Trust also cover education to farmers in crop diversification, formation of Self Help Groups, Skill improvement, Entrepreneurship development and promoting use of non-conventional source of energy. Since inception a total of 753 training programmes have been conducted benefiting 25,848 candidates.

### Customer Service

Your Bank shares with its customers a long and enduring relationship that is built over the years on trust and an abiding hope that the Bank will always partner for the fulfillment of their dreams in a professional manner. We are committed for bringing to our esteemed customers the best of banking services, products and a tradition of excellence. The bank has been rewarding the loyalty of customers by offering attractive Retail loan pricing for its products.

### Risk Management/Implementation of BASEL II

I am happy to inform you that your Bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework guidelines issued by the Reserve Bank of India and Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank stood at 12.69% well above the minimum requirement of 9% as stipulated by RBI (Tier I of 10.12% against the minimum prescribed level of 6%). The Bank has put in place adequate Risk Management Systems which are reviewed and updated periodically in the light of guidelines received from Reserve Bank of India from time to time.

### Dividend

Your Bank's policy of declaring dividend is to reward the shareholders as well as to plough back sufficient profits for maintaining a healthy capital adequacy ratio and supporting future growth. Accordingly, your Directors are happy to propose a dividend of Rs. 7.90 per share (79%) for the year ended 31st March 2012.

### Looking Forward

Your Bank continues to be strong on all major financial parameters as is evident in its consistent performance over the years with a state-of-the-art technology platform to meet the customers' aspirations. The 18.25 million strong customer base with a committed team force stands testimony to this.

Going forward into 2012-13, assuming a normal monsoon, agricultural growth could stay close to the trend level. Industry is expected to perform better than in last year as leading indicators of industry suggest a turnaround in IIP growth. The global outlook as well as the domestic growth outlook for 2012-13 looks better than in 2011-12. Accordingly, the baseline GDP growth for 2012-13 is

संभावना है। तदनुसार 2012-13 के लिए आधारभूत जीडीपी विकास 7.3% रहने का पूर्वानुमान है। भविष्य में मुद्रास्फीति परिदृश्य चुनौतीपूर्ण रहेगा।

वर्ष 2012-13 के प्रति बैंक आशावान है। हमें जमा राशियों में 17.8% की और अग्रिमों में 16.6% की वृद्धि (कुल कारोबार में 17.3% वृद्धि) का अनुमान है। इसके लिए हमारी योजना 2012-13 के दौरान 175 से अधिक नई शाखाएं खोलने की हैं। बैंक वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रमुखतया रिटेल डिपोजिट एवं रिटेल अग्रिमों पर विशेष ध्यान देगा।

ग्राहक सेवा में नवोन्मेष सुविधाएं बढ़ाने के लिए बैंक ने विभिन्न डिलीवरी चैनल तथा कई ऑनलाइन सेवाएं आरंभ की हैं जिनसे सेवा डिलीवरी समय पर होने के साथ-साथ कुशल, प्रभावी तथा त्रुटि रहित हुई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 311 विशेषज्ञ अधिकारियों सहित 2249 कर्मियों की नियुक्ति की गई। बैंक की योजना 2012-13 के दौरान लगभग 1100 कर्मचारियों को भर्ती करने की है। विभिन्न संवर्गों में कर्मिकों की भर्ती, निरंतर प्रशिक्षण जैसे नवोन्मेष उपायों से पुष्ट ओबीसी टीम अपने ग्राहकों की सेवा में प्रतिबद्ध है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान नए बायोमीट्रिक एटीएम लगाकर, नए बायोमीट्रिक कार्ड जारी करके, नो फ्रिल खातों के लिए ग्राहकों को नामांकित करके, अतिरिक्त गांवों को अंगीकार करके, कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने एवं नए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/ संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) बनाकर वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया।

बैंक के सर्वोच्च प्रबंध वर्ग का अंतिम लक्ष्य है : हमारे चार प्रमुख मानकों अर्थात् सुदृढ़ कासा, रिटेल मीयादी जमा राशियों, वैविध्यपूर्ण अग्रिम पार्टफोलियो, मजबूत निवल ब्याज मार्जिन तथा कड़े एनपीए प्रबंधन द्वारा बैंक को अधिक स्थिर व विकासोन्मुख बनाना। नए प्रस्तावित कारपोरेट नवोन्मेष का उद्देश्य कॉरपोरेट तथा डिलीवरी स्तरों पर दक्षता/क्षमता को बढ़ाते हुए मूल कारोबार को बढ़ाना है।

निदेशक मंडल की ओर से और मैं अपनी ओर से सभी शेयरधारकों द्वारा प्रबंध वर्ग के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे विचार से बैंक की सफलता हमारे पण्यधारकों द्वारा बैंक के मूल सिद्धांत स्वीकार करने, ग्राहक सेवा की उत्कट भावना तथा नेताओं की विश्वसनीयता में निहित है। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पण भावना तथा हमारे निष्ठावान ग्राहकों द्वारा दिए गए सतत् सहयोग व संरक्षण के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का, उनके सतत् मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।



**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**

projected at 7.3%. Going forward, the inflation scenario remains challenging.

For the year 2012-13, the Bank is looking optimistically. We estimate a growth of 17.8% in deposits & 16.6% in advances (total business growth of 17.3%). Towards this, we have planned to add more than 175 branches during 2012-13. The Bank proposes to focus mainly on retail deposits & retail advances during FY 2012-13.

Taking forward the innovation in customer service, the bank has introduced various delivery channels and a number of on line services which makes service delivery efficient, effective and error free besides being timely.

2249 personnel including 311 Specialist Officers have been recruited during 2011-12. The Bank plans to recruit around 1100 employees during 2012-13. Recruitment of personnel at different cadres and continuous training are some initiatives directed towards building the Team OBC in the service to its customers.

More importantly, a special focus is being laid on Financial Inclusion by way of installation of biometric ATMs, issuing fresh Biometric Cards, enrolling customers under No-Frill Accounts, adopting more villages, appointing Business Correspondents and forming new Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Groups (JLGs) during the year.

The ultimate objective of the Top Management of the Bank is to equip the Bank with more stability and growth orientation through four key parameters i.e. Healthy CASA, Retail term deposits, Well diversified Advances portfolio, Strong NIM and Stringent NPA Management. The proposed new Corporate initiatives aim at increasing the efficiency/capacity at Corporate and delivery levels, resulting in thrust to Core business.

On behalf of the Board of Directors and on my own behalf, I take this opportunity to express my sincere thanks and gratitude to all the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Management. We understand that the success of the Bank lies in attaining the acceptance of our stakeholders about the Bank's core values, passion for customer service and credibility of leaders. I also thank every employee of the Bank for their dedication and our loyal customers for their continued support and patronage. My sincere thanks to the Ministry of Finance, Government of India and the Reserve Bank of India for their continued guidance and support.



**CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR**

## निदेशक मंडल Board of Directors



श्री एस. एल. बंसल  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
**Sh. S. L. Bansal**  
Chairman & Managing Director



श्री एस.सी.सिन्हा  
कार्यकारी निदेशक  
**Sh. S.C. Sinha**  
Executive Director



श्री वी. कण्णन  
कार्यकारी निदेशक  
**Sh. V. Kannan**  
Executive Director



श्रीमती श्रेया गुहा  
**Smt. Sreya Guha**



श्री बी. श्रीनिवास  
**Sh. B. Srinivas**



श्री के. एच. पाण्डेय  
**Sh. K.H. Pandey**



श्री एस.एस. शिशौदिया  
**Sh. S.S. Shishodia**



श्री सी. पी. सिंह  
**Sh. C.P. Singh**



श्री के.एस. श्रीनिवासन  
**Sh. K.S. Sreenivasan**



श्री टी. वल्लियप्पन  
**Sh. T. Valliappan**



डॉ. आभा चतुर्वेदी  
**Dr. Abha Chaturvedi**



श्री पी.बी. संथानाकृष्णन  
**Sh. P.B. Santhanakrishnan**



## शीर्ष प्रबंधक वर्ग / Top Management Team



श्री शील कुमार शर्मा  
Sh. Sheel Kumar Sharma



श्री सी.एम. खुराना  
Sh. C.M. Khurana



श्री अतुल गौतम  
Sh. Atul Gautam



श्री वी.के. कम्बोज  
Sh. V.K. Kamboj



श्री आर.एम. शर्मा  
Sh. R.M. Sharma



श्री एस.के. शर्मा  
Sh. S.K. Sharma



श्री जे.एम.ए. डेविड  
Sh. J.M.A. David



श्री प्रदीप अग्रवाल  
Sh. Pradeep Aggarwal



श्री एस.सी. शर्मा  
Sh. S.C. Sharma



श्री के.सी. विजयवर्गी  
Sh. K.C. Vijayvargi



श्री एस.एन. चोपड़ा  
Sh. S.N. Chopra



श्री आर.एल. अग्रवाल  
Sh. R.L. Aggarwal



श्री आर.के. टक्कर  
Sh. R. K. Takkar



श्री रविन्द्र सिंह  
Sh. Ravinder Singh



श्री वी.एन. सूर्यनारायण  
Sh. V.N. Suryanarayanan



श्री के.के. सांसी  
Sh. K.K. Sansi



श्री डी.एस. राठौर  
Sh. D.S. Rathore



श्री वी.आर. अय्यर  
Sh. V.R. Iyer



श्री सुनील के. कौशल  
Sh. Sunil K. Koushal



श्री ए.के. जैन  
Sh. A.K. Jain



श्री के.के. आचार्य  
Sh. K.K. Acharya



## एक नजर कार्यनिष्पादन पर Performance at a glance

	राशि (करोड़ रुपए में) Amount (Rs. in Crore)				
वित्त वर्ष के अंत में For the Financial Year Ended	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूंजी एवं आरक्षित निधि/Capital and reserves	5775.90	7403.45	8237.95	11097.14	11942.50
कुल जमा राशियां/Total Deposits	77856.70	98368.85	120257.59	139054.26	155964.92
अग्रिम (निवल)/Advances (Net)	54565.83	68500.37	83489.30	95908.22	111977.69
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/Priority Sector	18759.83	22315.07	29383.61	35650.71	40526.54
जिसमें से/of which:					
(i) कृषि/Agriculture	6930.05	8614.03	11267.51	12721.13	15411.10
(ii) लघु उद्योग/Small Scale Industries	5015.05	5576.33	10868.81	15844.45	17978.48
(iii) अन्य/Others	6814.73	8124.71	7247.29	7085.13	7136.96
कुल आस्तियां/देयताएं/Total Assets/Liabilities	90705.32	112582.59	137430.99	161343.37	178130.18
कुल आय/Total Income	7454.84	9927.79	11457.17	13047.89	17055.13
कुल व्यय/Total Expenditure	6613.90	9037.37	10322.49	11545.02	15913.57
बट्टे खाते डालने से पूर्व वर्ष का निवल लाभ Net profit for the year before write-off	840.94	890.42	1134.68	1502.87	1141.56
बट्टे खाते डालने के पश्चात् वर्ष का निवल लाभ* Net profit for the year after write-off*	353.22	890.42	1134.68	1502.87	1141.56
शाखाओं की संख्या (वास्तविक)/No. of Branches (in actuals)	1323	1401	1508	1620	1772
कर्मचारियों की संख्या (वास्तविक)/No. of Employees (in actuals)	14804	14656	15358	16618	18371

\* पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की हानि के 487.72 करोड़ रु. 2007-08 में बट्टे खाते डाले गए।

\* Erstwhile Global Trust Bank's Losses amounting to Rs. 487.72 crore written-off in 2007-08.



## ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के शेयरधारकों की 18वीं वार्षिक आम बैठक **बुधवार, 13 जून, 2012** को प्रातः 10.00 बजे, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

मद संख्या 1. बैंक के 31 मार्च, 2012 के तुलनपत्र तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा, लेखों में ली गई अवधि हेतु बैंक के कार्यचालन और कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन करना तथा इन्हें अपनाना ।

मद संख्या 2. वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना ।

गुडगांव

30 अप्रैल, 2012

ए.के. जैन

महाप्रबंधक

## ORIENTAL BANK OF COMMERCE

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office : Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi- 110001

Corporate Office : Plot No. 5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001

### NOTICE

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Wednesday, 13<sup>th</sup> June 2012 at 10.00 a.m at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016, to transact the following business:

**Item No.1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2012, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Report on the Balance Sheet and Accounts.**

**Item No. 2: To declare dividend on equity shares for the financial year 2011-2012.**

Gurgaon  
30<sup>th</sup> April 2012

A.K. JAIN  
General Manager





## टिप्पणियां

### मतदान के अधिकार

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास रखे गए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान के अधिकार के 1% से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।

### प्रॉक्सी की नियुक्ति

इस बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक बैंक की इस बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

प्रॉक्सी को प्रभावी बनाने हेतु प्रॉक्सी फार्म 8 जून, 2012 को बैंक के कार्य घंटे समाप्त होने से पहले बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

### सदस्यों का रजिस्टर बन्द होना

शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही 6 जून, 2012 से 13 जून, 2012 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगी।

### लाभांश का भुगतान

मंडल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निश्चित लाभांश यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाएगा तो उसका भुगतान उन सदस्यों को 12.07.2012 को, जिनके नाम 5 जून, 2012 को (डी मैट के माध्यम से) बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हों या जिन्होंने उस तिथि तक अंतरण हेतु अपने शेयर (मूर्त) जमा करा दिए हों।

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट बैंक द्वारा शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मै0 एमसीएस लिमिटेड के माध्यम से एनईसीएस अथवा अन्य अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 12.07.2012 को भेज दिए जाएंगे या लाभांश राशि जमा कर दी जाएगी।

### लाभांश वारंट में बैंक लेखे का विवरण/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)

सेबी ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए लाभांश वारंट वितरित करते समय लाभांश वारंट में शेयरधारक द्वारा दिए गए बैंक खाते का विवरण लिखना तथा जहां उपलब्ध हो, इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सुविधा का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शेयरधारकों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट एनईसीएस के माध्यम से किया जाएगा। एन ई सी एस सुविधा उपलब्ध है, बशर्ते शेयरधारक का खाता कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) बैंक की शाखा में हों (आपके बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस में हों) तथा लाभग्राही स्वामी का ई-क्रेडिट अधिदेश उसकी डीपी सहित दर्ज कराया गया हो तथा मूर्त रूप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों द्वारा अपना ई-क्रेडिट अधिदेश आर टी ए में दर्ज कराया हो।

जिन शेयरधारकों के पास शेयर मूर्त रूप में हों, वे अपने बैंक अधिदेश संबंधी विवरण बैंक के निवेशक सेवा विभाग अथवा हमारे शेयर हस्तांतरण एजेंट

## NOTES

### VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

### APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.

The proxy form in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank before the closing hours of the Bank on 8th June, 2012.

### CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books will remain closed from 6th June 2012 to 13th June 2012 (Both days inclusive).

### PAYMENT OF DIVIDEND

The dividend, as proposed by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on 12.07.2012 to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members on 5th June 2012 (through demat) or have submitted shares for transfer (physical) by that date.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or dividend amount will be credited through NECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s MCS Limited, on 12.07.2012.

### DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) facility. Direct credit to the bank account of the shareholder is done through NECS as specified by the Reserve Bank of India. NECS facility is available provided the account of shareholder is with Core Banking Solution (CBS) Branch of Bank (All Branches of your Bank are in CBS) and the beneficial owners have got E-credit mandate recorded with their DP and shareholders holding shares in physical form have got E-credit mandate recorded with RTA.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details (form enclosed) to Investor



मै0 एमसीएस लिमिटेड, नई दिल्ली को रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करने हेतु भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास अमूर्त रूप में शेयर हैं वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अपनी निक्षेपागार संस्था से संपर्क कर सकते हैं।

### अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की नई धारा 10बी के अनुसार, सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त अथवा अदावाकृत लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग के तहत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है और तत्पश्चात् भुगतान का कोई दावा बैंक को अथवा आईईपीएफ को नहीं किया जा सकेगा।

जिन शेयर धारकों ने पिछले किसी वर्ष के लाभांश वारंट न तो भुनाए हैं और न प्राप्त किए हैं, जो अभी तक आईईपीएफ को अंतरित नहीं किए गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट वारंट जारी करने के लिए बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट से संपर्क करें।

शेयरधारकों को असुविधा न हो, इसके लिए बैंक ने 50000.00 रु. तक के डुप्लीकेट लाभांश पत्र के लिए क्षतिपूर्ति बंधपत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी है, जिसके लिए शेयरधारक आवेदन कर सकते हैं।

### स्रोत पर कर की कटौती

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115-ओ के अंतर्गत शेयरधारकों को दिए गए लाभांश में से स्रोत पर किसी प्रकार के कर की कटौती नहीं की जाएगी।

### लेखों संबंधी सूचना

लेखों के संबंध में किसी प्रकार की सूचना चाहने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में वार्षिक आम बैठक से कम से कम सात दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक संबंधित सूचना तैयार रख सके।

### उपस्थिति पर्ची

सदस्य/प्रॉक्सी इसके साथ भेजी जा रही उपस्थिति पर्ची पूरी तरह भरकर बैठक स्थल पर लाएं। प्रवेश के समय पर आपको प्रवेश पास दिया जाएगा, जिसे बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखें।

### अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार / उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति तथा वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।

कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के अंदर ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। अतः बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सामान की सुरक्षा हेतु अपनी व्यवस्था स्वयं करें।

Services Department of the Bank or to our Share Transfer Agent M/s MCS Ltd., New Delhi, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participant for necessary action in this connection.

### UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

As per the new Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The shareholders who have neither encashed nor received the dividend warrants for any of the previous years, which are not yet transferred to the IEPF, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate dividend warrant.

In order to avoid inconvenience to the shareholders, the Bank has waived the requirement of Indemnity Bond for duplicate dividend warrant upto Rs.50,000.00, for which shareholder may lodge application.

### DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

Under Section 115-O of the Income Tax Act, 1961, no tax will be deducted at source in respect of dividend paid to the shareholders.

### INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information with regard to accounts are requested to write to the Bank at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

### ATTENDANCE SLIP

The members/proxies should bring the Attendance Slip, sent herewith, duly completed at the venue. On admission, an entry pass will be given which should be kept till end of the meeting.

### OTHER INFORMATION:

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report and valid photo identity card to the meeting.

Due to strict security reasons brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the Auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.



## निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

### 1. कारोबार परिचालन

बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष के 235893.16 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2012 को 269014.73 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैंक की कुल जमा राशियां 155964.92 करोड़ रुपए रही, जिनमें 12.16% वृद्धि दर्ज करते हुए 16910.66 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। जमा लागत वित्तीय वर्ष 2010-11 के 6.03% के मुकाबले 7.69% रही। यद्यपि बढ़ती हुई ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सावधानी बरतते हुए पिछले वर्ष जमा राशियां प्राप्त करने के लिए विशेष योजनाएं आरंभ की फिर भी इसने जमा लागत पर विपरीत प्रभाव डाला और यह 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के 6.03% के मुकाबले 31.3.2012 को समाप्त वर्ष में बढ़कर 7.69% हो गई। बैंक ने वर्ष के दौरान उच्च लागत वाली बल्क जमा राशियां लेने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप बल्क जमा राशियों का अनुपात वर्ष 31.03.2011 के 34.26% की तुलना में घटकर 31.03.2012 में 27.56% हो गया। दूसरी ओर मार्च, 2012 के अंत में निवल अग्रिम 16.76% की वृद्धि दर्ज करते हुए 111977.69 करोड़ रुपए रहे। राजकोषीय वर्ष 2011-12 के दौरान अग्रिमों पर आय पिछले वर्ष के 10.52% से बढ़कर 12.16% हो गई। बैंक द्वारा अग्रिमों पर आय बढ़ाने के लिए एसएमई, मध्यम कारपोरेट तथा रिटेल क्षेत्र को ऋण देने के साथ-साथ ब्याज की आधार दर लागू किए जाने के उपाय करने से अग्रिमों पर आय में सुधार हुआ।

बैंक का ऋण जमा अनुपात मार्च, 2012 के अंत में 72.68% रहा। बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादनपरक क्षेत्रों को उपयुक्त एवं पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया। बैंक का ऋण एवं अग्रिम संविभाग सुविस्तृत और संतुलित है।

### 2. पूंजी और आरक्षित निधि

आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने 2011-12 के लाभ में से 873.98 करोड़ रुपए आरक्षित निधियों (इसमें 286.00 करोड़ रुपए सांविधिक आरक्षित निधि 565.00 करोड़ रुपए राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि, 6.98 करोड़ रुपए पूंजी आरक्षित निधि) में अंतरित किए गए। इससे 31 मार्च, 2012 को बैंक की पूंजी एवं आरक्षित निधियां मार्च, 2011 के 11097.14 करोड़ रुपए से बढ़कर 11942.50 करोड़ रुपए हो गईं तथा औसत कार्यशील निधि की तुलना में पूंजी एवं आरक्षित निधि का अनुपात 31.03.2012 को 7.00% रहा जबकि 31 मार्च, 2011 को यह 7.62% था।

### 3. पूंजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च, 2012 को बासेल-II के अंतर्गत बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2011 के 12.69% की तुलना में 14.23% रहा। यह 9.0% की न्यूनतम नियामक अपेक्षा से काफी अधिक है।

### 4. वित्तीय कार्यनिष्पादन

राजकोषीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक की कुल आय पिछले वर्ष की 13047.89 करोड़ रुपए की तुलना में 17055.13 करोड़ रुपए रही और इसमें 4007.24 करोड़ रुपए की वृद्धि (30.71% की वृद्धि) हुई। बैंक का परिचालन लाभ 3.22% की मामूली गिरावट दर्ज करता हुआ पिछले वर्ष के 3245.14 करोड़ रुपए की तुलना में घटकर 3140.58 करोड़ रुपए हो गया। राजकोषीय वर्ष 2011-12 के दौरान सभी अपेक्षित प्रावधान करने के बाद बैंक का निवल लाभ 361.31 करोड़ रुपए अर्थात् 24.04% की गिरावट दर्ज करते हुए 1141.56 करोड़ रुपए रहा।

निवल लाभ में से विनियोजन अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका के अनुसार किया गया है :

## DIRECTOR'S REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting this Annual Report together with the Audited balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2012.

### 1. BUSINESS OPERATIONS

The Business of the Bank stood at Rs. 269014.73 crore on 31<sup>st</sup> March 2012 as against Rs. 235893.16 crores in the previous year. Total deposits of the Bank stood at Rs. 155964.92 crore and have shown an increase of Rs. 16910.66 crore depicting a growth of 12.16%. Cost of deposit stood at 7.69% as against 6.03% for financial year 2010-11. With the increasing interest rate regime, though the bank has cautiously introduced special schemes to procure deposits during the last year, still it has adversely impacted the cost of deposit which for the year ended 31.03.2012 has increased to 7.69% from 6.03% for the year ended 31.03.2011. However, the Bank has cautiously procured high cost bulk deposits during the year. As a result of the above, the ratio of bulk deposits has decreased from 34.26% as on 31.03.2011 to 27.56% as on 31.03.2012. On the other hand, net advances as at end-March 2012 stood at Rs. 111977.69 crore, registering a growth of Rs. 16.76%. During the fiscal 2011-12, yield on advances has increased to 12.16% from previous year's level of 10.52%. The measures taken up by the bank to improve yield on advances through lending to SME, Mid Corporate and Retail sector has enabled the bank to improve the yield on advances.

The credit deposit ratio of the Bank, as at end-March 2012, stood at 72.68%. The Bank ensured adequate flow of credit to the productive sectors of the economy. The Loans & Advances portfolio of the bank is well diversified and balanced.

### 2. CAPITAL & RESERVES

During the year, the bank transferred a sum of Rs.873.98 crore to Reserves (which includes Rs. 286.00 crore transferred to Statutory Reserves, Rs. 565.00 crore to Revenue and Other Reserves and Rs.6.98 crore to Capital Reserve) out of the profit for the year 2011-12. With this, capital & reserves as on March 31, 2012 have gone upto Rs.11942.50 crore as against Rs. 11097.14 crore as at end March 2011 and the ratio of Capital & Reserves to average working funds stood at 7.00% as on 31.03.2012 as against 7.62% as on 31<sup>st</sup> March 2011.

### 3. CAPITAL ADEQUACY RATIO

As on March 31, 2012 the Capital Adequacy Ratio of the Bank under Basel -II stood at 12.69% as against 14.23% as on 31<sup>st</sup> March, 2011. This is well above the regulatory minimum requirement of 9.00%.

### 4. FINANCIAL PERFORMANCE

The Bank has posted a total income of Rs. 17055.13 crore during the year as against Rs. 13047.89 crore last year thus registering an increase of Rs. 4007.24 crore (a growth of 30.71% during the fiscal 2011-12). Operating Profit of the Bank has decreased to Rs. 3140.58 crore as against Rs 3245.14 crore last year showing a marginal decline of 3.22% The Bank has earned a net profit of Rs. 1141.56 crore, after making all requisite provisions showing a decrease of Rs. 361.31 crore showing a decline of 24.04% during the fiscal 2011-12.

Financial performance including appropriation from the Net Profit is given on next page:-



**तालिका . 1 : वित्तीय कार्यनिष्पादन (करोड़ रु० में )**

	31.03.2012	31.03.2011
ब्याज आय	15814.88	12087.82
अन्य आय	1240.25	960.07
कुल आय	17055.13	13047.89
प्रदत्त ब्याज	11599.09	7910.27
परिचालन व्यय	2315.46	1892.48
कुल व्यय	13914.55	9802.75
परिचालन लाभ	3140.58	3245.14
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1999.02	1742.27
<b>निवल लाभ</b>	<b>1141.56</b>	<b>1502.87</b>
जोड़िए: आगे लाया गया लाभ	<b>0.79</b>	<b>0.58</b>
<b>विनियोजन हेतु उपलब्ध निवल लाभ</b>	<b>1142.35</b>	<b>1503.45</b>
<b>विनियोजन</b>		
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण	286.00	376.00
राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि में अंतरण	16.00	692.00
आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	565.00	82.00
पूँजी आरक्षित निधि में अंतरण	6.98	---
प्रस्तावित लाभांश	230.49	303.43
लाभांश पर कर	37.39	49.23
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	0.49	0.79

#### 5. लाभांश

आपके बैंक की लाभांश घोषित करने की नीति शेयरधारकों को उचित प्रतिफल देने तथा स्वस्थ पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने और भावी विकास में सहयोग करने हेतु लाभ के पुनर्निवेश पर आधारित है। तदनुसार आपके निदेशक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए 79% (अर्थात् 7.90 रुपए प्रति शेयर) का कुल लाभांश देने का सहर्ष प्रस्ताव करते हैं जबकि पिछले वर्ष यह 104% (अर्थात् 10.40 रुपए प्रति शेयर) था।

#### 6. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का क्षेत्रवार नियोजन

बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों में 13.68% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4875.83 करोड़ रु. की वृद्धि हुई, जो मार्च, 2011 के 35650.71 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2012 में 40526.54 करोड़ रुपए हो गए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 40% की अपेक्षा की तुलना में बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋणों (एएनबीसी) का 42.26% रहे। मार्च, 2011 तथा मार्च, 2012 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न खंडों के अंतर्गत अग्रिमों की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:

		(करोड़ ₹ में)	
क्र. सं.	क्षेत्र	मार्च, 2011	मार्च, 2012
1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	35650.71	40526.54
2.	कृषि	12721.13	15411.10
3.	प्रत्यक्ष कृषि	8887.91	11860.40
4.	अप्रत्यक्ष कृषि	3833.22	3550.70
5.	लघु उद्योग/लघु उद्यम	15844.45	17978.48
6.	शिक्षा ऋण	1065.15	1123.99
7.	आवास ऋण	5979.69	5981.89
8.	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	40.29	31.08

**Table 1: Financial Performance (Rupees in crore)**

	31.03.2012	31.03.2011
Interest Income	15814.88	12087.82
Other Income	1240.25	960.07
Total Income	17055.13	13047.89
Interest Paid	11599.09	7910.27
Operating Expenses	2315.46	1892.48
Total Expenses	13914.55	9802.75
Operating Profit	3140.58	3245.14
Provisions & Contingencies	1999.02	1742.27
<b>Net Profit</b>	<b>1141.56</b>	<b>1502.87</b>
Add-Profit brought forward	<b>0.79</b>	<b>0.58</b>
<b>Net Profit available for appropriation</b>	<b>1142.35</b>	<b>1503.45</b>
<b>APPROPRIATION</b>		
Transfer to Statutory reserve	286.00	376.00
Transfer to Revenue and Other reserves	16.00	692.00
Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of I-T Act	565.00	82.00
Transfer to capital reserve	6.98	---
Proposed Dividend	230.49	303.43
Tax on Dividend	37.39	49.23
Balance carried over to Balance Sheet	0.49	0.79

#### 5. DIVIDEND

Your Bank's policy of declaring dividend is to reward the share holders as well as to plough back profit for maintaining a healthy capital adequacy ratio & for supporting future growth. Accordingly, your Directors are pleased to propose a total dividend of 79 % (i.e Rs.7.90 per share) for the year ended 31st March, 2012 as against 104 % (i.e. Rs.10.40 per share) paid for the preceding year.

#### 6. SECTORAL DEPLOYMENT OF CREDIT TO PRIORITY SECTOR

Bank's advances to priority sector increased by Rs4875.83 crore from Rs. 35650.71 crore in March 2011 to Rs. 40526.54 crore in March 2012 registering a growth of 13.68%. The Priority Sector Advances constituted 42.26% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the stipulation of 40%. The comparative position of advances under various segments under Priority Sector as at the end of March 2011 and March 2012 is as follows:

		(Amount ₹ in crore)	
S.No.	Sectors	March 2011	March 2012
1.	Priority sector credit	35650.71	40526.54
2.	Agriculture	12721.13	15411.10
3.	Direct Agriculture	8887.91	11860.40
4.	Indirect Agriculture	3833.22	3550.70
5.	SSI / SE	15844.45	17978.48
6.	Educational Loan	1065.15	1123.99
7.	Housing Loan	5979.69	5981.89
8.	Other P.S.	40.29	31.08



## 6.1 कृषि अग्रिम

कृषि क्षेत्र को बैंक के अग्रिमों में 21.15% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2689.97 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो मार्च 2011 के 12721.13 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2012 में 15411.10 करोड़ रुपए हो गए। प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में 33.44% की वृद्धि के साथ 2972.49 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और ये 31.03.2011 को 888.91 करोड़ रुपए से बढ़कर 31.03.2012 को 11860.40 करोड़ रुपए हो गए। अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रत्यक्ष कृषि ऋणों के वर्गीकरण प्रतिमानों में परिवर्तन किए जाने से 7.37% की गिरावट के साथ 282.52 करोड़ रुपए की कमी आई और ये 31.03.2011 के 3833.22 करोड़ रुपए से घटकर 31.03.2012 को 3550.70 करोड़ रुपए हो गए।

### 6.1.1 कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह (नए संवितरण)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि क्षेत्र को 9174.00 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए।

#### 6.1.2 लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई)

मार्च, 2012 के अंत में लघु उद्यम में बैंक का ऋण मार्च, 2011 को 13.47% की वृद्धि दर्ज करते हुए 17978.48 करोड़ रुपए हो गया और इसने 2134.03 करोड़ रु. की वृद्धि दर्ज की। इसके अतिरिक्त, एसएमई अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20% की अपेक्षित वृद्धि की तुलना में 13.90% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2456.24 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ बढ़कर 20126.51 करोड़ रुपए हो गए। अति लघु/सूक्ष्म (माइक्रो) क्षेत्र के अग्रिमों में 18.16% की वृद्धि के साथ 929.42 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 6046.37 करोड़ रुपए हो गए। ऋण देने के लिए बाहरी स्रोतों से ऋण प्रस्ताव जुटाने के लिए बैंक ने एनएसआईसी के साथ समझौता किया है।

#### 6.1.3 ओरियन्टल ग्रीन कार्ड (ओजीसी) एवं ओरियन्टल किसान गोल्ड कार्ड (ओकेजीसी)

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक द्वारा किसानों को फसल उत्पादन, कृषि मशीनरी एवं संयंत्रों की मरम्मत, संबंधित क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूंजी, व उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करने की दृष्टि से 1,22,233 कार्ड जारी किए गए। इस वर्ष के दौरान, इन कार्डों के जरिए 2829.72 करोड़ रुपए के ऋण संवितरित किए गए।

#### 6.1.4 ओरियन्टल बैंक ग्रामीण परियोजना (ओबीजीपी)

बैंक ओरियन्टल बैंक ग्रामीण परियोजना के आवास विकास मॉडल के अंतर्गत गरीब ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत निर्धन ग्रामीणों को वित्त प्रदान कर रहा है। यह संयुक्त देयता समूह अवधारणा, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 सदस्य, विशेषकर महिलाएं शामिल हैं, के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में 251 गांवों में बसे 21440 गरीब परिवारों तक पहुंचने के लिए 4288 समूह बनाए हैं। मार्च, 2012 के अंत तक इन समूहों को दिए गए अग्रिमों की कुल राशि 30.51 करोड़ रुपए रही। इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा 9.16 करोड़ रुपए की बचत राशि जुटाई गई है।

#### 6.1.5 कमजोर वर्ग को अग्रिम

कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण शिल्पकार, सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं (पीएमआरवाई को छोड़कर), के लाभग्राही शामिल हैं, को दिए गए अग्रिम मार्च, 2011 के अंत में रहे 6221.02 करोड़ रु० के मुकाबले मार्च, 2012 के अंत में 8702.69 करोड़ रुपए हो गए।

#### 6.1.6 विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण

मार्च, 2012 के अंत तक ग्रामीण एवं शहरी इन दोनों क्षेत्रों में, समाज के निम्न आय वर्ग को, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय क्रमशः रु 18000/- रुपए तथा

## 6.1 Agriculture Advances

Bank's advances to agriculture increased by Rs.2689.97 crore from 12721.13 crore in March 2011 to Rs.15411.10 crore in March 2012, registering a growth of 21.15%. The advances to direct agriculture segment increased by Rs.2972.49 crore from Rs.8887.91 crore as on 31.3.2011 to Rs.11860.40 crore as on 31.3.2012 constituting a growth of 33.44%. The Indirect agriculture advances decreased by Rs.282.52 crore from Rs.3833.22 crore as on 31.3.2011 to Rs.3550.70 crore as on 31.3.2012 showing an decrease of 7.37% due to change in norms of classification of indirect agriculture loans by RBI.

### 6.1.1. Flow of credit to Agriculture sector (Fresh disbursement)

During the financial year 2011-12, fresh flow of credit to agriculture sector amounted to Rs. 9174.00 crore.

### 6.1.2. Small and Medium Enterprises (SMEs)

Bank's exposure to Small Enterprises sector stood at Rs.17978.48 crore at the end of March, 2012 and has shown an increase of Rs..2134.03 crore, recording a growth rate of 13.47%. Further, SME advances increased by Rs.2456.24 crore to Rs.20126.51 crore registering a growth of 13.90% against the Year on Year growth stipulation of 20%. The Micro sector advances increased by Rs.929.42 crore to Rs.6046.37 crore posting a growth of 18.16%. Bank has entered into a MOU with NSIC for outsourcing credit proposals for lending.

### 6.1.3. Oriental Green Card (OGC) & Oriental Kisan Gold Card (OKGC)

During the Financial Year 2011-12, Bank has issued 1,22,233 cards to farmers to meet their credit requirement for crop production, repairing of agricultural machinery & equipment, working capital for allied activities, and consumption needs. The total amount of loan disbursed through these cards during the year was Rs.2829.72 crore.

### 6.1.4. Oriental Bank Grameen Project (OBGP)

Bank is providing finance to rural poor under home grown model of micro finance viz. Oriental Bank Grameen Project. It is being implemented through Joint Liability Group concept consisting of 5 members in each group, preferably women.

The Bank has formed 4288 Groups reaching out to 21440 poor families spread across 251 villages. The cumulative amount advanced to these groups as at the end of March 2012 was Rs. 30.51 crore. Savings to the tune of Rs. 9.16 crore have been mobilized by the groups.

### 6.1.5. Advances to Weaker Sections

Advances to weaker sections, consisting of beneficiaries belonging to scheduled castes/scheduled tribes, small and marginal farmers, landless labourers, rural artisans, beneficiaries under Govt. Sponsored schemes (except PMRY) were of the order of Rs. 8702.69 crore as at the end of March 2012 as against Rs. 6221.02 crore as at the end of March 2011.

### 6.1.6. Credit under Differential Rate of Interest Scheme

Credit flow at concessional rate of interest of 4% p.a. to the low-income group of the society both in rural and urban centres having

24,000/- रुपए तक है, को 4% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 59.52 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए।

#### 6.1.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया जाता रहा। बैंक द्वारा समाज के इन वर्गों को दिए गए अग्रिम मार्च, 2011 के 530.66 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2012 में 732.10 करोड़ रुपए हो गए।

#### 6.1.8 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी)

यह योजना भारत सरकार द्वारा दो मौजूदा योजनाओं अर्थात् पीएमआरवाई और आरईजीपी को मिलाकर 1 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान 1085 आवेदकों को 45.17 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की गई।

#### 6.1.9 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

शहरी बेरोजगार युवकों (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे) को लाभप्रद रोजगार मुहैया करवाने की दृष्टि से स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करके बैंक इस योजना के प्रारंभ से ही उक्त योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 2436 लाभग्राहियों को 12.28 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की।

#### 6.1.10 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है और इसमें स्वरोजगार संबंधी पहलू जैसे, ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, मूलभूत सुविधाएं व मार्केटिंग शामिल हैं। बैंक इन योजनाओं में भाग ले रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 271 स्वरोजगारियों को 2.91 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता मंजूर की।

#### 6.1.11 महिला लाभग्राहियों को ऋण

महिलाएं बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रही हैं तथा देश के आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं परन्तु देश की वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं ले पाती हैं। अतः महिलाओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करने के लिए बैंक ने भारत सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं को अधिक ऋण प्रदान करने हेतु 13 सूत्री कार्य योजना को कार्यान्वित किया है। बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में 10 शाखाओं को नामित किया है।

बैंक द्वारा ओरियन्टल महिला विकास योजना, व्यावसायिक एवं स्वनियोजित महिलाओं के लिए ऋण योजना, ब्यूटी पार्लरों/बुटीक/सैलून/दर्जी की दुकानों के लिए ऋण योजना, कामकाजी महिलाओं को वित्तीय सहायता हेतु योजना, ओरियन्टल स्वर्ण योजना आदि जैसी कई ऋण योजनाएं महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार की गई हैं। इसके अलावा, ओरियन्टल बैंक ग्रामीण प्रोजेक्ट (ओबीजीपी) नामक एक विशेष योजना में ग्रामीण निर्धन महिलाओं को सभी प्रकार की बैंकिंग सहायता प्रदान की जाती है।

इसके परिणामस्वरूप, बैंक द्वारा महिलाओं को दिए गए अग्रिमों में 12.31% की वृद्धि दर्ज करते हुए 527 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो मार्च, 2011 के अंत में 4279 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 2012 में 4806 करोड़ रुपए हो गए। महिला लाभग्राहियों को दिए गए बैंक अग्रिम 5% के लक्ष्य के मुकाबले मार्च, 2012 को एएनबीसी का 5.01% थे।

#### 6.1.12 वित्तीय समावेशन

बैंकिंग सुविधा विहीन गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने 2000 से अधिक की आबादी वाले सभी 569 आबंटित गांवों में वित्तीय समावेशन

annual family income upto Rs. 18,000/- and upto Rs. 24,000/- respectively was Rs. 59.52 crore as at the end of March 2012.

#### 6.1.7. Loans to SCs/STs

Bank continues its thrust in providing financial assistance to SCs/STs beneficiaries. The advances to these beneficiaries improved to Rs 732.10 crore in March 2012 against Rs. 530.66 crore as at the end of March 2011.

#### 6.1.8. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)

The Scheme has been implemented by the Government of India by merging the two existing schemes viz. PMRY and REGP w.e.f. 1st April 2008. The scheme aims for generation of employment opportunities through establishment of micro enterprises in rural as well as urban areas. The bank has sanctioned credit assistance to the tune to Rs 45.17 crores to 1085 applicants under the scheme during the year 2011-12.

#### 6.1.9. Swarn Jyanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY)

For providing gainful employment to urban poor (living below the urban poverty line) through setting up self employment ventures, bank is providing financial assistance under the scheme since its inception. The bank sanctioned to 2436 beneficiaries to the tune of Rs.12.28 crores during 2011-12.

#### 6.1.10. Swarn Jyanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY)

The scheme is operative in rural areas of the country and cover the aspects of self employment such as organization of rural poor into Self Help Group (SHGs) training credit technology, infrastructure and marketing. The bank is participating in the schemes. During 2011-12 bank sanctioned financial assistance to 271 swarojgaris to the tune of 2.91 crore.

#### 6.1.11. Credit Flow to Women Beneficiaries

Women are assuming greater responsibilities and playing an active role in the economic growth of the nation but remain under represented while receiving the credit delivery from the Financial Institutions of the country. So for strengthening of credit flow to women, Bank has implemented 13-points action plan as advised by the Government of India. Bank has designated 10 branches as specialized branches for women entrepreneurs.

A number of credit schemes, such as Oriental Mahila Vikas Yojana, Loan scheme for Professional & Self Employed Women, Loan scheme for Beauty Parlour/ Boutiques/ Saloons/ Tailoring, Scheme for Financing Working Women, etc. are designed by the bank especially for women. Besides, a special project called Oriental Bank Grameen Project (OBGP) provides all types of banking assistance to the rural poor women.

As a result the Bank's advance to women increased by Rs. 527 crore from Rs. 4279 crore as on March 2011 to Rs. 4806 crore as on March 2012 registering a growth of 12.31%. Bank's advances to women beneficiaries as on March 2012 was 5.01% of ANBC against the required stipulation of 5%.

#### 6.1.12. Financial Inclusion

With a view to provide banking facilities in un banked villages, Bank has rolled out Financial Inclusion Plan in all the 569 allotted villages





नीति लागू की है। बैंक ने कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के जरिए 492 गांवों को, शाखा मॉडल के जरिए 23 गांवों को और मोबाइल शाखा मॉडल के जरिए 54 गांवों को कवर किया है।

बैंक ने इन 569 गांवों में कुल 4,38,314 नो फ्रिल/अन्य बचत खाते खोले हैं। साथ ही, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी युक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,59,207 ग्राहकों को एक्टिवेटेड बायोमीट्रिक कार्ड जारी किए हैं।

बैंक 6 जिलों अर्थात् अमृतसर, मुक्तसर, गुरुदासपुर (पंजाब), श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ (राजस्थान) तथा जींद (हरियाणा) में समाज कल्याण योजना निधि के वितरण में भी भाग ले रहा है। समाज कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए कुल 2,75,766 लाभग्राहियों को बायोमीट्रिक कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी किए गए।

#### 6.1.13 राज्य स्तरीय बैंकर समिति दायित्व

बैंक को पहली बार, भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2011 से, दिल्ली राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक का प्रतिष्ठित दायित्व सौंपा गया है। बैंक ने यह दायित्व भारतीय स्टेट बैंक से हासिल किया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति-दिल्ली राज्य में 33 सदस्य बैंक हैं जिनमें सभी प्रमुख बैंक जैसे : सरकारी क्षेत्र के बैंक, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा सहकारी बैंक शामिल हैं। दिल्ली राज्य में इन सदस्य बैंकों की 2544 शाखाएं सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

#### 6.1.14 अग्रणी बैंक उत्तरदायित्व

बैंक तीन जिलों अर्थात् पंजाब के फिरोजपुर, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हरियाणा के पलवल जिले में अग्रणी बैंक के कार्य कर रहा है।

#### 6.1.15 ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षण एवं केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से विशेष प्रयोजन संस्था, ओबीसी ग्रामीण विकास न्यास की स्थापना की है। इस न्यास की स्थापना 09 दिसंबर, 2005 को एक पंजीकृत निकाय के रूप में हुई।

इस न्यास का प्रमुख उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, ट्रैक्टर/कृषि मशीनरी के रखरखाव तथा कृषि / ग्रामीण विकास के अन्य पक्षों—सूक्ष्म वित्त तथा ग्रामीण युवकों एवं महिलाओं की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण कॉलेज / संस्थान तथा कार्यशालाओं की स्थापना करना है।

इस समय देहरादून, श्रीगंगानगर, जयपुर, फिरोजपुर और पलवल में पांच ओबीसीआरसेटी (ओबीसी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) कार्यरत हैं। हमें चोमू (जयपुर) राजस्थान, जीरा (फिरोजपुर) पंजाब जस्सोवाल (देहरादून) उत्तराखंड, मानकसर (श्रीगंगानगर) तथा पलवल, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा जमीन आबंटित की गई है।

चोमू में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवन का उद्घाटन दिनांक 30.03.11 को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री नमो नारायण मीणा जी द्वारा किया गया। जीरा (फिरोजपुर) में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। भारत सरकार ने जीरा, जस्सोवाल तथा मानकसर में निर्माण हेतु 3 करोड़ रूपए की मंजूरी प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 170 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और 5236 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें टेलरिंग एवं ड्रेस डिजाइनिंग, जलसंभरण प्रबंधन, फुलकारी, कढ़ाई, दूधारू पशुपालन, फसल उत्पादन, ब्यूटी पार्लर, चिकित्सीय वृक्षारोपण आदि विषयों पर 62 उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम थे जिनमें कुल 1325 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए। कुल 362 प्रशिक्षित व्यक्तियों को आर्थिक कार्यकलाप करने/स्थापित करने के लिए ऋण दिया

with population more than 2,000. Bank has covered 492 villages through Business Correspondent model, 23 villages through Branch Model and 54 villages through Mobile Branch Model.

Bank has opened a total number of 4,38,314 No-Frill/ Other savings accounts in these 569 villages. Further 1,59,207 customers have been issued activated Bio-metric cards for extending IT enabled banking services.

Bank is also participating in distribution of Social Welfare scheme funds in 6 districts namely Amritsar, Muktsar, Gurdaspur (Punjab), Sriganganagar, Hanumangarh (Rajasthan) and Jind (Haryana). A total number of 2,75,766 beneficiaries have been issued Bio-metric cards/ Smart cards for distribution of benefits of Social Welfare schemes.

#### 6.1.13 State Level Bankers Committee Responsibility

For the first time Bank has been bestowed with prestigious assignment of Convener – State Level Bankers' Committee for Delhi State by the Government of India from November, 2011. Bank has taken over reins from State Bank of India. There are 33 member banks of SLBC – Delhi State which include all prominent banks i.e. PSBs, Private Sector Banks and Coop Banks. Delhi State is served by 2544 branches of these member banks.

#### 6.1.14. Lead Bank Responsibility

Bank is performing the functions of Lead Bank in three Districts namely Ferozpur in Punjab, Sriganganagar in Rajasthan and Palwal in Haryana.

#### 6.1.15.OBC Rural Development Trust

Bank has set up a special purpose vehicle in the name of Oriental Bank Rural Development Trust (OBCRD) for setting up Training Centres at various places across the country for imparting training for capacity building in rural areas. The Trust came into being on the 9<sup>th</sup> December 2005 as a registered body.

The main objective of the Trust is to establish training colleges/institutes and workshops for providing training for farmers on modern techniques of farming, tractor/farm machinery repair & maintenance and other aspects of agriculture/rural development; micro finance and capacity building of the rural youth and women.

Presently five OBCRSETIs (OBC Rural Self Employment Training Institutes) are functional at Dehradun, Sriganganagar, Jaipur, Ferozepur and Palwal. We have been allotted land by the State Governments in Chomu (Jaipur), Rajasthan, Zira (Ferozepur), Punjab, Jassowal (Dehradun) Uttrakhand, Manaksar (Sriganganagar) Rajasthan and Palwal, Haryana.

The RSETI building at Chomu was inaugurated by Shri. Namo Narain Meena Hon'ble Union Minister of State for Finance on 30.03.2011. Construction work is almost complete at Zira (Ferozepur). Govt of India has sanctioned an amount of Rs. 3 crores for constructions at Zira, Jassowal and Manaksar.

During the Financial Year 2011-12, a total of 170 training programmes were conducted and 5236 candidates were given training. Of these 62 were entrepreneurship development programmes on subjects like tailoring & dress designing, watershed management, phulkari embroidery, milch animal rearing, crop production, beauty parlour, medicinal plantation, etc which benefitted 1325 candidates. A total of 362 trained persons

गया। समाज में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों, जिसके लिए केन्द्रों द्वारा संबंधित डीआरडीए से सूची ली जाती है, को भी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जा रहा है। समेकित रूप से इन केन्द्रों ने अपने आरंभ से 753 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनसे 25848 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए हैं।

## 6.2 रिटेल ऋण

बैंक रिटेल ऋण बढ़ाने पर जोर देता रहा है। समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की 15 रिटेल योजनाएं हैं, जिनमें आवास ऋण भी शामिल हैं। हमारी रिटेल योजनाएं ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रतिस्पर्धी हैं तथा समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयार की गई है। बैंक ने ऋण आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु फील्ड पदाधिकारियों के विवेकाधिकारों में संशोधन किया है और हमारी ब्याज दरों को भी प्रतिस्पर्धी बनाया है।

## 6.3 शिक्षा ऋण

बैंक के शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2012 को 1191.07 करोड़ रहे और इसमें वर्ष दर वर्ष 8.04% की वृद्धि हुई। बैंक ने छात्रों को सरल शर्तों तथा प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्रदान करने के साथ-साथ छात्राओं को 0.50% की रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करने हेतु अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशानुसार शिक्षा ऋण योजना में संशोधन किया है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु आईबीए द्वारा तैयार किया गया नया शिक्षा ऋण भी आरंभ किया है।

## 7. राजकोषीय परिचालन

वित्तीय वर्ष 2011-12 में सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय अवरुद्ध मुद्रास्फीति, अधिक सरकारी ऋणों और अधिक राजकोषीय घाटे के कारण कम हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनाने तथा अर्थव्यवस्था पर बने मुद्रास्फीतिकारी दबाव को रोकने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों में 125 आधार अंकों की वृद्धि की। निराशाजनक घरेलू तथा वैश्विक आर्थिक परिवेश के रहते इक्विटी बाजार में मंदी रही। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान गौण बाजार का टर्नओवर 93,416.91 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से 'परिपक्वता' तक धारित श्रेणी में कोई प्रतिभूति अंतरित नहीं की और 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में 2263.84 करोड़ रुपए अंतरित किए तथा इस प्रक्रिया में 4.53 करोड़ रुपए का मूल्यहास दर्ज किया। बैंक ने 0.20 करोड़ रुपए का मूल्य दर्ज करके 'व्यापार के लिए धारित' से 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में 0.85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां भी अंतरित की। बैंक का कुल निवेश पिछले वित्तीय वर्ष के 49,623.69 करोड़ रु0 में 5.72% प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2011-12 में 52460.23 करोड़ रुपए हो गया। निवेश पर आय, निवेश खंड में स्थाई आय प्रतिभूतियों पर हुई आय (गैर-एसएलआर विनिधानों के रूप में वर्गीकृत आरआईडीएफ जमाराशियों पर आय के बिना) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के 7.21% से बढ़कर 7.36% हो गई।

## 8. मर्चेन्ट बैंकिंग क्रियाकलाप

बैंक एनएसडीएल और सीएसडीएल दोनों में निक्षेपागार भागीदार के रूप में पंजीकृत है। लगभग 73,000 से अधिक ग्राहक बैंक की डी.मैट सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और पैन संबंधी अपेक्षा का अनुपालन न करने वाले शून्य शेषराशि वाले खातों को सेबी के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है। डी-मैट सेवाएं देने वाली शाखाओं की संख्या 307 है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए आईडीबीआई

were credit linked for pursuing/setting up of economic activities. Emphasis is also given to train candidates from BPL strata of the society for which list of candidates is obtained by the centres from respective DRDA. Cumulatively these centres have conducted 753 training programmes since inception benefiting 25848 candidates

## 6.2 RETAIL CREDIT

Retail Credit segment continues to be the thrust area of lending. The bank is having 15 Retail Credit Schemes including Home loans to meet the requirements of various sections of the society. Our Retail Credit Schemes are customer friendly, competitive and specifically designed to suit all sections of the society. The Bank has revised the discretionary powers of field functionaries for quick disposal of loan application & also made our interest rate competitive.

## 6.3 EDUCATION LOAN

The Education Loan portfolio of the Bank stood at Rs. 1191.07 Crore as on 31.03.2012 and showed Y.O.Y Growth of 8.04%. Bank continued its efforts for extending education loans to students on soft terms & conditions and competitive rates besides 0.50% concessions in rate of interest to girl students are being given. During the year Bank has revised Education Loan Scheme as per IBA guidelines and has also launched new IBA formulated Education Loan for vocational courses.

## 7. TREASURY OPERATIONS:

The G-Sec yields hardened during FY 2011-12 owing to sticky inflation, higher Government borrowing and higher fiscal deficit. RBI raised Repo and Reverse Repo rates by 125 bps during FY 2011-12 to rein in inflation and prevent inflationary pressure building in the economy. The equity markets underperformed owing to bleak domestic and global economic scenario. The secondary market turnover has been Rs. 93,416.91 Crores in FY 2011-12. The net profit in the secondary market operations has been Rs.170.26 Crores during FY 2011-12. The Bank has not transferred any securities from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category and transferred Rs. 2263.84 Crores from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category during 2011-12, and in the process booked depreciation of Rs. 4.53 Crores. Bank also transferred securities amounting to Rs.0.85 crores from 'Held for Trading' to 'Available for Sale' category by booking depreciation of Rs.0.20 crores. The aggregate investments of the Bank have increased to Rs. 52,460.23 Crores in FY 2011-12 from Rs.49,623.69 crores previous financial year, an increase of 5.72%. The yield on investments has increased to 7.36 % from 7.21% last year (excluding income on RIDF deposits classified as Non-SLR investments) owing to rise in the yield of fixed income securities in the investment portfolio.

## 8. Merchant Banking Activities:

The Bank has been registered as Depository Participant with both NSDL & CSDL. More than 73,000 customers are availing the demat services of the Bank and PAN non-complaint zero balance accounts have been closed as per SEBI directive. The number of branches offering demat services are 307. The Bank is also



कैपिटल मार्केट सर्विसिज़ और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लि. के साथ मिलकर ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

### 8.1 अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए)

हमारे बैंक को अपने ग्राहकों को अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) सेवा उपलब्ध कराने के लिए सेबी में स्व-प्रमाणित सिंडीकेट बैंक के रूप में रजिस्टर किया गया है। एएसबीए ऐसा आवेदन है, जिसमें स्व-प्रमाणित सिंडीकेट बैंक (एससीएसबी) में रखे गए बैंक खाते में आवेदन राशि को अवरुद्ध करने का प्राधिकार निहित होता है।

एएसबीए सुविधा के अंतर्गत किसी निर्गम (आईपीओ/राइट्स इश्यू) में लगाई जाने वाली आवेदन की राशि तब तक ग्राहक के बैंक खाते में रहती है जब तक की आबंटन नियत नहीं हो जाता और पूरी आवेदन राशि के स्थान पर आबंटित शेयरों के समतुल्य वास्तविक राशि ही डेबिट की जाती है।

बैंक देश भर में 552 प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से एएसबीए ऑफ लाइन सुविधा प्रदान कर रहा है। ऑनलाइन एएसबीए सुविधा भी मार्च, 2012 से आरंभ कर दी गई है। (हमारा बैंक जुलाई, 2011 से "सिंडीकेट एएसबीए" परिचालन आरंभ किया है और इस उद्देश्य हेतु 12 सिंडीकेट एएसबीए शाखाओं को नामित किया गया है।)

### 9. विदेशी कारोबार

राजकोषीय वर्ष 2011-12 के दौरान, फॉरेक्स 31.03.2011 के 66,912.60 करोड़ रुपए में 44.60% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2012 को 96,753.46 करोड़ रुपए हो गया। दिनांक 31.03.2012 को बैंक का निर्यात ऋण 31.03.2011 के 4,356 करोड़ रुपए के मुकाबले 14.23% की वृद्धि के साथ 4,976 करोड़ रुपए रहा। बैंक की 94 विशेषीकृत शाखाएं विदेशी मुद्रा कारोबार कर रही हैं। 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा कारोबार से होने वाली कुल आय 31.03.2011 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के 225.63 करोड़ रुपए में 24.32% की अच्छी वृद्धि के साथ 280.50 करोड़ रुपए हुई। बैंक ने 31.03.2012 को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के 1755 करोड़ रुपए के मुकाबले 32.36% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2323 करोड़ रुपए की गैर निवासी जमा राशियां जुटाईं। दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय के परिचालन को तीन वर्ष पूरे हो गए हैं, यह कार्यालय बैंक के अनिवासी ग्राहक आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से यूएई में भारतीय प्रवासियों के अनिवासी खाते जुटाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है।

बैंक ने दिनांक 31.10.2010 से 68 प्राधिकृत शाखाओं के जरिए विभिन्न मूल्य वर्ग के 999.9 शुद्ध सोने के सिक्कों की बिक्री आरंभ की। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सोने के सिक्कों की बिक्री करने वाली प्राधिकृत शाखाओं का नेटवर्क बढ़कर 216 शाखाओं का हो गया जो बैंक के सभी क्षेत्रों को कवर करता है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 136.19 किलोग्राम वजन के 18480 सोने के सिक्कों की बिक्री की और 1.86 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान यह लाभ 0.37 करोड़ रुपए था।

### 10. अन्य पार्टनर उत्पाद :

#### 10.1 जीवन बीमा कारोबार (संयुक्त उद्यम)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 100.28 करोड़ रुपए के पहले प्रीमियम की राशि की 28318 पॉलिसियां बेची और 14.41 करोड़ रुपए का (कुल) कमीशन अर्जित किया।

#### 10.2 सामान्य बीमा कारोबार :

बैंक ने सामान्य बीमा कारोबार के अंतर्गत पुनः सतत वृद्धि दर्ज की और 33.36 करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाते हुए 3.68 करोड़ रुपए का कमीशन अर्जित किया।

offering online trading services in collaboration with IDBI Capital Market Services and Karvy Stock Broking Ltd. for its customers.

### 8.1 Applications supported by Blocked Amount (ASBA)

Our Bank has been registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) facility to its customers. ASBA is an application containing an authorisation to block the application money in the bank account maintained with SCSB.

Under the ASBA facility, the application amount for subscribing to an issue (IPO/Rights issue), remains in the bank account of the customer till allotment is finalized and actual amount equal to allotted shares is only debited instead of total application amount.

The Bank is providing ASBA offline facility through 552 authorized branches across the country Online ASBA facility has also been started in March 2012. (From July, 2011 our Bank has started "Syndicate ASBA" operations and for that purpose there are 12 designated Syndicate ASBA branches.)\*

### 9. Foreign Exchange Business

During the fiscal year 2011-12, Forex turnover increased to Rs 96,753.46 Crore as on 31.03.2012 as against Rs 66,912.60 Crore as on 31.03.2011, thus registering a growth of 44.60%. The Export credit of the Bank stood at Rs 4,976 Crore as on 31.03.2012 as against Rs 4,356 Crore as on 31.03.2011, thus registering a growth of 14.23%. Bank has 94 Specialized Branches to conduct foreign exchange business. The total earning from foreign exchange Business registered a substantial increase to Rs 280.50 Crore for the year ended 31.03.2012 as against Rs 225.63 Crore during the financial year ended 31.03.2011, registering a growth of 24.32% over the preceding financial year. The Bank has mobilized Non Resident deposits to the tune of Rs 2323 Crores as on 31.03.2012 as against Rs 1755 Crores for the year ended 31.03.2011, thereby registering a growth of 32.36% over the preceding financial year. The operations at Representative Office, Dubai has completed three years of operations, acting as a catalyst to canvass non-resident accounts of Indian Expatriates in UAE to expand the Non-resident customer base of the bank.

The Bank started selling 999.9 Gold coins in different denominations w.e.f 30.10.2010 through 68 Authorized Branches. During the current financial year, the Authorized Branch network to sell Gold coins has been increased to 216 Branches covering all the Regions of the Bank. Bank has sold 18480 gold coins weighing 136.19 kg and earned a net profit of Rs 1.86 Crore during the F.Y 2011-12, as against 0.37 Crore during the previous F.Y 2010-11.

### 10. THIRD PARTY PRODUCTS:

#### 10.1 Life Insurance Business (JV):

During FY 2011-12, the Bank has sold 28318 policies with First Premium Collection of Rs. 100.28 Crores and has earned commission of Rs. 14.41 Crores (Net).

#### 10.2 General Insurance Business:

In General Insurance Business, the Bank has again registered a steady growth and has collected a Premium of Rs. 33.36 Crores earning a Commission of Rs. 3.68 Crores.



### 10.3 ओरियन्टल बैंक मेडिकलेम पॉलिसी :

हमारे बैंक ने 3 अक्तूबर, 2011 को ओरियन्टल इश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और ओरियन्टल बैंक मेडिकलेम पॉलिसी आरंभ की। यह उत्पाद केवल ओबीसी के ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है और देश भर में ओबीसी की सभी शाखाओं में उपलब्ध है। दिनांक 03.10.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान बैंक ने 9976 पालिसियां बेचीं।

### 10.4 म्युचुअल फंड कारोबार :

बैंक ने विभिन्न म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री हेतु 6 अस्तित्व प्रबंधन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पादों की बिक्री की और इस क्षेत्र के तहत 57.45 करोड़ रुपये की प्रबंधाधीन आस्तियां (एयूम) संगृहीत करते हुए 43.09 लाख रुपये की आय अर्जित की।

### 10.5 नई पेंशन योजना (एनपीएस) :

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भारत के सभी नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना में अभिदान करने के लिए दिनांक 01.05.2009 से बैंक को प्वाइंट्स ऑफ़ प्रेजेंस (पीओपी) नियुक्त किया है। 31.03.2012 की स्थिति अनुसार 505 शाखाओं को प्वाइंट ऑफ़ प्रेजेंस-एसपी के रूप में कार्य करने हेतु रजिस्टर किया गया है और 31.03.2012 तक 183 एनपीएस खाते खोले गए हैं।

### 10.6 डी.मैट खाते

बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों का निक्षेपागार भागीदार है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति अनुसार हमारे बैंक के 73861 डिमैट खाते हैं और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 3.72 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। बैंक ने आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि0 के साथ और मैसर्स कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के साथ गठबंधन किया है और अपने डी-मैट खाताधारकों को 297 चयनित शाखाओं के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

### 10.7 सोने के सिक्के

बैंक में विभिन्न मूल्यवर्गों (5 ग्राम, 8 ग्राम एवं 10 ग्राम) के सोने के सिक्कों की रिटेल बिक्री 30.10.2010 को आरंभ की गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान हमारे बैंक ने 30 क्षेत्रों में 216 निर्दिष्ट शाखाओं के जरिए 18480 सोने के सिक्कों की बिक्री की और 1.86 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

### 10.8 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्ड :

भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान आधार संख्या जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ दिनांक 11.8.2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने पूरे भारत में 19.80 लाख से अधिक यूआईडी नामांकन सफलतापूर्वक पूरे किए जिनमें से हमारे बैंक द्वारा 31.03.2012 तक लगभग 16.75 लाख यूआईडी जारी किए गए। 31 मार्च, 2012 तक बैंक ने 3.79 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज और अर्जित किया।

### 10.9 नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस)

बैंक अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी और आवश्यकता आधारित सीएमएस समाधान प्रदान कर रहा है। बैंक नकदी प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत अपने ग्राहकों को संग्रहण, भुगतान और अभिरक्षक सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक देश भर में ग्राहकों को अपनी शाखाओं के जरिए 126 शहरों में और प्रतिनिधि व्यवस्था के जरिए 500 केन्द्रों पर नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 910.41 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर प्राप्त किया और 1.27 करोड़ रुपये की गैर-ब्याज आय अर्जित की।

### 10.3 Oriental Bank Mediclaim Policy :

Our Bank signed an MoU with Oriental Insurance Company on 3rd Oct'2011 and launched the Oriental Bank Mediclaim Policy. The Product has been designed exclusively for OBC Customers and available in all OBC Branches across the country. During the period from 03.10.2011 to 31.03.2012, 9976 policies have been sold by the Bank.

### 10.4 Mutual Fund Business:

The Bank has Tie Up with 6 Asset Management Companies (AMCs) for selling different Mutual Fund products. During the FY 2011-12, the Bank has collected AUM of Rs. 57.45 Crores by selling Mutual Fund Products and earned income of Rs. 43.09 Lacs under this segment.

### 10.5 New Pension Scheme (NPS):

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has appointed our Bank as Points of Presence (POP) w.e.f. 01.05.2009 for the purpose of subscribing to New Pension Scheme (NPS) for all citizens of India. Total 505 branches are registered to act as POP-SPs as on 31.03.2012 and 183 NPS accounts have been opened till 31.03.2012.

### 10.6 Demat Accounts:

The Bank is a Depository Participant for both NSDL and CDSL. As on 31.03.2012, our Bank has 73861 Demat accounts and has generated a revenue of Rs.3.72 Crores during FY 2011-12. The Bank has tied up with M/s IDBI Capital Market Services Ltd. & M/s Karvy Stock Broking Limited for providing Online Trading services to its Demat Account holders through 297 Demat Authorized Branches.

### 10.7 Gold Coins:

The Retail sale of Gold Coins in different denominations (5 grams, 8 grams & 10 grams) was launched on 30.10.2010 in our Bank. During the FY 2011-12, our Bank has sold 18480 Gold Coins through 216 designated branches across all the 30 Regions and earned a profit of Rs. 1.86 Crores.

### 10.8 UID Cards:

The Bank has entered into MoU with Unique Identification Authority of India (UIDAI) on 11.08.2010 as Registrar for issuing UID-Aadhaar Number to Residents of India. Bank has successfully completed more than 19.80 Lac UID enrolments all over India out of which approximately 16.75 lac UID were issued through our Bank till 31.03.2012. Bank has booked and earned a profit of Rs. 3.79 crore till 31st March, 2012.

### 10.9 Cash Management Services (CMS):

The Bank provides an efficient and tailor-made CMS solution to suit the customer requirements. The Bank is offering Collections, Payments and Custodial Services to the Customers under Cash Management Services. The Bank has coverage of more than 126 cities through own Branches and 500 Locations through Correspondent arrangements offering CMS services to clients across the country. The Bank has registered a turnover of above Rs. 910.41 Crores and earned Non-Interest income of Rs.1.27 Crore during FY 2011-12.





### 10.10 एसबीआई-ओबीसी को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड

हमारे बैंक ने 14 सितम्बर, 2011 को एसबीआई कार्डों के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 22 अक्तूबर, 2011 को को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्डों की शुरुआत की। जारी किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड दो प्रकार के हैं : (i) एसबीआई-ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स गोल्ड एण्ड मोर (ii) एसबीआई ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लेटिनम। कार्ड दो रूपों में जारी किए जा रहे हैं : 1. जमानती 2. गैर-जमानती। गैर जमानती क्रेडिट कार्ड के लिए 18 क्षेत्र और 455 शाखाएं निर्दिष्ट की गई हैं। जमानती कार्ड सभी शाखाओं में जारी हो सकते हैं। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा 8550 गैर जमानती कार्ड प्राप्त किए गए जिनमें से 5910 कार्ड जारी हुए।

### 10.11 ई-स्टैम्पिंग सेवाएं

बैंक ने ई-स्टैम्पिंग सेवाओं के लिए प्राधिकृत वसूली केंद्र (एसीसी) के रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 27.07.2011 को स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसएचसीआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गुजरात की 8 शाखाओं और कर्नाटक की 1 शाखा में इसने कार्य आरंभ कर दिया है। बैंक को दिल्ली में ई-स्टैम्पिंग सेवाएं आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है।

### 11. शाखा विस्तार

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 5 विस्तार पटलों का उन्नयन करने के साथ-साथ 147 नई शाखाएं खोलीं। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल शाखाएं 1772 रहीं जबकि 31.03.2011 को इनकी संख्या 1620 थी। शाखाओं के जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्गीकरण	31.03.2012	31.03.2011
1	ग्रामीण	369	334
2	अर्द्धशहरी	482	423
3	शहरी	524	489
4	महानगरीय	397	374
	कुल	1772	1620

### 12. ग्राहक सेवा

बैंक ने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयास में कई ग्राहक मैत्रीपूर्ण सेवाएं आरंभ की हैं जैसे - व्यक्तियों तथा कॉरपोरेट दोनों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त मोबाइल बैंकिंग (ओबीसीएमपे), एसएमएस अलर्ट सेवा, बैंक के कुछ एटीएम के जरिए चेक/नकदी जमा करने की सुविधा। एटीएम के जरिए निधि अंतरण (केवल एटीएम कार्ड से जुड़े खातों के बीच), चेक की स्थिति के बारे में पूछताछ तथा चेकों का भुगतान रोकने की सुविधा बैंक के एटीएम पर 24x7 उपलब्ध है, चयनित भावी मर्चेट संस्थानों पर बिक्री केंद्र टर्मिनल (पीओएस) की स्थापना, चेक जमा कराने की सुविधा के लिए कुछ शाखाओं में चेक जमा करने की मशीन लगाना जिनमें पावती सूचना स्वयं मशीन द्वारा निकाली जाती है, सेवा करें आदि का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा। ये सुविधाएं ग्राहकों द्वारा अपने लेन-देन शीघ्रता और आसानी से करने में सहायक हैं। शाखाओं में वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए अलग पंक्ति बनाए जाने का प्रावधान है।

बैंक ने सभी ग्राहकों को, पारदर्शी तथा गुणवत्तापरक सेवाएं देने तथा ग्राहकों को सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए बीसीएसबीआई की स्वैच्छिक संहिता, ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता और सूक्ष्म तथा लघु उद्यम संहिता अपनाई व लागू की है। ये संहिताएं बैंक की वेबसाइट पर सूचनार्थ उपलब्ध हैं और ग्राहकों की जानकारी के लिए इनकी मुद्रित प्रतियां

### 10.10 SBI-OBC Co-Branded Credit cards

Our Bank signed an MoU with SBI Cards on 14th Sep'2011 and launched the Co-Branded Credit Cards on 22nd Oct'2011. There are two types of Credit Cards to be issued: (i) SBI-Oriental Bank of Commerce Gold & More (ii) SBI-Oriental Bank of Commerce Platinum. The cards are being issued in two variants: 1. Secured 2. Unsecured. For sourcing unsecured credit cards, 18 Regions and 455 Branches have been mapped. Secured Cards can be issued in all the branches. As on 31.03.2012, 8550 unsecured cards are sourced by our branches out of which 5910 cards were issued.

### 10.11 e-Stamping services

The Bank signed MoU with Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) on 27.07.2011 to act as Authorized Collection Centre (ACC) for e-Stamping services. It has already started in 8 branches of Gujarat and 1 branch of Karnataka. The Bank has also received the approval from Govt. of NCT of Delhi for starting e-Stamping services in Delhi.

### 11. BRANCH EXPANSION

During 2011-12, the Bank has opened 147 new branches besides up gradation of 5 Extension Counters. As on 31.03.2012, the total number of branches stood at 1772 as against 1620 as on 31.03.2011. The population group-wise classification of branches is as under :

S.N.	Classification	31.03.2012	31.03.2011
1	Rural	369	334
2	Semi-Urban	482	423
3	Urban	524	489
4	Metropolitan	397	374
	Total	1772	1620

### 12. CUSTOMER SERVICE

The Bank in its endeavor to achieve excellence in customer service has started many customer friendly services viz. Mobile Banking (OBCMPAY) besides Internet Banking Services both for individuals and corporates, SMS alert service, Cheque/Cash deposit facility through some of the Bank's ATMs. Funds transfer through ATMs, RTGS/NEFT, facility of Cheque Status Inquiry and Stop cheque payment available 24x7 on Bank's ATMs, deployment of Point of Sale (POS) Terminals at the identified prospective Merchant Establishments, State-of-the-Art e-Lobbies at select centres, Electronic Cheque deposit machines at some of the branches to facilitate cheque deposit with acknowledgment generated by the machine itself, online payment of service taxes etc. These services are helpful for the customers to get their transactions done speedily and easily. For Senior Citizens customers there is provision for separate queue in the branches.

The Bank has adopted and implemented voluntary codes of BCSBI for individual customers, Fair Practice code for lenders, Micro and Small Enterprise (MSEs) code to provide fair, transparent and quality service to all the customers and to provide greatest satisfaction to the customers. The codes are displayed on the Bank's website for information and printed copies are also

शाखाओं में उपलब्ध है। बैंक की जमा योजनाओं, ऋण योजनाओं, सिटीजन चार्टर, बैंकिंग लोकपाल, लघु उद्योग चार्टर, विदेशी मुद्रा प्रेषण, सेवा प्रभारों और बैंक की नीतियों जैसे: वित्तीय समावेशन नीति, चेक वसूली और प्रतिपूर्ति नीति, शिकायत निवारण नीति, देयताओं की वसूली तथा प्रतिभूतियों को कब्जे में लेने की नीति आदि बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई है। ये बैंक की शाखाओं में बुकलेट/पम्फलेट रूप में भी उपलब्ध है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए 'शंकाएं एवं सुझाव' लिंक वेबसाइट पर प्रदान किया गया है। शाखाओं में शिकायत/सुझाव पेटिकाएं उपलब्ध हैं, जिनमें ग्राहक अपनी शिकायत या सुझाव डाल सकते हैं।

शाखा स्तर, प्रादेशिक कार्यालय स्तर तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर ग्राहक सेवा बैठकों का नियमित रूप से आयोजन होता है। ये बैठकें नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। ग्राहकों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए और बैंक की सेवाओं व योजनाओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव/व्यक्तिगत फीडबैक देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैंक ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्राहकों की शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए वेब आधारित ग्राहक शिकायत निवारण पद्धति उपलब्ध है। ग्राहकों के खातों संबंधी जानकारी तथा अन्य शंकाओं का जवाब देने के लिए टॉल फ्री संख्या 1800-180-1235 पर एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है।

### 13. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड और काले धन का शोधन निवारण (एएमएल) उपाय

विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कानूनी विनियमों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/अनुदेशों व मार्गनिर्देशों का पालन करने के लिए और मुख्यतः आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में बैंक का प्रयोग काला धन शोधन कार्यों के लिए करने से रोकने के लिए, 'ओबीसी अपने ग्राहक को जानिए नीति' बनाई गई है। इस नीति में चार प्रमुख तत्व हैं "ग्राहक स्वीकरण नीति", "ग्राहक पहचान प्रक्रिया", "लेन-देनों की मॉनिटरिंग" तथा "जोखिम प्रबंधन"। इससे बैंक को ग्राहकों व उनके वित्तीय लेन-देनों को बेहतर ढंग से जानने/समझने में सहायता मिलेगी और जोखिम का प्रबंध अधिक विवेकपूर्ण तरीके से करने में सहायता मिलेगी। फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश एवं अनुवर्ती अनुदेश समय-समय पर दोहराए जाते रहे हैं। काले धन का शोधन निवारण अधिनियम 2002 के नए कानून के अनुकरण में बैंक पहले ही वित्तीय आसूचना इकाई इंडिया एफआईयू-आईएनडी को सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा का पालन कर रहा है। बैंक ने केवाईसी/एएमएल मानदंडों के अनुपालन हेतु और संदिग्ध संव्यवहारों का पता लगाने के अलर्ट जनरेट करने के लिए काले धन का शोधन निवारण साफ्टवेयर सॉल्यूशन लागू कर दिया है। हमारे द्वारा अलर्टों की जांच की जा रही है और एफआईयू-इंड को एसटीआर भेजी जा रही है। बैंक सभी नियामक संस्थाओं में केवाईसी/एएमएल संबंधी अपेक्षित डाटा/विवरणियां भेज रहा है।

### 14. बैंक में हिंदी का प्रयोग

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मार्गनिर्देशों/निर्देशों का पालन करने के सार्थक प्रयास जारी रखे। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2011-12 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस कारगर कदम उठाए गए।

available at branches for customers information. The updated information on Bank's Deposit Schemes, Loan Schemes, Citizen's Charter, Banking Ombudsman, SSI Charter, Forex Remittances, Service Charges and Bank's Policies viz Financial Inclusion Policy, Cheque Collection and Compensation Policy, Grievance Redressal Policy, Policy on Collection of dues & Repossession of Security etc. have been displayed in Public domain of Bank's website. These are also available at branches in booklet/pamphlet form. "Query & Suggestion" link is provided on website to get feedback from customers. Complaint/Suggestion Boxes are provided at branches where a customer can drop his/her complaint or suggestion.

The Customer Service Meetings are being held regularly at Branch level, Regional Office level and Head Office level. These meetings ensure the proper implementation of guidelines issued by regulatory authorities. The customers are invited to attend these meetings and give their valuable suggestion/feedback on bank's services and schemes. The Bank is committed to give excellent customer service for the customers' maximum satisfaction.

Web-based Customer Grievance Redressal system is provided for prompt redressal of customers grievances. A dedicated Customer Care Centre on toll free Number 1800-180-1235 has been set up for clarifying the customers account related and other queries.

### 13. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) NORMS & ANTIMONEY LAUNDERING (AML) MEASURES

To comply with the various laws and regulations, national as well as international, Govt. of India and Reserve Bank of India directives / instructions & guidelines, primarily to prevent the bank from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering activities, OBC 'KYC' Policy has been formulated. The Policy combines four key elements viz. "Customer Acceptance Policy", "Customer Identification Procedures", "Monitoring of Transactions" and "Risk Management". This will enable the bank to know / understand the customers and their financial dealings better and shall further help in managing risks more prudently. The detailed guidelines and subsequent instructions are being reiterated from time to time for strict compliance by the field functionaries. The bank is already complying with the requirement of submission of statutory returns to the FIU-IND as a sequel to the new legislation on Prevention of Money Laundering Act-2002. The Bank has already operationalised Anti-Money Laundering software solution for complying with KYC Norms / AML Measures and generation of alerts to detect any suspicious transaction. Alerts are being scrutinized by us and STRs are being submitted to FIU-IND. Bank is also submitting all the required data/returns relating to KYC/AML to the regulatory bodies.

### 14. USE OF HINDI IN THE BANK

During the year 2011-12, Bank continued its concerted efforts to accelerate use of Hindi and implement the guidelines/directives received from Govt. of India and Reserve Bank of India. Concrete and effective steps were taken to achieve the region wise targets set in the Annual Programme- 2011-12 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India



सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2010-11 के अंतर्गत बैंक को 'ख' क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया। अंतर बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता-2010-11 के तहत हिन्दी में अच्छा कार्य करने के लिए बैंक को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया तथा बैंकों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली द्वारा बैंक की गृह-पत्रिका "आधार" को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही हमारे प्रादेशिक कार्यालयों लुधियाना व जयपुर को भी क्रमशः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना एवं जयपुर द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। शाखा कार्यालय कोयम्बतूर को नराकास, कोयम्बतूर द्वारा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख व साक्ष्य उप समिति द्वारा प्रादेशिक अध्यक्ष जयपुर के साथ 20.09.2011 को हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति के संबंध में विचार विमर्श किया गया तथा बैंक द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की सराहना की गई।

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा नीति संबंधी नियम एवं निर्देश, अंग्रेजी-हिन्दी बैंकिंग शब्दावली, द्विभाषी साफ्टवेयर विभिन्न विभागों के रूटीन पत्रों के हिन्दी टेम्पलेट वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए ताकि हिन्दी कार्य करने में सुविधा रहे। अधिकारियों/कर्मचारियों को यूनिकोड की सहायता से कंप्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने तथा ई-मेल भेजने का प्रशिक्षण दिया गया। शाखाओं में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं हिन्दी में भी उपलब्ध कराने की दृष्टि से द्विभाषिक सॉफ्टवेयर 'स्क्रिप्ट मैजिक' शाखाओं में लगाया गया। फिनेकल पर हिन्दी में कार्य करने संबंधी कार्यनिर्देश पोर्टल पर लोड किए गए। बैंक के ओबीसी वेब पोर्टल पर 'ई-सर्कुलर्स', कार्यपालकों के संदेश, नीतियां, जमा/ऋण योजनाएं, रिटेल योजनाएं, पावर चार्ट, फिनेकल मेन्यू, शाखा निर्देशिका, एटीएम सूची उपलब्ध कराई गई। बैंक की वेबसाइट अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी उपलब्ध है।

सितंबर, 2011 में बैंक के कार्यालयों/शाखाओं में हिन्दी पखवाड़ा एवं हिन्दी दिवस मनाया गया तथा स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रधान कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में भी बैंक ने अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार प्राप्त किए।

बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका 'आधार' नियमित रूप से हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई।

## 15. वसूली

बैंक ने एनपीए की वसूली के गंभीर प्रयास किए, जिसके परिणामतः बैंक ने 945.64 करोड़ रुपए की नकद वसूली की। नकद वसूली में से 323.07 करोड़ रुपए की राशि बैंक के राजस्व में जोड़ी गई। साथ ही, बैंक ने सभी उपलब्ध वसूली पद्धतियों का कारगर उपयोग किया, जैसे कि वसूली कैम्प लगाना, 5.00 लाख रु. तक की बकाया राशि वाले एनपीए खातों के लिए विशेष एकबारगी समझौता योजना तथा 10.00 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले एनपीए खातों के लिए योजना चलाना, लोक अदालतों में सहभागिता, सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कारवाई करना, सक्षम कानूनी अदालतों में कानूनी कार्रवाई आरंभ करना और बैंक की सामान्य निपटान नीति के अंतर्गत मामलों का निपटान करना। तथापि वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बैंक के एनपीए पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बढ़ गए जिसके परिणामस्वरूप कुल अग्रिमों में कुल एनपीए का प्रतिशत पिछले

Bank was awarded Consolation prize in 'B' region under Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition 2010-11 for Public Sector Banks/Financial Institutions for its excellent performance in the field of Rajbhasha Hindi. Bank was awarded Third Prize for doing good work in Hindi under Inter Bank Rajbhasha Shield Competition - 2010-11 and our Bank's In-House Magazine AADHAAR was awarded Third Prize by the Delhi Bank's Town Official Language Implementation Committee. Besides, our Regional Offices, Ludhiana & Jaipur were awarded Second Prize by Town Official Language Implementation Committees, Ludhiana & Jaipur respectively. Branch Office Coimbatore was awarded Second prize by TOLIC Coimbatore for doing excellent work in Hindi.

Drafting & Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on official Language held discussions on progress made in use of Hindi with Regional Head, Jaipur on 20.09.2011 and appreciated the work being done in Hindi in the Bank.

Bank continued its efforts to promote use of Hindi in field of Information Technology. Rules and Directives regarding Official Language Policy, English-Hindi Banking Glossary, Bilingual Softwares and Templates of routine Hindi letters of various departments were provided online at OBC Web Portal to facilitate working in Hindi. Officers/ Employees were imparted training to work on computer in Hindi and send e-mail in Hindi with the help of Unicode. Bilingual Software Script Magic was installed in the branches of the Bank to provide banking facilities to customers in Hindi. Job -Cards regarding working in Hindi in Finacle were made available on Portal. Bank's e-circulars and Executive's messages, policies, deposit / loan schemes, retail schemes, Power chart, Finacle menus, branch directory, ATM list etc. were made available in Hindi on OBC web portal. Bank's Website is available in Hindi and English.

Hindi-Day and Hindi-Fortnight were celebrated in different offices / branches of the Bank in the month of September, 2011 and various Hindi competitions were conducted for the staff members. An All India Hindi Essay Competition was conducted by the Head Office. Bank also conducted an Inter Bank Hindi Essay Competition under the auspices of Delhi Banks Town Official Language Implementation Committee. The winners of the competitions were awarded certificates & prizes. Besides, our staff members won prizes in various Inter Bank competitions too.

Bank's quarterly In-House Magazine "AADHAAR" was published regularly in bilingual form i.e. in Hindi and English.

## 15. RECOVERY:

The Bank has made concerted efforts for recovery of NPAs and as a result of this the Bank could make Cash Recovery of Rs.945.64 Crore during the Financial Year 2011-12. Out of the said Cash Recovery, a sum of Rs.323.07 Crore has been added as recovery towards the Revenue of the Bank. Further, all the available recovery mechanism have been utilized by the Bank, viz. holding of Recovery Camps, floating of "Special One Time Settlement Schemes for NPAs with O/S upto Rs. 5.00 Lakh" and with O/S upto Rs. 10.00 Lakh, participating in Lok Adalats, taking action under SARFAESI Act-2002, initiating legal action in the competent Courts of Law and settling of cases under general settlement policy of the Bank. However, the impact of global recession, Indian economy has also been affected adversely and the NPAs of the Bank has increased in comparison to the previous financial





वित्तीय वर्ष के 1.98% से बढ़कर 3.17% हो गया। बैंक का निवल एनपीए भी पिछले वित्तीय वर्ष के 0.98% से बढ़कर 2.21% हो गया।

बैंक उच्चतर चूकों को कम से कम करने के लिए वसूली पद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु यथा संभव प्रयास कर रहा है।

#### 16. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

भारतीय बैंकिंग उद्योग सरकार की नीतियों एवं प्राथमिकताओं, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। बैंकिंग गतिविधियां जनसमूह की आर्थिक व सामाजिक स्थितियों द्वारा प्रेरित होती हैं।

वर्ष 2011-12 के लिए प्रशिक्षण योजना उक्त उद्देश्यों तथा बैंक के समक्ष विभिन्न लक्ष्यों/ चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उपरोक्त के बीच बैंक ने वर्ष के दौरान प्रशिक्षण हेतु सूत्र वाक्य 'व्यवहार सर्वोपरि है' भी बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्टाफ सदस्यों में ग्राहक-केन्द्रित दृष्टिकोण विकसित करना है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया :-

ऋण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन, एनपीए एवं वसूली प्रबंधन, कृषि वित्तपोषण एवं ग्रामीण विकास, रिटेल बैंकिंग उत्पाद, वित्तीय समावेशन, कार्यपालकों के प्रबंधन विकास कार्यक्रम, तकनीकी कौशल विकास, एचआरएमएस, सीबीएस, एवं आईटी उत्पादों पर कार्यशालाएं, अनु.जा. /अनु.ज.जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति आदि।

उपरोक्त विषयों और बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों में कुल 677 कार्यक्रमों में 15761 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, एनआईबीएम, पुणे, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई, आईडीआरबीटी, हैदराबाद, निब्सकॉम नोएडा आदि जैसे कई शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण परिचालनपरक और व्यवहारपरक क्षेत्रों में आयोजित उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी 861 अधिकारियों को नामित किया गया। कुछ वरिष्ठ/सर्वोच्च प्रबंधन अधिकारियों को भी विदेश में प्रबंध विकास कार्यक्रमों/सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया ताकि वे श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कार्यविधियों तथा भारतीय बैंकिंग पर उनके प्रभाव को जान सकें।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 452 परीवीक्षा अधिकारियों, 1327 लिपिकों, 159 अधीनस्थ स्टाफ और वरिष्ठ प्रबंधक (वि.वि.) प्रबन्धक (सू.प्रौ.), मार्केटिंग प्रबंधकों, प्रबंधक (वि.वि.), प्रबन्धक (ऋण एवं जोखिम), प्रबन्धक (विधि), अधिकारी (सू.प्रौ.) अधिकारी (वि.वि.) कृषि अधिकारियों आदि जैसे विभिन्न ग्रेड और क्षेत्रों में 311 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती की। इसके अलावा, बैंक की योजना आगामी वर्ष में 1100 कर्मचारी भर्ती करने की है। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या 18371 है, जिसमें 9440 अधिकारी, 5949 गैर-अधीनस्थ तथा 2982 अधीनस्थ कर्मचारी हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 955 कर्मचारियों को विभिन्न संवर्गों में पदोन्नत भी किया।

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान अधिकारी, लिपिक एवं अधीनस्थ संवर्गों में 1132 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मिकों की भर्ती की। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हों, सभी प्रादेशिक कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में संपर्क अधिकारी/मुख्य संपर्क अधिकारी की देखरेख में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग कक्षा के माध्यम से दूर की गई।

year resulting in increase in Gross NPA percentage to gross advances to 3.17% against 1.98% of corresponding F.Y. The Net NPA of the bank has also increased to 2.21% against 0.98% of corresponding F.Y.

The Bank is taking all possible efforts to strengthen the recovery mechanism to minimize the higher delinquencies

#### 16. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & TRAINING

Indian banking industry is governed by the policies and priorities of the Government, directives of Reserve Bank of India and Banking Regulation Act, 1949. Banking activities are guided by economic and social conditions of the masses.

The training plan for 2011-12 has been prepared keeping in view the above objectives and various task / challenges before the Bank. In the midst of the above the Bank has also drawn a tagline for training during the year "Attitude comes first". The idea is to bring attitudinal change among staff members with customer centric approach. The Bank was able to meet the above objective to a large extent. The focus of training during the year was on the following areas:

Credit Management, Risk Management, Forex Management, Customer Relationship Management, NPA & Recovery Management, Agriculture Financing & Rural Development, Retail Banking Products; Financial Inclusion; Management Development Programme for Executives; Soft Skills Development, Workshops on HRMS; CBS & IT Products, SC/ST/OBC Reservation Policy etc.

In 677 programmes 15761 employees were imparted training in the above streams and other areas of Banking. In addition, 861 officers were nominated in Advanced Training Programmes in key operational and behavioural areas in pioneer institutions like NIBM, Pune, College of Agricultural Banking, Pune; IBA, Mumbai; IDRB, Hyderabad; NIBSCOM, Noida etc. Few Senior and Top Management functionaries were deputed for overseas training for Management Development Programmes/ Conferences/ Seminars to give exposure to International best practices and their impact in Indian Banking.

During the year 2011-12, the Bank recruited 452 Probationary Officers, 1327 Clerks, 159 Subordinate Staff and 311 Specialist Officers in different grades and streams such as Sr. Manager (FA), Manager (IT), Marketing Managers, Manager (FA), Manager (Credit & Risk), Manager (Law), Officer (IT), Officer (FA), Agriculture Officers, etc. The Bank further during the ensuing year plan to recruit around 1100 employees. The total staff strength as on 31st March, 2012 is 18371 comprising of 9440 Officers, 5949 Non-subordinate and 2982 Subordinates. The Bank also promoted 955 employees to different cadre during the year 2011-12.

The Bank complied with Government guidelines in respect of reservation in recruitment and promotion for SC/ST/OBC/ PWD/Ex-Servicemen in letter and spirit. The Bank recruited 1132 SC/ST/OBC category personnel in Officer, Clerical & Subordinate cadres during the year. The grievances of SC/ST/OBC employees, if any, were resolved through SC/ST and OBC Cells created at all Regional Offices and at Head Office with the coordination of Liaison Officers/Chief Liaison Officer.





### निदेशक मंडल

वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल की 12, मंडल की प्रबन्ध समिति की 22 और मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 11 बैठकें हुईं।

वर्ष के दौरान श्री नागेश पैड़ा की अधिवर्षिता के बाद श्री एस.एल. बंसल ने दिनांक 01.03.2012 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। श्रीमती श्रेया गुहा ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(ख) के अंतर्गत भारत सरकार की नामिती निदेशक के रूप में बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया। भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (छ) एवं 9(3) (ज) के अंतर्गत नियुक्त श्री सी.पी. सिंह और श्री के.एस. श्रीनिवासन ने दिनांक 22.09.2011 एवं 23.09.2011 को क्रमशः अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में बैंक के मंडल में कार्यग्रहण किया।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए श्री टी वल्लियप्पन, डॉ. आभा चतुर्वेदी और श्री पी.बी. सन्धानाकृणन ने भी दिनांक 30.9.2011 को बैंक के मंडल में कार्य ग्रहण किया।

### निदेशकों का दायित्व कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में

- (क) महत्वपूर्ण परिवर्तनों, यदि कोई हों, के संबंध में लागू लेखांकन मानकों को, उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ अपनाया गया है।
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गईं।
- (ग) वित्त वर्ष के अंत में बैंक के कार्यों तथा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ का सही एवं सच्चा चित्र सामने आ सके, इसके लिए विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्रावकलन किए गए।
- (घ) भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने के लिए सम्यक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई तथा लेखे लाभकारी संस्थान आधार पर तैयार किए गए।

### आभार

निदेशक मंडल आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी एवं नियामक एजेंसियों का उनके द्वारा वर्ष भर बैंक को दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और सतत सहयोग के लिए धन्यवाद करता है। निदेशक मंडल अपने प्रतिष्ठित ग्राहकों, सम्मानित शेयरधारकों, पण्यधारकों तथा जनसाधारण का उनके संरक्षण और बैंक के प्रति दर्शाए गए उनके विश्वास के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल बैंक के सर्वांगीण विकास, प्रगति और समृद्धि में प्रत्येक स्टाफ सदस्य द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता, योगदान और समर्पण भावना की सराहना करता है और आगामी वर्ष में कारपोरेट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनके निरंतर सहयोग और पूर्ण समर्थन की आशा रखता है।

मंडल के लिए और उनकी ओर से

नई दिल्ली  
30 अप्रैल, 2012

(एस.एल. बंसल)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

### BOARD OF DIRECTORS

During 2011-2012, 12 meetings of Board of Directors, 22 meetings of Management Committee of Board, 11 meetings of Audit Committee of Board, were held.

During the year, Sh.S L Bansal, Chairman and Managing Director, took charge of the Bank on 01.03.12 after the superannuation of Sh. Nagesh Pydah. Smt Sreya Guha, joined the Board of the Bank as Government of India Nominee Director under Sec 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. Sh.C.P.Singh and Sh.K.S.Sreenivasan, joined the Board of the Bank on 22.09.2011 and 23.09.2011 as Part-time Non-Official Director and Chartered Accountant Director respectively, appointed by Government of India under Section 9 (3) (h) and Section 9 (3) (g) of the Banking (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

Sh.T Valliappan, Dr.Abha Chaturvedi and Sh.P B Santhanakrishnan were elected as Shareholder Directors, also joined the Board of the Bank w.e.f 30.09.2011, under Sec 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

### DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that, in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2012

- a) the applicable standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,
- b) the accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied,
- c) reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of financial year and of the profits of the Bank for the year ended on 31st March, 2012,
- d) proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

### ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs and Reserve Bank of India and other Government & Regulatory Agencies for their valuable guidance and continued support provided to the Bank throughout the year. The Board of Directors are also grateful to the valued customers, esteemed shareholders, stakeholders and public at large for their patronage and confidence reposed in the Bank.

The Board of Directors place on record their great appreciation of the commitment, sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development, growth and prosperity of the Bank and look forward to their continued support and whole-hearted co-operation for realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board

New Delhi  
30th April 2012

(S.L. BANSAL)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

### 1. समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

#### 1.1 समग्र घरेलू उत्पादन

सरकार की नीति के प्रभावी न होने, उच्च मुद्रस्फीति तथा उच्च ब्याज दरों के कारण वित्तीय वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि धीमी गति के साथ 6.1% रही। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर पिछली तिमाही 6.9% सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि तथा पिछले वित्तीय वर्ष को इसी तिमाही को 8.3% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से कम है। वित्तीय वर्ष 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल से दिसम्बर) के लिए संचयी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.1% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में 6.9% रही। इस धीमी वृद्धि दर के साथ भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के 7% निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा।

पिछली तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में सभी क्षेत्रों ने खराब प्रदर्शन किया है। सभी क्षेत्रों की तीसरी तिमाही तथा उससे पिछली तिमाही की वृद्धि दर नीचे तालिका में दी जा रही है।

क्षेत्र	तीसरी तिमाही (वित्तीय वर्ष 2012)	दूसरी तिमाही (वित्तीय वर्ष 2012)
बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति	9%	9.8%
निर्माण	7.2%	4.3%
व्यापार, परिवहन तथा संचार	9.2%	9.8%
वित्तपोषण, बीमा, सेवाएं, रियलइस्टेट	9%	10.5%
कृषि	2.7%	3.2%
खनन	-3.1%	-2.9%
उत्पादन	0.4%	2.7%
समुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	7.9%	6.6%
<b>समग्र सकल घरेलू उत्पाद</b>	<b>6.1%</b>	<b>6.9%</b>

#### 1.2 औद्योगिक उत्पादन

माह फरवरी 2012 के लिए सामान्य सूचकांक 174.9 रहा जो माह फरवरी 2011 में रहे स्तर से 4.1% अधिक है। अप्रैल-फरवरी 2011-12 अवधि हेतु संजयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 3.5% अधिक है।

माह फरवरी 2012 के लिए खनन, विनिर्माण, विद्युत क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः 134.8, 186.5 तथा 145.1 रहा। फरवरी 2011 की तुलना में तदनुसूची वृद्धि दरों 2.1%, 4.0% तथा 8.0% की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2011-12 के दौरान तीनों सैक्टरों में संचयी वृद्धि 2010-11 के तदनुसूची अवधि से क्रमशः (-) 2.1%, 3.7% तथा 8.7% अधिक रही।

#### 1.3 आठ महत्वपूर्ण उद्योग

आठ महत्वपूर्ण उद्योगों, जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में संयुक्त भार 37.90% था, 145.6% रहा। नवम्बर 2010 में 3.7% की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2011-12 के दौरान संचयी वृद्धि दर 6.8% रही।

अप्रैल-फरवरी 2011-12 के दौरान आठ महत्वपूर्ण उद्योगों की संचयी वृद्धि दर तदनुसूची अवधि के 5.8% के मुकाबले 4.4% रही।

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

### 1. MACRO-ECONOMIC SCENARIO

#### 1.1 Gross Domestic Product

India's GDP growth slowed to just 6.1% in the third quarter (October-December) of the FY 2011-12 due to government policy paralysis, high inflation and high interest rates. This GDP growth rate is lower compared to 6.9% GDP growth rate in the previous quarter and 8.3% GDP growth rate in the same quarter last financial year.

The cumulative GDP growth rate for the first three quarters (April to December) of FY 2011-12 stood at 6.9% compared to 8.1% GDP growth in the same period last year. With this dismal growth rate, it would be tough to achieve the yearly GDP growth rate of 7%, a target set by the Indian Government.

All the sectors have performed badly in the third quarter compared to the previous quarter. The third quarter and previous quarter growth rate for each sectors are provided in the below table.

Sector	Q3 (FY2012)	Q2 (FY2012)
Electricity, Gas and Water supply	9%	9.8%
Construction	7.2%	4.3%
Trade, Transport & Communication	9.2%	9.8%
Financing, Insurance, Services, Real Estate	9%	10.5%
Agricultural	2.7%	3.2%
Mining	-3.1%	-2.9%
Manufacturing	0.4%	2.7%
Community Social and Personal Services	7.9%	6.6%
<b>Overall GDP</b>	<b>6.1%</b>	<b>6.9%</b>

#### 1.2 Industrial Production

The General Index for the month of February 2012 stands at 174.9, which is 4.1% higher as compared to the level in the month of February 2011. The cumulative growth for the period April-February 2011-12 stands at 3.5% over the corresponding period of the previous year.

The Indices of Industrial Production for the Mining, Manufacturing and Electricity sectors for the month of February 2012 stand at 134.8, 186.5 and 145.1 respectively, with the corresponding growth rates of 2.1%, 4.0% and 8.0% as compared to February 2011. The cumulative growth in the 3 sectors during April-February 2011-12 over the corresponding period of 2010-11 has been (-)2.1%, 3.7% and 8.7% respectively.

#### 1.3 Eight Core Industries

The Index of Eight core industries having a combined weight of 37.90% in the Index of Industrial Production (IIP) stood at 145.6. During April-February 2011-12, the cumulative growth rate of with a growth rate of 6.8% compared to its growth at 3.7% in November 2010.

During April-February 2011-12, the cumulative growth rate of the eight core industries was 4.4% as against their growth at 5.8% during the corresponding period in 2010-11.



आठ महत्वपूर्ण उद्योग	वित्तीय वर्ष 2011-12 (अप्रैल-फरवरी)	वित्तीय वर्ष 2010-11 (अप्रैल-फरवरी)
कोयला	0.4%	-0.1%
कच्चा तेल	1.4%	11.9%
प्राकृतिक गैस	-8.8%	12.3%
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	3.4%	2.5%
फर्टीलाइजर	0.3%	-0.3%
स्टील (मिश्र धातु+गैर-मिश्र धातु)	6.8%	9.2%
सीमेंट	6.4%	4.3%
विद्युत	8.6%	5.4%

#### 1.4 विदेशी व्यापार

अप्रैल-मार्च 2011-12 के लिए व्यापार घाटा 1,84,922 मिलियन अमरीकी \$ अनुमानित किया गया था, जो अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान हुए 1,18,633 मिलियन अमरीकी \$ के घाटे से अधिक था।

	अमरीकी \$ मिलियन	(करोड़ ₹ में)
निर्यात-2010-11	251,136	11,42,922
निर्यात-2011-12	303,719	14,54,066
निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष)	20.94%	27.22%
आयात-2010-11	369,769	16,83,467
आयात-2011-12	488,640	23,42,217
आयात में वृद्धि का प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष)	32.15%	39.13%
व्यापार संतुलन- 2010-11	(-)118,633	(-)5,40,545
व्यापार संतुलन- 2011-12	(-)184,922	(-)8,88,151

#### 1.5 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि

कुल विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 30 मार्च 2012 को 2,94,398 मिलियन अमेरिकी \$ पर आंकी गई और इसमें मार्च 2012 के अंत में रहे स्तर से 10,421 मिलियन \$ की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा आस्तियों के भण्डार की स्थिति इतनी कमजोर नहीं है किन्तु इसमें आ रही गिरावट की प्रवृत्ति परेशान करने वाली है। कुल आरक्षित निधि में से विदेशी मुद्रा आस्तियां 2,60,810 अमेरिकी \$ तथा स्वर्ण आरक्षित निधिया 26,620 अमेरिकी \$ रही।

#### 1.6 मूल्य प्रवृत्ति

प्रमुख थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) में वृद्धि, जो अप्रैल-नवम्बर 2011 के दौरान 9% से अधिक रही, मार्च-2012 के अंत में 6.9% रह गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 7% सूचक अनुमान के अनुरूप हैं। यद्यपि दिसम्बर-जनवरी में मुद्रास्फीति में कमी मुख्यतः खाद्य पदार्थों के मूल्यों में नरमी के परिणामस्वरूप हुई जबकि फरवरी-मार्च में आई कमी मूल गैर खाद्य विनिर्माण उत्पाद मुद्रास्फीति, जो दो वर्षों के बाद पहली बार 5 प्रतिशत से कम हो गई, के कारण हुई।

खाद्य पदार्थ मुद्रास्फीति, जो अप्रैल-दिसम्बर 2011 के दौरान 8.1% थी, जनवरी 2012 में कुछ देर के लिए ऋणात्मक हो गई, जो खाद्य कीमतों में मौसमी कमी विशेषरूप से सब्जियों के मूल्य में हुई कमी तथा उच्च आधार प्रभाव को दर्शाता है। आधार प्रभाव के समाप्त होने और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि के कारण फरवरी में यह तेजी से बढ़कर 6.1% तथा मार्च 2012 में और बढ़कर 9.9% हो गया।

गैर खाद्य विनिर्माण उत्पाद में वृद्धि, जो नवम्बर 2011 में 8.4 प्रतिशत थी फरवरी में काफी कम होकर 5.8% हो गई तथा मार्च 2012 में और भी कम होकर 4.7% रह गई। यह घरेलू मांग में कमी तथा वैश्विक गैर-तेल उपभोक्ता मूल्यों में नरमी दोनों को ही दर्शाता है।

Eight Core Industries	FY 2011-12 (Apr.-Feb.)	FY 2010-11 (Apr.-Feb.)
Coal	0.4%	-0.1%
Crude Oil	1.4%	11.9%
Natural Gas	-8.8%	12.3%
Petroleum Refinery Products	3.4%	2.5%
Fertilizers	0.3%	-0.3%
Steel (Alloy+Non-Alloy)	6.8%	9.2%
Cement	6.4%	4.3%
Electricity	8.6%	5.4%

#### 1.4 Foreign Trade

The trade deficit for April - March, 2011-12 was estimated at US \$ 1,84,922 million which was higher than the deficit of US \$1,18,633 million during April - March 2010-11.

	(US \$ Million)	(Rs. in crore)
Exports - 2010-11	251,136	11,42,922
Exports - 2011-12	303,719	14,54,066
% Growth in Exports (YOY)	20.94%	27.22%
Imports - 2010-11	369,769	16,83,467
Imports - 2011-12	488,640	23,42,217
% Growth in Imports (YOY)	32.15%	39.13%
Trade Balance - 2010-11	(-)118,633	(-)5,40,545
Trade Balance - 2011-12	(-)184,922	(-)8,88,151

#### 1.5 Forex Reserves

Total Foreign exchange reserves as on March 30, 2012 was valued at USD 294,398 million and recorded a decline of USD 10,421 million over end - March 2011 level. While foreign exchange reserves position is not that weak, the declining trend is disturbing. Out of the total reserves, foreign currency assets were valued at USD 260,810 million while gold reserves were valued at USD 26,620 million.

#### 1.6 Price Trend

Headline wholesale price index (WPI) inflation, which remained above 9 per cent during April-November 2011, moderated to 6.9 per cent by end-March 2012, consistent with the Reserve Bank's indicative projection of 7 per cent. However, while the moderation in inflation in December-January owed largely to softening of food prices, the moderation in February-March was largely driven by core non-food manufactured products inflation, which fell below 5 per cent for the first time after two years.

Food articles inflation, which was 8.1 per cent during April-December 2011, briefly turned negative in January 2012 reflecting the seasonal decline in food prices, particularly of vegetables, combined with a high base effect. However, it increased sharply to 6.1 per cent in February and further to 9.9 per cent in March 2012 with the wearing-off of the base effect and rise in vegetables prices.

Non-food manufactured products inflation, which was 8.4 per cent in November 2011, decelerated significantly to 5.8 per cent in February and further to 4.7 per cent in March 2012. This reflected both a slowdown in domestic demand and softening of global non-oil commodity prices.

## 2. मुद्रा एवं बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

### 2.1 मुद्रा आपूर्ति

मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वर्ष 2010-11 में हुई 16.1 प्रतिशत (9,008.4 बिलियन) की वृद्धि की तुलना में 2011-12 में 13.0 प्रतिशत (8,434.1 बिलियन रु.) की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋणों में पिछले वर्ष की 21.3 प्रतिशत (7,448.1 बिलियन रुपये) की वृद्धि की तुलना में 2011-12 में 16.8 प्रतिशत (7,136.1 बिलियन रुपये) की वृद्धि हुई। सरकार को निवल बैंक ऋण में 3643.2 बिलियन रुपये (18.4%) की वृद्धि दर्ज की गई। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 2010-11 में 1,065.1 बिलियन रु. की वृद्धि के मुकाबले 2011-12 के दौरान 1,209.2 बिलियन रु. की वृद्धि हुई।

### 2.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी का कारोबार)

#### 2.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियाँ

वर्ष 2011-12 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमा राशियों में पिछले वर्ष की 15.9% (7151.4 बिलियन रु.) की तुलना में 17.4% (9045.1 बिलियन रु.) की वृद्धि हुई। मांग राशियों में वर्ष 2011-12 के दौरान 39 बिलियन रु. की कमी की तुलना में 980 बिलियन रु. की वृद्धि हुई। मीयादी जमा राशियों में पिछले वर्ष की 7,190.5 बिलियन रु. की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 8,065.2 बिलियन रु. का वृद्धि हुई।

#### 2.2.2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण

2011-12 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए बैंक ऋण में 19.3% (7,627.1 बिलियन रु.) की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष में यह वृद्धि 21.5% (6,972.9 बिलियन रु.) थी। गैर-खाद्यान्न ऋण में पिछले वर्ष के 6,815 बिलियन रु. की वृद्धि के मुकाबले 7,472 बिलियन रु. की वृद्धि हुई। मार्च 2012 के अंत में बैंकिंग सिस्टम का ऋण-जमा अनुपात 76.97% रहा। 2011-12 में खाद्य-ऋण में 155.1 बिलियन रु. की वृद्धि हुई जबकि 2010-11 में यह वृद्धि 157.9 बिलियन रु. थी।

#### 2.2.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

2011-12 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एसएलआर निवेश 17,449.6 बिलियन रु. रहा जो 2010-11 की 8.4% की वृद्धि के मुकाबले 16.2% की वृद्धि दर्शाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 17,420.8 बिलियन रु. रहा जबकि अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों 28.8 बिलियन रु. रहा। मार्च, 2012 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश जमा अनुपात 28.55% रहा।

## 3. जोखिम प्रबंधन

बैंक की अपेक्षित जोखिम प्रबंधन प्रणाली है, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक निकायों से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार, समय-समय पर नियमित पुनरीक्षण किया जाता है और अद्यतन किया जाता है।

### 3.1 बासेल-II का कार्यान्वयन

#### पिलर 1:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पूंजी पर्याप्तता ढांचे के नए मार्गनिर्देशों के अनुसार बासेल-II अनुरूपता प्राप्त कर ली है। बासेल-II के अंतर्गत पिलर-1 प्रतिमानों के अनुसार बैंक ने ऋण, मार्केट व परिचालन जोखिम के लिए 31.03.2012 की पूंजीगत आवश्यकताओं का परिकलन किया है। बैंक का

## 2. MONETARY AND BANKING TRENDS

### 2.1 Money Supply

Money supply (M3) increased by 13.0% (Rs.8,434.1 billion) in 2011-12 as compared with 16.1% (Rs.9,008.4 billion) in 2010-11. Bank credit to the commercial sector increased by 16.8% (Rs.7,136.1 billion in 2011-12 as compared with increase of 21.3% (Rs.7,448.3 billion) in the previous year. Net bank credit to Government recorded an increase of Rs.3,643.2 billion (18.4%). The net foreign exchange assets of the Banking sector increased by Rs.1,209.2 billion during 2011-12 as against an increase of Rs.1,065.1 billion in 2010-11.

### 2.2 Scheduled Commercial Banks (SCBs Business)

#### 2.2.1 Aggregate Deposits of Scheduled commercial Banks

Aggregate Deposits of SCBs increased by 17.4% (Rs.9,045.1 billion) during 2011-12 as compared with 15.9% (Rs.7,151.4 billion) in the previous year. Demand deposits increased by Rs.980 billion during 2011-12 as against a decline of Rs.39 billion during 2010-11. Time deposits have increased by Rs.8,065.2 billion during 2011-12 as against an increase of Rs.7,190.5 billion in the previous year.

#### 2.2.2 Bank credit of scheduled Commercial banks

Bank Credit extended by SCBs increased by 19.3% (Rs.7,627.1 billion) during 2011-12 as compared with 21.5% (Rs.6,972.9 billion) in the previous year. Non-food credit increased by Rs.7,472 billion as against an increase of Rs.6,815 billion in the previous year. The Credit-deposit ratio for the banking system as at end-March 2012 stood at 76.97%. Food-Credit increased by Rs. 155.1 billion in 2011-12 as against an increase of Rs. 157.9 billion in 2010-11.

#### 2.2.3 Investments of Scheduled Commercial Banks

Total SLR investment of Scheduled Commercial Banks stood at Rs. 17,449.6 billion showing a growth of 16.2% during 2011-12 as against the growth of 8.4% during 2010-11. Investment in Government Securities stood at Rs. 17,420.8 billion whereas other approved securities was to the tune of Rs.28.8 billion. The Investment-Deposit ratio of SCBs as at end March 2012 stood at 28.55%.

## 3. RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place requisite Risk Management Systems which are reviewed and updated regularly in the light of guidelines received from Reserve Bank of India and other regulatory bodies from time to time.

### 3.1 IMPLEMENTATION OF BASEL II

#### Pillar I:

The bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework guidelines issued by the Reserve Bank of India. In terms of the Pillar-1 norms under Basel II, Bank has computed its capital requirements for Credit, Market and





पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) तथा टियर-1 अनुपात क्रमशः 9% तथा 6% की न्यूनतम अपेक्षा के मुकाबले 12.69% तथा 10.12% रहा। बैंक अब भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न जोखिमों के तहत पूँजी गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।

बैंक का स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न समितियाँ जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा परिचालन जोखिम समिति क्रमशः बैंक के ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम का पर्यवेक्षण करती है।

#### पिलर II:

पिलर-2 के अंतर्गत पर्यवेक्षी समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरइपी) के एक भाग के रूप में बैंक की मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन (सीएएपी) प्रक्रिया संबंधी नीति है। यह नीति पिलर 1 के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने में सहायक होती है। मार्गनिर्देशों के अनुसार पूँजी मूल्यांकन प्रक्रिया के पूरक के रूप में दबाब परीक्षण किया जाता है। इससे बैंक आयोजना, प्रक्रिया, पूँजी, जोखिम तथा कार्यनिष्पादन का एकीकरण कर सकता है।

#### पिलर III:

बासेल -2 के पिलर 3 प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

#### 4. आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक सभी प्रकार के बाजार जोखिमों जैसे चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम का समाधान सुस्पष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा करता है। बाजार जोखिम की समग्र स्थिति तथा कार्य बैंक के मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति-देयता प्रबंधन नीति व निवेश नीति के निर्धारित नीतिगत ढांचे के अंतर्गत किए जाते हैं।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) का गठन किया है और ब्याज दर परिदृश्य, जमाराशियों/अग्रिमों का परिपक्वता प्रोफाइल, संरचनात्मक चलनिधि संबंधी स्थिति और निवल ब्याज मार्जिन के प्रबंधन इत्यादि की समीक्षा करने के लिए इसकी बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती हैं। आस्ति देयता प्रबंधन नीति बाजार जोखिम एवं चल निधि जोखिम प्रबंधन हेतु पैरामीटर निर्धारित करती है। बाजार की गतिशील परिस्थितियों के अनुरूप इस नीति की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति चलनिधि और ब्याज दर जोखिम सीमाओं के निर्धारण और पुनरीक्षण, लाभप्रदता और सीआरएआर (पूँजी में जोखिम भारित आस्ति अनुपात) स्थिति की पुनरीक्षा, जमाराशियों/अग्रिमों पर ब्याज दरों की पुनरीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित विभिन्न जोखिम

सीमाओं के अनुपालन द्वारा बाजार जोखिमों का प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण करती है। बैंक के तुलन-पत्र पर बाह्य कारकों के प्रभाव का आकलन आवधिक रूप से किया जाता है ताकि अभीष्टतम लाभ की दृष्टि से बाजार में वर्तमान चल निधि स्थिति के मद्देनजर कारोबार नीति का निर्धारण किया जा सके।

Operational risk as 31.03.2012. The Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank stood at 12.69% and Tier I ratio at 10.12% as against minimum regulatory requirement of 9% and 6% respectively. The bank is now gearing itself to adopt the advanced approaches for capital computation under different risks as per RBI guidelines.

The Bank has an independent Risk Management framework under which the various committees viz. Credit Risk Management Committee, Asset Liability Committee and Operational Risk Management Committee oversee the Credit Risk, Market Risk and Operational Risk of the bank respectively.

#### Pillar II:

The Bank has a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) process as a part of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) under Pillar-2. The Policy enables the Bank to identify and assess other risks which are not covered under Pillar-1. The capital assessment process is complemented with stress testing as per guidelines. It enables the Bank to integrate planning, process, capital, risk, performance.

#### Pillar III:

The disclosures required in terms of Pillar-3 norms of Basel II form part of the annual report of the Bank and are made available on Bank's website.

#### 4. ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) AND MARKET RISK MANAGEMENT

All forms of market risks, viz liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk are addressed by the Bank through a well defined set of policies and processes. The overall positions and functions of market risk are carried out under the policy framework outlined in Bank's Board approved Asset Liability Management (ALM) Policy and Investment Policy.

The bank has constituted the Asset Liability Committee (ALCO) in terms of RBI guidelines, which meets at regular intervals to review the interest rates scenarios, maturity profile of deposits / advances, the structural liquidity position and management of Net Interest Margin etc. The ALM policy sets out the parameters for Market Risk and Liquidity Risk Management. This policy is reviewed annually to be in line with the dynamic market scenario.

The committee on Asset Liability Management of the bank (ALCO) manages and supervises the Market Risk by setting and reviewing liquidity and interest rate risk limits, reviewing the profitability and CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) position, reviewing of the rates of interest on deposit/advances, adherence to various risk limits fixed by RBI and Board of Directors.

The impact of external factors on the Bank's Balance Sheet is assessed periodically for determining business strategy in the light of prevailing liquidity position in the market with a view to optimize profits.

## 5. ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया बैंक के समग्र जोखिम प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है जो ऋण जोखिम को सतत आधार पर मानीटर करता है। बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा ऋण नीति एकल उधारकर्ता/समूह वित्त, उद्योगवार वित्त, संवेदनशील क्षेत्रों की ऋण सीमाओं, मूल्यन नीतियों, ऋण देने संबंधी विनिर्देश तथा ऋण देने के दबाव व सीमित क्षेत्रों आदि के एक्सपोजर स्तरों को कवर करने वाली नीतियों, प्रक्रियाओं और विवेकपूर्ण सीमाओं को सुस्पष्ट करती है।

ऋण पुनरीक्षा तंत्र, जो ऋण विभाग तथा ऋण जोखिम विभाग से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बैंक के बड़े ऋणों की आवधिक रूप से समीक्षा तथा निगरानी करता है।

जोखिम के केन्द्रीकरण का नियमन ऋण एक्सपोजर सीमाओं के निर्धारण, निगरानी एवं समीक्षा द्वारा किया जाता है जो एकल उधारकर्ता वित्त, समूह वित्त, संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण (स्थावर संपदा और पूंजी बाजार सहित) ऋण के प्रमुख, सीमित एवं प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित करने, उद्योग वित्त, पर्याप्त वित्त एवं अंतर-बैंक ऋण के अनुरूप होता है। उद्योगों का अध्ययन निरंतर आधार पर किया जाता है।

बैंक ने 'ऋण जोखिम प्रबंध समिति' का गठन किया है जो आवधिक अंतरालों पर ऋण प्रशासन संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों की समीक्षा और निगरानी करती है। बैंक ने बड़े कारपोरेट, लघु कारोबार व सेवाओं, लघु व मध्यम उद्यमों, आधारभूत संरचना, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, स्थावर संपदा सहित सभी अग्रिमों के लिए विभिन्न ऋण मूल्यांकन मॉडल बनाए हैं।

बैंक भावी ग्राहकों की साख-पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु एक अतिरिक्त प्लेटफार्म के तौर पर सिबिल तथा ईक्विफैक्स की सेवाएं भी ले रहा है।

## 6. परिचालनपरक जोखिम प्रबंधन

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंध समिति है जो परिचालन जोखिम संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए नियमित आधार पर बैठकें करती हैं। बैंक की परिचालन प्रबंध नीति में, बैंक में परिचालन जोखिम के मापन, निगरानी और नियंत्रण की संरचना व रूपरेखा दी गई है।

बासेल-II दिशानिर्देशों को लागू करने के तौर पर, परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत अपेक्षाओं का परिकलन मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अनुसार किया जाता है। बैंक ने अब समानांतर तौर पर मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएमए) को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया है और उच्चतर दृष्टिकोण को अपनाने हेतु मौजूदा पद्धति व प्रक्रिया को उन्नत कर रहा है।

जोखिम संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए हानि के मामले, धोखाधड़ी, जोखिम एवं नियंत्रण संबंधी स्वमूल्यांकन और महत्वपूर्ण जोखिम संकेतकों से संबंधित आंकड़े/सूचना समेकित की जा रही है। बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा शुरू की गई ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (कारडेक्स) नामक कम्पनी का भी सदस्य है, जो अपने सदस्यों को हानि मामलों अर्थात् धोखाधड़ियों की सूचना उपलब्ध कराता है।

## 5. CREDIT RISK MANAGEMENT

The Credit Risk Management Process forms an integral part of overall Risk Management of the bank & monitors the credit risk on continuous basis. The Credit Risk Management Policy and Loan Policy of the bank articulate policies, processes and prudential limits covering exposure levels for individual borrowers / group exposure, industry wise exposure, limits on exposure to sensitive sectors, pricing policies, lending specifications, thrust and restricted areas of lending etc.

The Loan Review Mechanism, functioning independent of the Credit Department and Risk Management Department, reviews and monitors large credit exposures of the Bank on periodic basis.

The concentration of risks is regulated through fixing, monitoring and reviewing of the credit exposure limits in terms of single borrower exposure, group exposure, exposure to sensitive sectors (including real estate and capital market), laying down thrust, restricted and prohibited areas of lending, industry exposure, substantial exposure and inter-bank exposure. Industry studies are conducted on an on-going basis.

The bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the policies, procedures and systems relating to credit administration and monitoring at periodic intervals. The Bank has put in place different credit rating models for covering the entire range of advances, including Large Corporate, Small Business & Services, Small Medium Enterprises, Infrastructure, Greenfield project, Real Estate etc.

Bank is also availing the services of CIBIL and Equifax for credit information to get an additional platform for verification of credit history of prospective customers.

## 6. OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

The bank has an Operational Risk Management Committee (ORMC) which meets on regular basis to review the matters related to operational risk. The Operational Risk Management Policy of the bank outlines the structure and framework for measuring, monitoring and controlling the operational risk of the bank.

As a part of implementation of Basel II guidelines, the capital requirement for operational risk is being computed under Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has already approached the Reserve Bank of India for their approval to migrate to The Standardised Approach (TSA) on parallel basis and is in the process of upgrading the existing system and practices to facilitate migration to higher approaches.

The data/ information relating to loss events, frauds, Risk and Control Self Assessment and Key Risk Indicators are being compiled for assessing risk prone areas. Bank is also a member of Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX) incorporated by IBA, which shares the loss events e.g. frauds among its members.



बैंक जोखिम की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करने पर जोर देता है और पद्धतियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा, नियंत्रणकारी पद्धति आरंभ करने तथा इस प्रकार की घटनाओं से स्टाफ को बचाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करके इस प्रकार के जोखिमों को कम करने / रोकने हेतु उपयुक्त कदम उठाता है।

इस संबंध में प्रक्रिया नीति में कोई परिवर्तन करते समय, विभिन्न विनियामक मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

## 7. औद्योगिक संबंध

बैंक का अपने औद्योगिक संबंधों के लिए पूरे बैंकिंग जगत में एक विशिष्ट स्थान है। मधुर तथा सौहार्दपूर्ण संबंध बैंक की विशेष पहचान हैं। बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली प्रभावपूर्ण है। कर्मचारियों की शिकायतें, यदि कोई हों, नियमित रूप से आयोजित होने वाली औद्योगिक संबंध बैठकों में परस्पर व द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तत्काल दूर की जाती हैं।

## 8. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा

बैंक ने चरणबद्ध रूप से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) लागू की है, जिसे मार्च 2004 में प्रारम्भ किया गया था। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा नीति और लेखापरीक्षा फॉर्मेट, भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुरूप और बैंक द्वारा समय के साथ अर्जित अनुभव के अनुसार संशोधित किए गए हैं। बैंक ने 01.10.2006 से संशोधित फॉर्मेट अपनाते हुए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा को पूरी तरह अपना लिया है। वर्ष 2011-12 के दौरान 1620 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। इसके साथ ही वर्ष 2011-12 के दौरान सभी 30 प्रादेशिक कार्यालयों की जोखिम आधारित प्रबंध लेखापरीक्षा तथा सभी 12 प्रादेशिक निरीक्षण कार्यालयों की प्रबंध लेखापरीक्षा की गई।

## 9. आंतरिक नियंत्रण पद्धति

शाखाओं के कार्यों की निगरानी करने के लिए बैंक के विभिन्न स्थानों पर 12 प्रादेशिक निरीक्षण कार्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि अपेक्षित सुधार लाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति को मजबूत किया जा सके और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए उच्च प्रबंध वर्ग को समय पर फीडबैक दिया जा सके। आंतरिक निरीक्षकों द्वारा हर वर्ष शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। कैलेंडर वर्ष 2011 हेतु सनदी लेखाकारों द्वारा सभी शाखाओं (संगामी लेखापरीक्षा की शाखाओं के अतिरिक्त) की आय एवं व्यय लेखापरीक्षा भी करवाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों द्वारा शाखाओं की संगामी लेखापरीक्षा भी की जा रही है जिसमें 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक की 67% जमाराशियों और 80% अग्रिम और कुल कारोबार का 73% कारोबार कवर किया गया है। 31.03.2012 को कुल 460 शाखाएं, जिनमें विशेषीकृत शाखाएं और प्रधान कार्यालय के कुछ चुने हुए विभाग शामिल हैं, संगामी लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

## 10. ऋण पुनरीक्षा तंत्र

ऋण पुनरीक्षा तंत्र ऋण संविभाग की गुणवत्ता, ऋण विभाग की प्रभावशीलता का निरंतर मूल्यांकन करने, ऋण रेटिंग को समन्वित बनाए रखने और ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाने का महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुआ है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ऋण पुनरीक्षा दलों द्वारा 323 शाखाओं के कुल 73681 करोड़ रुपये के 1125 खातों (5.00 करोड़ रुपये तथा अधिक के एक्सपोजर वालों) की पुनरीक्षा की गई।

The Bank lays due emphasis on identifying risk prone areas and takes suitable steps to mitigate/ prevent such risks by reviewing systems and procedures, introducing control elements and imparting training to the staff so as to guard against such incidents.

In this respect, various regulatory guidelines are also being considered while making any change in the process policy.

## 7. INDUSTRIAL RELATIONS

Industrial Relations in the Bank is one of its kind in the Banking Industry. Cordial and Harmonious Industrial Relations is the Hallmark of the Bank. The Bank has effective grievance redressal mechanism. The grievances of the employees if any are resolved through mutual and bilateral discussions in the regularly held Industrial Relations meetings.

## 8. RISK BASED INTERNAL AUDIT

The Bank implemented Risk Based Internal Audit (RBIA) in a phased manner, starting from March 2004. The Risk Based Internal Audit Policy and the audit format(s) were revised in sync with revised guidelines of RBI and experience gained by the Bank in due course. The Bank has fully migrated to Risk Based Internal Audit w.e.f. 01.10.2006 on the revised policy formats(s). Risk Based Internal Audit (RBIA) of all the eligible 1620 branches was conducted during the year 2011-12. Besides, Risk Based Management Audit of all the 30 Regional Offices and Management Audit of all the 12 Regional Inspectorates has been conducted during the year 2011-12.

## 9. INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Bank has 12 Regional Inspectorates at different locations to oversee the working of Branches and to ensure that the internal control systems are strengthened to bring the desired improvement and give timely feedback to the Top Management to take immediate corrective steps. Risk Based Internal Audit (RBIA) of Branches is conducted every year by internal inspectors. The Income and Expenditure Audit of all the Branches (other than branches under Concurrent Audit) was also got conducted from Chartered Accountants for calendar year 2011. In conformity with RBI directives, Concurrent Audit of the Branches is also being conducted by reputed Chartered Accountants covering 67% of the Deposit and 80% of Advances and 73% as per total working as on 31.03.2012. A total number of 460 branches including specialized branches, Service Branches and certain select Departments of Head office are under Concurrent Audit as on 31.03.2012.

## 10. Loan Review Mechanism

Loan Review Mechanism (LRM) has proved to be an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book, effectiveness of loan administration, maintaining the integrity of credit rating process and to bring about qualitative improvement in credit administration. During the FY 2011-12, the LRM team conducted review of 1125 accounts in large borrowal accounts (with exposure of Rs. 5.00 Crores & above) with a total exposure amounting to Rs 73681 Crores covering 323 branches

## 11. सतर्कता तन्त्र

बैंक का सतर्कता तंत्र महाप्रबन्धक ओहदे के मुख्य सतर्कता अधिकारी की सर्वोपरि देखरेख के अंतर्गत कार्य कर रहा है और इसमें प्रधान कार्यालय में एक पूरा विभाग तथा फील्ड में कार्यरत 16 सतर्कता अधिकारी (चयनित प्रादेशिक कार्यालयों में) मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यरत हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संरक्षण एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक सतर्कता के सभी क्षेत्रों अर्थात् निवारक, खोजपूर्ण व दण्डात्मक सतर्कता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए उपाय कर रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं पद्धति का अनुपालन स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने अधिकारिक कार्य निपटाने के दौरान किया जा रहा है, ऑफ-साइट तथा ऑन-साइट दोनों प्रकार के विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ऑन-साइट निगरानी के एक अंग के रूप में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) में दी गई जाखिम रेटिंग, प्राप्त शिकायतों तथा प्राप्त स्रोत सूचना के आधार पर शाखाओं का औचक निरीक्षण किया जाता है, जिसमें बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुपालन तथा निवारक सतर्कता उपायों के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार भावी सूचक सतर्कता की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से ऑफ-साइट निगरानी तथा सूचना/आंकड़ा विश्लेषण को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उन्नयन किया गया।

परिचालनों, विशेषरूप से ग्राहकों के साथ लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। बैंक ने ई-ट्रेडिंग सफलतापूर्वक लागू कर दी है। वेंडरों द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के संबंध में प्रधान कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालय, दोनों ही स्तरों पर बैंक की वेबसाइट पर बिलों की स्थिति दर्शाने की प्रणाली आरम्भ हो गई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने ऋण प्रस्ताव ट्रेकिंग प्रणाली विकसित की है, जिसे आंतरिक रूप से आरम्भ कर दिया गया है। बैंक ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की ओर प्रवृत्त है, जिसके तहत ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर अपने ऋण आवेदनों की स्थिति का पता लगा सकेंगे।

सार्वजनिक जीवन में सतर्कता कार्यों के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग को जानकारी देने के लिए श्री जे.एम.गर्ग, सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) को सतर्कता मामलों पर वार्ता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसी प्रकार सर्वोच्च प्रबंधन वर्ग को बैंक में हाने वाली धोखाधड़ियों की नई प्रवृत्तियों तथा धोखेबाजों द्वारा वित्तीय प्रणाली में अपनाई जाने वाली नवीनम कार्यप्रणालियों के संबंध में अवगत कराने के लिए एक अन्य वार्ता आयोजित की गई, जिसमें श्री संतोष मचरेला, संयुक्त निदेशक, सीबाआई (बीएस एंड एफ) ने बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों को सम्बोधित किया तथा “बैंक धोखाधड़ियों एवं उभरते रुझानों पर एक सिंहावलोकन” विषय पर वार्ता प्रस्तुत की गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक के सभी कार्यालयों में “सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2011” मनाया गया, जिसमें “सहभागिता सतर्कता” पर विशेष जोर दिया गया। तदनुसार बैंक के विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों ने बैंक के स्टाफ सदस्यों को सतर्क रहने और अपनी ड्यूटी को मौजूदा प्रणाली एवं पद्धति के अनुसार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही “भागीदारी सतर्कता” पर जोर देने के लिए ग्राहकों तथा आम जनता को बैठकों

## 11. VIGILANCE MACHINERY

The Vigilance set up of the Bank is under the overall supervision of the Chief Vigilance Officer of the rank of General Manager and comprises full-fledged department at Head Office and 16 Vigilance Officers posted in the field (at selected Regional Headquarters) functioning directly under the control of the Chief Vigilance Officer.

The Bank, under the aegis of and as per guidelines of Central Vigilance Commission, is taking measures for substantial improvement in all areas of vigilance i.e. preventive, detective and punitive.

Various initiatives are being taken, both off-site and on-site, to ensure that the systems & procedures laid down by the Bank are adhered to by the staff members while discharging their official duties. As a part of on-site surveillance, Surprise Inspection of the branches, based upon risk rating assigned in RBIA, complaints received and source information received, are conducted with focus on assessing the compliance level of Bank's guidelines and preventive vigilance measures. Similarly, the technological platform of the Bank is being leveraged to strengthen the off-site surveillance and information/data analysis in order to move towards predictive vigilance.

Initiatives have also been taken to bring about transparency into operations, more particularly in dealings with the customers/clients. The Bank has successfully implemented e-tendering. As regards payment of bills submitted by vendors, the system of displaying the status of bills on the Bank's website has been started at both Head Office and Regional Offices levels. Further, Bank has developed the Loan Proposal Tracking System which has been started internally. The Bank is in the process of making this facility available to the customers for tracking the status of their loan applications through the Bank's website.

In order to enlighten the senior management about the Vigilance functions in the public life, Shri J.M. Garg, Vigilance Commissioner (CVC) was requested to deliver a talk on the Vigilance matters, which was attended by the top executives and senior officials of the Bank. Similarly, to make the top management aware about the latest trends in the bank frauds and the innovative modus-operandi adopted by the fraudsters in the dynamic financial system, another talk was organised where Shri Santosh Macherla, Joint Director, CBI (BS&F) addressed the senior executives of the Bank and delivered a talk on the topic 'An overview of Bank frauds & emerging trends'.

As per the directions of Central Vigilance Commission, 'Vigilance Awareness Week-2011' was observed at all the offices of the Bank with focus on “Participative Vigilance”. Accordingly, the Heads at various offices of the Bank sensitized the staff members to be vigilant and perform their duties as per extant system and procedures. Further, in order to lay thrust on “Participative Vigilance”, the customers and members of public were associated





के माध्यम से शामिल किया गया और इनमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने तथा प्रचार करने पर जोर दिया गया।

ऐसे मामले जिनमें दंडात्मक कार्यवाही अपेक्षित थी, का शीघ्र निपटान करने के लिए अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है।

सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो से संपर्क बनाए हुए है और बैंक के अंदर भी विभिन्न विभागों से प्रभावशाली ढंग से समन्वय बनाए हुए है ताकि सतर्कता प्रशासन की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके।

## 12. पद्धति एवं प्रक्रियाएं

वर्तमान पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा बैंक के कार्यचालन का एक अभिन्न अंग है। संगठन एवं पद्धति कक्ष बैंक की वेबसाइट पर ग्राहकों से प्राप्त शंकाओं व सुझावों को मानीटर कर रहा है। कक्ष द्वारा इस प्रकार प्राप्त शंकाओं का तत्काल उत्तर दिया जाता है व बैंक के ग्राहकों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित किया जाता है।

## 13. सूचना प्रौद्योगिकी

### 13.1 कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और वाइड एरिया नेटवर्क

बैंक के पास आधुनिकतम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तथा इसकी 1772 शाखाओं 19 विस्तार पटलों के जरिए 100% कार्य सीबीएस पर होता है। बैंक कई आईटी आधारित उत्पाद प्रस्तुत कर रहा है जैसे इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए इलैक्ट्रॉनिक धन प्रेषण सुविधाएं, ऑनलाइन शिक्षा ऋण, ई-शॉप, ई-टैक्सेस, शेयरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग, एसएमएस अलर्ट, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, रेडी किट व मोबाइल बैंकिंग। बैंक ने अपने बढ़ते हुए कारोबार को संभालने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अपनी आधारभूत संरचना का उन्नयन किया ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सेवाओं की समग्र कार्यकुशलता को अधिक बेहतर बनाया जा सके।

बैंक ने आय निर्धारण एवं लेखा वर्गीकरण प्रतिमानों के अनुसार सिस्टम आधारित लेखा वर्गीकरण का कार्यान्वयन किया है। गैर निष्पादनकारी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के लिए किए गए प्रावधान का आकलन भी सिस्टम द्वारा किया जाता है।

एमआईएस सिस्टम का कस्टमाइजेशन किया गया जिससे कई सांविधिक व सांख्यिकी विवरणियां सृजित की जा सकती हैं जिसके परिणामतः कारपोरेट स्तर पर तत्क्षण सही सूचना निकाली जा सकती है।

ग्राहकों को अबाध सेवाएं देने हेतु बैंक की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बैंक ने बैंक-अप लिंक के तौर पर आईएसडीएन के साथ लीज्ड लाइन और उच्च स्तरीय अपटाइम के साथ वीसैट का प्रयोग करते हुए सशक्त कारपोरेट नेटवर्क बनाया है।

### 13.2 आपदा वसूली सेट-अप

बैंक ने वाशी, नवी मुम्बई में प्राइमरी डाटा केन्द्र के जरिए नीयर लाइन साइट और ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में डिजास्टर रिकवरी साइट के जरिए त्रिआयामी डीआर ढांचा स्थापित किया है ताकि सीबीएस के लिए शून्य डाटा हानि सुनिश्चित की जा सके।

प्राइमरी डाटा सेन्टर से डाटा की नीयर लाइन साइट में अनुकृति निरंतर साथ-साथ होती रहती है और नीयर लाइन साइट से डीआरएस में प्रतिलिपि

through customer meetings and emphasis was on spreading awareness against corruption.

All efforts are made, in coordination with other departments, to have quick disposal of vigilance disciplinary cases warranting punitive action.

The Vigilance Department maintains liaison with Central Vigilance Commission and Central Bureau of Investigation and also co-ordinates with various departments within the Bank to ensure efficacy of vigilance administration.

## 12. SYSTEMS & PROCEDURES

The review of existing systems & procedures is an integral part of Bank's functioning. The O&M cell is monitoring the Query & Suggestions received from the constituents on the website of the bank. The cell gives prompt response to the queries received and ensures providing of instant solutions to problems faced by the customers of the bank.

## 13. INFORMATION TECHNOLOGY:

### 13.1 Core Banking Solution (CBS) and Wide Area Network

The Bank has a state of art IT Infrastructure and has its 100% working on CBS through Network of 1772 branches and 19 extension counters offering an array of IT products viz. Internet Banking, Electronic Remittance facilities through RTGS/ NEFT, Online Education Loan, e-Shoppe, e-Taxes, Online Trading of Shares, SMS Alerts, International Debit Card, Ready Kits and Mobile Banking. The Bank has successfully upgraded its IT Infrastructure to support its increasing Business and to further improve overall functionality of the various services, during the current financial year.

Bank has implemented System driven classification of accounts as per Income Recognition and Accounts Classification norms. The provision for loan accounts classified as nonperforming assets is also computed by the system.

The MIS software has been customized to generate large number of Statutory and Statistical Returns thereby ensuring correct generation of the information at Corporate level on instantaneous basis using CBS and data from other sources.

To strengthen the Bank's commitment towards uninterrupted service to its customers, Bank has built a robust Corporate Network using Leased lines and VSATs with sufficient redundancy to achieve highest level uptime.

### 13.2 DR Setup

Bank has implemented 3-way DR architecture through Primary Data Centre, Near Line Site at Vashi Navi Mumbai and Disaster Recovery Site at Greater Kailash, New Delhi for Zero Data Loss for CBS.

The data is synchronously replicated from PDC to NLS and is asynchronously replicated from NLS to DRS. This ensures that in



होती है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्राइमरी डाटा सेन्टर पर बड़ी खराबी होने के मामले में सीबीएस का संपूर्ण डाटा यथासंभव न्यूनतम समय में डीआरएस में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

### 13.3 एटीएम

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 78 अतिरिक्त एटीएम लगाए जिनमें से 23 एटीएम महानगरीय केन्द्रों पर, 12 एटीएम शहरी स्थानों पर, 31 एटीएम अर्द्ध-शहरी स्थानों पर और 12 एटीएम ग्रामीण स्थानों पर लगाए गए हैं। इस प्रकार मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के 1270 एटीएम हैं जिसमें 932 ऑनसाइट एटीएम, 331 ऑफ साइट एटीएम तथा 7 मोबाइल एटीएम हैं।

बैंक के एटीएम कार्ड, देश भर में लगे 96000 से भी अधिक एटीएम पर स्वीकार किए जाते हैं। इस समय कुल 32.71 लाख एटीएम- सह- डेबिट कार्डधारक हैं और पूरे बैंक में एटीएम के ज़रिए लगभग 81% पात्र नकद लेन-देन किए जा रहे हैं।

'रेडी किट' पद्धति लागू की गई जिससे ग्राहकों को खाता खोलते समय तत्काल एटीएम कार्ड तथा एटीएम पिन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

### 13.4 इंटरनेट बैंकिंग

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक ने अतिरिक्त विशेष सुविधाएं जैसे कि ऑनलाइन पासवर्ड जनरेशन, ई-कॉमर्स तथा फंड ट्रांसफर के लिए ट्रैकर-आईडी, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऋण ईएमआई आदि का भुगतान आदि आरम्भ की हैं। इस वर्ष बैंक के रिटेल ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पर दैनिक हिट्स की संख्या में 187% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग के लिए 93000 नए ग्राहक पंजीकृत किए गए जिससे कुल ग्राहक आधार 4.46 लाख हो गया। औसत दैनिक हिट्स की संख्या भी बढ़कर प्रतिदिन 74000 हो गई।

### 13.5 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति

बैंक की सभी शाखाएं आईडीआरबीटी द्वारा नियंत्रित एसएफएमएस के सुरक्षित चैनल का प्रयोग करते हुए आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए अंतर-बैंक प्रेषण की सुविधा दे रही हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को, अंतर-बैंक प्रेषण के लिए आरटीजीएस तथा एनईएफटी की ऑनलाइन सुविधा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति में वर्ष दर वर्ष आधार पर लेन-देनों में काफी वृद्धि हुई। मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष में आरटीजीएस तथा एनईएफटी के ज़रिए संव्यवहारों की कुल संख्या क्रमशः 13.09 लाख तथा 14.47 लाख रही, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 12.50% तथा 101% की वृद्धि दर्शाती हैं।

### 13.6 कारपोरेट वेबसाइट

बैंक ने अपनी कारपोरेट वेबसाइट को अधिक इंटर-एक्टिव तथा सूचनाप्रद बनाते हुए इसे पूरी तरह नवीकृत कर दिया। कारपोरेट छवि को ध्यान में रखते हुए इसकी रूपरेखा को परिष्कृत किया गया और एनएसई मार्किट ट्रैकर, एनएसई विदेशी मुद्रा ट्रैकर जैसे मूल्य वर्धित इंटरफेस साइट में जोड़े गए। वेबसाइट पर वेंडर द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान की स्थिति के संबंध में सूचित करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों के भुगतान का विवरण दिया जाता है। वेबसाइट को वेरीसाइन से एसएसएल इन्क्रिप्शन लागू करके सुरक्षित किया गया है।

case of major problem at PDC, complete data of CBS can be made available at DRS within the shortest possible time.

### 13.3 ATMs

During this financial year, Bank has deployed 78 additional ATMs out of which 23 ATMs deployed at Metro locations, 12 ATMs deployed at Urban locations, 31 ATMs at Semi-Urban locations and 12 ATMs at Rural Areas. Thus, as on March 2012, Bank has 1270 ATMs, which includes 932 Onsite ATMs, 331 Offsite ATMs and 7 Mobile ATMs.

The ATM cards of the Bank are accepted across more than 96000 ATMs deployed in the country. As of now total Cardbase of ATM-cum-Debit cards is 32.71 lacs and about 81% of eligible cash transactions are happening through the ATMs for the Bank as a whole.

The 'Ready Kit' system has been put in place through which ATM Card and ATM PIN are made available to the customers immediately at the time of opening accounts.

### 13.4 Internet Banking

During the year under reference, the Bank has launched additional features such as Online Password Generation, Tracker Id for e-commerce and funds transfer, Loan EMI payment etc. through Internet Banking. This year, Bank's Internet Banking customers has seen 187% increase in daily average hits over the year and 93000 new customers have been registered taking total net banking customer base to 4.46 lacs. The average daily hits have also increased to 74000 per day.

### 13.5 Electronic Payment System

All the branches of the Bank offer Inter-Bank remittances through RTGS and NEFT using secured channel of SFMS managed by IDBRT. Internet Banking subscribers of the Bank are encouraged to use online facility of RTGS and NEFT for inter-bank remittances.

The above Electronic Payment System has witnessed many fold increase in transactions on y-o-y basis. RTGS and NEFT Transactions have reached a cumulative figure of 13.09 lacs and 14.47 lacs respectively for the year ended March 2012 showing an increase of 12.50% and 101% respectively on year to year basis.

### 13.6 Corporate Website

Bank has totally revamped its Corporate Website by making it more interactive and informative. The look and feel has been enhanced keeping in view the Corporate identity and value added interfaces like NSE Market Tracker, NSE Foreign Exchange Tracker etc. have been incorporated in the site. The website is giving details of payments of bills submitted by vendor to keep them informed about the status of their bills. The website has also been secured by implementing SSL encryption from VeriSign.



बैंक ने अपनी कारपोरेट वेबसाइट पर ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए ऑनलाइन ग्राहक शिकायत पद्धति भी शुरू की है। बैंक की कारपोरेट वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को सुझाव देने व प्रश्न पूछने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

### 13.7 एसएमएस बैंकिंग

बैंक की एसएमएस बैंकिंग अलर्ट सेवा को काफी प्रोत्साहन मिला है और यह व्यापक रूप से ग्राहकों द्वारा अपनाई जा रही है। ग्राहकों द्वारा स्वयं अपने लेनदेनों को मॉनिटर करने तथा साइबर अपराध को रोकने का यह कारगर साधन है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत ग्राहकों की संख्या 24.80 लाख है और 3 करोड़ से अधिक एसएमएस संदेश प्रतिमाह भेजे जा रहे हैं।

### 13.8 मोबाइल बैंकिंग

अब ग्राहक खाता शेष संबंधी जानकारी, अंतिम 10 लेनदेनों को देखना, अंतर बैंक तथा अंतः बैंक निधि अंतरण, शाखा लोकेटर तथा एटीएम लोकेटर, एनईएफटी, मिनी स्टेटमेंट तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा के माध्यम से रात-दिन मोबाइल से मोबाइल तत्काल निधि अंतरण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

### 13.9 आई टी सुरक्षा

बैंक ने अपने मुख्य एवं गौण डाटा केन्द्रों पर अत्याधुनिक सुरक्षा संयंत्र और निगरानी उपस्कर स्थापित किए हैं। सुरक्षा कार्यों की 24 x 7 x 365 आधार पर निगरानी की जाती है। बैंक ने मार्च, 2010 माह में मैसर्स एसटीक्यूसी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से अपने प्रमुख डाटा केन्द्र (पीडीसी), डीआर साईट, नीयर लाइन साईट और सीबीएस कक्ष तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रधान कार्यालय में संबंधित प्रक्रियाओं के लिए आईएसओ-27001 सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन प्राप्त किया। यह प्रमाणपत्र 3 वर्ष के लिए मान्य है। बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धति (आईएसएमएस) के लिए सर्वोच्च सुरक्षा मानक प्राप्त किया।

बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग तथा कारपोरेट वेबसाइट के जरिए अपने ग्राहकों को किसी भी संभावित फिशिंग और सामाजिक इंजीनियरिंग आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। बैंक इस प्रकार के खतरों के संबंध में ग्राहकों को निरंतर शिक्षित करता रहता है तथा इस प्रकार की घटनाओं को कम से कम करने के लिए उन्हें उपयुक्त कदम उठाने का परामर्श देता है। बैंक के सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सूचना सुरक्षा पर अलग सत्र रखे जाते हैं।

### 13.10 कार्यान्वित किए जा रहे सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट

बैंक के निम्नलिखित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट वर्तमान में लागू किए जा रहे हैं:-

- बैंक के लिए विस्तृत प्रबंध सूचना व्यवस्था का कार्यान्वयन।
- ई-लर्निंग का कार्यान्वयन।
- मोबाइल बैंकिंग के द्वारा उपयोगी सेवाओं का भुगतान।
- अति छोटी शाखाओं में लैपटॉप के जरिए सीबीएस के साथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी।
- ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ऋण प्रस्ताव ट्रेकिंग सिस्टम।
- ऑनलाइन मीयादी जमा रसीद जनरेशन।
- वैट का ऑनलाइन भुगतान।

Bank has also implemented Online Customer Complaint system on its corporate website for prompt disposal of complaints. Customers are also encouraged to give suggestions and raise queries through Bank's corporate website.

### 13.7 SMS Banking

The Bank received an overwhelming response for SMS Banking Alert Service and it is being widely accepted by the customers. It is an effective tool to monitor transactions in accounts by customers themselves. As on March 2012, there are about 24.80 lacs registered customers and presently more than 3 crore SMS messages are being sent per month.

### 13.8 Mobile Banking

As of now, the customers can avail services like, Account Balance information, viewing last 10 transactions, Inter-Bank and Intra-Bank Fund Transfer, Branch Locator, ATM Locator, NEFT, Mini Statement and round the clock mobile to mobile instant fund transfer through Inter Bank Mobile Payment Service of National Payments Corporation of India.

### 13.9 IT Security

Bank has put in place state of the art security equipments and monitoring tools at its Primary and Secondary Data Centres. The security events are monitored on 24x7x365 basis. Bank has achieved ISO 27001 Information Security Management System accreditation in the month of March' 2010 from M/s STQC, Ministry of Information Technology, Govt. of India for its PDC, DRS, NLS and processes at CBS Cell and at DIT, HO. The above accreditation is valid for 3 years. Bank has achieved highest security standard for Information Security Management System (ISMS).

Bank has also been guarding its customers through Internet Banking as well as Corporate website against any possible Phishing and social engineering attacks. Bank continuously educate customers on such kind of attacks and advises them to take appropriate steps to minimize the occurrence of such acts. Separate sessions on Information Security are incorporated in all trainings held across all the Training Centres of the Bank.

### 13.10 IT Projects under implementation

The Following major IT Projects of the Bank are presently under implementation:-

- Implementation of Comprehensive Management Information System for the Bank
- Implementation of e-Learning
- Utility Payment through Mobile Banking
- Online Connectivity at Ultra Small Branches with CBS through Laptops
- Online Loan Proposal Tracking System for the customers
- Online Fixed Deposit Receipt Generation
- Online Payment of VAT

**13.11 स्टाफ को आईटी शिक्षा**

बैंक ने अपने स्टाफ को बैंकिंग के विभिन्न पक्षों के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर प्रशिक्षण भी शामिल हैं। बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को नवीनतम आईटी उत्पादों का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है ताकि इन सेवाओं को और बढ़ाया जा सके। बैंक ने विस्तृत सीडी तैयार की है, जिसमें बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों और सेवाओं की जानकारी दी गई है तथा मार्किटिंग विभाग, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा ग्राहक बैठकों के दौरान प्रस्तुति हेतु इस सीडी का प्रयोग किया जा रहा है। कई प्रादेशिक कार्यालयों में एमआईएस डाटा की शुद्धता और पूर्णता पर तथा सीबीएस में ऋण, एनपीए इत्यादि जैसे उन्नत पक्षों पर सेमिनार आयोजित किए गए।

**13.11 IT Education to Staff**

Bank has taken major initiatives to train its staff on various aspects of Banking including training on latest IT Products. Regular Training Programmes are being conducted at Bank's Training colleges and at other reputed institutes. Officials are extensively trained on latest IT Products to further promote these services. Bank has prepared comprehensive CD containing information on IT Based products and services of the Bank which is being used by Marketing Department, Regional Offices and branches for making presentations during the Customers' Meet. Seminars were organized at large number of Regional Offices on correction and completion of MIS data and also for handling of the advanced CBS features such as Loans, NPAs, etc.





संशोधित पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार बासेल-II (पिलर 3) के अंतर्गत प्रकटन

### 1. प्रयोज्यता का विषय क्षेत्र

- 1.1 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी कोई अनुषंगी संस्था नहीं है।
- 1.2 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने जीवन बीमा संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए मार्च, 2007 में केनरा बैंक और एचएसबीएस इश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लि0 के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस संयुक्त उपक्रम कंपनी को कंपनी रजिस्ट्रार में केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि0 के नाम से सितम्बर, 2007 में पंजीकृत करवाया गया। कंपनी ने जून, 2008 में कार्य आरंभ कर दिया है।

इस कम्पनी की शेयरधारिता निम्नानुसार है

○ केनरा बैंक —	51%
○ एचएसबीसी—	26%
○ ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	23%

उपर्युक्त में ओबीसी के निवेश को लेखांकन एवम् विनियामक प्रयोजन हेतु जोखिम भारित किया गया है।

### 1.3 पूंजी की कमी की कुल राशि—शून्य

#### 1.4 पूंजीकरण विवरण :

इस कंपनी की कुल प्राधिकृत पूंजी 1050 करोड़ रु. है जिसमें से प्रदत्त पूंजी 800 करोड़ रु. (प्रति 10/-रु. के 80.00 करोड़ शेयर) और एचएसबीएस इश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लि0 द्वारा प्रदत्त प्रीमियम की राशि 125 करोड़ रु. है।

### 2. पूंजी संरचना

#### 2.1 पूंजी लिखतों की मुख्य शर्तों एवं नियमों/विशेषताओं संबंधी संक्षिप्त जानकारी

भारतीय रिजर्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में पूंजी निधियों को टियर-I और टियर II पूंजी में वर्गीकृत किया गया है। टियर I पूंजी में प्रदत्त ईक्विटी पूंजी, सांविधिक आरक्षित निधि, अन्य प्रकटित मुक्त आरक्षित निधि पूंजी आरक्षित निधि और टियर I पूंजी में शामिल होने के पात्र नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत (टियर I बांड) शामिल है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षा का पालन करते हैं। टियर II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि (55% बट्टे पर), सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि, टियर II पूंजी में शामिल होने के पात्र उच्च टियर II लिखत (उच्च टियर II बांड) और गौण ऋण लिखत (निम्न टियर II बांड) शामिल है। बैंक ने ऋण लिखत जारी किए हैं जो टियर I और टियर II पूंजी का भाग है। इन लिखतों के लिए लागू नियम एवं शर्तें निर्धारित नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं।

नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत (टियर I बांड) गैर-संचयी और बेमीयादी हैं और इनमें 10 वर्षों के बाद कॉल आप्शन है (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से)। उच्च टियर II बांड की 15 वर्षों की मूल न्यूनतम परिपक्वता अवधि है तथा इन्हें 10 वर्षों के बाद कॉल आप्शन (भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से) के साथ जारी किया जा सकता है। निम्न टियर II बांड संचयी हैं और इनकी 5 वर्षों की न्यूनतम मूल परिपक्वता अवधि है।

बैंक द्वारा टियर I बांड के जरिए जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल टियर I पूंजी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। टियर II पूंजी के अन्य घटकों के साथ उच्च

### Disclosure under Basel II (Pillar 3) in terms of Revised Capital Adequacy Framework

#### 1. SCOPE OF APPLICATION

- 1.1. Oriental Bank of Commerce is a Public Sector Bank having no subsidiary.
- 1.2. Oriental Bank of Commerce signed a Memorandum of Understanding with Canara Bank and HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Ltd. in March 2007 for setting up Joint Venture in Life Insurance. The Joint Venture Company got registered with Registrar of Companies as Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd in September 2007. The Company has started its operation in June 2008.

The shareholding pattern of the Company is as given below.

○ Canara Bank	-51%
○ HSBC	-26%
○ OBC	-23%

OBC's investment in the above is risk weighted for accounting and regulatory purpose.

#### 1.3 Aggregate Amount of Capital Deficiencies- NIL

#### 1.4 Capitalization Details:

Total Authorized Capital of the company is Rs. 1050 Crore, out of which paid up capital is Rs. 800 Crore (80.00 Crore shares of Rs.10 each) plus Rs.125.00 Crore is the amount of premium paid by HSBC Insurance (Asia-Pacific) Holdings Ltd.

### 2. CAPITAL STRUCTURE

#### 2.1. Summary information on main terms and conditions / features of capital instruments

RBI's capital adequacy norms classify capital funds into Tier-1 and Tier-2 capital. Tier-1 capital includes paid-up equity capital, statutory reserves, other disclosed free reserves, capital reserves and innovative perpetual debt instruments (Tier-1 bonds) eligible for inclusion in Tier-1 capital that comply with requirements specified by RBI. Elements of Tier-2 capital include revaluation reserves (at 55% discount), general provision and loss reserve, upper Tier-2 instruments (upper Tier-2 bonds) and subordinate debt instruments (lower Tier-2 bonds) eligible for inclusion in Tier-2 capital. Bank has issued debt instruments that form a part of Tier-1 and Tier-2 capital. The terms and conditions applicable for these instruments comply with the stipulated regulatory requirements.

Innovative Perpetual Debt Instruments (Tier-1 bonds) are non-cumulative and perpetual in nature with a call option after 10 years (with RBI approval). Upper Tier-2 bonds have an original minimum maturity of 15 years and may be issued with call option after 10 years (with RBI approval). The lower Tier-2 bonds have an original minimum maturity of 5 years.

The total amount raised by the Bank through Tier I Bonds shall not exceed 15% of the total Tier I capital of the Bank as on March 31 of the previous financial year. Upper Tier II



टियर II लिखत किसी भी समय टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे। गौण ऋण लिखत (निम्न टियर II) बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे।

instruments along with other components of Tier II capital, shall not exceed 100% of Tier I capital at any time. Subordinated debt instruments (Lower Tier II) will be limited to 50% of Tier I capital of the Bank.

2.2 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार टियर I पूंजी (करोड़ ₹ में)

टियर I पूंजी अंश	राशि
प्रदत्त शेयर पूंजी/सामान्य स्टॉक	291.76
आरक्षित निधि	10793.24
नवोन्मेष टियर I पूंजी लिखत	850.00
अन्य पूंजी लिखत	0.00
कुल टियर I पूंजी	11935.00
कटौती :	
संचित हानि	0.00
आस्थगित कर आस्तियां	34.00
निवल टियर I पूंजी	11901.00

2.2. Tier-1 capital as on March 31, 2012 (₹ in Cr)

Tier-1 capital elements	Amount
Paid-up share capital/common stock	291.76
Reserves	10793.24
Innovative Tier-1 capital instruments	850.00
Other Capital Instruments	0.00
Gross Tier-1 capital	11935.00
Deductions:	
Accumulated Losses	0.00
Deferred tax Assets	34.00
Net Tier I Capital	11901.00

2.3 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार टियर II पूंजी (करोड़ ₹ में)

टियर II पूंजी अंश	राशि
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान	530.80
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि	385.87
उच्च टियर II बांड	1200.00
गौण बांड	900.00
विशेष आरक्षित निधि	0.00
निवल टियर II पूंजी	3016.67

2.3. Tier- II Capital as on March 31, 2012 (₹ in Cr)

Tier- II capital elements	Amount
Provision for Standard Assets	530.80
Revaluation Reserves	385.87
Upper Tier II Bonds	1200.00
Subordinate Bonds	900.00
Special reserve	0.00
Net Tier II Capital	3016.67

2.4 टियर II पूंजी में समावेश हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत (करोड़ ₹ में)

	उच्च टियर II	निम्न टियर II
कुल बकाया राशि	1200.00	1000.00
वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	200.00	-
पूंजी निधियां माने जाने हेतु पात्र राशि	1200.00	900.00

2.4. Debt capital instruments eligible for inclusion in Tier-2 capital (₹ in Cr)

	Upper tier II	Lower Tier II
Total Amt. Outstanding	1200.00	1000.00
Amt. Raised during current financial year	200.00	-
Amount eligible to be considered as capital funds	1200.00	900.00

2.5 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कुल पात्र पूंजी (करोड़ ₹ में)

	राशि
पात्र टियर I पूंजी	11901.00
पात्र टियर II पूंजी	3016.67
कुल पात्र पूंजी	14917.67

2.5. Total eligible capital as on 31.03.2012 (₹ in Cr)

	Amount
Eligible Tier-1 capital	11901.00
Eligible Tier-2 capital	3016.67
Total eligible capital	14917.67



### 3. पूंजी पर्याप्तता

#### 3.1 पूंजी आकलन

बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देश लागू होते हैं जो बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के निर्देशों पर आधारित हैं। पूंजी पर्याप्तता मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक को निरंतर आधार पर कुल पूंजी में जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) का न्यूनतम 9.0% अनुपात रखना अपेक्षित है।

बैंक ने मण्डल द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन पद्धति (आइसीएएपी) बनाई है। बैंक की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन और समीक्षा आवधिक अंतरालों पर की जाती है।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे-बासेल-II को लागू करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया है:

- ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम हेतु मानक अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम हेतु मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

विभिन्न जोखिम क्षेत्रों के लिए पूंजी आवश्यकता (31 मार्च, 2012)

(करोड़ ₹ में)

जोखिम क्षेत्र	राशि
<b>ऋण जोखिम</b>	
अपेक्षित पूंजी	
○ मानक दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो	9262.69
○ प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
<b>मानक अवधि दृष्टिकोण के तहत बाजार जोखिम</b>	
अपेक्षित पूंजी	595.84
ब्याज दर जोखिम हेतु	430.98
विदेशी मुद्रा विनिमय (स्वर्ण सहित) जोखिम हेतु	4.50
इक्विटी क्रय-विक्रय स्थिति जोखिम हेतु	160.36
मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम	717.82
अपेक्षित पूंजी	
<b>9% पर कुल पूंजी अपेक्षा</b>	10576.35
<b>बैंक की कुल पूंजी निधियां</b>	14917.67
<b>कुल जोखिम भारित आस्तियां</b>	117514.97
<b>पूंजी पर्याप्तता अनुपात</b>	12.69%

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात

पूंजी अनुपात	
टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात	10.12%
टियर II पूंजी पर्याप्तता अनुपात	2.57%
टियर-III पूंजी पर्याप्तता अनुपात	12.69%

### 4. ऋण जोखिम

#### 4.1 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रिया

बैंक में ऋण जोखिम का प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति और वसूली नीति द्वारा किया जाता है। बैंक को अपने ऋण परिचालनों में ऋण

### 3. CAPITAL ADEQUACY

#### 3.1. Capital assessment

The Bank is subject to the capital adequacy guidelines stipulated by RBI, which are based on the framework of the Basel Committee on Banking Supervision. As per the capital adequacy guidelines, the Bank is required to maintain a minimum ratio of total capital to risk weighted assets (CRAR) of 9% on an ongoing basis.

The bank has evolved well laid down Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework. Assessment and review of Bank's projected capital requirements are carried out at periodical intervals.

In line with RBI guidelines Bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for Credit Risk
- Standardised Duration Approach for Market Risk
- Basic Indicator Approach for Operational Risk

Capital requirements for various risk areas (March 31, 2012)

(₹ in Cr)

Risk area	Amount
<b>Credit risk</b>	
Capital required	
○ Portfolio subject to standardized approach	9262.69
○ Securitisation exposure	
<b>Market risk under Standardised Duration Approach</b>	
Capital required	595.84
For interest rate risk	430.98
For foreign exchange (including gold) risk	4.50
For equity position risk	160.36
Operational risk under Basic Indicator Approach	717.82
Capital required	
<b>Total capital requirement at 9%</b>	10576.35
<b>Total capital funds of the Bank</b>	14917.67
<b>Total risk weighted assets</b>	117514.97
<b>Capital adequacy ratio</b>	12.69%

Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2012

Capital Ratios	
<b>Tier-I Capital Adequacy Ration</b>	10.12%
<b>Tier-II Capital Adequacy Ration</b>	2.57%
<b>Tier-III Capital Adequacy Ration</b>	12.69%

### 4. Credit Risk

#### 4.1. Credit risk management policy and processes

Management of credit risk in the Bank is governed by Board approved Credit Risk Management Policy and Recovery Policy.

जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऋण जोखिम, बैंक के साथ किसी वित्तीय संविदा की शर्तों और नियमों का पालन करने में किसी भी प्रतिपक्ष के असफल होने पर होने वाली हानि का जोखिम है जो कि मुख्यतः अपेक्षित भुगतान न करने के कारण होता है। इसका मुख्य प्रयोजन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति है :

- भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मार्गनिर्देशों/नीतियों का पालन
- कारपोरेट, सरकारी, लघु एवं मध्यम उद्यम, ग्रामीण/माइक्रो बैंकिंग, कृषि और रिटेल ग्राहकों का पसंदीदा बैंक बनना।
- सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल एवं दक्षता पूर्वक करके उनसे सौहार्द्रपूर्ण व्यवसायिक संबंध बनाए रखना।
- जोखिम आधारित ऋण प्रदान करके और ऋण पोर्टफोलियो को सक्रिय बनाते हुए विविधकृत गुणवत्ता परक आस्ति पोर्टफोलियो बनाना।
- उपयुक्त निकास विकल्पों के साथ इष्टतम जोखिम प्रतिफल प्रोफाइल बनाना।

इस नीति में कारपोरेट, लघु एवं मध्यम उद्यम, रिटेल, ग्रामीण/कृषि और निवेश संबंधी ऋणों को शामिल किया गया है। इसमें व्यापक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ एक संरचित और मानक ऋण अनुमोदन प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्तीय प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंक उधारकर्ताओं और संबंधित उद्योग से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करता है। बैंक निम्नानुसार विचार करके उधारकर्ता के जोखिम का मूल्यांकन करता है:

- उधारकर्ता की वित्तीय विवरणियों, पिछले वित्तीय कार्यनिष्पादन, पूंजी जुटाने के लिए इसकी वित्तीय क्षमता और इसकी नकद प्रवाह पर्याप्तता का आकलन करते हुए उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन।
- उधारकर्ता की सापेक्ष बाजार स्थिति और परिचालन दक्षता।
- प्रबंधन की गुणवत्ता जो उनके पिछले रिकार्ड, खाते के संचालन के विश्लेषण द्वारा आंकी जाती है।

**बैंक निम्नानुसार विचार करके उद्योग जोखिम का मूल्यांकन करता है :**

- कतिपय औद्योगिक विशेषताएं जैसे अर्थव्यवस्था में उस उद्योग की महत्ता, विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण, चक्रीयता और उस उद्योग के संबंध में सरकारी नीतियां
- उद्योग की प्रतिस्पर्धा भावना और
- कतिपय औद्योगिक वित्तीय आंकड़े जिसमें नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, परिचालन मार्जिन और आय स्थिरता शामिल है।

#### **ऋण अनुमोदक प्राधिकारी**

निदेशक मंडल ने मंडल की प्रबंध समिति, ऋण अनुमोदन समिति, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों, प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधकों को अधिकार प्रायोजित किए हैं। फील्ड स्तर पर भी विभिन्न फील्ड पदाधिकारियों को अर्थात् प्रादेशिक अध्यक्ष, प्रादेशिक कार्यालय में द्वितीय प्रभारी और शाखा प्रभारियों को भी उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं मंजूर करने के विवेकाधिकार दिए गए हैं। अधिकारों के प्रत्यायोजन का ढांचा इस प्रकार बनाया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च एक्सपोजर और जोखिम-स्तर के संव्यवहार तदनुरूपी अगले मंच/समिति को अनुमोदन हेतु भेजा जाए।

प्रस्तावों की गुणवत्तापरक समीक्षा करने के प्रयोजन से निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के निम्नलिखित मार्गनिर्देश

The Bank is exposed to credit risk in its lending operations. Credit risk is the risk of loss that may occur from the failure of any counterparty to abide by the terms and conditions of any financial contract with the Bank, principally the failure to make required payments. The broad objectives are to meet the following goals:

- Adhere to the guidelines / policies enunciated by RBI and other regulatory authorities.
- Be the preferred bank for Corporate, Government, Small and Medium Enterprises, Rural/Micro banking, Agriculture and Retail customers.
- Maintain cordial business relationship with all customers by servicing their needs promptly and efficiently.
- Build a diversified good quality asset portfolio through risk based lending and active churning of the portfolio.
- Optimise risk return profile with adequate exit options.

The policy covers Corporate, Small and Medium Enterprise, Retail, Rural/Agriculture and Investment related exposures. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry. The Bank evaluates borrower risk by considering:

- The financial position of the borrower by analyzing the financial statements, its past financial performance, its financial flexibility in terms of ability to raise capital and its cash flow adequacy.
- The borrower's relative market position and operating efficiency
- The quality of management by analysing their track record and conduct of account.

#### **The Bank evaluates industry risk by considering:**

- Certain industry characteristics, such as the importance of the industry to the economy, its growth outlook, cyclicity and government policies relating to the industry.
- The competitiveness of the industry and
- Certain industry financials, including return on capital employed, operating margins and earnings stability.

#### **Credit Approval Authorities:**

The Board of Directors has delegated the authority to the Management Committee of the Board, Credit Approval Committee, Chairman & Managing Director, Executive Directors, General Managers at Head Office. At field level, various Field Functionaries i.e. Regional Head, Second man at the Region and the Branch Incumbents have also been delegated discretionary powers for sanction of various types of credit facilities to various segments of borrowers. The delegation of structure has been designed to ensure that the transactions with higher exposure and level of risk are put up to the corresponding higher forum/committee for approval.

Following guidelines of Credit Risk Management Policy duly approved by the Board of Directors are being adopted for the





अपनाए जा रहे हैं ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाया जा सके :

1. बैंक के प्रधान कार्यालय में ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग और सभी प्रादेशिक कार्यालयों में ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष स्थापित किए गए हैं । जोखिम प्रबंधन विभाग का कार्य, ऋण प्रस्ताव की प्रोसेसिंग/मूल्यांकन/मंजूरी से भिन्न है ।
2. बैंक के प्रधान कार्यालय और प्रादेशिक कार्यालयों के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप ऋण अनुमोदन ग्रीड बनाए गए हैं । बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक, ऋण अनुमोदन ग्रीड के सदस्य हैं ।
3. ग्रीड की बैठक की गणपूर्ति के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग और ऋण विभाग के सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है ।
4. बैंक में आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन माडलों में सभी उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग (स्टाफ ऋण तथा बैंक की अपनी सावधि जमाराशियों के प्रति ऋण को छोड़कर) करने की नीति है ।
5. एक निश्चित सीमा से अधिक के ऋण प्रस्ताव ऋण विभाग द्वारा गुणवत्तापरक जांच हेतु ऋण अनुमोदन ग्रीड के समक्ष रखे जाते हैं । ग्रीड के सदस्यों के मतों सहित संस्तुति मंजूरीदाता प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है ।

इस ढांचे का उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए बैंक के ऋण पोर्टफोलियो को सुदृढ़ बनाना है । ऋण पोर्टफोलियो की संरचना का विश्लेषण (मूल्यांकन वार/उद्योगवार) ऋणकर्ताओं के मूल्यांकन में हुए परिवर्तन के छमाही आधार पर जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति के समक्ष रखा जाता है ।

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह दोनों के लिए समेकित स्तर पर निर्धारित एक्सपोजर संबंधी मानदंडों का पालन करता है । जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बैंक की समेकित पूंजी निधियों/कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन्हें नियमित आधार पर मानीटर किया जाता है । बैंक ने उद्योगों संवेदनशील क्षेत्रों और उधारकर्ताओं के गठन के आधार पर उनके लिए आंतरिक रूप से विभिन्न एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित की हैं (पर्याप्त एक्सपोजर सहित) ।

#### गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) की परिभाषा और वर्गीकरण

बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुरूप निष्पादक और गैर-निष्पादक ऋणों (एनपीएल) में करता है ।

गैर-निष्पादक आस्ति ऐसे ऋण अथवा अग्रिमों के रूप में परिभाषित है जहां

- I. मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है । किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब होगी यदि वह राशि बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा न की गई हो ।
- II. ओवरड्राफ्ट / नकद उधार (ओडी / सीसी) के संबंध में खाता लगातार 90 दिनों तक 'अनियमित' बना रहता है । खाते को 'अनियमित' माना जाएगा यदि :
  - बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहे ।
  - जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो किन्तु तुलन-पत्र की तारीख को, लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा न की गई हो अथवा जमा की गई राशि लेखांकन अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो ।

purpose of screening of the proposals qualitatively so as to ensure healthy credit portfolio of the Bank

1. Credit Risk Management Department is set up at Head Office and Credit Risk Management Cell at all the Regional Offices of the Bank. The function of Risk Management Department is independent of processing/ appraisal/ sanction of the proposal.
2. Credit Approval Grids for different functionaries at Head Office and Regional offices of the Bank are set up in accordance with the Credit Risk management Policy of the Bank. The senior executives of the Bank are members of the Credit Approval Grid.
3. The presence of the members from Risk Management Department and Credit Department is mandatory for quorum of the meeting of the Grid.
4. The Bank has a policy for undertaking Credit Risk Rating of all borrowers (except staff Loan and loan against Bank's own Fixed Deposits) in the internal credit risk rating models.
5. Proposals above a certain cut-off limit are placed before the Credit Approval Grid by the credit department for qualitatively screening of the proposal. The recommendations along with the views of the Grid are placed before competent sanctioning authority for consideration.

The objective of this framework is to ensure healthy credit portfolio of the Bank by following the set principles of Risk Management. The analysis of the composition of the credit portfolio (Rating wise/Industry wise) is placed to the Supervisory Committee of Directors on Risk Management (SCDRM) on half yearly basis along with the migration of rating of borrowers.

Bank complies with the exposure norms stipulated by RBI for both single borrower as well as borrower group at the consolidated level. Limits have been set up as a percentage of the Bank's consolidated capital funds/ aggregate advances and are regularly monitored. The Bank has also stipulated internally various exposure limits (including substantial exposure) to industries, sensitive sectors and for the borrowers based on their constitution.

#### Definition and classification of non-performing assets (NPA)

The Bank classifies its advances into performing and non-performing loans (NPL) in accordance with the extant RBI guidelines.

An NPA is defined as a loan or an advance where:

- I. Interest and/ or instalment of principal remains overdue for more than 90 days in respect of a term loan. Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank;
- II. The account remains 'out of order' in respect of an overdraft/ cash credit (OD/CC) facility continuously for 90 days. An account is treated as 'out of order' if:
  - The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power
  - Where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of the balance sheet or, credits in the account are not enough to cover the interest debited during the accounting period

- खाते में आहरण की अनुमति लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए ऐसी स्टॉक विवरणियों के आधार पर परिकल्पित आहरण अधिकार के अनुसार की गई हो जो 3 माह से अधिक पुरानी हो चाहे यूनिट कार्य कर रही हो अथवा उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो ।
- नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की समीक्षा/नवीकरण देय तिथि/तदर्थ मंजूरी की तिथि के 180 दिनों के भीतर न किया गया हो ।
- III. बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहा हो ।
- IV. कृषि ऋण के संबंध में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्त, छोटी अवधि की फसलों के लिए दो फसल मौसम और लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसल मौसम तक अतिदेय रहे ।  
इसके अतिरिक्त, गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अवस्थरीय, संदिग्ध और घाटे वाली आस्तियों के रूप में किया जाता है । अवस्थरीय आस्ति वह है, जो 12 माह से कम अथवा इसके बराबर अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी आस्ति रही हो । किसी आस्ति को संदिग्ध के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह 12 माह के लिए अवस्थरीय श्रेणी में रही हो । घाटे वाली आस्ति वह है, जहां घाटे का पता, बैंक अथवा इसके आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों को अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान लगा हो परंतु राशि पूरी तरह से बट्टे खाते नहीं डाली गई हो ।

#### 4.2. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर तथा अन्य आस्तियां (31 मार्च, 2012) (करोड़ ₹ में)

ऋण एक्सपोजर की श्रेणी	राशि
निधि आधारित सुविधाएं	148520.09
बैंकों में अधिशेष तथा मांग पर प्राप्त राशि	265.25
निवेश	29880.83
विनिधान	113049.81
अन्य आस्तियां	5324.20
गैर निधि आधारित सुविधाएं	28596.14
साख पत्र	14082.14
बैंक गारंटी	14513.00
<b>कुल</b>	<b>177166.23</b>

#### 4.3. ऋण जोखिम एक्सपोजर पर आधारित जोखिम भारित आस्तियां (31 मार्च, 2012) (करोड़ ₹ में)

ऋण एक्सपोजर की श्रेणी	जोखिम भारित आस्तियां
निधि आधारित सुविधाएं	84188.50
गैर निधि आधारित सुविधाएं*	18730.23
<b>कुल</b>	<b>102918.73</b>

ऋण एक्सपोजर में मीयादी ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं (अर्थात् निधिक सुविधाएं जैसे नकद-उधार, मांग ऋण, अस्थाई सीमाएं तथा गैर निधिक सुविधाएं जैसे साख-पत्र, सह-स्वीकृतियां, वित्तीय गारंटीएं निष्पादन गारंटी तथा बैंकिंग बही में निवेश आदि) के प्रति एक्सपोजर शामिल हैं। उपर्युक्त में ऐसे निवेश शामिल नहीं हैं, जो बाजार जोखिम में शामिल किए गए हैं ।

#### 4.4. ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण (31 मार्च, 2012) (करोड़ ₹ में)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
घरेलू	148520.09	28596.14
विदेशों में	Nil	Nil
<b>कुल</b>	<b>148520.09</b>	<b>28596.14</b>

- Drawings have been permitted in the account for a continuous period of 90 days based on drawing power computed on the basis of stock statements that are more than three months old even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory
- The regular/ad-hoc credit limits have not been reviewed/ renewed within 180 days from the due date/ date of ad hoc sanction.
- III. A bill purchased/discounted by the Bank remains overdue for a period of more than 90 days.
- IV. Interest and/or instalment of principal in respect of an agricultural loan remain overdue for two crop seasons for short duration crops and one crop season for long duration crops.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as Doubtful if it has remained in the Sub-Standard category for 12 months. A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

#### 4.2 Gross Credit Risk Exposure and other assets (March 31, 2012) (₹ in Cr)

Category Credit exposure	Amount
Fund-based facilities	148520.09
Bal. with Banks and Money at Call	265.25
Investments	29880.83
Advances	113049.81
Other Assets	5324.20
Non-fund based facilities	28596.14
Letters of Credit	14082.14
Bank Guarantees	14513.00
<b>Total</b>	<b>177166.23</b>

#### 4.3 Risk Weighted Assets based on credit risk exposure (March 31, 2012) (₹ in Cr)

Category Credit exposure	Risk Weighted Assets
Fund-based facilities	84188.50
Non-fund based facilities*	18730.23
<b>Total</b>	<b>102918.73</b>

Credit exposure includes exposure towards term loans; working capital facilities (i.e. funded facilities like cash credit, demand loan, temporary limits and non-funded facilities like letter of credit, co-acceptances, financial guarantee, performance guarantee and investment in Banking Book etc.). The above excludes investments which are covered under Market Risk.

#### 4.2 Geographic distribution of credit exposures (March 31, 2012) (₹ in Cr)

	Fund-based	Non-fund based
Domestic	148520.09	28596.14
Overseas	Nil	Nil
<b>Total</b>	<b>148520.09</b>	<b>28596.14</b>



## 4.5 ऋण राशि का उद्योगवार संवितरण/Industry-wise distribution of exposures (31.03.2012)

(करोड़ ₹ में/ ₹ in crore)

S.No.		निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non-fund based
1	कोयला/Coal	23.87	80.08
2	खनन/Mining	83.09	31.59
3	लौह और इस्पात/Iron & Steel	7423.38	2574.19
4	अन्य धातु और धातु उत्पाद/Other metal and metal products	981.61	640.01
5	सभी इंजीनियरिंग/All Engineering	3994.22	2156.68
6	विद्युत/electronics	39.88	6.91
7	सूती वस्त्र/Cotton Textiles	2716.22	126.76
8	जूट वस्त्र/Jute Textiles	11.72	1.44
9	अन्य वस्त्र/Other Textiles	2582.76	552.19
10	चीनी/Sugar	1423.22	169.06
11	चाय/Tea	3.99	0
12	खाद्य संसाधन/Food Processing	802.70	190.85
13	खाद्य तेल और वनस्पति/Vegetable Oil and Vanaspati	637.55	225.06
14	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद/Tobacco and Tobacco Products	248.06	23.98
15	कागज और कागज उत्पाद/Paper and Paper Products	1127.45	316.35
16	रबड़ और रबड़ उत्पाद/Rubber and Rubber products	599.86	45.02
17	रसायन, रंजक और पेन्ट आदि/Chemicals, Dyes, Paints etc	1016.52	507.58
18	सीमेंट/Cement	535.57	73.4
19	चमड़ा और चमड़ा उद्योग/Leather and Leather Products	159.76	4.62
20	रत्न और आभूषण/Gems and Jewellery	415.30	192.25
21	निर्माण/Construction	2270.08	1032.61
22	पेट्रोलियम/Petroleum	536.48	411.83
23	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल/Automobiles including Trucks	724.62	121.61
24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/Computer Software	85.47	51.45
25	बुनियादी/Infrastructure	21374.39	1702.51
26	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां/NBFCs	5825.58	84.78
27	अन्य उद्योग/Other Industries	5089.48	8863.6
28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम/Residuary Other Advances	52316.98	8409.72
29	कुल जोड़/Grand Total	113049.81	28596.13

**4.6. आस्तियों का अवशिष्ट संविदापरक परिपक्वता संबंधी विवरण**

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आस्तियों का परिपक्वता ढांचा नीचे सारणी में दिया गया है (करोड़ ₹ में)

परिपक्वता बकेट	कुल अग्रिम	कुल निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां*
अगले दिन	6249.93	776.14	7836.21
2-7 दिन	1532.94	248.32	811.48
8-14 दिन	2038.24	160.03	7.12
15-28 दिन	5076.76	538.08	449.57
29 दिन - 3 माह	9925.98	1238.81	8711.64
> 3 माह - 6 माह	9603.66	651.85	6011.62
> 6 माह - 1 वर्ष	11816.13	1470.78	4284.75
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	22320.56	8101.94	32.38
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	14883.08	8959.48	193.97
> 5 वर्ष	29602.53	30314.81	0.00
<b>कुल</b>	<b>113049.81</b>	<b>52460.23</b>	<b>28438.74</b>

**4.6 Residual contractual maturity break-down of assets**

The maturity pattern of assets as on 31st March 2012 is detailed in the table below. (₹ in Cr)

Maturity Buckets	Gross Advances	Investment (Gross)	Foreign currency Assets*
<b>Next day</b>	6249.93	776.14	7836.21
<b>2 – 7 days</b>	1532.94	248.32	811.48
<b>8 -14 days</b>	2038.24	160.03	7.12
<b>15-28 days</b>	5076.76	538.08	449.57
<b>29 days-3 months</b>	9925.98	1238.81	8711.64
<b>&gt;3 months – 6months</b>	9603.66	651.85	6011.62
<b>&gt;6months-1 Yr</b>	11816.13	1470.78	4284.75
<b>&gt;1 Yr-3Yrs</b>	22320.56	8101.94	32.38
<b>&gt;3Yr-5Yrs</b>	14883.08	8959.48	193.97
<b>&gt;5Yrs</b>	29602.53	30314.81	0.00
<b>Total</b>	<b>113049.81</b>	<b>52460.23</b>	<b>28438.74</b>

**4.7. गैर निष्पादनकारी आस्तियों की राशि (31 मार्च, 2012 को एनपीए)**

(करोड़ ₹ में)

एनपीए का वर्गीकरण	कुल एनपीए	निवल एनपीए
अवस्तरीय	2496.10	1993.31
संदिग्ध	1063.25	546.51
संदिग्ध -1	602.76	329.72
संदिग्ध -2	413.17	216.79
संदिग्ध -3	47.32	0.00
हानि	21.14	0.00
<b>कुल</b>	<b>3580.49</b>	<b>2459.03</b>
<b>एनपीए अनुपात</b>	<b>3.17%</b>	<b>2.21%</b>

**4.7 Amount of non-performing Assets (NPAs as on Mar 31, 2012)**

(₹ in Cr)

NPA Classification	Gross NPA	Net NPA
Sub- standard	2496.10	1993.31
Doubtful	1063.25	546.51
Doubtful-1	602.76	329.72
Doubtful-2	413.17	216.79
Doubtful-3	47.32	0.00
Loss	21.14	0.00
<b>Total</b>	<b>3580.49</b>	<b>2459.03</b>
<b>NPA ratios</b>	<b>3.17%</b>	<b>2.21%</b>

1. कुल गैर निष्पादनकारी आस्ति अनुपात की गणना, कुल अग्रिमों में कुल गैर निष्पादनकारी आस्तियों के अनुपात के रूप में की गई है।
2. निवल गैर निष्पादनकारी आस्ति अनुपात की गणना, निवल अग्रिमों में निवल गैर निष्पादनकारी आस्तियों के अनुपात के रूप में की गई है।

1. Gross NPA ratio is computed as a ratio of Gross NPAs to Gross Advances
2. Net NPA ratio is computed as a ratio of Net NPAs to Net Advances

**4.8. एनपीए में उतार-चढ़ाव**

	कुल (करोड़ ₹ में)	निवल (करोड़ ₹ में)
<b>01.04.2011 को अथ शेष</b>	1920.54	938.15
<b>वर्ष के दौरान वृद्धि</b>	3897.59	3897.59
<b>वर्ष के दौरान कमी</b>	2237.64	2376.71
<b>31.03.2012 को इति शेष</b>	3580.49	*2459.03

**4.8 Movement of NPA**

	Gross (₹ in crore)	Net (₹ in crore)
<b>Opening Balance as on 01.04.2011</b>	1920.54	938.15
<b>Addition during the year</b>	3897.59	3897.59
<b>Reduction during the year</b>	2237.64	2376.71
<b>Closing balance as on 31.03.2012</b>	3580.49	*2459.03

\* उक्त आंकड़ों में एनपीए के लिए 72.00 करोड़ रु, का अस्थायी प्रावधान तथा ईसीजीसी/डीआईसीजीसी से 8.79 करोड़ रु की दावा राशि का समायोजन शामिल है।

\*The above figures include the effect of floating provisions on NPAs of ₹ 72.00 crore and adjustment of ECGC/ DICGC claims of ₹ 8.79 crore.





#### 4.9. एनपीए हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि (करोड़ ₹ में)
01.04.2011 को अथ शेष	973.64
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1071.91
बट्टे खाते/अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	932.88
अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	1112.67
31.03.2012 को इति शेष	

#### 4.10. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों में गैर/निष्पादनकारी निवेशों (एनपीआई) की राशि

	राशि (करोड़ ₹ में)
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कुल गैर निष्पादनकारी निवेश	108.86
कुल धारित प्रावधान	91.83
निवल गैर निष्पादनकारी निवेश	14.03

#### 4.11. निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव

	राशि (करोड़ ₹ में)
01.04.2011 को अथ शेष	78.28
किए गए प्रावधान	280.61
बट्टे खाते/अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	शून्य
31.03.2012 को इति शेष	358.89

### 5. ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग

#### 5.1. बाह्य मूल्यांकन

बासेल – II मार्गनिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा है कि वे विनिर्दिष्ट बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेंसियों (ईसीएआई) अर्थात् घरेलू प्रतिपक्षों हेतु क्रिसिल, केयर, आईसीआर, तथा फिच (भारत) तथा विदेशी प्रतिपक्षों के लिए स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स, मूडीज एण्ड फिच द्वारा दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग करें। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेंसियों का उपयोग किया जाए। यह मूल्यांकन निधि आधारित और गैर निधि आधारित दोनों प्रकार के एक्सपोजर के लिए किया जाता है।

उपरोक्त सभी प्रकार की चयनित मूल्यांकन एजेंसियों के मूल्यांकनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर हेतु निम्नानुसार किया जाता है :

- एक वर्ष से कम या उसके बराबर संविदागत परिपक्वता वाले एक्सपोजर हेतु (नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी साख के अतिरिक्त), बाह्य ऋण मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किया गया अल्पावधि मूल्यांकन लागू होगा।
- घरेलू नकद-उधार, ओवर ड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी साखों (अवधि कुछ भी हो) और/या एक वर्ष से अधिक मीयादी ऋण हेतु दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा।
- विदेशों में एक्सपोजर हेतु, संविदागत परिपक्वता कुछ भी हो, अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किया गया दीर्घावधि मूल्यांकन लागू होगा।
- एक कारपोरेट समूह के भीतर किसी संस्था विशेष को दिए गए मूल्यांकन का प्रयोग उसी समूह के भीतर अन्य संस्थाओं के जोखिम भार के लिए नहीं किया जा सकता।

बैंक नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिम भार की गणना करने के लिए बाह्य मूल्यांकनों का प्रयोग करता है। बैंक के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य

#### 4.9 Movement of provisions for NPA

	Amount (₹ in crore)
Opening Balance as on 01.04.2011	973.64
Provision made during the year	1071.91
Write-Off/Write back of excess provision	932.88
Write back of excess provision	1112.67
Closing balance as on 31.03.2012	

#### 4.10 Amount of non-performing investments (NPI) in securities, other than Government and other approved securities

	Amount (₹ in crore)
Gross NPI as on 31.03.2012	108.86
Total provision held	91.83
Net NPI	14.03

#### 4.11 Movement of provision for depreciation on investment

	Amount (₹ in crore)
Opening balance as on 01.04.2011	78.28
Provision made	280.61
Write Off/ Write back of excess provision	NIL
Closing balance as on 31.03.2012	358.89

### 5 CREDIT RISK: PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

#### 5.1 External ratings

The Basel II guidelines require banks to use ratings assigned by specified External Credit Assessment Agencies (ECAIs) namely CRISIL, CARE, ICRA & Fitch (India) for domestic counterparties and Standard & Poor's, Moody's and Fitch for foreign counterparties. The Credit Risk Management Policy prescribes for utilisation of RBI approved ECAIs. The rating is used for both fund based and Non-fund based exposure.

All the above identified Rating Agencies' ratings are used for various types of exposures as follows:

- For Exposure with a contract maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short -Term Rating given by ECAIs will be applicable.
- For Domestic Cash Credit, Overdrafts and other Revolving Credits (irrespective of the period) and/ or Term Loan exposures of over one year, Long Term Rating will be applicable.
- For Overseas exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Rating given by International Rating Agencies will be applicable.
- Rating assigned to one particular entity within a corporate group cannot be used to risk weight other entities within the same group.

The Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework. The

करने वाली विशेषीकृत एजेन्सी की सहायता से बैंक अपने ग्राहकों का मूल्यांकन करने हेतु आंतरिक मूल्यांकन तंत्र का भी प्रयोग करता है ताकि मॉडल का बाजार के प्रतिभागियों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके।

## 5.2 जोखिम भार द्वारा ऋण एक्सपोज़र

नीचे दी गई सारणी में तीन प्रमुख जोखिम श्रेणियों में ऋण एक्सपोज़र हेतु (निवेश व गैर-निधि बकाया राशि सहित) बैंक की कुल सकल बकाया राशि दी गई है :

(करोड़ ₹ में)

एक्सपोज़र श्रेणी	बकाया राशि	जोखिम भारित आस्तियां
100% से कम जोखिम भार	135750.79	31419.44
100% जोखिम भार	66948.66	41746.04
100% से अधिक जोखिम भार	25538.50	29753.25
कटौती की गई	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>228237.95</b>	<b>102918.73</b>

○ इसमें ऋण एक्सपोज़र शामिल हैं और निवेश व डेरिवेटिव एक्सपोज़र शामिल नहीं हैं, जो बाजार जोखिम में शामिल किए गए हैं।

## 6. ऋण जोखिम कम करना

नीतियां एवम् पद्धतियां, जिनसे पता चलता है कि बैंक तुलन पत्र की तथा तुलन पत्र से इतर मदों का समायोजन (नेटिंग) का उपयोग किस सीमा तक करे :

बैंक तुलन पत्र की मदों का समायोजन, उसी ऋणी के लिए ऋण जोखिम को कम करने की तकनीक के रूप में करता है, चूंकि बैंक को समंजन का अधिकार है। बैंक द्वारा इसके उधारकर्ताओं से लिए जाने वाले ऋण दस्तावेज में यह खंड होता है कि बैंक का उधारकर्ता/ गारंटीदाता, जैसा भी मामला हो, की सभी प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार, प्रभार व समंजन का अधिकार होगा तथा बैंक में उसके किसी भी खाते में जमा उससे संबंधित सभी राशियों को समायोजित/वसूल करने का अधिकार होगा तथा बैंक को प्रतिभूतियों से वसूल की गई राशि और उपर्युक्तानुसार उधारकर्ता/गारंटीदाता के खातों से वसूल की गई राशि में से ऋण खाते में देय राशि को समायोजित/ परिसमाप्त करने का अधिकार होगा।

## ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्वीकृत प्रबंधन नीति

बैंक में मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसमें सम्पार्श्विक का चयन, सम्पार्श्विक के जोखिम, सम्पार्श्विक का मूल्यांकन व निरीक्षण, पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक, गारंटी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मार्जिन दिए गए हैं।

बैंक द्वारा सम्पार्श्विक की परिभाषा ऋण सुविधा की प्रतिभूति के लिए ऋणी अथवा अन्य पक्ष द्वारा बैंक को दी गई आस्तियों या अधिकारों के रूप में दी गई है। ऋणी / बाध्यताधारी के दायित्वों हेतु प्रतिभूति के रूप में दी गई आस्तियों / संविदाओं के संबंध में बैंक को प्रतिभूत लेनदार के अधिकार होंगे।

## संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्यांकन के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंक बासेल-II मार्गनिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट, पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों द्वारा कम किए गए जोखिम की सीमा तक प्रतिपक्ष को दी जाने वाली ऋण राशि कम कर देता है। बासेल-II मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य में भविष्य में संभावित उतार-चढ़ाव को समायोजित करने के लिए प्राप्त हुई किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट

Bank also uses an internal rating mechanism for rating its clients using a rating model developed with the assistance of specialised agency acting as Bank's consultants to ensure that the model is in line with market participants.

## 5.2 Credit exposures by risk weights

The table below discloses the amount of the Bank's Total Gross outstanding for credit exposures (including Investments and Non Fund outstanding) in three major risk buckets: (₹ in Cr)

Exposure Category	Amount outstanding	Risk Weighted Assets
Less than 100% risk weight	135750.79	31419.44
100% risk weight	66948.66	41746.04
More than 100% risk weight	25538.50	29753.25
Deducted	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>228237.95</b>	<b>102918.73</b>

○ Includes credit exposures and excludes investment & derivative exposures covered in market risk.

## 6. CREDIT RISK MITIGATION

**Policies and Processes for, and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off- balance sheet netting:**

Bank uses the on-balance sheet netting as the Credit Risk Mitigation (CRM) technique of the same borrower as the right of set off is with the Bank. The loan documents obtained by the Bank from its borrowers carry a clause that the Bank shall have a lien, charge and right to set-off, adjust/ realize on all securities and all moneys belonging to the borrower/ guarantor, as the case may be, standing to their credit in any of the account with the Bank and the Bank shall have all rights, power and authority to adjust/ liquidate the dues in the loan accounts from the amount of the securities so realized and out of the proceeds recovered from the accounts of borrower/ guarantor as mentioned above.

## Credit risk mitigation and Collateral Management Policy

Bank has Board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

The Bank defines collateral as the assets or rights provided to the Bank by the borrower or a third party in order to secure a credit facility. The Bank would have the rights of secured creditor in respect of the assets/ contracts offered as security for the obligations of the borrower/ obligor.

**Collateral valuation and management:** As stipulated by the RBI guidelines, the Bank uses the comprehensive approach for collateral valuation. Under this approach, the Bank reduces its credit exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible financial collateral as specified in the Basel II guidelines. In line with Basel II guidelines, the Bank adjusts the value of any collateral received to adjust for possible future fluctuations in the value of the collateral in line with the requirements specified by RBI guidelines. These adjustments, also referred to as 'haircuts',



अपेक्षाओं के अनुसार करता है। ये समायोजन, जिन्हें 'मार्जिन' भी कहा गया है, संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु अस्थिरता समायोजित राशि निकालने के लिए, लागू जोखिम भारों पर आधारित पूंजी प्रभार की गणना करते समय एक्सपोजर में से घटा दिए जाते हैं।

रिटेल उत्पादों हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति संबंधित उत्पादों की उत्पाद नीति में परिभाषित की गई है। आवास ऋणों और अन्य रिटेल ऋणों के लिए वित्त पोषित की जाने वाली संपत्ति / आस्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है। संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकन एजेंसी द्वारा करवाया जाता है। बैंक ऐसे उत्पाद भी प्रस्तुत करता है जो प्रमुखतया संपार्श्विक प्रतिभूति पर आधारित होते हैं, जैसे शेयर, विनिर्दिष्ट सिक्क्योरिटीज़, भंडारित ज़िंस और स्वर्ण आभूषण। ये उत्पाद अनुमोदित उत्पाद टिप्पणियों के अनुरूप प्रस्तावित किए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों, मूल्यांकन और मार्जिन आदि से संबंधित हैं।

बैंक उच्च श्रेणी के ग्राहकों और कुछ उत्पादों जैसे डेरिवेटिव, व्यक्तिगत ऋणों आदि के लिए बेजमानती सुविधाएं भी प्रदान करता है। बेजमानती सुविधाओं के संबंध में ऋण सीमाओं का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया।

प्रत्येक संयवहार के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रकार और मात्रा के संबंध में निर्णय, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण अनुमोदन प्राधिकार के अनुसार, ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। अनुमोदित उत्पाद नीतियों के अनुसार, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (रिटेल उत्पाद, शेयरों की जमानत पर ऋण आदि) के लिए उक्त नीति के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति ली जाती है।

#### पात्र वित्तीय संपार्श्विक के प्रकार

बैंक, ऋण जोखिम को कम करने के लिए बासेल-II मार्गनिर्देशों के अनुसार पूंजी राहत प्रदान करने हेतु पात्र केवल विशिष्ट प्रकार की वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति को ही मान्यता प्रदान करता है। इसमें नकदी (बैंक के पास जमा), सोना (बुलियन और आभूषण, 99.99% शुद्धता के बेंचमार्क वाले संपार्श्विकृत आभूषणों के अध्यक्षीन), केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बीमा क्षेत्र के नियामक द्वारा नियमित किसी बीमा कंपनी द्वारा घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित जारी जीवन बीमा पॉलिसियां, किसी मान्यता प्राप्त ऋण मूल्यांकन एजेंसी द्वारा मूल्यांकित कुछेक ऋण प्रतिभूतियां, ऐसी म्युचुअल फंड इकाइयां, जहां दैनिक निवल आस्ति मूल्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और म्युचुअल फंड ऊपर सूचीबद्ध प्रपत्रों में निवेश करने के लिए सीमित है तथा कुछेक विशिष्ट संस्थाओं से गारंटियां शामिल हैं। वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के अतिरिक्त बैंक जोखिम को कम करने के लिए अलग-अलग प्रतिपक्षों से गारंटियां जैसे सरकार, कम्पनियों और व्यक्तियों से गारंटी भी स्वीकार करता है।

बैंक गैर वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति भी स्वीकार करता है अर्थात् स्टॉक, बही ऋण, आवासीय संपत्ति और वाणिज्यिक संपत्ति और संयंत्र और मशीनरी का बंधक।

**जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार अथवा साख) के बारे में जोखिम कम करने संबंधी सूचना** (करोड़ ₹ में)

पात्र वित्तीय संपार्श्विक व समंजन राशि द्वारा कवर प्राप्त कुल एक्सपोजर	प्रयुक्त पात्र वित्तीय संपार्श्विक की राशि	प्रयुक्त समंजन राशि
निधि —आधारित	113049.81	5922.83
गैर-निधि आधारित	28596.13	2466.41
कुल	141645.94	8389.24

produce volatility-adjusted amounts for collateral, and are reduced from the exposure to compute the capital charge based on the applicable risk weights.

For retail products, the security to be taken is defined in the product policy for the respective products. Housing loans and other retail loans are secured by the security of the property/ asset being financed. The valuation of the properties is carried out by an approved valuation agency. The Bank also offers products, which are primarily based on collateral such as shares, specified securities, warehouse commodities and gold jewellery. These products are offered in line with the approved schemes, which also deal with types of collateral, valuation and margin.

The Bank extends unsecured facilities to high rated clients and for certain products such as derivatives, personal loans etc. The limit structure with respect to unsecured facilities has been approved by the Board of Directors.

The decision on the type and quantum of collateral for each transaction is taken by the credit approving authority as per the credit approval authorisation approved by the Board of Directors. For facilities provided as per approved product policies (retail products, loan against shares etc.), collateral is taken in line with the policy.

#### Types of eligible financial collateral

The Bank recognizes only specified types of financial collateral to be eligible for providing capital relief in line with Basel II guidelines towards credit risk mitigation. This includes cash (deposited with the Bank), gold (including bullion and jewellery, subject to collateralized jewellery being benchmarked to 99.99% purity), securities issued by Central and State Governments, Indira Vikas Patra, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificates, life insurance policies with a declared surrender value issued by an insurance company which is regulated by the insurance sector regulator, certain debt securities rated by a recognized credit rating agency, mutual fund units where daily Net Asset Value (NAV) is available in public domain and the mutual fund is limited to investing in the instruments listed above and guarantees from certain specified entities. In addition to the financial collateral bank also accepts guarantee from different counterparties to mitigate the risk like guarantee from Government, Corporates and Individuals.

Bank also accepts non-financial collateral i.e. Stock, book debts, mortgage of residential property & commercial property and plant and machinery.

#### Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

(₹ in Cr)

Total exposure covered by Eligible Financial Collateral & Set Off Amount	Amount of used Eligible financial Collateral	Amount of used set off
Fund Based	113049.81	5922.83
Non-Fund Based	28596.13	2466.41
Total	141645.94	8389.24

### ऋण संकेन्द्रण जोखिम

ऋण संकेन्द्रण जोखिम विभिन्न श्रेणियों अर्थात् उद्योग, उत्पादों, भौगोलिक, अंतर्निहित संपार्श्विक प्रकृति, एकल/समूह उधारकर्ता को एक्सपोजर आदि के अंतर्गत ऋणों के संकेन्द्रीकरण के कारण होता है। कारपोरेट पोर्टफोलियो के अंतर्गत विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, जिसका उद्देश्य बेहतर जोखिम प्रबंधन और जोखिमों के संकेन्द्रीकरण से बचना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एकल उधारकर्ताओं तथा समूह उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले बैंक के अधिकतम एक्सपोजर पर नियामक सीमाएं निर्धारित की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत, दीर्घावधि के एक्सपोजर से होने वाले संकेन्द्रण जोखिम को सीमित करने के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा उधारकर्ता ग्रुप को दिए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर के लिए निर्धारित उपसीमाएं अनुमोदित की हैं। संकेन्द्रण जोखिम से निपटने के लिए ऋण नीति में विभिन्न सीमाएं निर्धारित की गई हैं। एकल उधारकर्ता, ग्रुप, उद्योग, ग्रुप को दीर्घावधि के एक्सपोजर के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

### सामान्य

1. बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं, उद्योग ऋण सीमाएं, ऋण जोखिम रेटिंग पद्धति, जोखिम आधारित मूल्यांकन तथा ऋण पुनरीक्षा तंत्र साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऋण जोखिम का मापन विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों को दी गई खंडवार एक्सपोजर सीमाओं, विवेकपूर्ण एक्सपोजर तथा सार्थक एक्सपोजर की उच्चतम सीमाओं द्वारा किया जाता है और संपार्श्विक तथा गारंटियों की प्राप्ति द्वारा जोखिम को कम किया जाता है।
2. 100% सीबीएस कवरेज से ऋण जोखिम की केन्द्रीय निगरानी में सहायता मिलती है।  
9% की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता 9262.69 करोड़ रु है।

### 7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

### 8. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

#### 8.1. बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

#### जोखिम प्रबंधन नीतियां

ट्रेडिंग बही में बैंक के पास निवेश का एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो है। शेष आस्तियां अर्थात् एचटीएम के अंतर्गत निवेश और अग्रिमों को बैंकिंग बुक के रूप में माना जाता है।

#### नीतियां एवं प्रक्रियाएं

बाजार जोखिम प्रबंधन तरलता जोखिम के अंतर्गत ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी जोखिम मानिटर किए जाते हैं। बैंक इस समय जिसमें ट्रेडिंग नहीं कर रहा है।

#### तरलता जोखिम

तरलता जोखिम को मानिटर करने के लिए पाक्षिक आधार पर अंतर विश्लेषण किया जाता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित विवेकपूर्ण सीमाएं मॉनिटर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त बाजार उधार दैनिक और औसत मांग ऋण, अंतर बैंक देयताएं, खरीदी गई निधियों आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं हैं। निवेश समिति द्वारा दैनिक आधार पर उच्च मूल्य की बल्क जमाराशियां मॉनिटर की जाती हैं। तरलता स्थिति का जायजा लेने के लिए अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें कारोबार वृद्धि पर भी विचार किया जाता है। आकस्मिकताओं से निपटने के लिए आकस्मिक निधीयन योजना बनी

### Credit concentration risk

Credit concentration risk arises mainly on account of concentration of exposures under various categories viz. industry, products, geography, underlying collateral nature, single/group borrower exposures etc. Within corporate portfolio, as a prudential measure aimed at better risk management and avoidance of concentration of risks, the RBI has prescribed regulatory limits on banks' maximum exposure to single borrowers and group borrowers. In order to restrict the concentration risk arising out of longer tenure exposure within the prudential limits set by RBI, the Board of Directors of the Bank has approved prescribed sub limits for the maximum exposure the Bank can have to a borrower group. Within the various limits are stipulated in the credit policy to address concentration risk. Limits have been stipulated on single borrower, group, industry, longer tenure exposure to a group.

### General

1. Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing and loan review mechanisms are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit Risk is measured through dispersion of risk through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.
2. The CBS coverage of 100% provides comfort in central monitoring of credit risk.

The capital requirements for credit risk under standardised approach @ 9% is ₹ 9262.69 crore.

### 7 Securitisation: Disclosure for standardized Approach

Bank does not have any Securitisation Exposure.

### 8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

#### 8.1 Market risk management policy

#### Risk management policies

In trading book Bank holds HFT and AFS portfolio of Investment. The rest of Assets i.e. Investment under HTM and Advances are treated as banking book.

#### Strategies and processes

Under Market Risk Management Liquidity risk, Interest rate risk, Foreign exchange risk and equity risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

#### Liquidity Risk

Gap analysis is undertaken for monitoring liquidity risk on daily basis. Prudential limit based on RBI guidelines for the short-term buckets are monitored. Besides prudential limits are in place for market borrowing – Daily and average call borrowing – Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc. High value bulk deposits are monitored on daily basis by the Investment Committee. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes into account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is reviewed on quarterly basis. Stress





हुई है। योजना की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। तरलता संकट होने और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से निधियां लेने की स्थिति में बैंक को होने वाली संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिंग) भी किया जाता है।

#### ब्याज दर जोखिम

अगले 12 माह के लिए तथा अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। बैंक अवधि अंतराल विश्लेषण का भी प्रयोग करता है।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो अवधि विश्लेषण के आधार पर मॉनिटर किए जाते हैं।

मार्केट दर में 200 आधार बिंदु तक परिवर्तन के आघात का समावेश करते हुए इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने लिए दबाव जांच की गई।

#### विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम

बैंक ने विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम दिन व रात के (डेलाइट और ओवरनाइट) एक्सपोजर निर्धारित किए हैं। इसके साथ, डीलरों के फोरेक्स परिचालनों की मॉनिटरिंग के लिए हानि रोध सीमा और एकल सौदा सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

#### इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश योजना ने इक्विटी डीलरों के लिए हानि रोध सीमाएं निश्चित की हैं। लेन-देनों तथा लाभ के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग की जाती है।

#### बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढांचा एवं संगठन :

जोखिम प्रबंधन का कार्य मंडल द्वारा किया है जो तीन स्तरों द्वारा समर्थित है।

- निदेशकों की जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति जो पर्यवेक्षण करती है और जहां आवश्यक हो, निर्देश जारी करती है / जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि का अनुमोदन करती है।
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जो नीतिगत मुद्दों पर विचार करती है और तरलता, लाभप्रदता तथा बाजार जोखिम पर विचार विमर्श करती है।
- जोखिम प्रबंधन कक्ष जो आधारभूत स्तर पर सहायता प्रदान करता है।

#### जोखिम रिपोर्टिंग और / अथवा मापन पद्धति का क्षेत्र तथा स्वरूप

घरेलू कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जैसे—पाक्षिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करना—ट्रेडिंग बुक निवेशों का दैनिक आधार पर अवधि विश्लेषण, तरलता जोखिम / बाजार जोखिम का तिमाही आधार पर तनाव परीक्षण, घरेलू तुलनपत्र तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का तिमाही आधार पर अवधि विश्लेषण किया जाता है। ब्याज दर संवेदनशीलता की कारपोरेट स्तर पर आल्को द्वारा नियमित अंतरालों पर पुनरीक्षा की जाती है। तरलता जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार उधार व ऋण के संबंध में विभिन्न विवेकपूर्ण प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं। संरचनात्मक तरलता विवरणी दैनिक आधार पर तैयार की जाती है और अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरणी पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है और आल्को को रिपोर्ट की जाती है। स्ट्रेस टेस्टिंग तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य के प्रभाव पर किए गए तिमाही अध्ययन के परिणाम आल्को को रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रेडिंग बुक स्थिति के बारे में सर्वोच्च प्रबंधन को प्रतिदिन सूचित किया जाता है।

Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

#### Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis.

Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate upto 200 basis points.

#### Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed maximum daylight and overnight exposure for foreign exchange exposure in various currencies. Also, stop loss limits and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

#### Equity Price Risk.

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily reporting to Top Management on the transactions and profit is done.

#### Structure and Organisation of Market Risk Management function:

Risk Management function in the Bank is supported at three levels-

- Supervisory Committee of Directors on Risk Management for overseeing and issuing directions, wherever necessary / approving Risk Management Policies
- Asset Liability Committee (ALCO) for considering who consider policy issues and deliberating on Liquidity, Profitability and Market Risk and
- Risk Management Cell providing support at the ground level.

#### Scope and nature of risk reporting and / or measurement systems:

In respect of domestic business the guidelines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as, Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a fortnightly basis, Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis, conducting stress test for liquidity risk / market risk on a quarterly basis. Duration analysis of domestic balance sheet and impact on the Economic Value of Equity is done on a quarterly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed at regular intervals by ALCO at the corporate level. Various prudential measures have been put in respect of market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to ALCO. The results of the Quarterly study on Stress Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position is reported daily to Top Management.

**बचाव व्यवस्था और / अथवा जोखिम कम करने की नीतियां**

निवेश प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन तथा बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत नीतियां लागू हैं, जिनमें बाजार जोखिम की मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न नीतियां और प्रक्रियाएं विस्तार से दी गई हैं।

**8.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण**

निम्न के लिए पूंजी अपेक्षाएं	राशि (करोड़ ₹ में)
• ब्याज दर जोखिम	430.98
• ईक्विटी स्थिति जोखिम और	160.36
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	4.50
बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी	595.84

**9.1 परिचालन जोखिम**

- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है और बासेल-II के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी प्रावधान कर रहा है
- परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं जिसमें बैंक को परिचालन जोखिम में डालने वाली घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।
- बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जोखिम प्रोफाइल टेम्पलेट पर भी विचार करता है।
- बैंक ने मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ पिछले चार वर्षों की हानि घटनाओं का डाटा भी एकत्रित किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार डाटा आठ व्यापारिक क्रियाकलापों में जुटाया जा रहा है। इसके अलावा, मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) के अंतर्गत अपेक्षित पूंजी की संगणना के लिए विभिन्न कारोबारी क्रियाकलापों के अंतर्गत आय रिकार्ड करने के संबंध में सीबीएस पद्धति के जरिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। बैंक ने परिचालन जोखिम पूंजी गणना के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन कर दिया है।
- बैंक, भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर, हानि डाटा एकत्रित करने तथा परिचालन जोखिम का जायजा लेने और पूंजी प्रभार की संगणना के लिए मॉडल तैयार करने हेतु "ऋण एवं परिचालन जोखिम हानि डाटा विनिमय (CORDEX)" उद्यम में पहले से ही एक प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रहा है।

**9.2 गुणात्मक प्रकटीकरण**

बैंक विभिन्न कारोबारी गतिविधियों के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में अंतर्निहित परिचालन जोखिमों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करता है और उनकी पहचान करता है। सभी नए उत्पाद, क्रियाकलाप तथा पद्धतियां ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / आस्ति देयता समिति (आल्को) के माध्यम से दिए जाते हैं।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति को धोखाधड़ी तथा उससे संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग की जाती है। मूल संकेतक दृष्टिकोण के माध्यम से परिचालन जोखिम का परिमाण लगाया जाता है। बैंक परिचालन जोखिम प्रबंधन में ड्यूटियों को पृथक करने, प्रशिक्षण, स्पष्ट निर्धारित प्रक्रियाओं आदि की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाता है।

**Policies for hedging and / or mitigating risk.**

Detailed policies are operational for Investment management, Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

**8.2 Quantitative disclosures**

The capital requirements for :	Amount in ₹ cr.
• interest rate risk:	430.98
• equity position risk: and	160.36
• foreign exchange risk:	4.50
Total Capital for market risk	595.84

**9.1 Operational risk**

- The Bank is following Basic Indicator Approach and providing for requisite capital under Basel II as per RBI guidelines.
- The Operational Risk Management Committee meets at regular intervals wherein the incidents exposing the Bank to Operational risk are deliberated at length and suitable steps are initiated to check recurrence of such events.
- The Bank is also deliberating on Risk Profiling Templates required in terms of RBI guidelines in the Operational Risk Management Committee.
- Besides adopting Basic Indicator Approach, Bank has collected data pertaining to loss events for past four years and data is being mapped into eight business lines as per RBI guidelines. Further, the exercise with regard to recording income under various business lines for calculation of capital required under The Standardised Approach (TSA) has been completed through CBS system. The Bank has already applied to RBI for migration to TSA of Operational Risk Capital calculation.
- The Bank is already collaborating with IBA in a venture "Credit and Operational Risk Loss Data Exchange (CORDEX)" as one of the promoters for collecting loss data and framing models for measuring operational risk and formulating models for computing capital charge.

**9.2 Qualitative disclosures**

The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Lines of Business on ongoing basis. All new products, activities and systems are being routed through Credit Risk Management Committee (CRMC) / Asset Liability Committee (ALCO).

Fraud and related reporting is done to Audit Committee of Board. Operational Risk is quantified through Basic Indicator Approach. Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.



## 10. बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

### 10.1. गुणात्मक प्रकटीकरण

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा, जिसमें आईआरआरबीबी की प्रकृति और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, में ऋणों की पूर्व-अदायगी से संबंधित अवधारणाएं और गैर-परिपक्व जमाराशियों की प्रवृत्ति तथा आईआरआरबीबी उपायों की बारम्बारता निहित है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की संगणना तिमाही आधार पर की जाती है। बैंकिंग बही में सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) पोर्टफोलियो में रखे गए निवेश शामिल हैं। रणनीतियां तथा प्रक्रियाएं / संरचना तथा संगठन / जोखिम रिपोर्टिंग का क्षेत्र तथा प्रकृति / नीतियां आदि वहीं हैं जो मद संख्या 8.1 में दर्शाई गई हैं।

आईआरआरबीबी मापन में कार्यविधि तथा प्रमुख अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई विधि पर आधारित
- अग्रिमों एवं जमाराशियों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में बैंक का 100% कारोबार कर रही नेटवर्क से जुड़ी हुई शाखाओं से प्राप्त साप्ताहिक सूचना के आधार पर विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की दर संवेदनशीलता तथा अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के संबंध में विभिन्न समय-श्रेणियों में ब्याज दर संवेदनशील विवरणी तैयार की जाती है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक समयावधि के मध्य बिन्दु को परिपक्वता तारीख के रूप में लेकर और औसत आय को कूपन के रूप में तथा भुनाई के उद्देश्य से मार्किट दर लेकर निकाली जाती है। निवेशों के लिए वास्तविक समयावधि ली जाती है क्योंकि डाटा पूरे विवरण के साथ उपलब्ध रहता है।
- उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक समयावधि के लिए देयताओं एवं आस्तियों की संशोधित अवधि निकाली जाती है और ब्याज दर में 1% के परिवर्तन से मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को जोड़कर निकाला जाता है जिससे निवल स्थिति निकाली जाती है जिससे पता चलता है कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि होगी अथवा अन्यथा होगी।

### 10.2. परिणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंध वर्ग के तरीके के अनुसार ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के आघातों के लिए आय तथा आर्थिक मूल्य (या प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त सापेक्ष उपाय) में वृद्धि (कमी)।

#### बैंकिंग बही में ब्याज दर

		कुल (करोड़ ₹ में)
1. अर्जन पर प्रभाव (एनएनआई)	1 वर्ष के लिए 0.50% पर	93.48
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बेसिस प्वाइंट शॉक	(2265.32)
ईक्विटी मूल्य में प्रतिशत कमी		21.49%

## 10 Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

### 10.1 Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement:

Interest Rate Risk in banking book is calculated on quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies & processes/ structure & organization/ scope and nature of risk reporting/ policies etc are the same as reported under point – 8.1

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows

- Based on method suggested by RBI
- Based on Weekly information from networked branches on the residual maturity of the advances and the deposits covering 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned by adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

### 10.2 Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, as per RBI guidelines.

#### INTEREST RATE IN BANKING BOOK

		Total (₹ in Cr)
1. Impact on Earnings (NII)	At 0.50% for 1 year	93.48
2. Economic Value of Equity at Risk	200 basis point shock	(2265.32)
Drop in equity value in percentage terms		21.49%

## कम्पनी अभिशासन

### 1. कम्पनी अभिशासन संहिता पर बैंक की अवधारणा

हमारी कंपनी अभिशासन नीतियाँ, हमारे सभी ग्राहकों जिसमें जमाकर्ता, ऋणदाता, ग्राहक, कर्मचारी शामिल हैं और विनियामक प्राधिकारियों के प्रति मंडल के उत्तरदायित्व और इसके निर्णयों के महत्व को मानती हैं और यह दर्शाती हैं कि शेयरधारक ही हमारी आर्थिक गतिविधियों के अंतिम लाभग्राही हैं। मंडल तथा कार्यपालक प्रबंधन के कार्य सुपरिभाषित हैं और एक दूसरे से भिन्न हैं। ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सदैव सुदृढ़ अभिशासन पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए स्वेच्छा से प्रयास किए हैं।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनकी बैठकें नियमित अंतरालों पर होती हैं व बैंक के कार्यपालकों द्वारा दैनिक आधार पर किए जाने वाले कार्यों को मानीटर करती है और सुनिश्चित करती हैं कि मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं।

### 2 निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन, बैंकारी विनियम अधिनियम 1949, बैंकारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजनाएं 1970/1980/2007 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान में मंडल में अन्य निदेशकों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं दो कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

मंडल के अन्य सदस्यों में भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि और कर्मकार व गैर-कर्मकार के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक एक सनदी लेखाकार निदेशक तथा सरकार द्वारा नियुक्त एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने गए तीन निदेशक शामिल हैं।

बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) (एच) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद 12.11.2010 तथा 19.02.2012 से खाली हैं।

## CORPORATE GOVERNANCE

### 1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

Our Corporate Governance policies recognize the accountability of the Board and the importance of its decisions to all our constituents including depositors, lenders, customers, employees and the regulatory authorities, and to demonstrate that the shareholders are the cause of ultimate beneficiaries of our economic activities. The functions of the Board and the executive management are well defined and are distinct from one another. OBC has always voluntarily made efforts to implement sound governance practices.

OBC has set up various Committees of the Board which meet at regular intervals and monitor the activities of the Bank, which are being carried out on a daily basis by the executives of the Bank and ensure that the Bank implements the decisions taken at the Board Meeting.

### 2. BOARD OF DIRECTORS

Composition of Board of Directors is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 & Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980/2007.

Presently, the Board comprises Chairman & Managing Director and two Executive Directors as whole time directors appointed by the Government of India besides other Directors.

The other members of the Board included Representative of Government of India, Representative of Reserve Bank of India, Directors nominated by the Government of India to represent the interests of workmen and non-workmen, one Chartered Accountant Director, one Part-time Non-official Director appointed by the Govt. and three Directors elected by the shareholders – other than the Central Government.

The position of two Part-time Non-Official Directors to be appointed under Sec 9 (3) (h) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980 are lying vacant since 12.11.2010 & 19.02.2012.





क्र. स.	निदेशक का नाम	कार्य-अवधि	आयु (वर्ष)	योग्यता	ओबीसी में श्रेय	अन्य कंपनियों में निदेशक का पद	समितियों की सदस्यता	समिति के अध्यक्ष	वर्ष में प्रदत्त सिटिंग शुल्क (दिनांक 01.04.11 से 17.10.2011 तक 5000/- रु. प्रति मंडल बैठक और 2500/-रु. प्रति समिति बैठक की दर से और दिनांक 18.2011 से भारत सरकार के परिपत्र सं० 15/1/2011-बीओ.आई दिनांक 18.10.2011 के अनुसार 10000/- रु. प्रति मंडल बैठक और 5000/-रु. प्रति समिति बैठक की दर से)
1.	श्री नागेश पैड़ा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.01.11 – 29.02.12	60	बी कॉम, सीएआईआईबी, न्यूयार्क यूनिवर्सिटी से मनी मार्केट एवं फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिप्लोमा,	शून्य	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी प्रा.लि.	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 4. श्रेयधारक/निवेशक शिकायत समिति 5. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 6. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 7. डीपीसी समिति	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 5. डीपीसी समिति	लागू नहीं
2.	श्री एस.एल. बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.03.12 – आज तक	57	एम. कॉम सीएआईआईबी	शून्य	—	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 4. श्रेयधारक/निवेशक शिकायत समिति 5. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 6. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 7. डीपीसी समिति 8. ऋण अनुमोदन समिति 9. मानव संसाधन समिति	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 4. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 5. डीपीसी समिति 6. ऋण अनुमोदन समिति 7. मानव संसाधन समिति	लागू नहीं



Sl.	Name of the Director	Tenure	Age (Yrs)	Qualification	Shares in OBC	Directorship in other Companies	Membership of the Committees	Chairman of the Committee	Sitting Fees paid during the year. [ @ Rs.5000/- per Board Meeting and Rs.2500/- per Committee Meeting from 01.04.11 to 17.10.2011 ] and [ @ Rs.10000/- per Board Meeting and Rs.5000/- per Committee Meeting since 18.10.2011 in terms of Govt. of India Circular No.15/1/2011-BO.I dated 18.10.2011 ]
1.	Sh.Nagesh Pydah Chairman & Managing Director	01.01.11-29.02.12	60	B.Com, CAIIB, Diploma in Money Market & Forex Trading from New York University	NIL	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3. IT Strategy Committee of Board 4. Shareholders / Investors Grievance Committee 5. Special Committee of Board on Large Value Frauds 6. Committee of Board on Customer Service 7. Committee on DPC	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3. Special Committee of Board on Large Value Frauds 4. Committee of Board on Customer Service 5. Committee on DPC	N.A
2.	Sh.S L Bansal Chairman & Managing Director	01.03.12-till date	57	M.Com, CAIIB,	NIL	-	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3. IT Strategy Committee of Board 4. Shareholders / Investors Grievance Committee 5. Special Committee of Board on Large Value Frauds 6. Committee of Board on Customer Service 7. Committee on DPC 8. Credit Approval Committee 9. HR Committee	1. Management Committee of Board 2. Supervisory Committee of Board on Risk Management 3. Special Committee of Board on Large Value Frauds 4. Committee of Board on Customer Service 5. Committee on DPC 6. Credit Approval Committee 7. HR Committee	N.A



3.	श्री एस.सी. सिन्हा कार्यकारी निदेशक	01.04.11 - आज तक	59	बी.कॉम (ऑनर्स) सीएआईआ ईबी	शून्य	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी प्रा.लि.	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. शेरधारक/निवेशक शिकायत समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. डी.पी.सी. समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति	शून्य	लागू नहीं
4.	श्री वी. कण्णन कार्यकारी निदेशक	01.04.11 - आज तक	58	बी.एससी (ऑनर्स) पीजीडीबी, सीएआईआ ईबी	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 5. शेरधारक/निवेशक शिकायत समिति 6. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 7. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 8. डीपीसी समिति 9. ऋण अनुमोदन समिति 10. मानव संसाधन समिति	शून्य	लागू नहीं
5.	सुश्री सुमिता डावरा भारत सरकार की नामिती निदेशक	01.04.11 - 21.07.11	47	एम.ए व एम. फिल (अर्थ- शास्त्र), एमबीए (मार्किटिंग एंड फाइनेंस), एमबीए (पब्लिक पोलिसी)	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3. डीपीसी समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. नामांकन समिति	शून्य	लागू नहीं
6.	सुश्री श्रेया गुहा भारत सरकार के नामिती निदेशक	22.07.11 - आज तक	44	एम.ए (प्राचीन इतिहास) एम. फिल (प्राचीन इतिहास), भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय से मानवाधिकार श्रम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ब्रैण्डफोर्ड की फॉरन एण्ड कॉमनवेल्थ ऑफिस यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट प्रोग्राम	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3. डीपीसी समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. मानव संसाधन समिति	शून्य	लागू नहीं



3.	Sh. S.C. Sinha Executive Director	01.04.11- till date	59	B. Com (Hons), CAIIB	NIL	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Pvt. Ltd	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Shareholders / Investors Grievance Committee 6. Special Committee of Board on Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Committee on DPC 9. Credit Approval Committee 10. HR Committee	NIL	N.A
4.	Sh V Kannan Executive Director	01.04.11- till date	58	B Sc (Hons), PGDBA, CAIIB	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. IT Strategy Committee of Board 5. Shareholders / Investors Grievance Committee 6. Special Committee of Board on Large Value Frauds 7. Committee of Board on Customer Service 8. Committee on DPC 9. Credit Approval Committee 10. HR Committee	NIL	N.A
5.	Ms. Sumita Dawra Government of India Nominee Director	01.04.11- 21-07-11	47	M.A. and M Phil (Econo mics),MBA (Marketing and Finance), MBA (Public Policy)	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Committee on DPC 4. Remuneration Committee 5. Nomination Committee	NIL	N.A
6.	Ms. Sreya Guha Government of India Nominee Director	22.07.11- till date	44	M.A. (Ancient History), M. Phil (Ancient History), Post Graduate Diploma from National Law School of India University, Bangalore in Human Rights Labour. Managem- ent Programme from Foreign and Common- wealth Office University from Brandford	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Committee on DPC 4. Remuneration Committee 5. HR Committee	NIL	N.A





7.	श्री बी. श्रीनिवास भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक	01.04.11 – आज तक	59	एम.एससी (सांख्यिकी) सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. मंडल की प्रबंध समिति 3. डीपीसी समिति 4. पारिश्रमिक समिति 5. नामांकन समिति	शून्य	लागू नहीं
8.	श्री के. एच. पाण्डेय कर्मकार निदेशक	01.04.11 – आज तक	53	एम.कॉम, सीएआईआईबी	शून्य	शून्य	1. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 2. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 3. मानव संसाधन समिति	शून्य	1,70,000 / –
9.	श्री एस.एस. शिशौदिया अधिकारी कर्मचारी निदेशक	01.04.11 – आज तक	58	बी.कॉम	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 4. मानव संसाधन समिति	शून्य	1,25,000 / –
10.	श्री के.एस. श्रीनिवासन	23.09.11 – आज तक	56	सीए, पीजी डीसीए एण्ड कंप्यूटरीकृत सिस्टम ऑडिट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डीआईएसए –आईसीए), इंटरनेशनल क्रैस्टम, डेनवर कोलार्डो, यूएसए से एग्जिक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4. नामांकन समिति	मंडल की लेखापरीक्षा समिति	1,50,000 / –
11.	श्री के.बी.आर. नायडू	01.04.11 – 19.02.12	51	बी.एससी, एम.एससी (वनस्पति विज्ञान), एम.फिल (वनस्पति विज्ञान)	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 4. नामांकन समिति	1. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 2. नामांकन समिति	1,25,000 / –
12.	श्री सी.पी. सिंह	22.09.11 – आज तक	59	बी.एससी, ऑफसेट प्रिंटिंग में टीए एवं इजराइल से मैनेजमेंट में डिप्लोमा एवं पीएमसीडी हेतु डब्ल्यूआईआई	शून्य	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 3. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति	शेयर धारक / निवेशक शिकायत समिति	1,17,500 / –
13.	श्री टी. वल्लियप्पन	01.04.11 – 15.9.11	64	बी.एससी, एम.एससी (गणित), शार्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर एपलायंसेस	100	आईएसएआरसी (एसआईडीबीआई)	1. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 2. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 3. मंडल की प्रबंध समिति 4. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति	शून्य	1,42,500 / –



7	Sh.B Srinivas RBI Nominee Director	01.04.11-till date	59	M.Sc(Stat), CAIIB	NIL	NIL	1. Audit Committee of Board 2. Management Committee of Board 3. Committee on DPC 4. Remuneration Committee 5. Nomination Committee	NIL	N.A
8	Sh.K H Pandey Workmen Employee Director	01.04.11-till date	53	M.Com, CAIIB	NIL	NIL	1. Supervisory Committee of Director of Board on Risk Management 2. IT Strategy Committee 3. HR Committee	NIL	1,70,000/-
9	Sh. S S Shishodia Officer Employee Director	01.04.11-till date	58	B.Com	NIL	NIL	1. Management Committee 2. Shareholder/Investor Grievance Committee 3. Customer Service Committee 4. HR Committee	NIL	1,25,000/-
10	Sh. K S Sreenivasan	23.09.11-till date	56	CA, PGDCA & Post Graduate Diploma Holder in Compute- rised System Audit (DISA-ICA) Executive Managem- ent Programme of Crestom Internatio- nal Denver Colorado, USA	NIL	NIL	1. Management Committee 2. Audit Committee 3. Supervisory Committee of Directors on Risk Management 4. Nomination Committee	Audit Committee of Board	1,50,000/-
11	Sh. K. B. R. Naidu	01.04.11- 19-02-12	51	B. Sc., M.Sc. (Botany), M. Phil. (Botany)	NIL	NIL	1. Management Committee of Board 2. Shareholder/Investors Grievance Committee 3. Committee of Board on Customer Service 4. Nomination Committee	1. Shareholder/Investors Grievance Committee 2. Nomination Committee	1,25,000/-
12	Sh. C.P. Singh	22.09.11- till date	59	B. Sc., T.A. in Offset Printing & Diploma in Manage- ment and PMCD for WEI from Israel	NIL	NIL	1. Management Committee 2. Supervisory Committee of Director on Risk Management 3. Shareholder/Investors Grievance Committee	Shareholder/Investors Grievance Committee	1,17,500/-
13	Sh. T Valliappan	01.04.11- 15-09-11	64	B. Sc., M.Sc (Math), Short Term course on Computer Applicat- ions	100	ISARC (SIDB)	1. Audit Committee of Board 2. IT Committee of Board 3. Management Committee of Board 4. Special Committee of Board on Large Value Frauds	NIL	1,42,500/-



14.	श्री यू.के. खेतान	01.04.11 – 15.09.11	64	बी.ए.(ऑनर्स), एलएलबी	36248	सुतलेज टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लि0, इंडो कॉन्टिनेंटल होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लि0, कम्बाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, नेहरू प्लेस होटल्स लि., अय्यर मेनिस रबर स्टेट लि0, ओरियन्ट अग्रेसिक्स लि0, जीपी एग्री प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, फैरो एलॉयस कारपोरेशन लि., कम्बाइन एक्यूरेट फाइनेंशियल सर्विसिज इंडिया लि., नयुमेरो यूनो क्लोदिग लि., के. के. फीस्ट मेकर्स प्रा0 लि0, कम्बाइन ओवरसीज लि.	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3. जोखिम प्रबंधन पर मंडल की पर्यवेक्षी समिति 4. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 5. पारिश्रमिक समिति	शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति	65,000 / –
15.	श्री सी.के. सभरवाल	01.04.11 – 15.09.11	63	बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र, विधि व प्रबंधन	100	क्रॉप हेल्थ प्रोडक्ट्स लि., क्रॉप हेल्थ केमिकल्स (प्रा.) लि0, ऑप्टिमा फार्म सॉल्यूशन लि.	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 4. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति 5. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 6. पारिश्रमिक समिति	मंडल की लेखापरीक्षा समिति (15.09.2011 स)	77,500 / –
16.	श्री टी. वल्लियप्पन	30.09.11 – आज तक	64	बी.एससी, एम.एससी (गणित), शार्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस	100	शून्य	1. मंडल की प्रबंध समिति 2. मंडल की लेखापरीक्षा समिति 3. शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति 4. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 5. पारिश्रमिक समिति	शून्य	1,42,500 / –
17.	डा. आभा चतुर्वेदी	30.09.11 – आज तक	62	बी.ए. (दर्शनशास्त्र), एम.ए. (दर्शनशास्त्र) एवं पीएचडी (दर्शनशास्त्र)	100	बालमेर एण्ड लॉरी एण्ड कंपनी लि0	1. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 2. मंडल की ग्राहक सेवा समिति 3. पारिश्रमिक समिति 4. मानव संसाधन समिति	शून्य	75,500 / –
18.	श्री पी. बी. संथानाकृष्णन	30.09.11 – आज तक	59	सी.ए.	300	आईक्यू इन्फोटेक लि0, बैंगलोर कैनाफिन होम्स लि0,	1. मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति 2. बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मंडल की विशेष समिति 3. मंडल की ग्राहक सेवा समिति	मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति	1,22,500 / –



14.	Sh. U.K. Khaitan	01.04.11-15.09.11	64	B.A. (Hons.), L.L.B.	36248	Sutlej Textiles & Industries Ltd., Hindustan Everest Tools Ltd., Indo Continental Hotels & Resorts Ltd., Combine Fin. Products Pvt. Ltd., Nehru Place Hotels Ltd., Aiyer Manis Rubber Estate Ltd., Orient Abrasives Ltd., GeePee Agri Products Pvt. Ltd. Ferro Alloys Corporation Ltd., Combine Accurate Financial Services India Ltd., Numero Uno Clothing Ltd., K&K Feast Makers Pvt. Ltd., Combine Overseas Ltd.	1. Management Committee of Board 2. Special Committee of Board on Large Value Frauds 3. Supervisory Committee of Board on Risk Management 4. Shareholders /Investors Grievance Committee 5. Remuneration Committee	Shareholders/Investors Grievance Committee	65,000/-
15.	Sh. C. K. Sabharwal	01.04.11-15.09.11	63	B.A. (Hons.), Economics Law and Management	100	Crop Health Products Ltd., Crop Health Chemical (P) Ltd., Optima Farm Solutions Ltd.	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee of Board 3. Shareholders/ Investors Grievance Committee 4. IT Committee of Board 5. Committee of Board on Customer Service 6. Remuneration Committee	Audit Committee of Board (till 15.09.2011)	77,500/-
16.	Sh. T. Valliappan	30.09.11-Till date	64	B.Sc., M. Sc. (Math) Short term course on Computer Applications	100	NIL	1. Management Committee of Board 2. Audit Committee 3. Shareholders/ Investors Grievance Committee 4. Special Committee of Board on Large Value Frauds 5. Remuneration Committee	NIL	1,42,500/-
17.	Dr. Abha Chaturvedi	30.09.11-Till date	62	B.A. (Philosophy) M.A. (Philosophy) and PhD. (Philosophy)	100	Balmer & Lawrie & Co. Ltd.	1. IT Strategy Committee 2. Customer Service Committee 3. Remuneration Committee 4. HR Committee	NIL	75,000/-
18.	Sh. P. B. Santhana-krishnan	30.09.11-Till date	59	C.A.	300	IQ Infotech Ltd., Bangalore CanFin Homes Ltd.	1. IT Strategy Committee 2. Special Committee of Board for Large Value Frauds 3. Customer Service Committee	IT Strategy Committee	1,22,500/-





### 3. वर्ष के दौरान नियुक्तियां

वर्ष के दौरान नियुक्त निदेशकों की सूची :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री एस.एल. बंसल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.03.2012	धारा 9(3) (क) के अंतर्गत
02.	श्रीमती श्रेया गुहा	भारत सरकार की नामिती निदेशक	22.07.2011	धारा 9(3) (ख) के अंतर्गत
03.	श्री सी.पी. सिंह	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	22.09.2011	धारा 9(3) (एच) के अंतर्गत
04.	श्री के.एस. श्रीनिवासन	सनदी लेखाकार निदेशक	23.09.2011	धारा 9(3) (जी) के अंतर्गत
वर्ष के दौरान चुने गए निदेशकों की सूची				
01.	श्री टी. वलियप्पन	शेयरधारक निदेशक	30.09.2011	धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत
02.	डा० आभा. चतुर्वेदी	शेयरधारक निदेशक	30.09.2011	धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत
03.	श्री पी.बी. संधानाकृष्णन	शेयरधारक निदेशक	30.09.2011	धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत

### 4. वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशक

वर्ष के दौरान बैंक से जाने वाले निदेशकों की सूची :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अधिसूचना की तिथि/पूरे किए गए कार्यकाल	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980
01.	श्री नागेश पैडा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.02.2012	धारा 9(3) (क) के अंतर्गत
02.	श्रीमती सुमिता डावरा	भारत सरकार की नामिती निदेशक	22.07.2011	धारा 9(3) (ख) के अंतर्गत
03.	श्री के.बी. आर नायडू	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	19.02.2012	धारा 9(3) (छ) के अंतर्गत
04.	श्री यू.के. खेतान	शेयरधारक निदेशक	15.09.2011	धारा 9(3) (ज) के अंतर्गत
05.	श्री सी.के. सभरवाल	शेयरधारक निदेशक	15.09.2011	धारा 9(3) (ज) के अंतर्गत
06.	श्री टी. वलियप्पन	शेयरधारक निदेशक	15.09.2011	धारा 9(3) (ज) के अंतर्गत

### 5. निदेशकों का परिचय

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त तथा कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का परिचय निम्नानुसार है :

1. **श्री एस.एल. बंसल**, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 1 मार्च, 2012 को कार्यग्रहण किया। ये कॉमर्स में स्नातकोत्तर हैं तथा भारतीय बैंकर्स

### 3. APPOINTMENTS/ELECTIONS DURING THE YEAR

List of Directors appointed during the year: -

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Appointment	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980
01.	Sh. S L Bansal	Chairman & Managing Director	01.03.2012	U/s Sec 9 (3) (a)
02.	Smt. Sreya Guha	Govt. of India Nominee Director	22.07.2011	U/s Sec 9 (3) (b)
03.	Sh. C P Singh	Part-time Non Official Director	22.09.2011	U/s Sec 9 (3) (h)
04.	Sh. K S Srinivasan	Chartered Accountant Director	23.09.2011	U/s Sec 9 (3) (g)
List of Directors elected during the year: -				
01.	Sh. T Valliappan	Shareholder Director	30.09.2011	U/s Sec 9 (3) (i)
02.	Dr. Abha Chaturvedi	Shareholder Director	30.09.2011	U/s Sec 9 (3) (i)
03.	Sh. P. B. Santhana-krishnan	Shareholder Director	30.09.2011	U/s Sec 9 (3) (i)

### 4. DIRECTORS OUT GOING DURING THE YEAR:

List of Outgoing Directors during the year:

S. No.	Name of Director	Designation	Date of Notification /Tenure Completed	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1980
01.	Sh. Nagesh Pydah	Chairman & Managing Director	29.02.2012	U/s Sec 9 (3) (a)
02.	Smt Sumita Dawra	Government of India Nominee Director	22.07.2011	U/s Sec 9 (3) (b)
03.	Sh. K B R Naidu	Part-time Non Official Director	19.02.2012	U/s Sec 9 (3) (h)
04.	Sh. U K Khaitan	Shareholder Director	15.09.2011	U/s Sec 9 (3) (i)
05.	Sh. C K Sabharwal	Shareholder Director	15.09.2011	U/s Sec 9 (3) (i)
06.	Sh. T Valliappan	Shareholder Director	15.09.2011	U/s Sec 9 (3) (i)

### 5. PROFILE OF THE DIRECTORS

The profile of the Directors who were appointed on the Board of the Bank and assumed office during the Financial Year 2011-12 is furnished hereunder:

1. **Shri S L Bansal**, Chairman & Managing Director assumed charge on 01st March' 2012. He is a Post Graduate in

संस्थान के एसोसिएट हैं। श्री बंसल ने यूनिन बैंक ऑफ़ इंडिया में 1975 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया। बैंकिंग उद्योग में 36 वर्षों से अधिक अपने कैरियर के दौरान ये कई क्षेत्रों के प्रमुख रहे जैसे : रांची (झारखंड), अहमदाबाद तथा जालंधर। इन्होंने फील्ड महाप्रबन्धक के रूप में बैंक के पूर्वी क्षेत्र की कमान संभाली जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तथा त्रिपुरा आदि शामिल है। 1 अप्रैल, 2010 में यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले ये यूनिन बैंक ऑफ़ इंडिया के रिटेल बैंकिंग प्रभाग तथा ऋण अनुवर्तन विभाग के प्रमुख थे। श्री बंसल एक ख्याति प्राप्त कुशल बैंकर हैं। कर्मठता तथा मानवीय दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व के खास पहलू हैं। बैंकिंग जगत में इन्हें ऋण एवं परिचालन के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। विषय का स्पष्ट ज्ञान तथा संप्रेषण कौशल उनके नेतृत्व के विशेष गुण हैं। वे किसी भी समस्या का व्यवहारिक समाधान निकालने में सिद्धस्त हैं। इन्होंने विदेश में कई गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

2. **श्रीमती श्रेया गुहा**, भारत सरकार की नामित निदेशक की नियुक्ति 22 जुलाई, 2011 को हुई। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर हैं। बाद में इन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एम फिल तथा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर से मानवाधिकार श्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया। इन्होंने ब्रेडफोर्ड से फारेन तथा कामनवेल्थ आफिस यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। इन्होंने वर्ष 1992 में राजस्थान कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यग्रहण किया। इन्होंने जिला तथा राज्य दोनों स्तरों पर फील्ड में कार्य किया। इनका राजस्थान राज्य में विकास तथा कल्याण कार्यक्रमों में गहन अनुभव है। इन्होंने अपने कैरियर के प्रारंभ में भू-राजस्व, शहरी विकास तथा जल संसाधन विभाग का कार्य संभाला। 1999 में इन्हें आबकारी विभाग में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। इन्हें विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लघु उद्योग, निवेश संवर्धन ब्यूरो में विभिन्न कार्य करने के कारण वित्त एवं औद्योगिक पोर्टफोलियो तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य का गहन अनुभव है। इस समय ये वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

3. **श्री चन्द्र प्रकाश सिंह**, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक ने 22 सितम्बर, 2011 को पदभार ग्रहण किया। ये विज्ञान में स्नातक हैं तथा ऑफ़ सेट प्रिंटिंग में टीए हैं एवं इन्होंने प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तथा इजरायल से डब्ल्यूईआई के लिए पीएमसीडी हैं। ये एक प्रख्यात ट्रेड यूनिन नेता हैं। ये बिहार राज्य में इंटक के अध्यक्ष हैं तथा इंटक के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इन्होंने मास्को, यूक्रेन, इटली, इंडोनेशिया, इजरायल, जापान, सिंगापुर, वियतनाम, फिलिपींस, बैंकाक, स्विटजरलैंड (जेनेवा), दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला, फ्रांस तथा विभिन्न अन्य देशों में आयोजित विभिन्न औद्योगिक एवं शैक्षिक फोरम में कौशल विकास के लिए भाग लिया। ये श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा

Commerce and an Associate of the Indian Institute of Bankers. Shri Bansal started his career in 1975 as Probationary Officer in Union Bank of India. During his career spanning over 36 years in the Banking Industry, he has headed various regions viz. Ranchi (Jharkhand), Ahmedabad and Jalandhar. He had been Field General Manager overseeing Bank's Eastern Zone consisting of West Bengal, Orissa, Bihar, Jharkhand & North Eastern states viz., Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim & Tripura etc. Before taking up the assignment as Executive Director, United Bank of India, on 1st April, 2010 he also headed Union Bank's Retail Banking Department and Credit Monitoring Department. Sh. Bansal is an astute Banker of high repute. Dynamism and human approach are the hall-mark of his persona. In Banking Circle he is known for his expertise in matters of credit and operations and his leadership possesses clarity of the subject with very strong communication skills. He has a knack of diffusing crisis with practical solutions. He has attended many overseas seminars and training programmes.

2. **Smt. Sreya Guha**, Government of India Nominee Director, was appointed on 22nd July' 2011. She is an IAS and is a postgraduate in Ancient History from Jawaharlal Nehru University. Later, she pursued M.Phil in Ancient History from Jawaharlal Nehru University & Post Graduate Diploma from National Law School of India University, Bangalore in Human Rights Labour. She also pursued Management Programme from Foreign and Commonwealth Office University from Brandford. She joined the Indian Administrative Services in the year 1992 in Rajasthan cadre. She worked in the field at both District & State Level. She gained rich experience in development and welfare programmes in the State of Rajasthan. She handled the Land Revenue, Urban Development and Water Resources Department at the early stage of her career. In 1999 she was promoted to the Dy. Secretary level in the Excise Department. She has rich experience of handling Science and Technology as well as Finance and Industries portfolios due to various assignments handled in different Departments viz., Science and Technology Department, Small Industries, Bureau of Investment Promotion. Presently she is working as Director in Department of Financial Services, Government of India.

3. **Shri Chandraprakash Singh**, Part-time Non-official Director, was appointed on 22<sup>nd</sup> September' 2011. He is a Science Graduate and T.A. in offset printing and holding Diploma in Management and PMCD for WEI from Israel. He is an eminent Trade Union Leader. He is President of INTUC in the State of Bihar and is also working as National Secretary INTUC. He participated in various Industrial and educational forums held at Moscow, Ukraine, Italy, Indonesia, Israel, Japan, Singapore, Vietnam, Philippines, Bangkok, Switzerland (Geneva), South Africa, UAE, Angola, France and various other countries, for raising the



कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य के रूप में 4 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए नामित किए गए। 'बिहार राज्य बाल श्रम आयोग' के सदस्य के रूप में नामित होने वाले ये पहले ट्रेड यूनियन नेता थे। यह माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना की अध्यक्षता के अंतर्गत 'बिहार राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण' के सदस्य के लिए नामित होने वाले पहले ट्रेड यूनियन नेता थे। वे पिछले 20 वर्षों से लगातार कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय बोर्ड, भारत सरकार के सदस्य के रूप में नामित हैं। ये श्रम क्षेत्र विशेष रूप में असंगठित तथा दलित कामगारों के लिए उनकी आर्थिक दशा सुधारने तथा नकदी रहित चिकित्सा उपचार/बीमा/दुर्घटना लाभ तथा उनके आश्रितों/विधवाओं के लिए पेंशन तथा विकलांग श्रमिकों के लिए सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने के लिए कार्यरत हैं।

4. **श्री के.एस. श्रीनिवासन**, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत गैर सरकारी निदेशक की नियुक्ति 23 सितम्बर, 2011 को हुई। ये एक वरिष्ठ सनदी लेखाकार हैं और वित्त, कराधान, सिस्टम आडिट, फॉरेंसिक आडिट, लेखांकन, अन्वेषण, विलय तथा अधिग्रहण आदि में व्यापक ज्ञान/अनुभव रखते हुए 26 वर्षों से अधिक समय से प्रेक्टिस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें विवाचन सहित वैकल्पिक विवाद निपटान पद्धति में गहन अनुभव है। यह भारतीय विवाचन परिषद के जीवन पर्यन्त सदस्य हैं। इन्होंने बैंकिंग एप्लीकेशन तथा क्लाउंट सर्वर टैक्नॉलाजी में विशेषज्ञता के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया है और कम्प्यूटरीकृत सिस्टम आडिट में मैनेजमेंट डिप्लोमा किया है। इन्होंने क्रेस्टम इंटरनेशनल, डेनवर कोलरेडो, अमेरिका के एकजीक्यूटिव प्रोग्राम को पूरा किया है। प्रमुख शैक्षिक संस्थान संसाधन विकास तथा पाठ्यक्रम निर्धारण पर इनसे परामर्श लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) तथा समूह चर्चा (जीडी) के लिए एंकर के रूप में कार्य करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मद्रास स्कूल आफ इकोनोमिक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर में भी रहे हैं। इस समय ये इकोनोमिक्स में पीएचडी कर रहे हैं।

5. **श्री टी. वलियप्पन**, शेयर धारक निदेशक ने 30 सितम्बर, 2011 को पदभार ग्रहण किया। ये बीएससी तथा एमएससी(गणित) हैं। इन्हें बैंकिंग उद्योग में 38 वर्ष से अधिक का अनुभव है। ये इंडियन बैंक के सबसे बड़े सर्कल, चेन्नई के महाप्रबन्धक रहे हैं और परिचालन लागत को अभीष्ट करके, मुख्य गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली करके तथा लाभप्रदता में सुधार लाकर बैंक को इसके संकट से उबार कर व्यवस्थित करने में सफल रहे। अपने सेवाकाल के दौरान इन्होंने कुछ वर्षों तक महाप्रबन्धक, मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य किया। इन्होंने टीम निर्माण, उत्प्रेरणा तथा मानव पूंजी के प्रभावी उपयोग जैसे विभिन्न नवोन्मेषकारी उपायों के जरिए बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने दो वर्ष से अधिक अवधि तक विजया बैंक के आद्योपांत कार्यों को देखते हुए कार्यपालक निदेशक के रूप में भी कार्य किया। इन्हें कर्नाटक चैप्टर फेडरेशन, बंगलौर द्वारा राष्ट्रीय महान श्रीरत्न पुरस्कार-2007 तथा तमिल मंदरम अवार्ड, कोलकाता के आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

skill development. He had been nominated for 2<sup>nd</sup> term of 4 years as member of Employee State Insurance Corporation by Ministry of Labour, Government of India. He was the first Trade Union Leader being nominated as Member of "Bihar State Child Labour Commission". Also, he was first Trade Union Leader as Member in "Bihar State Legal Services Authority" under the Chairmanship of Hon'ble Chief Justice, Patna High Court, Patna. He has also been nominated as member of "Employees Provident Fund Regional Board", Govt. of India, since last 20 years continuously. He has been working in labour field especially for unorganized & untouched workers for improving their economic condition as well as bringing them under social security net for cashless medical treatment / insurance/ accidental benefits & pension for their dependent / widow & disabled workers.

4. **Shri K.S.Sreenivasan**, Non-official Director under Chartered Accountant category, was appointed on 23rd September' 2011. He is a senior Chartered Accountant and is practicing for more than 26 years with wide knowledge / experience in finance, Taxation, Systems Audit, Forensic Audit, Accounting, Investigation, Mergers & Acquisition, etc. Also, he has vast experience in alternate Dispute Redressal Mechanism including Arbitration. He is a life member of the Indian Council of Arbitration (ICA). He is also having diploma in Computer Applications with special emphasis on Banking application and Client Server Technology and also is a Post Graduate Diploma holder in Computerised System Audit (DISA-ICA). He has completed Executive Management Programme of Crestom International, Denver Colorado, USA. Leading educational Institutions consult him on resource development, and curriculum framing. Further, he acts as Anchor for personal interviews (PI) and Group Discussions (GD). He has also served on the Board of Governors of internationally renowned Madras School of Economics (MSE). Currently he is pursuing his Phd in Economics.

5. **Shri T. Valliappan**, Shareholder Director, assumed charge on 30th September' 2011. He is B. Sc., M.Sc (Maths). He has more than 38 years of experience in Banking Industry. He has worked as General Manager of Chennai Circle, the largest Circle of Indian Bank and was successful in turning around the Bank from its crisis to bringing the house in order, through optimization of cost in operations, recovering major Non Performing Assets and improving profitability. During his tenure he also worked as General Manager, Human Resource Management for couple of years. He was instrumental in scaling the Bank to new heights through various initiatives of strengthening team building, motivation and effective utilization of human capital. He also performed the role of Executive Director in Vijaya Bank for a period of more than 2 years, overseeing end to end operations of the Bank. He was awarded by National Mahan Shree Ratna Award – 2007 conferred by the Karnataka Chapter Federation, Bangalore and Outstanding President of Tamil Mandram Award, Kolkata.

6. **डा. आभा चतुर्वेदी**, शेयर धारक निदेशक ने 30 सितम्बर, 2011 को पदभार ग्रहण किया। ये बी.ए. (दर्शनशास्त्र), एम.ए. (दर्शनशास्त्र) तथा पीएचडी (दर्शनशास्त्र) हैं। इन्होंने पब्लिक, प्राइवेट तथा एनजीओ क्षेत्र में कई बड़े तथा छोटे संगठनों में सलाहकार के रूप में कार्य किया है और अर्थशास्त्र, सामान्य प्रबंधन, अनुसंधान तथा शिक्षण जैसे विभिन्न विषयों में 28 वर्षों का अनुभव है। इन्होंने लखनऊ, उस्मानिया तथा हैदराबाद विश्वद्यालयों में नैतिक दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र, विश्लेषणात्मक दर्शनशास्त्र, विज्ञान दर्शनशास्त्र तथा भारतीय दर्शनशास्त्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षण कार्य किया है। 1975-1979 के दौरान ये प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद में संगठनपरक व्यवहार के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान कार्यों से जुड़ी रहीं। 1983-1989 के दौरान ये टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन, पुणे से जुड़ी रही। इन्होंने जून, 1999 में भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ में कार्यग्रहण किया और बाद में 2004 में प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव में कार्य किया और 2009 में एमडीआई से सेवानिवृत्त हुई। ये संगठनों के उपचारात्मक अध्ययन, उनके निर्णय परिवेश, कर्मचारी मनोबल, विवाद का स्रोत, नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव इत्यादि के संबंध में सक्रिय रूप से कार्यरत रही और इन्होंने विभिन्न विषयों जैसे कार्मिक नीतियों तथा औद्योगिक संबंध सिद्धांत, लघु उद्योगों में विकास, संगठन नवोन्मेष, औद्योगिक कामगारों का सामाजिक प्रोफाइल इत्यादि पर कई पेपर लिखे हैं। इनकी कई पुस्तकें और पेपर भी प्रकाशित हुए हैं। इनमें प्रमुख हैं—एसीसी—ए कारपोरेट सागा, नई दिल्ली, टाटा मैकग्रा—हिल 1997 (डाक्टर अनिल चतुर्वेदी के साथ सहलेखन), औपचारिक संगठनों का समाज शास्त्र (डाक्टर अनिल चतुर्वेदी के साथ सहसम्पादन), नई दिल्ली आदि। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं : वर्कर्स वर्ल्ड—ए शोसियो इकोनोमिक्स सर्वे ऑफ पुणे वर्कर्स, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध—सफल अनुभव तथा प्रयोग, पुणे।
6. **Dr. Abha Chaturvedi**, Shareholder Director, assumed charge on 30th September' 2011. She is B.A. (Philosophy), M.A. (Philosophy) and Ph.D. (Philosophy). She has worked extensively as a consultant with several large and small organizations in the public, private and NGO sectors and has 28 years of experience in various fields such as Economics, General Management, research and teaching. She taught graduate and post graduate courses in moral philosophy, logic, analytic philosophy, philosophy of science and Indian philosophy at Universities of Lucknow, Osmania and Hyderabad. During 1975-1979, she was simultaneously associated with the Administrative Staff College of India, Hyderabad on various research assignments in the area of organization behavior. From 1983-1989, she was with the Times Research Foundation, Pune. She joined Indian Institute of Management, Lucknow in June 1999 and later joined the Management Development Institute, Gurgaon in 2004 and took retirement from MDI in 2009. She has been actively involved in diagnostic studies of organizations with regard to their decision climate, employee morale, sources of conflict, impact of change of strategies, etc. and has written many cases on diverse themes such as personnel policies and the dynamics of industrial relations, on dynamics of growth in Small Scale Industries, on organization innovation, socio-industrial profile of industrial workers, etc. She has also published several books and papers. These include pioneering like ACC: A Corporate Saga, New Delhi: Tata Mcgraw-Hill, 1997 (co authored with Dr. Anil Chaturvedi), The Sociology of Formal Organisations, (co-edited with Dr. Anil Chaturvedi), New Delhi. The other notable books have been Workers' World: A Socio-Economic Survey of Pune Workers, Achieving Harmonious Industrial Relations – Successful Experiences and Experiments, Pune.
7. **श्री पी.बी. सन्थानाकृष्णन**, शेयर धारक निदेशक ने 30 सितम्बर, 2011 को पदभार ग्रहण किया। ये वरिष्ठ सनदी लेखाकार हैं तथा इन्हें बैंकिंग, वित्त तथा लेखा में 32 वर्षों का व्यापक अनुभव है। ये प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के खातों को अंतिम रूप देने संबंधी कार्य से सक्रिय रूप से जुड़े रहे और कारपोरेट एवं आयकर मुद्दों पर विभिन्न प्राधिकारियों जैसे : सेबी/सैट/सीबीडीटी एवं आईटीएटी के समक्ष प्रतिनिधित्व किया। ये आरटीजीएस पर भारतीय रिजर्व बैंक की समिति के सदस्य थे। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय परिषद के सदस्य (1982-1988), मद्रास जिमखाना क्लब के पूर्व अध्यक्ष, तमिलनाडु टेनिस एसोसिएशन के पूर्व अवैतनिक ट्रेजरर, एडवाइजरी बोर्ड, साउथ जोन एक्वेटिक चैम्पियनशिप 2000 के सदस्य, पीएनबी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नालाजी, नई दिल्ली के गवर्निंग बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे।
7. **Shri P. B. Santhanakrishnan**, Shareholder Director, assumed charge on 30th September' 2011. He is a senior Chartered Accountant and has a vast experience of 32 years in banking, finance and accounts. He has been actively associated with the finalization of accounts of major public sector undertaking, private sectors and nationalized banks as well as representation before various authorities such as SEBI/SAT/CBDT & ITAT on corporate and income tax matters. He was a member of the Reserve Bank of India Committee on RTGS (Real Time Gross Settlement); Member – Southern India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India (1982-1988); Former President – Madras Gymkhana Club; Former Hony. Treasurer, Tamil Nadu Tennis Association; Member-Advisory Board South Zone Aquatic Championship, 2000; Former Member, Governing Board of PNB Institute of Information Technology, New Delhi.





## 6. मण्डल की बैठकें

वर्ष 2011-12 के दौरान, मण्डल की 12 बैठकें :

29 अप्रैल, 2011, 16 मई, 2011, 02 जुलाई, 2011, 25 जुलाई, 2011, 30 अगस्त, 2011, 30 सितम्बर, 2011, 31 अक्तूबर, 2011, 25 नवंबर, 2011, 27 दिसंबर, 2011, 30 जनवरी, 2012, 27 फरवरी, 2012 एवं 27 मार्च, 2012 को हुई।

मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण उनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या के साथ इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है।

## 7. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार, निदेशकों की विभिन्न समितियां गठित की गई हैं ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया तीव्र हो सके तथा उनके विचारार्थ विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की उपयुक्त मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके। मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं :

### 7.1 मंडल की प्रबन्ध समिति

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का अनुसरण करते हुए निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजनाएं 1980 के खंड 13 का पालन करते हुए ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण, निवेश, दान आदि जैसे विभिन्न कारोबारी मामलों पर विचार करने के लिए मंडल की प्रबन्ध समिति गठित की गई है। इस समिति में इस समय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री बी. श्रीनिवास, सनदी लेखाकार निदेशक श्री के.एस. श्रीनिवासन तथा तीन स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक, श्री सी.पी. सिंह, श्री एस.एस. शिशौदिया तथा श्री टी.विलियम्स शामिल हैं, जो प्रत्येक छः माह के लिए रोटेशन आधार पर हैं।

वर्ष के दौरान प्रबंध समिति की कुल 22 बैठकें हुई। प्रबंध समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

## 6. BOARD MEETINGS

During the year 2011-12, 12 Board Meetings were held on :

April 29 2011, May 16 2011, July 02 2011, July 25 2011, August 30 2011, September 30 2011, October 31 2011, November 25 2011, December 27, 2011, January 30, 2012, February 27 2012 and March 27, 2012.

The detail of the attendance of the Directors in the Board Meetings along with number of meetings held during their tenure is given elsewhere in the report.

## 7. COMMITTEE OF DIRECTORS/EXECUTIVES

Various Committees of Directors have been constituted in terms of Reserve Bank of India, Government of India directives in order to quicken decision-making, proper monitoring and follow-up of the various activities falling within their terms of reference. The important Committees of the Board are as under:

### 7.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

Pursuant to the directives of the Ministry of Finance, Government of India, the Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors in adherence to Clause 13 of the Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provision) Scheme, 1980 for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition of premises, investments, donations etc. The Committee presently consists of Chairman & Managing Director, Executive Directors, RBI Nominee Director, Sh B Srinivas, Chartered Accountant Director, Sh.K S Sreenivasan and three independent/ non executive directors, Sh.C P Singh, Sh S S Shishodia and Sh T Valliappan on rotation basis for every six months.

In all, 22 meetings of the Management Committee were held during the year. The details of the attendance of the Directors in the Management Committee Meetings along with number of meetings held during their tenure are given elsewhere in the report.

		<b>मंडल बैठक Board Meeting</b>		<b>मंडल की प्रबन्ध समिति Management Committee of Board</b>		<b>मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of Board</b>	
अध्यक्ष CHAIRMAN		श्री नागेश पैड़ा Shri Nagesh Pydah (01.04.11 - 29.02.12) श्री एस.एल. बंसल Sh.S. L. Bansal (01.03.12 - 31.03.12)		श्री नागेश पैड़ा Shri Nagesh Pydah (01.04.11 - 29.02.12) श्री एस.एल. बंसल Sh.S. L. Bansal (01.03.12 - 31.03.12)		श्री सी.के. सभरवाल Sh.C.K. Sabharwal (01.04.11 - 15.09.11) श्री के.एस. श्रीनिवासन Sh.K.S. Sreenivasan (30.09.11 - 31.03.12)	
क्र.सं. Sl.	निदेशक का नाम Name of the Director	आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED	आयोजित बैठकें MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED	आयोजित बैठक MEETINGS HELD	कितनी बैठकों में भाग लिया MEETINGS ATTENDED
1	श्री नागेश पैड़ा Sh. Nagesh Pydah (01.04.11-29.02.12)	11	11	21	21	लागू नहीं N.A	-
2	श्री एस.एल. बंसल Sh. S.L. Bansal (01.03.12- आज तक)	1	1	1	1	लागू नहीं N.A	-
3	श्री एस.सी. सिन्हा Sh. S.C. Sinha (01.04.11 -आज तक)	12	12	22	20	11	11
4	श्री वी. कण्णन Sh.V. Kannan (01.04.11 -आज तक)	12	12	22	22	11	11
5	सुश्री सुमिता डावरा Ms. Sumita Dawra (01.04.11-22.07.11)	3	-	लागू नहीं N.A	-	3	-
6	सुश्री श्रेया गुहा Ms. Sreya Guha (22.07.11-आज तक)	9	5	लागू नहीं N.A	-	8	2
7	श्री बी. श्रीनिवास Sh.B. Srinivas (01.04.11-आज तक)	12	12	22	20	11	10
8	श्री के.एच. पांडे Sh.K. H. Pandey (01.04.11-आज तक)	12	12	11	11	लागू नहीं N.A	-
9	श्री एस.एस. शिशौदिया Sh. S.S. Shishodia (01.04.11-आज तक)	12	12	4	4	लागू नहीं N.A	-
10	श्री यू.के. खेतान Sh. U.K. Khaitan (01.04.11 -15.09.11)	5	5	11	11	लागू नहीं N.A	-
11	श्री सी.के. सभरवाल Sh. C. K. Sabharwal (01.04.11 -15.09.11)	5	5	11	10	5	5
12	श्री टी वल्लियप्पन Sh. T. Valliappan (01.04.11 -15.09.11)	5	5	लागू नहीं N.A	-	लागू नहीं N.A	-
13	श्री केबीआर नायडू Sh. K.B.R. Naidu (01.04.11 -19.02.12)	10	10	11	9	लागू नहीं N.A	-
14	श्री सी.पी. सिंह Sh.C.P. Singh (22.09.11-आज तक)	7	6	7	7	लागू नहीं N.A	-
15	श्री के.एस. श्रीनिवासन Sh.K.S. Sreenivasan (23.09.11-आज तक)	7	6	11	11	6	6
16	श्री टी वल्लियप्पन Sh. T. Valliappan (30.09.11 -आज तक)	7	7	लागू नहीं N.A	-	6	6
17	डॉ. आभा चतुर्वेदी Dr.Abha Chaturvedi (30.09.11-आज तक)	7	6	लागू नहीं N.A	-	लागू नहीं N.A	-
18	श्री पी.बी. सन्थानाकृष्णन Sh. P.B. Santhanakrishnan (30.09.11-आज तक)	7	6	11	9	लागू नहीं N.A	-

लागू नहीं – समिति के सदस्य नहीं / N-A: Not a Member of the Committee

आयोजित बैठक: निदेशक की कार्यवाधि के दौरान आयोजित बैठक / Meetings Held : Meeting Held during the tenure of the Director



## 7.2 मंडल की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति गठित की गई है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1.	श्री के.एस. श्रीनिवासन	सनदी लेखाकार निदेशक
2.	श्री एस.सी. सिन्हा	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री वी. कण्णन	कार्यकारी निदेशक
4.	सुश्री श्रेया गुहा	भारत सरकार की नामिती निदेशक
5.	श्री बी. श्रीनिवास	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
6.	श्री टी. वल्लियप्पन	शेयरधारक निदेशक

इस समिति की बैठक की अध्यक्षता गैर.कार्यपालक/सनदी लेखाकार निदेशक श्री के.एस.श्रीनिवासन द्वारा की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की ग्यारह बैठकें हुईं।

मंडल की लेखापरीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- 1 मंडल की लेखापरीक्षा समिति दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक के संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्यों को भी देखती है, जिनमें संगठन, परिचालन, आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण पद्धति के गुणवत्ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय निरीक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।
- 2 यह समिति आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा कार्यों का पुनरीक्षण करती है तथा लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है और लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में बाहरी लेखापरीक्षकों से संपर्क करती है।
- 3 समिति लेखांकन मानदंडों, रिपोर्टिंग पद्धति, वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन एवं अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की भी समीक्षा करती है।
- 4 यह समिति बैंक की प्रबंध लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों व उनके अनुपालन की पुनरीक्षा करती है। यह आंतरिक व्यवस्था तथा अंतर-शाखा समाधान की स्थिति का पुनरीक्षण करने के साथ-साथ असंतोषजनक रेटिंग वाली शाखाओं की रिपोर्टों की पुनरीक्षा भी करती है।
- 5 यह अंतर बैंक खातों तथा नोस्ट्रो खातों में काफी समय से मिलान न की गई प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान के बकाया तथा बैंक में हुई धोखाधड़ी पर भी ध्यान देती है।
- 6 मंडल की लेखापरीक्षा समिति बैंक के तिमाही, छमाही व वार्षिक परिणामों की समीक्षा करती है और मंडल को अपनी संस्तुति देती है। यदि लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई शर्त रखी जाती है तो इस पर चर्चा करती है और मंडल को इसकी सूचना देती है।

कम्पनी सचिव, सूचीकरण करार के खंड 49(II) के प्रावधानों के अनुसार मंडल की लेखापरीक्षा समिति का सचिव है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण और उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

## 7.3 मंडल की शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति

बैंक और उसके शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही निवेशक सेवाओं

## 7.2 AUDIT COMMITTEE OF BOARD

The Audit Committee of Board has been constituted by the Bank as per the guidelines of the Reserve Bank of India, comprising of the following members:

1.	Sh.K S Sreenivasan	Chartered Accountant Director
2.	Sh.S C Sinha	Executive Director
3.	Sh.V Kannan	Executive Director
4.	Ms.Sreya Guha	Government of India Nominee Director
5.	Sh.B Srinivas	Reserve Bank of India Nominee Director
6.	Sh. T Valliappan	Shareholder Director

The meetings of the Committee are chaired by the Non Executive/Chartered Accountant Director, Sh K S Sreenivasan. The Committee met eleven times during the year 2011-12.

The main functions of the Audit Committee of Board are:

1. The Audit Committee of Board provides directions, and also oversees the operations of the total audit functions of the Bank, which include organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection system and follow up of the statutory/external audit of the Bank and Annual Financial Inspection by Reserve Bank of India.
2. The Committee reviews internal inspection reports/audit functions, follow-up of all issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interacts with external auditors in respect of the LFAR.
3. The Committee also reviews the compliance of accounting standards, reporting process, disclosure of financial information and compliance of other statutory requirements.
4. It reviews the Management Audit Reports of the Bank, Internal Inspection Reports and its compliance. It also reviews inspection reports of branches with unsatisfactory ratings, besides reviewing the position of housekeeping and inter-branch reconciliation.
5. It also focuses on unreconciled long outstanding entries in inter-bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches and any fraud perpetuated in the Bank.
6. The Audit Committee of Board quarterly, half-yearly and annually reviews the results of the Bank and gives its recommendations to the Board. If any qualification is given by the Auditors in their report, discuss the same and report to the Board.

The Company Secretary is the secretary to the Audit Committee of the Board in terms of provisions of Clause 49(II) of the Listing Agreement.

The details of the attendance of the Directors in the Audit Committee Meetings along with number of meetings held during their tenure are given elsewhere in the report.

## 7.3 SHAREHOLDERS / INVESTORS GRIEVANCE COMMITTEE OF BOARD

The Bank has constituted this committee pursuant to Clause 49 of

को मॉनिटर करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा इस समिति का गठन सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसरण में किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में अंशकालिक गैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशक श्री सी.पी.सिंह, तथा सदस्य के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों के अलावा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री एस.एस.शिशौदिया एवं श्री टी. वल्लियप्पन हैं। इस समिति की वर्ष में चार बैठकें हुई और इस समिति ने तुलन-पत्र प्राप्त न होने, शेयरों के हस्तांतरण, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, टीयर-II बाण्ड धारिता की स्थिति आदि जैसी शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों को दूर करने संबंधी मामले देखे। श्री सी.एम. खुराना, महाप्रबन्धक को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

the Listing Agreement, with a view to monitor the activities of investor services provided by the Bank and its Share Transfer Agent. The Committee consists of part time Non-official/independent Director, Sh C P Singh, as the Chairman of the Committee and two other independent directors, Sh. S S Shishodia & Sh. T Valliappan apart from Chairman and Managing Director and Executive Directors as the members. The Committee met four times in the year and looked after the redressal of shareholders and Investors complaints like non receipt of Balance Sheets, Transfer of Shares, non receipt of dividend declared, status of Tier-II Bond holding etc. Sh. C M Khurana, General Manager, has been designated as a Compliance Officer.

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	28.04.11	1. यू.के. खेतान 2. नागेश पैड़ा 3. एस.सी. सिन्हा 4. वी. कण्णन 5. सी.के. सभरवाल 6. के.बी.आर. नायडू	शून्य
2.	01.07.11	1. यू.के. खेतान 2. नागेश पैड़ा 3. एस.सी. सिन्हा 4. वी. कण्णन 5. सी.के. सभरवाल 6. के.बी.आर. नायडू	शून्य
3.	31.10.11	1. के.बी.आर. नायडू 2. नागेश पैड़ा 3. एस.सी. सिन्हा 4. वी. कण्णन 5. एस.एस. शिशौदिया 6. सी.पी. सिंह	शून्य
4.	18.02.12	1. के.बी.आर. नायडू 2. नागेश पैड़ा 3. एस.सी. सिन्हा 4. वी. कण्णन 5. एस.एस. शिशौदिया 6. सी.पी. सिंह	शून्य

S.No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	28.04.11	1. U.K. Khaitan 2. Nagesh Pydah 3. S. C. Sinha 4. V. Kannan 5. C.K. Sabharwal 6. K.B.R. Naidu	Nil
2.	01.07.11	1. U. K. Khaitan 2. Nagesh Pydah 3. S. C. Sinha 4. V. Kannan 5. C.K. Sabharwal 6. K.B.R. Naidu	Nil
3.	31.10.11	1. K.B.R. Naidu 2. Nagesh Pydah 3. S.C. Sinha 4. V. Kannan 5. S.S. Shishodia 6. C.P. Singh	Nil
4.	18.02.12	1. K.B.R. Naidu 2. Nagesh Pydah 3. S.C. Sinha 4. V. Kannan 5. S.S. Shishodia 6. C.P. Singh	Nil

#### 7.4 मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के सूचना सुरक्षा कार्यदल के परिपत्र सं.भारिबै/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं 6/31.02.2008/2010-2-11 के अनुकरण में मंडल की दिनांक 31.01.2012 की बैठक में मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी समिति को मण्डल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति का नया नाम दिया गया। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, बैंक के निदेशक श्री के.एच.पाण्डेय, डा0 आभा चतुर्वेदी और श्री पी.बी. संधानाकृष्णन शामिल हैं। स्वतंत्र निदेशक

#### 7.4 IT STRATEGY COMMITTEE OF BOARD

The Committee is constituted to review the implementation of IT projects of the Bank. Pursuant to RBI Working Group Information Security recommendations vide Circular No. RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.2008/2010-2-11, IT Committee of the Board was renamed as IT Strategy Committee in the Board Meeting dated 30.01.2012. The Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Sh K H Pandey, Dr.Abha Chaturvedi and Sh.P B Santhanakrishnan, Directors of the Bank. The Committee is headed by the





श्री पी.बी.संथानाकृष्णन समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की चार बैठकें हुई।

independent Director, Sh. P B Santhanakrishnan. During the year IT Committee met four times.

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	23.06.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. टी. वल्लियप्पन 5. सी.के. सभरवाल 6. के.एच. पांडेय	शून्य
2.	30.09.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.एच. पांडेय 5. डा० आभा चतुर्वेदी 6. पी.बी. संथानाकृष्णन	डॉ. आभा चतुर्वेदी
3.	16.12.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.एच. पांडेय 5. डा० आभा चतुर्वेदी 6. पी.बी. संथानाकृष्णन	शून्य
4.	27.03.12	1. पी.बी. संथानाकृष्णन 2. एस.एल. बंसल 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.एच. पांडेय 5. डा. आभा चतुर्वेदी	शून्य

S.No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	23.06.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. T. Valliappan 5. C.K. Sabharwal 6. K.H. Pandey	Nil
2.	30.09.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. K.H. Pandey 5. Dr. Abha Chaturvedi 6. P.B. Santhanakrishnan	Dr. Abha Chaturvedi
3.	16.12.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. K.H. Pandey 5. Dr. Abha Chaturvedi 6. P.B. Santhanakrishnan	Nil
4.	27.03.12	1. P.B. Santhanakrishnan 2. S.L. Bansal 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. K.H. Pandey 5. Dr. Abha Chaturvedi	Nil

## 7.5 जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोर दिया गया है, जोखिम प्रबंधन और बासेल-II के मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन को मानीटर करने की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने मंडल स्तर की समिति का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, बैंक के निदेशक सर्वश्री के.एच. पाण्डेय सी.पी.सिंह, तथा के.एस.श्रीनिवासन हैं। इस समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार वर्ष के दौरान चार बैठकें हुई। यह समिति तीन महत्वपूर्ण जोखिमों की समीक्षा करती है अर्थात् ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम तथा इस विषय पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाती हैं। समिति द्वारा उपयुक्त निर्देश, यदि आवश्यक हो, अनुपालन हेतु जारी किए जाते हैं।

## 7.5 SUPERVISORY COMMITTEE OF DIRECTORS ON RISK MANAGEMENT

In view of the importance of monitoring implementation of guidelines under risk management and BASEL-II as emphasized by Reserve Bank of India, the Bank has formed a Board level committee comprising Chairman & Managing Director, Executive Directors, S/Shri K.H.Pandey, C.P.Singh and K.S.Sreenivasan, the directors of the Bank. The Committee met as per prescribed frequency of four times during the year. The Committee reviews the three important risk functions viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk and takes an integrated view of the subject. Suitable directions required, if any, are issued by the Committee for compliance.

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	30.05.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. यू.के. खेतान 5. के.एच. पांडेय	शून्य

S.No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	30.05.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. U.K. Khaitan 5. K.H. Pandey	Nil

2.	30.08.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. यू.के. खेतान 5. के.एच. पांडेय	शून्य
3.	07.10.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.एच. पांडेय 5. सी.पी. सिंह 6. के.एस. श्रीनिवासन	शून्य
4.	31.01.12	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.एच. पांडेय 5. सी.पी. सिंह 6. के.एस. श्रीनिवासन	शून्य

2.	30.08.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. U.K. Khaitan 5. K.H. Pandey	Nil
3.	07.10.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. K.H. Pandey 5. C.P. Singh 6. K.S. Sreenivasan	Nil
4.	31.01.12	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. K.H. Pandey 5. C.P. Singh 6. K.S. Sreenivasan	Nil

#### 7.6 अत्यधिक बड़ी राशि की धोखाधड़ी पर मण्डल की विशेष समिति

एक करोड़ रुपये और इससे अधिक की अत्यधिक बड़ी राशि की धोखाधड़ी को मॉनिटर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.01.2004 के परिपत्र के अनुसार मंडल की एक विशेष समिति का गठन किया गया। यह समिति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है जिसमें दोनों कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार की नामित निदेशक सुश्री श्रेया गुहा तथा दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री टी. वलियप्पन और श्री पी.बी.संथानाकृष्णन शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की सात बैठकें हुईं।

#### 7.6 SPECIAL COMMITTEE OF BOARD ON LARGE VALUE FRAUDS

Special Committee of Board for monitoring of large value frauds involving amounts of Rupees One Crore and above was constituted as per the directions of Reserve Bank of India vide Circular dated 14.01.2004. The Committee is headed by the Chairman & Managing Director and consists of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Ms. Sreya Guha and two other independent Directors, Sh. T.Valliappan and Sh. P.B.Santhanakrishnan. The Committee met seven times during the year.

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	16.05.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. सुमिता डावरा 5. यू.के. खेतान 6. टी. वलियप्पन	श्रीमती सुमिता डावरा
2.	23.06.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. सुमिता डावरा 5. यू.के. खेतान 6. टी. वलियप्पन	श्रीमती सुमिता डावरा
3.	25.07.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. श्रेया गुहा 5. यू.के. खेतान 6. टी. वलियप्पन	श्रीमती श्रेया गुहा श्री यू.के. खेतान

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1	16.05.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sumita Dawra 5. U.K. Khaitan 6. T. Valliappan	Smt. Sumita Dawra
2	23.06.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sumita Dawra 5. U.K. Khaitan 6. T. Valliappan	Smt. Sumita Dawra
3	25.07.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sreya Guha 5. U.K. Khaitan 6. T. Valliappan	Smt. Sreya Guha Sh. U.K. Khaitan



4.	30.09.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. श्रेया गुहा 5. टी. वल्लियप्पन 6. पी.बी. संथानाकृष्णन	शून्य
5.	16.12.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. श्रेया गुहा 5. टी. वल्लियप्पन 6. पी.बी. संथानाकृष्णन	श्री टी. वल्लियप्पन श्री पी.बी. संथानाकृष्णन
6.	18.02.12	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. श्रेया गुहा 5. टी. वल्लियप्पन 6. पी.बी. संथानाकृष्णन	शून्य
7.	26.03.12	1. एस.एल. बंसल 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. श्रेया गुहा 5. टी. वल्लियप्पन 6. पी.बी. संथानाकृष्णन	शून्य

4	30.09.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sreya Guha 5. T. Valliappan 6. P.B. Santhanakrishnan	NIL
5	16.12.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sreya Guha 5. T. Valliappan 6. P.B. Santhanakrishnan	Sh.T. Valliappan Sh. P.B. Santhana-Krishnan
6	18.02.12	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sreya Guha 5. T. Valliappan 6. P.B. Santhanakrishnan	NIL
7	26.03.12	1. S.L. Bansal 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. Sreya Guha 5. T. Valliappan 6. P.B. Santhanakrishnan	NIL

## 7.7 बैंक में ग्राहक सेवा पर मंडल की समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 14.08.2004 के परिपत्र के अनुसार बैंक द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा को निरंतर बेहतर बनाने की दृष्टि से इस समिति का गठन किया गया था। यह ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति की देखरेख करती है तथा समिति द्वारा लिए गए नवोन्मेष कार्यों की समीक्षा/संशोधन करती है। यह सीपीपीएपीएस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करती है और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा सभी वर्गों के ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर में सुधार लाने के लिए कदम भी उठाती है। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, दोनों कार्यकारी निदेशक, बैंक के गैर कार्यपालक निदेशक सर्वश्री एस. एस. शिशौदिया, डॉ. आभा चतुर्वेदी और पी.बी. संथानाकृष्णन शामिल हैं। वर्ष के दौरान समिति की निर्धारित आवधिकता के अनुसार चार बैठकें हुईं।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	17.06.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. सी.के. सभरवाल 5. के.बी.आर. नायडू 6. एस.एस. शिशौदिया	शून्य

## 7.7 COMMITTEE OF BOARD ON CUSTOMER SERVICE IN BANK

The Committee was constituted to bring about ongoing improvements in the customer service provided by the Bank, in terms of Reserve Bank of India Circular dated 14.08.2004. It oversees the Standing Committee on Customer Service and review/modify the initiatives taken by the Committee. It also reviews the compliances of directions given by the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services (CPPAPS) and also suggests innovative measures for enhancing the quality of service and improving the level of customer satisfaction for all categories of clientele. The Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors, S/Sh. S.S. Shishodia, Dr. Abha Chaturvedi and P.B. Santhanakrishnan, non-executive Directors of the Bank. During the year the Committee met as per prescribed frequency of four times.

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1.	17.06.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C. Sinha 3. V. Kannan 4. C. K. Sabharwal 5. K.B.R Naidu 6. S.S. Shishodia	NIL

2.	30.09.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.बी.आर. नायडू 5. एस.एस. शिशोदिया 6. डा. आभा चतुर्वेदी	शून्य
3.	27.12.11	1. नागेश पैड़ा 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. के.बी.आर. नायडू 5. एस.एस. शिशोदिया 6. डा. आभा चतुर्वेदी	शून्य
4.	26.03.12	1. एस.एल. बंसल 2. एस.सी. सिन्हा 3. वी. कण्णन 4. एस.एस. शिशोदिया 5. डा. आभा चतुर्वेदी 6. पी.बी. सन्थानाकृष्णन	शून्य

### 7.8 मंडल की पारिश्रमिक समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 09.03.2007. के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का निर्धारण करने हेतु पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, जिसमें भारत सरकार की नामिती निदेशक सुश्री श्रेया गुहा, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक श्री बी.श्रीनिवास एवं दो अन्य स्वतंत्र निदेशक श्री टी.वल्लियप्पन और डॉ. आभा चतुर्वेदी (समिति में 30.09.2011 से शामिल) हैं। वित्त वर्ष 2011-12 हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के कार्यनिष्पादन आधारित पारिश्रमिक के बारे में निर्णय करने हेतु इस समिति की बैठक एक बार 18.08.2011 को हुई।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	18.08.11	1. श्रेया गुहा 2. श्री बी.श्रीनिवास 3. श्री यू.के.खेतान 4. श्री सी.के. समरवाल	शून्य

### 7.9 नामांकन समिति

“नामांकन समिति” का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9(3) (झ) के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडलों पर चुने गए मौजूदा निदेशकों/निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए ‘सक्षम व उपयुक्त’ मानदण्ड निर्धारित/निश्चित करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3कक) और (3कख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.बीसी.सं.46/29.39.001/2007-08 द्वारा किया गया। समिति में तीन गैर-कार्यपालक निदेशक हैं अर्थात् भारत सरकार की नामिती निदेशक सुश्री श्रेया गुहा, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक, श्री बी. श्रीनिवास तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक श्री के.बी.आर.नायडू। समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक श्री के.बी.आर.नायडू

2.	30.09.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C .Sinha 3. V. Kannan 4. K.B.R Naidu 5. S.S. Shisodia 6. Dr. Abha Chaturvedi	NIL
3.	27.12.11	1. Nagesh Pydah 2. S.C .Sinha 3. V. Kannan 4. K.B.R Naidu 5. S.S. Shisodia 6. Dr. Abha Chaturvedi	NIL
4.	26.03.12	1. S.L. Bansal 2. S.C .Sinha 3. V. Kannan 4. S.S. Shisodia 5. Dr. Abha Chaturvedi 6. P.B. Santhanakrishnan	NIL

### 7.8 REMUNERATION COMMITTEE OF BOARD

A Remuneration Committee was constituted to evaluate the performance-linked incentive of the Chairman & Managing Director and Executive Director as per the notification No. 20/1/2005-Bo.I dated 09.03.2007 from Ministry of Finance, Government of India, consisting of Govt. of India Nominee Director, Ms. Sreya Guha, RBI Nominee Director, Sh.B Srinivas and two other independent directors, Sh. T Valliappan & Dr. Abha Chaturvedi (inducted in Committee since 30.09.2011). The Committee met once on 18.08.2011 to decide upon the performance-linked incentive of the Chairman & Managing Director and Executive Directors for the Financial Year 2011-12.

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1	18.08.11	1. Sreya Guha 2. B. Srinivas 3. U.K. Khaitan 4. C. K. Sabharwal	Nil

### 7.9 NOMINATION COMMITTEE

“Nomination Committee” was constituted vide Reserve Bank of India notification DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 in exercise of powers conferred on it under subsections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for laying down/determine ‘Fit & Proper’ Criteria for existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the of Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act 1970/80 on the Boards of Nationalised Banks. The Committee comprised of the three non-executive Directors, viz., Government of India Nominee Director, Smt.Sreya Guha, RBI Nominee Director, Sh.B Srinivas and Part-time Non-Official Director, Sh. K B R Naidu. The Committee was





द्वारा की गई। बैंक के निदेशक मंडल पर शेरधारक निदेशक के तीन रिक्त पदों के लिए व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नामांकनों में से चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए 'सक्षम व उपयुक्त' मानदण्ड निर्धारित करने के लिए वर्ष के दौरान समिति की 16.09.2011 को एक बैठक हुई।

क्र. सं.	बैठक की तारीख	सदस्य	अनुपस्थित
1.	16.09.11	1. श्री के.बी.आर.नायडू 2. सुश्री श्रेया गुहा 3. श्री बी.श्रीनिवास	शून्य

### 7.10 ऋण अनुमोदन समिति

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना सं० 13/1/2006-बीओ.1 दिनांक 05.12.2011 तथा भारत सरकार के स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 31.01.2012 व 13.03.2012 के अनुसरण में मंडल की दिनांक 27.12.2011 को हुई बैठक में, निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न कारोबारी मामलों अर्थात् एक समूह को 500 करोड़ रुपए का अधिकतम एक्सपोजर और एकल उधारकर्ता को 250 करोड़ रुपए के अधिकतम एक्सपोजर के प्रत्यायोजित अधिकारों सहित, ऋण प्रस्तावों (निधिक व गैर निधिक) की मंजूरी तथा ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में इस समय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, बड़े कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, मध्य कारपोरेट ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक, लेखा के महाप्रबन्धक/मुख्य वित्तीय अधिकारी, जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महाप्रबन्धक शामिल हैं।

वर्ष के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की कुल 3 बैठकें 16 मार्च, 2012, 22 मार्च, 2012 तथा 31 मार्च, 2012 को हुई।

### 7.11 मानव संसाधन समिति

सभी सरकारी बैंकों में मंडल की मानव संसाधन समिति के गठन के बारे में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना सं एफ नं. 9/18/2009-आई आर दिनांक 21 मार्च, 2012 के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा मंडल की 27.03.2012 को हुई बैठक में यूनियन/एसोसिएट्स तथा प्रबंध वर्ग के बीच परस्पर संबंध बनाने के लिए तथा विभिन्न मानव संसाधन संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए मानव संसाधन समिति बनाई गई। इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार की नामित निदेशक श्रीमती श्रेया गुहा तथा बैंक के निदेशक डा० आभा चतुर्वेदी, श्री के.एच. पाण्डेय तथा श्री एस.एस. शिशौदिया शामिल हैं।

### 7.12 निवेश समिति

यह बैंक के कार्यपालकों की समिति है जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं, जिसकी प्रतिदिन होने वाली बैठक में मौजूदा निवेशों, सांविधिक चलनिधि/गैर-सांविधिक चलनिधि प्रतिभूतियों के संबंध में नए निवेश संबंधी निर्णयों, सरकारी प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग और बैंक की निधियों की स्थिति सहित कई अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

headed by an independent director, Sh. K B R Naidu. During the year the Committee met on 16.09.2011 for determining the fit and proper criteria for the persons to be elected amongst the nominations filed by the persons for the three vacancies of Shareholder Directors on the Board of the Bank.

S. No.	Date of Meetings	Members	Absent
1	16.09.11	1. K.B.R. Naidu 2. Sreya Guha 3. B. Srinivas	Nil

### 7.10 CREDIT APPROVAL COMMITTEE

Pursuant to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India Gazette Notification No.13/1/2006-BO.I dated 05.12.2011 and Government of India clarification letters dated 31.01.2012 and 13.03.2012, the Credit Approval Committee of the Board is constituted by the Board of Directors in the Board Meeting dated 27.12.2011 for considering various business matters namely sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) and loan compromise/write-off proposals with the delegated powers of ` 500 crore for the maximum exposure to one group and ` 250 crore for the maximum exposure to single borrower. The Committee presently consists of Chairman & Managing Director, Executive Directors, General Manager in-charge of the Large Corporate Credit, General Manager in-charge of the Mid Corporate Credit, General Manager in-charge of the Priority Sector Credit, General Manager in-charge of Accounts/CFO, General Manager in-charge of Risk Management.

In all, 3 meetings of the Credit Approval Committee were held during the year on March 16 2012, March 22, 2012 & March 31, 2012.

### 7.11 HR COMMITTEE

Pursuant to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India Gazette Notification No. F.No.9/18/2009-IR dt. 21st March 2012 relating to the constitution of the HR Committee of the Board in all Public Sector Banks, HR Committee has been constituted by the Board of Directors in the Board Meeting dated 27.03.2012 in order to provide interaction between unions/ associations and the management and also to consider various HR related issues. The Committee is comprised of Chairman and Managing Director, Executive Directors, Government of India Nominee Director, Smt.Sreya Guha and Dr Abha Chaturvedi, Sh. K H Pandey and Sh.S S Shishodia, Directors of the Bank.

### 7.12 Investment Committee:

It is a committee of executives of the Bank headed by Chairman & Managing Director, which meets daily to take a view on existing investments, fresh investment decisions with regard to SLR/NON-SLR Securities, G- Sec Trading and other allied matters including funds position of the Bank.

### 7.13 शेयर हस्तांतरण समिति

शेयर हस्तांतरण समिति, जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक उप महाप्रबंधक और एक सहायक महाप्रबंधक हैं, कम से कम पंद्रह दिनों में एक बार शेयरों के अंतरण व प्रसारण का अनुमोदन करती है। शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयरों के हस्तांतरणों को तिमाही आधार पर सूचनार्थ मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की 36 बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की गईं। बैंक शेयर हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक महीने के अंदर सभी हस्तांतरण को विधिवत प्रभावी करना सुनिश्चित करता है।

बैंक शेयर धारकों की शिकायतों का निपटान समयबद्ध आधार पर करना सुनिश्चित करता है तथा जिन शिकायतों पर अंतिम निपटान हेतु जांच किए जाने की आवश्यकता होती है, उनके संबंध में ध्यान देते हुए शेयर धारकों को तुरंत अंतरिम उत्तर/सूचना दी जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक को निवेशकों की 523 शिकायतें प्राप्त हुईं और इन सभी का निराकरण कर दिया गया।

### 8. सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,

नई दिल्ली

यह प्रमाणित किया जाता है कि

क. हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणियों में कोई वास्तविक असत्य कथन नहीं हैं या वास्तविक तथ्य नहीं छोड़ा गया है या ऐसे कथन नहीं हैं जो गुमराह करते हों।

ii. ये विवरणियां एक साथ बैंक के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्रण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लोखांकन मानकों, प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के अनुसार है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान बैंक के मंडल को पहले से ही रिपोर्ट किए गए कुल 473 मामलों को छोड़कर ऐसे कोई लेन-देन नहीं किए गए जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने की सिफारिश स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की प्रभावात्मकता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा अथवा कार्यचालन में कमी यदि कोई हो, जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या प्रस्ताव करते हैं, को लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकट कर दिया है।

घ. हमने लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्नानुसार सूचित कर दिया है :

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन ;

### 7.13 Share Transfer Committee

The Share Transfer Committee comprising of three General Managers, one Dy. General Manager and one Assistant General Manager approves the transfer and transmission of shares atleast once in a fortnight. The shares transfers approved by the Share Transfer Committee are placed before the Board for information on quarterly basis. 36 meetings of the Share Transfer Committee were held during the period April 1, 2011 to March 31, 2012. The Bank ensures that all the transfers are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment.

The Bank ensures that shareholder's complaints are disposed off in a time bound manner and the complaints which need investigation for final disposal are attended with immediate interim reply/information to the shareholders. During the year under review, the Bank received 523 complaints from investors and all of them have been redressed.

### 8. CEO & CFO Certificate under clause 49 of the Listing Agreement

The Board of Directors

Oriental Bank of Commerce

New Delhi

This is to certify that

a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Oriental Bank of Commerce for the year ended 31st March 2012 and that to the best of our knowledge and belief:

i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct, other than total 473 cases already reported to the Board of the Bank.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee:-

i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;



- ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा उन्हें वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; तथा
- iii. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों जिसकी हमें जानकारी हो गई है, के उदाहरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक की आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंध वर्ग या किसी कर्मचारी का उसमें लिप्त होना ।

- ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

महाप्रबंधक (लेखा)

दिनांक : 30.04.2012

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

General Manager (Accounts) Chairman & Managing Director

Dated 30.04.2012

#### 9. निदेशकों/वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता से संबंधित प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के सभी मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की गई है । मंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2011-12 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है ।

(एस.एल.बंसल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

#### 9. CERTIFICATE RELATED TO CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS/SENIOR MANAGEMENT

This is to certify that as per Clause 49 of the Listing Agreement, the Code of Conduct has been laid down for all the Board Members and Senior Management of the Oriental Bank of Commerce. The Board Members and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Bank's code of conduct for the year 2011-12.

(S. L. BANSAL)

Chairman & Managing Director

**10. वार्षिक आम बैठकें**

पिछली आम बैठकों की तारीख एवं स्थल			
क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थल
1.	पंद्रहवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2009 को प्रातः 11.00 बजे	फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110001
2.	सोलहवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2010 को प्रातः 11.00 बजे	फिक्की आडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली - 110001
3.	सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक	23 जून, 2011 को प्रातः 10.00 बजे	सिरी फोर्ट आडिटोरियम (ऑडी-II) अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049

सभी वार्षिक आम बैठकें बैंक के तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा लेखों में ली गई अवधि हेतु बैंक के कार्यकलापों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने/अपनाने के लिए आयोजित की गई। उक्त वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ। दिनांक 23.06.2011 को हुई पिछली वार्षिक आम बैठक में श्रीमती सुमिता डावरा तथा श्री बी. श्रीनिवास के अतिरिक्त सभी पूर्ववर्ती निदेशक उपस्थित थे, जो पूर्वव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए।

**डाक द्वारा मतदान:** वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने डाक से कोई मतपत्र संचालित नहीं किए।

**10.1 असाधारण आम बैठकें**

बैंक की असाधारण आम बैठक 29 सितम्बर, 2011 को वर्तमान शेयरधारक निदेशकों की पद रिक्ति के परिणामस्वरूप तीन शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए आयोजित की गई। केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा **श्री टी. वल्लियप्पन, श्री पी.बी.सथानाकृष्णन** तथा **श्रीमती आभा चतुर्वेदी** को विधिवत् निर्वाचित घोषित किया गया। इन्होंने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 से पद ग्रहण किया और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक अर्थात् 29 सितम्बर, 2014 तक इस पद पर रहेंगे।

**11. प्रकटीकरण**

1. बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 20 द्वारा बैंक किसी निदेशक को या ऐसी किसी फर्म, जिसमें निदेशक हितबद्ध हैं या ऐसी किसी कम्पनी, जिसमें बैंककारी कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी या गारंटीदाता है या जिसमें वह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हैं, को ऋण व अग्रिम दिए जाने का निषेध करती है। इसलिए बैंक का अपने निदेशकों, प्रबन्धन, उनके अनुषंगियों और/या रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ जिसके सामान्य तौर पर बैंक के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना हो।
2. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी मामलों के संबंध में सेबी / स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड या जुर्माना नहीं लगाया गया।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक गैर-कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए निर्धारित की गई फीस जो निम्नानुसार है, के अलावा किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है।

	(01.04.11 to 17.10.11)	(18.10.11 से)
मंडल की बैठक	5000 /- रु. प्रति बैठक	10000 /- रु. प्रति बैठक
समिति की बैठक	2500 /- रु. प्रति बैठक	5000 /- रु. प्रति बैठक

4. भारतीय रिजर्व बैंक/आइसीएआई के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेनों को 31.03.2012 के तुलनपत्र की अनुसूची 18 में लेखा टिप्पणियों में प्रकट किया गया है।

**10. ANNUAL GENERAL BODY MEETINGS**

Date & Venue of Previous General Meetings			
SN	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Fifteenth Annual General Meeting	23.06.2009 at 11.00 a.m	FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi 110001.
2.	Sixteenth Annual General Meeting	23.06.2010 at 11.00 a.m	FICCI Auditorium, Tansen Marg, New Delhi 110001.
3.	Seventeenth Annual General Meeting	23.06.2011 at 10.00 a.m	Siri Fort Auditorium (Audi-II), August Kranti Marg, New Delhi-110049

All the Annual General Meetings were held for discussing / adopting the Balance Sheet, Profit and Loss Accounts and Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the respective periods covered by the accounts and auditor's report thereon. No special resolutions were put through in the above said Annual General Meetings. The last Annual General Meeting held on 23.06.2011 was attended by all the directors except Smt. Sumita Dawra being posted out of Country and Sh. B. Srinivas who could not attend the meeting due to preoccupation.

**Postal Ballot** – The Bank has not conducted any postal ballot during the financial year.

**10.1 EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on 29th September 2011 for election of three Shareholder Directors of the Bank consequent upon vacation of office by then existing Shareholder Directors. **Sh. T. Valliappan, Sh. P. B. Santhanakrishnan** and **Smt. Abha Chaturvedi** were declared elected by the shareholders other than Central Government. They assumed office from 30th September 2011 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption i.e till 29th September 2014.

**11. DISCLOSURES**

1. Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949, prohibits grants of loans and advances by the bank to directors or to any firm in which the directors are interested or to any company of which any of the director of the Banking company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transactions of the Bank with its Directors, Management, their subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interest of the Bank at large.
2. No penalties/strictures were imposed on the Bank by SEBI/ Stock Exchanges in respect of matters related to Capital Market during the last three years.
3. The remuneration of the CMD & EDs is fixed by the Government of India. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors excepting sitting fees fixed by the Government of India, Which is as under:

	(01.04.11 to 17.10.11)	(Since 18.10.11)
Board Meeting	Rs. 5000 per meeting	Rs. 10,000 per meeting
Committee Meeting	Rs. 2500 per Meeting	Rs. 5,000 per meeting

4. The Related Party Transactions of the bank as per RBI/CAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts in Schedule 18 of the balance sheets as at 31.03.2012.





## 12. संचार साधन

तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम अंग्रेजी में बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, इकोनामिक टाइम्स, मिनट तथा हिंदी में जनसत्ता, इकोनामिक टाइम्स व बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित किए गए। परिणाम बैंक की वेबसाइट [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in) पर भी प्रदर्शित किए गए।

## 13. शेयरधारक सूचना

### 13.1 सूचीकरण

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। मार्च, 2012 की समाप्ति पर, देश के सम्पूर्ण भागों में इसकी 1772 शाखाएं और 30 प्रादेशिक कार्यालय हैं।

बैंक के शेयर निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और इक्विटी शेयर निम्नलिखित कोड के अंतर्गत उपलब्ध हैं :

स्टॉक सक्सचेंज	स्क्रिप कोड	रायटर्स कोड	ब्लूमबर्ग कोड
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज, फिरोज जीजीभाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई	500315	ORBC.BO	OBC:IB
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि0 एक्सचेंज प्लॉजा, 5वीं मंजिल, बांद्रा-कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई-400051	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को आज तक के सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

### 13.2 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

विवरण	एनएसडीएल	सीडीएसएल
इक्विटी शेयरों के लिए आईएसआईएन नं. पर उपलब्ध	141A01014	141A01014
8.50% गौण ऋण बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09058	141A09058
9.25% गौण ऋण बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09066	141A09066
9.40% बेमीयादी बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09074	141A09074
9.95% गौण ऋण बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09082	141A09082
8.75% गौण ऋण बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09090	141A09090
9.10% बेमीयादी बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09108	141A09108
9.05% बेमीयादी बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09116	141A09116
8.68% गौण ऋण बाण्ड के लिए आईएसआईएन नं0 पर उपलब्ध	141A09124	141A09124

## 12. Means of Communication:

The Quarterly, Half-Yearly & Annual Financial Results were published in Business Standard, Financial Express, Business Line, Economic Times & Mint in English and Jansatta, Economic Times & Business Standard in Hindi. The results are also displayed on the Bank's website at [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in).

## 13. SHAREHOLDER'S INFORMATION

### 13.1 LISTING

The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at New Delhi. The Bank has its presence in all parts of the country with network of 1772 Branches and 30 Regional Offices as at end of March 2012.

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges & the Equity Shares are quoted under following codes

Stock Exchange	Scrip Code	Reuters Code	Bloomberg Code
Bombay Stock Exchange Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai	500315	ORBC.BO	OBC:IB
National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-51	ORIENT BANK	ORBC.NS	OBC:IN

Listing fee has been paid to both the Stock Exchanges till date.

### 13.2 DEMATERIALISATION OF SECURITIES

PARTICULARS	NSDL	CDSL
For Equity Shares Available At ISIN No.	141A01014	141A01014
For 8.50% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	141A09058	141A09058
For 9.25% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	141A09066	141A09066
For 9.40% Perpetual Bonds Available At ISIN No.	141A09074	141A09074
For 9.95% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	141A09082	141A09082
For 8.75% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	141A09090	141A09090
For 9.10% Perpetual Bonds Available At ISIN No.	141A09108	141A09108
For 9.05% Perpetual Bonds Available At ISIN No.	141A09116	141A09116
For 8.68% Subordinated Debt Bonds Available At ISIN No.	141A09124	141A09124


**13.3 शेयरधारकों का विवरण**

शेयरधारकों का विवरण (31.03.2012 के अनुसार) निम्नानुसार है:

	मूर्त	अमूर्त	कुल
ईक्विटी शेयर	38,88,126	28,78,73,056	29,17,61,182
(प्रतिशत में)	(1.33)	(98.67)	(100.00)
शेयरधारक	37080	75797	112877
(प्रतिशत में)	(32.85)	(67.15)	(100.00)

**13.4 शेयर हस्तांतरण पद्धति तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण**

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयर से संबंधित सभी हस्तांतरण शेयर जमा कराए जाने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर अंदर विधिवत् रूप से कर दिए जाते हैं। मंडल ने एक शेयर हस्तांतरण समिति बनाई है जिसकी बैठक बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों से संबंधित सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है।

रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट, एमसीएस लिमिटेड के कार्यालय में शेयर हस्तांतरण, लाभांश भुगतान और निवेशक से संबंधित अन्य सभी कार्यकलाप किए जाते हैं। शेयरधारक हस्तांतरण विलेख और अन्य कोई दस्तावेज/शिकायतें और कठिनाइयाँ निम्न में से किसी को भी निम्न पते पर भेज सकते हैं :

(क) शेयर हस्तांतरण एजेंट	(ख) ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
मैसर्स : एससीएस लिमिटेड	कॉरपोरेट कार्यालय, मर्चेंट बैंकिंग
एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल	विभाग, पहली मंजिल, प्लॉट सं.5
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20	सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया
फोन : 011-41406149	गुडगांव-122001 (हरियाणा)
फैक्स : 011-41709881	फोन : 0124-4126282 / 85 / 86
	फैक्स : 0124-4126261

**13.5 शेयर बाजार आंकड़े/STOCK MARKET DATA**

2011-12 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर भाव, खरीदे-बेचे गए शेयरों की संख्या

Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchange during 2011-12

	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/NSE			मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज/BSE		
माह/MONTH	उच्च/High	निम्न/Low	संख्या/Volume	उच्च/High	निम्न/Low	संख्या/Volume
अप्रैल/APRIL	405.00	337.80	1,28,18,371	405.80	338.15	20,59,389
मई/MAY	354.80	315.65	1,63,28,483	354.60	315.60	17,51,032
जून/JUNE	358.60	312.00	77,61,531	358.40	280.00	8,08,493
जुलाई/JULY	376.50	325.20	1,28,70,174	378.00	325.00	14,13,428
अगस्त/AUGUST	354.90	283.25	1,06,58,061	354.85	283.75	6,19,739
सितम्बर/SEPTEMBER	322.85	274.20	1,02,00,206	321.90	275.00	10,97,915
अक्टूबर/OCTOBER	314.35	274.50	98,65,858	314.40	275.55	15,00,730
नवम्बर/NOVEMBER	310.00	259.10	1,09,17,969	308.80	259.30	7,04,069
दिसम्बर/DECEMBER	283.90	193.00	98,14,575	282.00	193.00	6,23,534
जनवरी/JANUARY	260.50	190.00	1,23,03,236	259.90	190.10	14,19,612
फरवरी/FEBRUARY	324.40	253.65	1,18,57,060	324.00	253.55	10,50,827
मार्च/MARCH	307.45	234.10	1,07,58,797	307.90	235.00	9,09,947
<b>बंद मूल्य/Closing Price (31.03.2012)</b>	<b>₹252.65</b>			<b>₹252.25</b>		
<b>बाजार पूंजीकरण/Market Capitalisation</b>	<b>₹7371.35 Cr.</b>			<b>₹7359.68 Cr.</b>		

**13.3 DETAILS OF SHAREHOLDERS**

The Particulars of the Shareholders (as on 31.3.2012) are as under:

	PHYSICAL	DEMAT	TOTAL
Equity Shares	38,88,126	28,78,73,056	29,17,61,182
(In percentage)	(1.33)	(98.67)	(100.00)
Shareholders	37080	75797	112877
(In percentage)	(32.85)	(67.15)	(100.00)

**13.4 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:**

The bank ensures that all transfers are duly effected within the period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted a Share Transfer Committee for Shares, which meets on regular intervals for transacting the business of all matters relating to shares issued by the Bank.

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, MCS Limited. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints either to

(a) Share Transfer Agent M/s MCS Limited F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. Phone : 011-41406149 Fax: 011-41709881	(b) Oriental Bank of Commerce, Corporate Office Merchant Banking Division First Floor, Plot no.5 Sector-32, Institutional Area, Gurgaon-122001 (Haryana) Ph : 0124-4126282/85/86 Fax: 0124-4126261
--	---



## 14. वित्तीय कैलेंडर

लेखों पर विचार करने और लाभांश की सिफारिश करने हेतु मंडल की बैठक	30 अप्रैल, 2012
वार्षिक आम बैठक की तिथि, समय और स्थान	बुधवार, 13 जून, 2012 को प्रातः 10.00 बजे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2 सिरि इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	18 मई, 2012
बही बंदी की तारीख	6 जून, 2012 से 13 जून, 2012
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	8 जून, 2012
लाभांश के भुगतान की तारीख	12 जुलाई, 2012

## 14. FINANCIAL CALANDER

Board Meeting for considering Accounts and dividend.	30 <sup>th</sup> April, 2012
Date, Time & Venue of the AGM	Wednesday, 13 <sup>th</sup> June 2012 at 10.00 a.m at PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi – 110016.
Posting of Annual Report	18 <sup>th</sup> May 2012
Book closure dates	6 <sup>th</sup> June 2012 to 13 <sup>th</sup> June 2012
Last Date for receipt of proxy forms	8 <sup>th</sup> June 2012
Date of payment of dividend	12 <sup>th</sup> July 2012

## 15. 31 मार्च, 2012 के अनुसार शेयरधारिता की स्थिति

क्र. सं.	श्रेणी	धारकों की संख्या	शेयर	शेयरों का %
1.	भारत सरकार	1	16,92,21,482	58.00
2.	जनता	1,10,428	1,29,73,317	4.45
3.	कारपोरेट	1,299	80,12,316	2.75
4.	गैर घरेलू कम्पनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीय	1,019	3,03,19,287	10.39
5.	बैंक, भारतीय वित्तीय संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, बीमा कम्पनियां तथा अन्य	130	7,12,34,780	24.41
	<b>कुल</b>	<b>1,12,877</b>	<b>2917,61,182</b>	<b>100.00</b>

## 15. Share Holding Pattern as on 31st March, 2012

SN	Category	No. of Holders	Shares	% to Shares
1.	Government of India	1	16,92,21,482	58.00
2.	Public	1,10,428	1,29,73,317	4.45
3.	Corporates	1,299	80,12,316	2.75
4.	Non Domestic Companies, FIs & NRIs	1,019	3,03,19,287	10.39
5.	Banks, IFI, Mutual Fund, Insurance Companies & Others	130	7,12,34,780	24.41
	<b>TOTAL</b>	<b>1,12,877</b>	<b>2917,61,182</b>	<b>100.00</b>

## 16. 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार संवितरण तालिका

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य . 10/-रुपए

शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	धारिता की श्रेणी	शेयरों की संख्या	कुल का %
112513	99.66	1 से 5000	12973743	4.45
96	0.08	5001 से 10000	714386	0.25
121	0.11	10001 से 50000	2915706	0.99
40	0.04	50001 से 100000	2893677	0.99
107	0.09	100001 और अधिक	272263670	93.32
112877	100.00	<b>कुल</b>	<b>291761182</b>	<b>100.00</b>

## 16. DISTRIBUTION SCHEDULE AS ON 31.03.2012

NOMINAL VALUE OF EACH SHARE – Rs.10/-

NO. OF SHARE-HOLDERS	% TO TOTAL	HOLDING RANGE	NO. OF SHARES	% TO TOTAL
112513	99.66	1 TO 5000	12973743	4.45
96	0.08	5001 TO 10000	714386	0.25
121	0.11	10001 TO 50000	2915706	0.99
40	0.04	50001 TO 100000	2893677	0.99
107	0.09	100001 AND ABOVE	272263670	93.32
112877	100.00	<b>TOTAL</b>	<b>291761182</b>	<b>100.00</b>

○ बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं।

○ Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments.


**17. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार राज्यवार शेयरधारिता विवरण/STATE WISE SHARHOLDING DISTRIBUTION AS ON 31.03.2012**

राज्य STATE	धारकों की संख्या NO. OF HOLDERS	कुल धारिता TOTAL HOLDING	प्रतिशत PERCENTAGE
अण्डमान और निकोबार/Andaman & Nikabar	3	165	0.00
आंध्र प्रदेश/Andhra Pradesh	4703	131583	0.05
अरुणाचल प्रदेश/Arunachal Pradesh	3	100	0.00
असम/Assam	562	7096	0.00
बिहार/Bihar	1159	30339	0.01
चंडीगढ़/Chandigarh	605	20546	0.01
छत्तीसगढ़/Chattisgarh	607	15902	0.01
दादरा नगर/Dadra Nagar	14	38223	0.01
दमन दीव/Daman Diu	9	310	0.00
दिल्ली/Delhi	14928	170987519	58.61
गोआ/Goa	313	39344	0.01
गुजरात/Gujrat	10450	189512	0.06
हरियाणा/Haryana	3892	68652	0.02
हिमाचल प्रदेश/Himachal Pradesh	373	3858	0.00
जम्मू और कश्मीर/J&K	419	5496	0.00
झारखंड/Jharkhand	864	9758	0.00
कर्नाटक/Karnataka	5285	84031	0.03
केरल/Kerala	1530	44897	0.02
मध्य प्रदेश/Madhya Pradesh	2986	21328	0.01
महाराष्ट्र/Maharashtra	19850	97993085	33.59
मणिपुर/Manipur	18	791	0.00
मेघालय/Meghalya	47	2475	0.00
मिजोरम/Mizoram	1	48	0.00
नागालैंड/Nagaland	23	1000	0.00
उड़ीसा/Orissa	1012	27223	0.01
पुदुचेरी/Pondicherry	105	3016	0.00
पंजाब/Punjab	3863	49640	0.02
राजस्थान/Rajasthan	5115	72612	0.02
सिक्किम/Sikkim	21	460	0.00
तमिलनाडु/Tamilnadu	6319	2151179	0.74
त्रिपुरा/Tripura	29	1422	0.00
उत्तर प्रदेश/Uttar Pradesh	8220	104595	0.04
उत्तरांचल/Uttanchal	702	10920	0.00
पश्चिम बंगाल/West Bengal	6994	1345643	0.46
अन्य/Others	11853	18298414	6.27
<b>कुल/Total</b>	<b>112877</b>	<b>291761182</b>	<b>100.00</b>





शेयरधारक,  
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

30 अप्रैल, 2012

The Shareholders,  
Oriental Bank of Commerce,

30th April, 2012

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

### कारपोरेट प्रबंध के संबंध में प्रमाणपत्र

### CERTIFICATE RELATING TO CORPORATE GOVERNANCE

हमने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु स्टॉक एक्सचेंज (जो) अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खण्ड 49 में यथाविनिर्दिष्ट, कम्पनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance for the year ended 31st March, 2012 as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange(s) i.e. NSE & BSE.

कम्पनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। हमारी जांच बैंक द्वारा कम्पनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपनाई गई कार्यविधियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह बैंक के वित्तीय विवरणों की न तो लेखापरीक्षा है और न ही उसके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति है।

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Bank.

हमारे अभिमत तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कम्पनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

हमारा कथन है कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध निवेशक की ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है जो एक माह से अधिक समय से लम्बित हो।

We state that no investor grievance(s) is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति न ही कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंध वर्ग ने बैंक के कार्यों का संचालन किया, के प्रति एक आश्वासन है।

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

धन्यवाद,

Thanking you,

भवदीय,

Yours sincerely,

**कृते एस.पी. मरवाह एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

**कृते मनियन एंड राव**  
सनदी लेखाकार

**For For S.P. Marwaha & Co.**  
Chartered Accountants

**For Manian & Rao**  
Chartered Accountants

(आशुतोष सक्सेना)  
भागीदार  
(सं. नं० 086358)

(रविन्द्र सी)  
भागीदार  
(सं. नं० 213658)

(ASHUTOSH SAXENA)  
Partner  
(M.No. 086358)

(RAVINDRA. C)  
Partner  
(M. No. 213658)

**कृते तेज राज एंड पाल**  
सनदी लेखाकार

**कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार

**For Tej Raj & Pal**  
Chartered Accountants

**For Agiwal & Associates**  
Chartered Accountants

(बी. विजय)  
भागीदार  
(सं. नं० 214678)

(पी.सी. अगीवाल)  
भागीदार  
(सं. नं० 080475)

(B. VIJAY)  
Partner  
(M. No. 214678)

(P.C. AGIWAL)  
Partner  
(M. No. 080475)

**कृते बी. पुरुषोत्तम एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार

**कृते जैन कपिला एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार

**For B Purushottam & Co.**  
Chartered Accountants

**For Jain Kapila Associates**  
Chartered Accountants

(टी. रवी)  
भागीदार  
(सं. सं. 28243)

(डी.के. कपिला)  
भागीदार  
(सं. सं. 016905)

(T. RAVEE)  
Partner  
(M. No. 28243)

(D.K. KAPILA)  
Partner  
(M. No. 016905)

**घोषणा एवं प्रमाण पत्र**

1. सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों से वर्ष 2011-12 के लिए बैंक में कारपोरेट प्रबंध संबंधी प्रमाण पत्र ले लिया गया है और यह प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
2. सूचीकरण करार के खंड 49 के तहत सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और इसकी प्रति कंपनी अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है।
3. प्रबंध वर्ग ("निदेशक मंडल" के रूप में परिभाषित) के महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहार, जिनमें उनका निजी हित निहित है और जिनसे समग्रतः बैंक के हित पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की सूचना समय-समय पर मंडल को दी गई है।
4. बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी सभी अपेक्षाओं का पालन किया है और स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक पर कोई अर्थदण्ड अथवा जुर्माना नहीं लगाया गया। यह पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को मंडल की लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने के लिए मना नहीं किया गया। बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और सांविधिक समय-सीमा के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया है।
5. बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार यथालागू सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है।
6. गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के पालन की सूचना निम्नानुसार है :

**DECLARATIONS AND CERTIFICATES**

1. In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the Year 2011-12 and the same is annexed to this report.
2. The certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is furnished in Corporate Governance Report.
3. Material financial and commercial transactions of the management (defined as "Board of Directors") where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large have been reported to the Board from time to time.
4. The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchange or SEBI during the last three years. It is affirmed that no personnel has been denied access to Audit Committee of the board. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.
5. The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.
6. The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished below.

अपेक्षा	Requirement
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को बैंक के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाने और अपने कर्तव्यों के निर्वाह पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पाने का अधिकार होना चाहिए।	A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's office at the bank's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.
मंडल द्वारा पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाए जो उनकी ओर से और शेयरधारकों की ओर से कार्यकारी निदेशकों हेतु विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज, जिसमें पेंशन अधिकार और अन्य कोई क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल हैं, के संबंध में सहमत विचारार्थ विषयों सहित कंपनी की नीति पर विचार करे।	The Board should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference the company's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.
अनुपालन	Compliance
बैंक की अध्यक्षता कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अतः यह अपेक्षा लागू नहीं होती।  बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों/गैर-कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक सिटिंग शुल्क का भुगतान भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैंक ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को देय भत्तों के भुगतान के संबंध में एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।	The Bank is chaired by an Executive Chairman and as such this requirement is not applicable.  Remuneration/sitting fee paid to the Wholtime Directors/ Non-Executive Directors is as per the guidelines of the Government of India. The Bank has constituted a remuneration committee to look into the incentives payable to the CMD and EDs as per the directives of the Government of India.



### पत्राचार हेतु पता

सहायक महाप्रबंधक (म.बैं.प्र.)  
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स  
कारपोरेट कार्यालय  
प्रथम तल, प्लॉट नं. 5,  
सेक्टर-32, औद्योगिक क्षेत्र,  
गुडगांव-122001 (हरियाणा)  
टेलीफोन नं० : 0124-4126282 / 85 / 86  
फैक्स नं. : 0124-4126261  
ई-मेल : mbd@obc.co.in

### ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

Asstt. General Manager (MBD)  
Oriental Bank of Commerce  
Corporate Office  
First Floor, Plot No.5,  
Sector – 32, Institutional Area,  
Gurgaon – 122001 (Haryana)  
Tel No(s): 0124-4126282 /85/86  
Fax No(s): 0124-4126261  
Email : mbd@obc.co.in

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of Board of Directors

नई दिल्ली  
30 अप्रैल, 2012

(एस.एल. बंसल)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

New Delhi  
30th April 2012

(S.L. Bansal)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



31 मार्च, 2012 का तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31<sup>st</sup> MARCH, 2012

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	अनुसूची Schedule	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>पूंजी और दायित्व / CAPITAL &amp; LIABILITIES</b>			
पूंजी / Capital	1	291,76,12	291,76,12
आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / Reserves & Surplus	2	11650,74,12	10805,38,41
निक्षेप / Deposits	3	155964,92,25	139054,25,70
उधार / Borrowings	4	5259,04,90	5639,21,04
अन्य दायित्व और प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	4963,70,35	5552,76,05
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>178130,17,74</b>	<b>161343,37,32</b>
<b>आस्तियां / ASSETS</b>			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष Cash & Balances With Reserve Bank Of India	6	8461,70,17	9515,13,37
बैंकों में अधिशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि Balances With Banks and Money at Call & Short Notice	7	265,24,98	2102,95,55
विनिधान / Investments	8	52101,33,13	49545,41,06
अग्रिम / Advances	9	111977,69,02	95908,21,70
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	10	1420,65,51	1397,80,05
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	3903,54,93	2873,85,59
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>178130,17,74</b>	<b>161343,37,32</b>
आकस्मिक दायित्व / Contingent Liabilities	12	68063,76,48	58978,53,84
संग्रहण हेतु बिल / Bills for Collection		5073,94,27	3992,78,98
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न भाग है। Schedules 1 to 18 form an integral Part of the Accounts			

(सुभाष महाजन)  
उप महाप्रबंधक (लेखा)  
(SUBASH MAHAJAN)  
Dy. GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)

(आर.एल. अग्रवाल)  
महाप्रबंधक (लेखा) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी  
(R.L. AGGARWAL)  
GENERAL MANAGER (ACCOUNTS) & CFO

(वी. कण्णन)  
कार्यकारी निदेशक  
(V. KANNAN)  
EXECUTIVE DIRECTOR

**निदेशक / Directors**

(श्रेया गुहा)  
(SREYAGUHA)

(बी. श्रीनिवास)  
(B. SRINIVAS)

(के.एच. पाण्डेय)  
(K.H. PANDEY)

(एस.एस. शिशौदिया)  
(S.S. SHISHODIA)

(चन्द्रप्रकाश सिंह)  
(CHANDRAPRAKASH SINGH)

(के.एस. श्रीनिवासन)  
(K.S. SREENIVASAN)

(टी. वल्लियप्पन)  
(T. VALLIAPPAN)

(डॉ. आभा चतुर्वेदी)  
(DR. ABHA CHATURVEDI)

(पी.बी. संथानाकृष्णन)  
(P.B. SANTHANAKRISHNAN)

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi  
दिनांक / Dated : 30 अप्रैल, 2012/30<sup>th</sup> April, 2012





## 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2012

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	अनुसूची Schedule	31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>I आय / INCOME</b>			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	15814,88,46	12087,81,43
अन्य आय / Other Income	14	1240,24,78	960,07,07
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>17055,13,24</b>	<b>13047,88,50</b>
<b>II व्यय / EXPENDITURE</b>			
अपचित ब्याज / Interest Expended	15	11599,09,34	7910,26,49
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	2315,45,87	1892,48,14
प्रावधान और आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		1999,01,68	1742,27,07
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>15913,56,89</b>	<b>11545,01,70</b>
<b>III वर्ष का निवल लाभ / NET PROFIT FOR THE YEAR</b>		<b>1141,56,35</b>	<b>1502,86,80</b>
आगे ले जाया गया लाभ / Profit brought forward		79,19	57,97
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>1142,35,54</b>	<b>1503,44,77</b>
<b>IV विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		286,00,00	376,00,00
राजस्व और अन्य आरक्षित निधि में अंतरण			
Transfer to Revenue & Other Reserves		16,00,00	692,00,00
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Special Reserves		565,00,00	82,00,00
पूंजी आरक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		6,98,01	0,00
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		230,49,13	303,43,16
लाभांश पर कर / Tax On Dividend		37,39,15	49,22,42
तुलन पत्र में ले जाया गया अधिशेष			
Balance Carried over to Balance Sheet		49,25	79,19
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>1142,35,54</b>	<b>1503,44,77</b>
<b>प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share</b>			
<b>मूल और हासित (रु. में) / Basic &amp; Diluted (In Rs.)</b>		<b>39.13</b>	<b>59.90</b>

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / In terms of our report of even date annexed

(एस. सी. सिन्हा)  
कार्यकारी निदेशक  
(S.C. SINHA)  
EXECUTIVE DIRECTOR

(एस.एल. बंसल)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
(S.L.BANSAL)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

कृते एस.पी.मरवाह एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

**For S.P. Marwaha & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 000229-N

(आशुतोष सक्सेना)  
भागीदार  
(स.सं. 086358)  
(ASHUTOSH SAXENA)  
Partner  
(M. No. 086358)

कृते मनियन एंड राव  
सनदी लेखाकार

**For Manian & Rao**  
Chartered Accountants  
FRN 001983-S

(रवींद्र सी)  
भागीदार  
(स.सं. 213658)  
(RAVINDRA. C)  
Partner  
(M. No. 213658)

कृते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार

**For Tej Raj & Pal**  
Chartered Accountants  
FRN 304124-E

(बी. विजय)  
भागीदार  
(स.सं. 214678)  
(B.VIJAY)  
Partner  
(M. No.214678)

कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

**For Agiwal & Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 000181-N

(पी.सी. अगीवाल)  
भागीदार  
(स.सं. 080475)  
(P.C.AGIWAL)  
Partner  
(M. No. 080475)

कृते बी.पुरुषोत्तम एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार

**For B. Purushottam & Co.**  
Chartered Accountants  
FRN 002808-S

(टी.रवी)  
भागीदार  
(स.सं. 028243)  
(T. RAVEE)  
Partner  
(M. No. 028243)

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

**For Jain Kapila Associates**  
Chartered Accountants  
FRN 000287-N

(डी.के. कपिला)  
भागीदार  
(स.सं. 016905)  
(D.K. Kapila)  
Partner  
(M. No.016905)



## अनुसूचियां / Schedule

(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष)(Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष)(Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-1 :</b>		
<b>पूंजी / CAPITAL</b>		
अधिकृत पूंजी / AUTHORISED CAPITAL	3000,00,00	3000,00,00
(भारत के राजपत्र में दि. 10.11.2009 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3124 के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान अधिकृत पूंजी बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये की गई) [In terms of notification no. S.O. 3124 dated 10.11.2009 in Gazette of India, Authorised Capital was increased to Rs. 3000 Crores during the year 2009-10]		
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
<b>ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL</b>		
10/- रु. प्रत्येक के 29176,11,82 (पिछले वर्ष 29176,11,82) इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित 10 रु. प्रति शेयर मूल्य के कुल 169221,48,20/- रु. (पिछले वर्ष 169221,48,20/- रु.) के 16922,14,82 इक्विटी शेयर शामिल हैं (पिछले वर्ष 16922,14,82) 29176,11,82 (Previous Year 29176,11,82) equity shares of Rs.10/- each (Includes 16922,14,82 (Previous year 16922,14,82) equity shares of Rs.10/- each amounting to Rs.169221,48,20/- (Previous year Rs.169221,48,20/-) held by Central Govt.)	291,76,12	291,76,12
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>291,76,12</b>	<b>291,76,12</b>
<b>अनुसूची / SCHEDULE-2 : आरक्षित एवं अतिरिक्त निधि / RESERVES &amp; SURPLUS</b>		
<b>I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVES</b>		
अथशेष / Opening Balance	2396,00,00	2020,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	286,00,00	376,00,00
<b>कुल / Total</b>	<b>2682,00,00</b>	<b>2396,00,00</b>
<b>II. पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVES</b>		
<b>क) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / a) REVALUATION RESERVE</b>		
अथशेष / Opening Balance	886,41,30	917,42,87
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	—	—
वर्ष के दौरान कटौती (संपत्ति के पुनर्मूल्यांकित अंश के प्रति मूल्यहास तथा पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की बिक्री के कारण हुए प्रत्यावर्तन पर मूल्यहास) Deductions during the year (being depreciation on revalued portion of property and reversals on account of sale of revalued assets)	28,90,79	31,01,57
<b>कुल (क) / Total (a)</b>	<b>857,50,51</b>	<b>886,41,30</b>
<b>ख) अन्य / b) OTHERS</b>		
अथशेष / Opening Balance	552,47,10	552,47,10
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	6,98,01	—
<b>कुल (ख) / Total (b)</b>	<b>559,45,11</b>	<b>552,47,10</b>
<b>कुल (क+ख) Total (a+b)</b>	<b>1416,95,62</b>	<b>1438,88,40</b>
<b>III. शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM</b>		
अथशेष / Opening Balance	3413,47,70	1714,69,85
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	—	1698,77,85
<b>कुल / Total</b>	<b>3413,47,70</b>	<b>3413,47,70</b>
<b>IV. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां / REVENUE &amp; OTHER RESERVES</b>		
<b>(क) राजस्व व अन्य आरक्षित निधियां / a) REVENUE &amp; OTHER RESERVES</b>		
अथशेष / Opening Balance	3328,23,12	2636,23,12
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year (includes profit on sale of revalued assets-Rs.58.43lacs)	16,58,43	692,00,00
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	—	—
<b>कुल (क) / Total (a)</b>	<b>3344,81,55</b>	<b>3328,23,12</b>
<b>(ख) आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि</b>		
<b>b) SPECIAL RESERVE u/s 36(1)(viii) OF I-T ACT</b>		
अथशेष / Opening Balance	228,00,00	146,00,00
वर्ष के दौरान वृद्धि / Additions during the year	565,00,00	82,00,00
<b>कुल (ख) Total (b)</b>	<b>793,00,00</b>	<b>228,00,00</b>
<b>कुल (क+ख) Total (a+b)</b>	<b>4137,81,55</b>	<b>3556,23,12</b>
<b>V. लाभ एवं हानि खाते में अधिशेष / BALANCE IN PROFIT &amp; LOSS ACCOUNT</b>		
	49,25	79,19
<b>कुल / TOTAL (I,II,III,IV &amp; V)</b>	<b>11650,74,12</b>	<b>10805,38,41</b>



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-3 :</b>		
<b>निक्षेप / DEPOSITS</b>		
क / A.I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From Banks	59,72,03	68,39,14
(ii) अन्यो से / From Others	9315,51,79	9329,17,06
	<b>9375,23,82</b>	<b>9397,56,20</b>
II. बचत बैंक निक्षेप / Saving Banks Deposits	<b>28253,24,90*</b>	<b>24750,44,19</b>
III. आवधिक निक्षेप / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From Banks	353,84,28	104,15,16
(ii) अन्यो से / From Others	117982,59,25	104802,10,15
	<b>118336,43,53</b>	<b>104906,25,31</b>
<b>कुल / Total (I, II &amp; III)</b>	<b>155964,92,25</b>	<b>139054,25,70</b>
ख / B.I. भारत में शाखाओं का निक्षेप		
Deposits of Branches in India	155964,92,25	139054,25,70
II. भारत से बाहर शाखाओं का निक्षेप		
Deposits of Branches outside India	—	—
<b>कुल / Total</b>	<b>155964,92,25</b>	<b>139054,25,70</b>

**अनुसूची / SCHEDULE 4 :****उधार / BORROWINGS**

I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	400,00,00	—
(ii) अन्य बैंक / Other Banks	463,72,25	464,35,33
(iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां / Other Institutions and Agencies	2945,38,90	4180,38,86
<b>कुल / Total</b>	<b>3809,11,15</b>	<b>4644,74,19</b>
II. भारत के बाहर से उधार / Borrowing Outside India	1449,93,75	994,46,85
<b>कुल / Total (I &amp; II)</b>	<b>5259,04,90</b>	<b>5639,21,04</b>
प्रतिभूत उधार (I और II में सम्मिलित) / Secured Borrowings (Included in I and II)	—	—

850 करोड़ रु. के नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) (पिछले वर्ष 850 करोड़ रुपये) तथा 2200 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 2200 करोड़ रु.) के गौण ऋण (टियर II बाण्ड) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उधार के अन्तर्गत रखे गए हैं।

Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) Rs. 850 Crs. (Previous year: Rs. 850 Crs.) and Subordinated Debt (Tier II bonds) amounting to Rs. 2200 Crs (Previous year: Rs. 2200 Crs) classified under Borrowings as per RBI Guidelines.

\*बचत जमा राशियों पर 270.63 करोड़ रु. की राशि का उपचित ब्याज शामिल।

\*Includes Interest accrued on Saving Bank deposits amounting to Rs.270.63 Crs.



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--	--

## अनुसूची / SCHEDULE-5 :

## अन्य दायित्व एवं प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

I. देय बिल / Bills Payable	74,34,39	450,62,63
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustments (net)	383,01,94	304,24,08
III. उपचित ब्याज / Interest Accrued	641,25,02	600,60,70
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including provisions)	3865,09,00	4197,28,64

## कुल / TOTAL

4963,70,355552,76,05

## अनुसूची / SCHEDULE-6 :

## नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष

## CASH &amp; BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. हस्तगत नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in Hand (Including foreign currency notes)	422,35,94	406,61,92
II. भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष Balance with Reserve Bank of India		
(i) चालू खातों में / In Current Account	8039,34,23	9108,51,45
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	—	—

## कुल / TOTAL (I &amp; II)

8461,70,179515,13,37





(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-7 :</b>		
<b>बैंकों के पास अधिशेष और मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि</b>		
<b>BALANCES WITH BANKS AND MOENY AT CALL &amp; SHORT NOTICE</b>		
<b>I. भारत में / IN INDIA</b>		
(i) बैंकों के पास अधिशेष / Balances with Banks		
(क) चालू खातों में		
(a) In CurrentAccounts	204,50,68	233,73,60
(ख) अन्य निक्षेप खातों में		
(b) In Other DepositAccounts	30	30
(ii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि / Money at Call & Short Notice		
(क) बैंकों में		
(a) With Banks	—	600,00,00
(ख) अन्य संस्थाओं में		
(b) With Other Institutions	—	—
<b>कुल / Total (i&amp;ii)</b>	<b>204,50,98</b>	<b>833,73,90</b>
<b>II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA</b>		
(i) चालू खातों में		
In CurrentAccounts	60,74,00	689,48,15
(ii) अन्य निक्षेप खातों में		
In Other DepositAccounts	—	579,73,50
(iii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि		
Money at Call & Short Notice	—	—
<b>कुल / Total(i,ii &amp; iii)</b>	<b>60,74,00</b>	<b>1269,21,65</b>
<b>कुल जोड़ / GRAND TOTAL(I &amp; II)</b>	<b>265,24,98</b>	<b>2102,95,55</b>



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-8:</b>		
<b>विनिधान</b>		
<b>INVESTMENTS</b>		
क / A. I भारत में विनिधान / Investments in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	39348,74,43	36599,74,98
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	68,04,65	101,27,07
(iii) शेयर Shares	500,24,35	657,13,48
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures & Bonds	1981,32,27	1803,63,62
(v) सहयोगी संस्थाएं और / अथवा संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures	184,00,00	161,00,00
(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र भारतीय यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड के यूनिट) Others (Commercial paper, Indira Vikas Patras, Units of UTI, Mutual funds & RIDF deposits)	10018,97,43	10222,61,91
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>52101,33,13</b>	<b>49545,41,06</b>
II. भारत से बाहर विनिधान Investments Outside India	—	—
<b>कुल जोड़ / GRAND TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>52101,33,13</b>	<b>49545,41,06</b>
ख / B. क) / a) भारत में कुल विनिधान / Gross Investments in India	52460,22,59	49623,68,72
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान Less : Provisions for depreciation	358,89,46	78,27,66
<b>निवल विनिधान / Net Investments</b>	<b>52101,33,13</b>	<b>49545,41,06</b>
(ख) / b) भारत से बाहर विनिधान / Investments Outside India	—	—



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-9:</b>		
<b>अग्रिम / ADVANCES</b>		
क) / A. (I) खरीदे गए और मितिकाटे पर दिए गए विनिमय-पत्र Bills Purchased and Discounted	3636,90,04	2684,85,75
(II) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	45413,94,56	38324,51,93
(III) मीयादी ऋण Term Loans	62926,84,42	54898,84,02
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>111977,69,02</b>	<b>95908,21,70</b>
ख) / B. (I) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों के प्रति दिए गए अग्रिमों सहित) Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	99374,57,28	78402,91,71
(II) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित Covered by Banks/Govt. Guarantees	4404,15,48	5825,57,72
(III) अप्रतिभूत Unsecured	8198,96,26	11679,72,27
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>111977,69,02</b>	<b>95908,21,70</b>
ग) / C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	40030,46,89	34958,56,40
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	10052,89,87	11465,57,58
(iii) बैंक Banks	75,07,23	150,06,42
(iv) अन्य Others	61819,25,03	49334,01,30
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>111977,69,02</b>	<b>95908,21,70</b>
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India	—	—
<b>कुल जोड़ (ग I एवं II) / GRAND TOTAL (C.I &amp; II)</b>	<b>111977,69,02</b>	<b>95908,21,70</b>



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-10:</b>		
<b>स्थायी आस्तियां / FIXED ASSETS</b>		
<b>I. परिसर / PREMISES</b>		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1382,45,21	1365,90,65
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	23,07,13	16,54,56
वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	-1,09,00	0
<b>उपजोड़ / SubTotal</b>	<b>1404,43,34</b>	<b>1382,45,21</b>
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यांकन के प्रति अद्यतन वृद्धि Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	0	0
घटाइए: अद्यतन अवक्षयण (पुनर्मूल्यांकन के प्रति 129,74,22 रु. सहित—पिछले वर्ष 100,83,43 रु.) Less: Depreciation to date(Including Rs 129,74,22 on account of revaluation-previous year Rs.100,83,43 )	256,78,51	217,21,80
जोड़िए: चल रहा निर्माण कार्य Add: Construction work in progress	21,36,96	24,11,13
<b>I का कुल / TOTAL OF I</b>	<b>1169,01,79</b>	<b>1189,34,54</b>
<b>II. अन्य स्थायी आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) OTHER FIXED ASSETS (Including furnitures &amp; fixtures)</b>		
पिछले वर्ष 31 मार्च की लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	853,96,00	772,62,40
वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year	146,72,98	97,10,86
वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	55,11,02	15,77,26
अद्यतन अवक्षयण Depreciation to date	693,94,24	645,50,49
<b>II का कुल / TOTAL OF II</b>	<b>251,63,72</b>	<b>208,45,51</b>
<b>जोड़ / (I तथा II)/TOTAL (I&amp;II)</b>	<b>1420,65,51</b>	<b>1397,80,05</b>



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-11:</b>		
<b>अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS</b>		
(i) उपचित ब्याज / Interest Accrued	1041,64,92	847,97,69
(ii) स्रोत पर काटा गया कर / वसूली योग्य आय कर Tax deducted at source/ Income Tax Recoverable	1149,87,44	565,36,44
(iii) लेखन सामग्री और टिकट Stationery and stamps	79,25	56,35
(iv) गैर-बैंककारी आस्तियां, जो दावों की तुष्टि में अर्जित की गई हैं Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	65,59,31	65,59,31
(v) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	34,00,00	41,00,00
(vi) अन्य / Others*	1611,64,01	1353,35,80
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>3903,54,93</b>	<b>2873,85,59</b>

\* इसमें स्टाफ को बिना ब्याज पर दिए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

\*Includes non-interest bearing loans and advances to staff

2,67

1,04

**अनुसूची / SCHEDULE-12:****आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES**

I. बैंक के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकृत न हुए दावे (अपीलाधीन / संदर्भाधीन विवादास्पद आयकर और ब्याज कर दायित्व आदि सहित) Claims against the bank not acknowledged as debts (Including disputed Income tax and Interest tax liability under Appeal/Reference etc.)	1315,28,76	613,23,45
II. अंशतः प्रदत्त विनिधानों के लिए दायित्व Liabilities for partly paid investments	—	—
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के प्रति दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts	38138,88,53	31603,65,74
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
क / a) भारत में / In India	13739,56,97	12750,17,36
ख / b) भारत के बाहर / Outside India	774,42,59	391,12,69
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	14082,13,91	13608,35,19
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the bank is contingently liable	13,45,72	11,99,41
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>68063,76,48</b>	<b>58978,53,84</b>





(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	A31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
<b>अनुसूची / SCHEDULE-13:</b>		
<b>अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED</b>		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / मितिकाटा Interest/discount on advances/bills	12074,64,94	8953,92,84
II. विनिधान पर आय Income on Investments	3670,93,44	3097,35,95
III. भारतीय रिजर्व बैंक में अधिवेशों और अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and inter-bank funds	34,17,83	12,00,54
IV. अन्य / Others	35,12,25	24,52,10
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>15814,88,46</b>	<b>12087,81,43</b>
<b>अनुसूची / SCHEDULE 14 :</b>		
<b>अन्य आय / OTHER INCOME</b>		
I) कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, Exchange & Brokerages	725,81,09	634,90,39
II) विनिधानों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of Investments	179,30,88	121,52,50
घटाइए: विनिधानों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of investments	9,04,86	46,13,87
	<b>170,26,02</b>	<b>75,38,63</b>
III) विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of investments	—	—
घटाइए: विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less : Loss on revaluation of investments	—	—
IV) स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of fixed assets	3,60,07	63,25
घटाइए: स्थायी आस्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of fixed assets	76,76	99,35
	<b>2,83,31</b>	<b>-36,10</b>
V) विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) (इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन पर लाभ के संबंध में 17645.30 लाख रु. (गतवर्ष 12102.93 लाख रु.) शामिल हैं) Profit on Exchange Transactions (Net) (Including Rs. 17645.30 lacs (Previous year Rs. 12102.93 lacs) on account of profit on valuation of Foreign Currency Assets & liabilities)	177,48,10	123,33,05
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	163,86,26	126,81,10
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>1240,24,78</b>	<b>960,07,07</b>



(हजार रुपए में / Rs. in Thousands)

	31.03.2012 को As on 31.03.2012 (चालू वर्ष) (Current Year)	31.03.2011 को As on 31.03.2011 (पिछले वर्ष) (Previous Year)
--	--	--

**अनुसूची / SCHEDULE-15:****अपचित ब्याज / INTEREST EXPENDED**

I. निक्षेपों पर ब्याज Interest on Deposits	11212,95,05	7474,37,77
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अन्तर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ Inter Bank Borrowings	37,71,41	22,96,41
III. अन्य / Others	348,42,88	412,92,31
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>11599,09,34</b>	<b>7910,26,49</b>

**अनुसूची / SCHEDULE - 16 :****परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES**

I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for employees	1356,81,16	1048,45,17
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, Taxes and Lighting	234,34,73	206,85,35
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery	27,46,64	22,71,52
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity	15,81,78	9,06,55
V. बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षयण / परिशोधन Depreciation/Amortisation on Bank's Property	133,12,70	122,76,63
घटाइए: पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि में समायोजित Less - Adjusted with Revaluation Reserve	<u>28,90,79</u>	<u>31,01,57</u>
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च Director's Fees, allowances and expenses	65,35	45,57
VII. लेखापरीक्षकों (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) की फीस और खर्च Auditor's Fees and expenses (including Branch Auditors)	19,34,36	27,31,52
VIII. विधि प्रभार / Law Charges	22,09,54	19,56,64
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc.	30,70,34	31,97,10
X. मरम्मत और रख रखाव / Repairs and Maintenance	30,03,44	26,47,92
XI. बीमा / Insurance	148,21,42	141,65,28
XII. अन्य व्यय / Other Expenditure	325,75,20	266,20,46
<b>कुल / TOTAL</b>	<b>2315,45,87</b>	<b>1892,48,14</b>

## अनुसूची.17

### महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 1. सामान्य

- (क) वित्तीय विवरणियां हिस्टॉरिकल लागत तथा गतिमान प्रतिष्ठान अवधारणा के आधार पर तैयार की गई हैं और देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और पद्धतियों, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, के अनुरूप हैं।
- (ख) राजस्व और व्यय को, सामान्यतया उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है। तथापि, प्राप्त/प्रदत्त कमीशन, लॉकर किराया, वाद दायर खातों पर कानूनी व्यय और इनमें हुई वसूली, गैर-निष्पादकारी आस्तियों पर आय, विनिधान पर लाभांश, अतिदेय बिलों पर ब्याज, आवास ऋणों पर प्रदत्त बीमा प्रीमियम तथा कर.वापसी पर ब्याज को नकद आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- (ग) अतिदेय जमाराशियों पर ब्याज का प्रावधान बचत बैंक जमा दर पर किया गया है और शेष को नवीकरण के समय हिसाब में लिया गया है।

#### 2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- क) मौद्रिक आस्तियां और देयताएं, वित्त वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा सूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित की गई हैं और इससे हुए लाभ/हानि को राजस्व में लिया गया है।
- ख) आय तथा व्यय मदों को लेन-देन की तारीख को प्रवृत्त विनिमय दरों पर हिसाब में लिया गया है।
- ग) वायदा विनिमय संविदाओं तथा बिलों को, वायदे की तारीख को प्रभावी विनिमय दर पर लिया गया है। बकाया विदेशी मुद्रा संविदाओं और बिलों का पुनर्मूल्यांकन फेडआई की दरों के अनुसार किया गया है और परिणामतः उनपर हुए लाभ/हानि को राजस्व में लिया गया है।
- घ) वित्त वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य देयताओं का उल्लेख फेडआई दरों पर किया गया है।

#### 3. विनिधान

##### क. वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के विनिधानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

- i) परिपक्वता तक धारित (परिपक्वता तक धारित की जाने हेतु आशयित विनिधान)
- ii) व्यापार हेतु धारित (अभिग्रहण की तिथि से 90 दिन के भीतर बिक्री हेतु धारित विनिधान)
- iii) बिक्री हेतु उपलब्ध (उपर्युक्त (i) व (ii) में वर्गीकृत न किए गए विनिधान)

तथापि, तुलन-पत्र में प्रकटीकरण हेतु, विनिधानों को निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड (ङ) अनुषंगी / संयुक्त उद्यम तथा (च) अन्य

##### ख. मूल्यांकन:

##### परिपक्वता तक धारित:

- i) 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत विनिधानों को अभिग्रहण लागत पर लिया गया है। जहां बही मूल्य, अंकित मूल्य/प्रतिदेय मूल्य से अधिक हो, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि में किया गया।

## SCHEDULE -17

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 1) GENERAL

- a) The financial statements are prepared under historical cost convention, on a going concern basis and conform to the statutory provisions and practices prevailing in the country except as otherwise stated.
- b) Revenue and expenses have generally been accounted for on accrual basis. However, commission received / paid, locker rent, legal expenses for suit filed accounts and recoveries there against, income on non-performing assets, dividend on investments, interest on overdue bills, insurance premium paid on Housing Loans and interest on tax refunds are accounted for on cash basis.
- c) The interest on overdue deposits is provided for at the Saving Bank Deposit Rate and the balance is accounted for at the time of renewal.

#### 2) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

- a) Monetary assets and liabilities are revalued at exchange rates advised by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the close of the financial year and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- b) Income and expenditure items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.
- c) Forward exchange contracts and bills are translated at the exchange rates prevailing on the date of commitment. Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI rates and the resultant gain/loss is taken to revenue.
- d) Foreign currency guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at FEDAI rates at the close of the financial year.

#### 3) INVESTMENTS

##### a) Classification:-

In accordance with RBI guidelines, investments are classified into three categories.

- i) Held to Maturity (Investments intended to be held till maturity)
- ii) Held for Trading (Investments held for sale within 90 days from the date of acquisition)
- iii) Available for Sale: (Investments not classified in (i) and (ii), above.)

However, for disclosure in the Balance Sheet, Investments are classified under the following heads. (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures and Bonds (e) Subsidiaries / Joint Ventures and (f) Others.

##### b) Valuation:

##### Held to Maturity: -

- i. Investments under "Held to Maturity" category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value / redemption value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.



- ii) संयुक्त उद्यम में विनिधानों को, अस्थायी स्वरूप के विनिधानों को छोड़कर, रखाव लागत घटा मूल्य में ह्रास, यदि कोई हो, पर मूल्यांकित किया गया है।
- iii) जोखिम पूँजी में विनिधान रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

- ii. Investments in joint venture are valued at carrying cost less diminution, in value, if any, other than temporary in nature.
- iii. Investment in venture capital is valued at carrying cost.

#### बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित

1.	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	भारतीय मुद्रा विनिमय व्यापारी संघ (एफ.आई.एम.एम.डी.ए.) द्वारा दी गई कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर
2.	राज्य विकास ऋण / अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	एफ.आई.एम.एम.डी.ए. के मार्गनिर्देशों के अनुसार परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय के आधार पर
3.	राजकोषीय बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा-प्रमाण-पत्र	रखाव लागत पर
4.	ईक्विटी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : जहाँ नवीनतम तुलन-पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है, अवशिष्ट मूल्य पर अन्यथा प्रति कम्पनी 1/-रुपए
5.	अधिमानी शेयर	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : परिपक्वता पर होने वाली उपयुक्त आय पर
6.	डिबेंचर/बाण्ड	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर परिपक्वता पर उपयुक्त आय पर
7.	म्यूचुअल फंड के यूनिट	(i) कोट किए गए : बाजार मूल्य पर (ii) कोट न किए गए : पुनर्खरीद मूल्य / निवल आस्तित्व मूल्य पर
8.	असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लि0 (एआरसीआईएल) की प्रतिभूति रसीदें	एआरसीआईएल द्वारा घोषित आस्तित्व के निवल आस्तित्व मूल्य पर

#### Available for Sale and Held for Trading

1.	Government of India Securities	At market prices as published by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
2.	State Development Loans /Other Approved Securities	At appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
3.	Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits	At carrying cost.
4.	Equity Shares	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At break up value, where latest balance sheet is available (not more than one year old), otherwise at Re. 1/- per company.
5.	Preference Shares	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: On appropriate yield to maturity.
6.	Debentures / Bonds	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At appropriate yield to maturity based on rating assigned by Rating Agencies.
7.	Units of Mutual Funds	(i) Quoted: At market price. (ii) Unquoted: At repurchase price/Net Asset Value.
8.	Security receipts of Asset Reconstruction Company of India Ltd. (ARCIL)	At net asset value of the asset as declared by ARCIL.

बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित श्रेणी में उपर्युक्त मूल्यांकन शेयर-वार किया गया है तथा प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यह्रास / मूल्यवृद्धि को जोड़ा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल वृद्धि को छोड़ते हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है।

- ग. प्रतिभूतियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण को, अंतरण की तारीख को अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर लिया गया है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का पूरा प्रावधान किया गया है।
- घ. भारतीय रिजर्व के पास तरलता समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नाम / जमा किया गया और संव्यवहार की परिपक्वता पर इसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया। उस पर उपचित / अर्जित व्याज को व्यय / राजस्व के रूप में हिसाब में लिया गया।

The above valuation in category of Available for Sale and Held for Trading are done scrip wise and depreciation / appreciation is aggregated for each classification. Net depreciation for each classification, if any, is provided for while net appreciation is ignored

- c) Transfer of securities from one category to another is accounted for at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer. The Depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- d) Securities purchased/sold under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

**ड. अन्य**

- i) अभिग्रहण लागत में से अभिदान पर प्राप्त दलाली / कमीशन को घटा दिया गया है।
- ii) प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री पर खंडित अवधि के प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय माना गया है।
- iii) विनिधानों पर, गैर-निष्पादनकारी विनिधानों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण प्रतिमान लगाए गए हैं तथा गैर निष्पादनकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किया गया है।
- iv) किसी भी श्रेणी के विनिधान में बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते में लिया गया है। तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के तहत विनिधानों की बिक्री पर लाभ होने पर समान राशि को पूंजी आरक्षित निधि खाते में समायोजित किया गया है।
- v) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संविभाग (एएफएस) का मूल्यांकन क्रमशः दैनिक तथा तिमाही आधार पर किया जाता है और यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसे बही में तिमाही आधार पर लिया जाता है।

च. व्युत्पन्न लेन-देन व्यापारिक या बचत व्यवस्था प्रयोजनों से किए जाते हैं। व्यापारिक लेन-देन बाजार मूल्य को बही में अंकित करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार विनिमय की विभिन्न श्रेणियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

- i) **बचाव विनिमय** : ब्याज दर संबंधी विनिमय सौदों, जो ब्याज वाली आस्ति या देयता का बचाव करते हैं, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है, केवल ऐसे विनिमय सौदे को छोड़कर, जो बाजार मूल्य पर ली गई आस्ति या देयता के लिए है या वित्तीय विवरणी में लागत से कम पर ली गई आस्ति या देयता के साथ विनिर्दिष्ट है। विनिमय सौदे समाप्त होने पर हुए लाभ या हानि को सौदे की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की शेष अवधि में से जो कम हो, उसके आधार पर लिया जाता है।
- ii) **व्यापारिक विनिमय सौदे**: व्यापारिक विनिमय सौदों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और संबंधित परिवर्तनों को वित्तीय विवरणी में दर्ज किया जाता है।

**4. अग्रिम / प्रावधान / वसूली**

- क) अग्रिमों को निष्पादनकारी/गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।
- ख) अग्रिमों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि शामिल नहीं है।
- ग) निष्पादनकारी आस्तियों हेतु प्रावधान को 'अन्य देयताएं व प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।
- घ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन और तत्पश्चात् ब्याज के प्रति विनियोजित किया गया है।

**5. (क) अचल परिसंपत्तियां**

- (i) अचल परिसंपत्तियों को उनकी हिस्टॉरिकल लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर दिखाया गया है। इसमें ऐसी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- (ii) परिसरों में भूमि का मूल्य शामिल है।
- (iii) किराए पर लिए गए परिसरों के फिक्सचरों व फिटिंग को अस्थायी ढांचा माना गया है।

**e) Others:**

- i) Brokerage/commission received on subscription is booked in Profit & Loss Account.
- ii) Broken period interest paid / received on purchase /sale of securities is recognised as interest expense / income.
- iii) Prudential norms of RBI for non performing investment Classification are applied to Investments and appropriate provisions are made in respect of non performing securities.
- iv) Profit/Loss on sale of any Investment in any category is taken to Profit & Loss Account. However, in case of profit on Sale of Investments under 'Held to Maturity' category, an equal amount is appropriated to Capital Reserve Account.
- v) Valuation of HFT and AFS portfolio is done on daily and quarterly basis respectively and depreciation if any is provided on quarterly basis

f) The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes. Trading transactions are marked to market. As per RBI guidelines, different categories of swaps are valued as under:

- i) **Hedge swaps**: Interest rate swaps which hedges interest bearing asset or liability is accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost in the financial statement.  
Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.
- ii) **Trading swaps**: Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

**4) ADVANCES / PROVISIONS / RECOVERIES**

- a) Classification of Advances into performing / non-performing assets and provisions thereon are made as per the Prudential Norms Prescribed by the Reserve Bank of India.
- b) Advances are net of provisions and technical write-offs made for non-performing Assets.
- c) Provision for performing Assets is shown under the head "Other Liabilities & Provisions".
- d) Recoveries in Non-Performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

**5. a) FIXED ASSETS**

- (i) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation except in the case of assets which have been revalued. The appreciation on account of revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- (ii) Premises include cost of land.
- (iii) Fixtures and fittings in rented premises are treated as Temporary Erection.



**(ख) अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास****(i) मूल्यहास :**

- परिसंपत्तियों (पुनर्मूल्यांकित परिसम्पत्तियों सहित) पर मूल्यहास, आयकर नियम, 1962 में यथानिर्धारित दरों पर मूल्यहासित मूल्य पर प्रभारित किया गया है। इनमें कंप्यूटरों को शामिल नहीं किया गया है, जिनपर मूल्यहास का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सीधी कटौती प्रणाली से 33.33 प्रतिशत की दर से किया जाता है।
- आस्तियों की बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया गया।
- आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया।
- जहां भूमि की कीमत भवन से अलग नहीं की जा सकती, वहां मूल्यहास का प्रावधान भवनों पर लागू दर से सम्मिश्र राशि पर किया गया।
- पट्टाधारी भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया।
- सॉफ्टवेयर पर किए गए व्यय को राजस्व में प्रभारित किया गया है।

**6. पट्टा लेन-देन**

- क (i) 1 अप्रैल, 2001 से पूर्व वित्तीय पट्टे के तहत दी गई आस्तियों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गनिर्देशात्मक टिप्पणी के अनुसार किया गया है। ऐसी आस्तियों को अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया गया है और इन पर मूल्यहास का प्रावधान पट्टे की अवधि में समान रूप से किया गया है।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण प्रतिमानों के अनुसार, वित्त-पट्टे को निष्पादनकारी और गैर-निष्पादनकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा तदनुसार प्रावधान किए गए हैं।

ख) वित्तीय पट्टे के तहत ली गई आस्तियों को, पट्टाकृत आस्तियों के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य में से जो भी कम हो, पर माना गया है और इसे अन्य अचल आस्तियों में शामिल किया गया है।

पट्टा भुगतान का विनियोजन वित्त प्रभार और बकाया देयता के बीच किया गया है ताकि वित्त प्रभारों को पट्टे की अवधि में नियत आवधिक ब्याज दर पर हिसाब में लिया जा सके।

ग) वित्तीय पट्टे के अलावा अन्य पट्टे को परिचालनपरक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ) पट्टा किराया और मूल्यहास को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-19) के अनुसार हिसाब में लिया गया है।

**7. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ**

- क) बैंक ने लाभों के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- ख) दीर्घकालिक परिभाषित कर्मचारी लाभ— उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी किराया रियायत तथा बीमारी की छुट्टी के प्रति देयताओं का निर्धारण अनुमानित यूनिट लागत पद्धति से वर्ष के अंत में, कर्मचारी स्वतंत्र बीमाकनकर्ताओं द्वारा बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित देयताएं स्टाफ की ग्रेजुटी और पेंशन के मामले में बैंक के अनुमोदित न्यासों को अदा की गई है और अन्यो के लिए प्रावधान किया गया है।

**b) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:****(i) Depreciation:**

- on assets (including revalued assets), is charged on the Written Down Value at the rates prescribed by the Income Tax Rules, 1962; except in respect of computers on which depreciation is provided on Straight Line Method @ 33.33% as per RBI guidelines;
- is not provided in the year of sale/disposal of asset;
- on the revalued portion of assets, is adjusted against the Revaluation Reserve
- Wherever the cost of land cannot be separately segregated, from buildings depreciation is provided on the composite amount, at the rate applicable to buildings.
- Premium paid on leasehold land is amortised over the period of lease.
- Software expenditure is charged to Revenue in the year of incurrence.

**6) LEASE TRANSACTIONS:**

- a) i) Accounting for assets given under finance lease before April 1, 2001, has been done as per the Guidance Note issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Such assets are included under Other Fixed Assets and depreciation thereon is provided equally over the lease period.
- ii) Finance leases are classified as performing and non-performing in accordance with prudential norms issued by RBI and accordingly provisions are made.

b) Assets taken under financial lease are recognized at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments and included under Other Fixed Assets.

The lease payments are apportioned between finance charge and the outstanding liability so as to account for the finance charge at the constant periodic rate of interest over the lease period.

- c) Lease other than financial lease is classified as operating lease.
- d) Lease rental and depreciation are accounted for as per Accounting Standard (AS-19) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**7) STAFF RETIREMENT BENEFITS**

- a) The Bank has applied Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- b) Liability towards long term defined employee benefits – gratuity, pension, leave encashment, leave fare concession and sick leave are determined on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Cost method. Liability so determined is funded, to the approved trusts of the bank, in the case of gratuity and pension and provided for in other cases.

- ग) मौजूदा कर्मचारियों, जिन्होंने पहले पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, द्वारा पेंशन योजना का विकल्प चुनने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011 से पेंशन देयता के कम से कम एक पांचवें हिस्से का परिशोधन आरंभ किया गया।
- घ) भविष्य निधि के संबंध में, अवधि के लिए अंशदान को खर्च के रूप में मान्यता दी गई है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।
- ड.) लघु आवधिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हों, के लाभ एवं हानि खाते में गैर बट्टाकृत राशि पर खर्च के रूप में मान्यता दी गई है।

#### 8. आयकर

- क) कर का प्रावधान चालू और आस्थगित करों, दोनों के लिए किया गया है।
- ख) चालू कर का प्रावधान लागू कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया गया है।
- ग) न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) जमा को केवल तभी और उसी सीमा तक आस्ति के रूप में लिया जाता है, जितने के लिए यह निश्चित प्रमाण हो कि बैंक मैट के अंतर्गत परिकलित आयकर से अधिक आयकर का भुगतान उस अवधि के दौरान करेगा जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 (विनिर्दिष्ट अवधि) के लिए मैट का समंजन अनुमत्य है। जिस वर्ष में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में की गई सिफारिशों के अनुसार, मैट जमा आस्ति के रूप में लिए जाने का पात्र बनती है, उसमें यह आस्ति लाभ एवं हानि लेखे में जमा द्वारा सृजित की जाती है और मैट जमा पात्रता के रूप में दर्शाई जाती है। बैंक प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा करता है और मैट जमा पात्रता की आवर्ती राशि का अवलेखन उस सीमा तक करता है, जिसके लिए इस आशय का निश्चित प्रमाण नहीं होता कि बैंक उस विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान मैट से अधिक आयकर का भुगतान करेगा।
- घ) समय के परिवर्तन से होने वाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं, जिनका प्रत्यावर्तन बाद की अवधि में किया जा सकता हो, को तुलनपत्र की तारीख तक, लागू या बाद में लागू होने वाली कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गई है।
- ड) आस्थगित कर आस्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी गई जब तक कि इस बात की 'वास्तविक निश्चितता' न हो कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियां प्राप्त की जाएंगी।

#### 9) आस्तियों की अनर्जकता

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 28—आस्तियों की अनर्जकता के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित अचल आस्तियों पर अनर्जक घाटे, यदि कोई हों, लिए गए हैं और इन्हें लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

#### 10) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29— 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार बैंक ऐसे प्रावधानों को तभी मानता है जबकि पिछली घटना के परिणामतः इनका वर्तमान दायित्व हो, ऐसी संभावना है कि इन दायित्वों को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो तथा जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो। वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को नहीं लिया गया है क्योंकि इससे ऐसी आय मान्यता हो सकती है जो कभी वसूल न हो सके।

#### 11) निवल लाभ

निवल लाभ निम्नलिखित 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' को हिसाब में लेने के बाद निकाला गया है

- क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आयकर और धन कर हेतु प्रावधान
- ख) स्तरीय परिसंपत्तियों पर प्रावधान
- ग) गैर-निष्पादनकारी अग्रिमों और विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान
- घ) बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण
- ड) अन्य सामान्य अथवा आवश्यक प्रावधान

- c) In respect of Pension scheme opted by existing employees who had not opted for Pension earlier, the Pension liability is amortized minimum one-fifth starting from financial year 2010-11 as permitted by RBI.
- d) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to profit and loss account.
- e) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the profit and loss account of the year in which the related services are rendered.

#### 8) INCOME TAX

- a) Provision for Tax is made for both current and deferred taxes.
- b) Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws.
- c) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognized as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Bank will pay income tax higher than that computed under MAT, during the period that MAT is permitted to be set off under the Income Tax Act, 1961 (specified period). In the year, in which the MAT credit becomes eligible to be recognized as an asset in accordance with the recommendations contained in the guidance note issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the said asset is created by way of a credit to the profit and loss account and shown as MAT credit entitlement. The Bank reviews the same at each balance sheet date and writes down the carrying amount of MAT credit entitlement to the extent there is no longer convincing evidence to the effect that the Bank will pay income tax higher than MAT during the specified period.
- d) Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.
- e) Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

#### 9) IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India and charged to Profit and Loss Account.

#### 10) PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per the Accounting Standard, 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

#### 11) NET PROFIT:

The Net Profit is arrived at after accounting for the following "Provisions and Contingencies":

- a) Provision for taxes on income and wealth tax in accordance with statutory requirements.
- b) Provision on Standard Assets.
- c) Provision for Non Performing Advances and depreciation on Investments.
- d) Bad debts written off.
- e) Other usual and necessary provisions.



## अनुसूची- 18

### लेखा टिप्पणियां

- 10.91 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 11.71 करोड़ रु.) की लागत के कुछ परिसरों के संबंध में बैंक के पक्ष में दस्तावेजों का पंजीकरण/निष्पादन अभी पूरा होना बाकी है। तथापि, औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई आरंभ की गई है। 2.10 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 2.10 करोड़ रु.) की लागत की 3 सम्पत्तियों के हक-विलेख अभी पंजीकरण कार्यालय से लिए जाने हैं।
- कुछ अग्रिमों में प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से संबंधित सूचना के अभाव में, रिकार्ड पर उपलब्ध मूल्य को लिया गया है।
- मीयादी जमाओं पर प्रोद्भूत किन्तु अदेय ब्याज को संबंधित जमाधारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- प्रस्तावित लाभांश**  
प्रदत्त पूंजी पर 79% की दर से प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान किया गया है। यह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 की धारा 15 व 17 के अनुसरण में विनियामक प्राधिकारियों के अनुमोदन के अध्वधीन है।
- कराधान हेतु प्रावधान**  
वर्ष के लिए चालू आयकर हेतु प्रावधान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के अनुसार न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) के आधार पर किया गया है। भावी लाभप्रदता और आगामी वर्षों में कर योग्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैंक ने 118 करोड़ रु. (पिछले वर्ष शून्य रुपए) की न्यूनतम एकांतर कर क्रेडिट पात्रता को लाभ एवं हानि खाते को क्रेडिट करके एक आस्ति के रूप में मान्यता दी है और 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत इसे प्रकट किया है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए चालू आयकर हेतु 389.67 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 550.94 करोड़ रुपए) का प्रावधान लागू अधिनियमन, न्यायिक घोषणाओं और कानूनी मतों को ध्यान में रखकर किया गया है।

वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधानों की राशि

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
आयकर हेतु प्रावधान		
— चालू वर्ष हेतु प्रावधान	408.00	578.39
— पिछले वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन	18.33	27.45
आस्थिगत कर देयता हेतु प्रावधान / (आस्ति)	7.00	(17.00)

बैंक/आयकर प्राधिकारियों द्वारा दायर अपीलों पर अंतिम निर्णय होने तक विभिन्न निर्धारण वर्षों हेतु 389.59 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 203.14 करोड़ रु.) की विवादग्रस्त कर देयता को (ब्याज सहित) अनुसूची 12 में "आकस्मिक देयताओं" के अंतर्गत दिखाया गया है। बैंक का विश्वास है कि ये मांगें मुख्यतः आधारणीय हैं और अंततः इनका निपटान हो जाएगा। तदनुसार उक्त विवादग्रस्त देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और इन मांगों के प्रति किए गए भुगतानों/समायोजनों को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के तहत वसूली योग्य आयकर के रूप में शामिल किया गया है।

## SCHEDULE -18

### NOTES TO ACCOUNTS

- In respect of certain premises costing Rs. 10.91 crores (previous year Rs. 11.71 crores), Registration / Execution of documents, in favour of the Bank are yet to be completed. However, adequate steps have been initiated to complete the formalities. Title deeds in respect of 3 properties costing Rs. 2.10 crores (previous year Rs.2.10 crore) are yet to be collected from Registration office.
- In the absence of information as to the realizable value of securities in certain advances, the value as per records has been considered.
- Interest accrued but not due on term deposits and saving has been included under the relevant deposits.
- PROPOSED DIVIDEND**  
Proposed Dividend @79% on the paid up capital has been provided for. This is subject to approval from Regulatory Authorities in pursuance of section 15 & 17 of Banking Regulation Act 1949.
- PROVISION FOR TAXATION**

The provision for current income tax for the year is made on the basis of Minimum Alternate Tax (MAT) in accordance with section 115JB of the Income tax Act, 1961. Considering the future profitability and taxable position in subsequent years, the Bank has recognized MAT credit entitlement of Rs. 118 crores (Previous Year: Rs. Nil) as an asset by crediting Profit & Loss Account and disclosed under 'Other Assets'. The provision for current income tax for the year ended March 31, 2012 Rs.389.67 crores (previous year Rs. 550.94 crores) has been made considering applicable enactments, judicial pronouncements and legal opinions.

Amount of Provisions made for Income-tax during the year:

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Income Tax		
- Provision for Current Year	408.00	578.39
-Excess Provision of earlier years write back	18.33	27.45
Provision for Deferred Tax liability/(Asset)	7.00	(17.00)

Pending final outcome of the appeals filed by the bank/income tax authorities, disputed tax liabilities (including interest), for various assessment years, amounting to Rs. 389.59 crores (previous year Rs. 203.14 crores) are shown in Schedule 12 under "Contingent Liabilities". The bank believes that these demands are largely unsustainable and will eventually be set aside. Accordingly, no provision has been made against the said disputed liabilities and payments/adjustments to the extent made against these demands have been included in Schedule 11 under "Other Assets" as Income Tax Recoverable.

**6) पूंजी**

मर्दे	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) सीआरएआर (%)		
बासेल- I	11.01%	12.30%
बासेल- II	12.69%	14.23%
ii) सीआरएआर टीयर-II पूंजी (%)		
बासेल- I	8.78%	8.02%
बासेल- II	10.12%	11.21%
iii) सीआरएआर टीयर-II पूंजी (%)		
बासेल- I	2.23%	2.61%
बासेल- II	2.57%	3.02%
iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.00%	58.00%
v) टीयर -II पूंजी के रूप में जुटाए गए गौण ऋण	शून्य	शून्य
vi) आईपीडीआई जारी करके जुटाई गई राशि (करोड़ रु० में)	शून्य	300.00
vii) उच्चतर टीयर -II प्रपत्र जारी करके जुटाई गई राशि (करोड़ रु० में)	शून्य	200.00

**बैंक ने निम्नानुसार टीयर-II बाण्डों से पूंजी जुटाई:**

वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (करोड़ रु० में)	दर (%)
2007-08	500.00 9.95
2008-09	500.00 8.75
2009-10	- -
2010-11	200.00 8.68
2011-12	- -

**8) विनिधान**
**(राशि करोड़ रु० में)**

मर्दे	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. विनिधानों का मूल्य		
i) विनिधानों का सकल मूल्य		
क) भारत में #	52460.22	49623.69
ख) भारत के बाहर	-	-
ii) मूल्यहास हेतु प्रावधान		
क) भारत में	358.89	78.28
ख) भारत के बाहर	-	-
iii) विनिधानों का निवल मूल्य		
क) भारत में	52101.33	49545.41
ख) भारत के बाहर	-	-
2. विनिधानों पर मूल्यहास के प्रति किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i) अथ शेष	78.28	-
ii) जोड़: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान*	280.61	78.28
iii) घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि/अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	-	-
iv) इति शेष	358.89	78.28

#ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि जमा शामिल है (31.03.2012 की स्थिति अनुसार 7964.05 करोड़ रु. की और 31.03.2011 की स्थिति अनुसार 7470.64 करोड़ रु. की) ।

\* इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान विभिन्न प्रतिभूतियों के अंतर-पोर्टफोलियो अंतरण पर 4.73 करोड़ रु. का मूल्यहास संबंधित प्रतिभूतियों के बही मूल्य में विनियोजित किया गया है ।

**6) CAPITAL**

Items	Current year	Previous year
i) <b>CRAR (%)</b>		
Basel – I	11.01%	12.30%
Basel – II	12.69%	14.23%
ii) <b>CRAR – Tier 1 Capital (%)</b>		
Basel – I	8.78%	9.69%
Basel – II	10.12%	11.21%
iii) <b>CRAR – Tier II Capital (%)</b>		
Basel – I	2.23%	2.61%
Basel – II	2.57%	3.02%
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India in the bank	58.00%	58.00%
v) Amount of subordinate debt raised as Tier-II capital	Nil	Nil
vi) Amount raised by issue of IPDI (Rs. in crores)	Nil	300.00
vii) Amount raised by issue of Upper Tier –II instruments (Rs. in crores)	Nil	200.00

The Bank has raised the following Tier-II Bonds:

Raised during the year	Amount (Rs. in Crore)	Rate (%)
2007-08	500.00	9.95
2008-09	500.00	8.75
2009-10	-	-
2010-11	200.00	8.68
2011-12	-	-

**7) INVESTMENTS**
**(Amount in Rs. crore)**

Items	Current year	Previous year
1. Value of Investments		
i) Gross Value of Investments		
a) In India #	52460.22	49623.69
b) Outside India	-	-
ii) Provisions for Depreciation		
a) In India	358.89	78.28
b) Outside India	-	-
iii) Net value of Investments		
a) In India	52101.33	49545.41
b) Outside India	-	-
2. Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
i) Opening balance	78.28	-
ii) Add: Provisions made during the year*	280.61	78.28
iii) Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	-	-
iv) Closing Balance	358.89	78.28

#Includes amount of RIDF Deposit (Rs. 7964.05 Crore as on 31.03.2012 and Rs. 7470.64 Crore as on 31.03.2011 respectively).

\* Further, depreciation amounting to Rs. 4.73 crore on interportfolio shifting of various securities during 2011-12, has been appropriated in the Book Value of respective securities.





## क) रेपो लेनदेन

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया राशि	31 मार्च 2012 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	4650.00 (5500.00)	1633.13 (1460.19)	4500.00 (0.00)
ii. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
iii. सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	3150.00 (3850.00)	59.08 (117.81)	0.00 (0.00)
iv. कम्पनी ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
मार्केट रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	460.00 (0.00)	105.19 (0.00)	0.00 (0.00)
मार्केट रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	30.00 (0.00)	0.60 (0.00)	0.00 (0.00)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

## a) Repo Transactions

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Minimum outstanding During the Year	Maximum outstanding During the Year	Daily Average outstanding During the Year	outstanding as on March 31, 2012
Securities Sold Under Repo				
i. Government Securities	0.00 (0.00)	4650.00 (5500.00)	1633.13 (1460.19)	4500.00 (0.00)
ii. Corporate debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities Purchased under Reverse Repo				
iii. Government Securities	0.00 (0.00)	3150.00 (3850.00)	59.08 (117.81)	0.00 (0.00)
iv. Corporate debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities sold under Market Repo	0.00 (0.00)	460.00 (0.00)	105.19 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under Market Rev Repo	0.00 (0.00)	30.00 (0.00)	0.60 (0.00)	0.00 (0.00)

(Figures in brackets are for the previous year)

## ख) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

## b) Non-SLR Investment Portfolio

## i) गैर-एसएलआर निवेश की निर्गम संरचना

## i) Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ रु में)/(Amount in Rs. crore)

क्र. सं. No.	जारी कर्ता Issuer	राशि Amount	निजी स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से कम प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'गैर मूल्यांकित' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/PSUs	421.67 (472.47)	201.65 (381.75)	0.00 (0.00)	168.77 (15.00)	10.00 (10.00)
ii)	वित्तीय संस्थान/FIs@	8503.63 (7904.27)	8370.45 (7818.23)	0.00 (0.00)	35.66 (0.00)	8047.29 (7553.88)
iii)	बैंक/Banks	2065.59 (648.81)	1014.76 (588.29)	0.00 (0.00)	1563.19 (0.00)	1504.60 (0.00)
iv)	निजी कंपनियां/Private Corporate	1152.38 (944.69)	845.76 (695.47)	0.00 (0.00)	372.35 (0.00)	191.15 (111.79)
v)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries/ Joint Ventures	184.00 (161.00)	184.00 (161.00)	0.00 (0.00)	184.00 (161.00)	184.00 (161.00)
vi)	अन्य/Others	477.40 (2751.98)	477.40 (239.48)	0.00 (0.00)	277.40 (0.00)	0.00 (0.00)
vii)	कुल/Total (i to vi)	12804.67 (12883.22)	11094.02 (9884.22)	0.00 (0.00)	2601.37* (176.00)	9937.04** (7836.67)
viii)	घटाएं:मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान/ Less: Provision held towards depreciation	120.13 (38.83)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल/Total (vii-viii)	12684.54 (12844.39)	11094.02 (9884.22)	0.00 (0.00)	2601.37 (176.00)	9937.04 (7836.67)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)/(Figures in brackets are for the previous year)





**टिप्पणी :-**

- कालम 4, 5, 6 व 7 में दी गई राशि परस्पर अनन्य नहीं हैं।
- \*अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों में 2601.37 करोड़ रु. के कुल विनिधान में से 2514.51 करोड़ रु. छूट प्राप्त विनिधान में हैं जिनमें 548.51 करोड़ रु. के ईक्विटी शेयर, 37.00 करोड़ रु. के म्यूचुअल फंड, 1504.60 करोड़ रु. निक्षेप प्रमाणपत्र में, 206.78 करोड़ रु. की उद्यम निधि, 33.62 करोड़ रु. की प्रतिभूति प्राप्ति और 184.00 करोड़ रु. का संयुक्त उद्यम बीमा शामिल हैं, इसलिए अश्रेणीकृत विनिधान 86.86 करोड़ रु. (71.86 करोड़ रु. के अधिमानी शेयर और 15.00 करोड़ रु. बाण्ड एवं डिबेंचर में) है।
- \*\*कुल सूचीबद्ध में सीडी 1504.06 करोड़ रु., सीपी 75.92 करोड़ रु., छूट प्राप्त निवेश (एचएफसीएल बाण्ड) 67.03 करोड़ रु. तथा जेवी 184 करोड़ रु. और 7964.05 करोड़ रु. की आरआईडीएफ शामिल हैं।
- @ आरआईडीएफ निवेश शामिल (चालू वर्ष में 7964.05 करोड़ रु. एवं पिछले वर्ष में 7470.64 करोड़ रु.)

**ii) गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश**

(करोड़ रु. में)

विवरण	राशि 31.03.2012 को	राशि 31.03.2011 को
अथशेष	88.93	88.93
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	19.93	0.00
उक्त अवधि के दौरान कमी	0.00	0.00
इति शेष	108.86	88.93
कुल धारित प्रावधान	<b>91.83</b>	<b>88.93</b>

**Note :-**

- (1) Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 are not mutually exclusive.
- (2) \* Out of total investment of Rs. 2601.37 crore in Unrated securities, Rs.2514.51 crore is in exempted investment consisting of equity shares Rs. 548.51 crores, mutual fund of Rs. 37.00 crores, Rs. 1504.60 crore in certificate of Deposit, venture fund of Rs. 206.78 crore, security receipt of Rs. 33.62 crore & JV-INS Rs.184.00 crore, hence unrated investment is Rs. 86.86 crore (Rs. 71.86 crore preference share & Rs. 15.00 crore in Bonds & debenture)
- (3)\*\*Total unlisted includes CD Rs. 1504.06 crore, CP Rs.72.92 crore, exempted investment (HFCL Bonds) Rs. 67.03 crore and JV Rs. 184 crore and RIDF of Rs. 7964.05 crore.
- (4)@ Includes RIDF Investment (Rs. 7964.05 crore in current year and Rs. 7470.64 crore in previous year respectively)

**ii) Non performing Non-SLR investments**

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Amount as at 31.03.2012	Amount as at 31.03.2011
Opening Balance	88.93	88.93
Additions during the year since 1st April	19.93	0.00
Reductions during the above period	0.00	0.00
Closing Balance	108.86	88.93
<b>Total Provisions held</b>	<b>91.83</b>	<b>88.93</b>

**c) विनिधानों का वर्गीकरण / CATEGORISATION OF INVESTMENTS**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार विनिधान संविभाग को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है :

In accordance with Reserve Bank of India guidelines and as stated in Accounting Policy No. 3, investment portfolio has been categorized as under:

(राशि करोड़ रु. में) / (Amount in Rs. crore)

प्रतिभूति / Security	31 मार्च, 2012 के अनुसार स्थिति Position as on March 31, 2012				31 मार्च, 2011 के अनुसार स्थिति Position as on March 31, 2011			
	एचटीएम HTM	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	कुल Total	एचटीएम HTM	एचएफटी HFT	एएफएस AFS	कुल Total
सरकारी प्रतिभूतियां Govt. Securities	28768.77	36.33	10780.34	39585.44	29604.29	0.00	7034.90	36639.19
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	0.00	0.00	70.11	70.11	0.00	0.00	101.27	101.27
शेयर / Shares	30.66	0.23	589.48	620.37	30.66	0.49	661.07	692.22
डिबेंचर / बॉण्ड Debentures / Bonds	0.00	0.00	1981.33	1981.33	0.00	0.00	1807.39	1807.39
अन्य वाणिज्यिक पत्र, इंदिरा विकास पत्र, यूटीआई, म्यूचुअल फंड आदि* Others Commercial, Paper, IVP, UTI, Mutual Funds etc.*	8065.05	387.00	1566.92	10018.97	7549.05	636.23	2037.34	10222.62
अन्य (संयुक्त उद्यम बीमा) Others (Jt. Venture Insurance)	184.00	0.00	0.00	184.00	161.00	0.00	0.00	161.00
<b>कुल / Total</b>	<b>37048.48</b>	<b>423.56</b>	<b>14988.18</b>	<b>52460.22</b>	<b>37345.00</b>	<b>636.72</b>	<b>11641.97</b>	<b>49623.69</b>

एचटीएम- परिवक्ता तक धारित, एचएफटी - ट्रेडिंग हेतु धारित, ए.एफ.एस. - बिक्री हेतु उपलब्ध

**HTM – Held to Maturity; HFT – Held for Trading; AFS – Available for Sale**

\*आर आई डी एफ जमा शामिल है (चालू वर्ष में 7964.05 करोड़ रु. और पिछले वर्ष में 7470.64 करोड़ रु.)

\* Includes RIDF Deposit (Rs. 7964.05 crore in current year and Rs. 7470.64 crore in previous year respectively).



घ) परिवक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों के संबंध में, वर्ष के दौरान परिशोधित प्रीमियम राशि 67.66 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 92.97 करोड़ रु0) है और इसे अनुसूची 13 में "विनिधानों पर आय" में से कटौती के रूप में "अर्जित ब्याज" शीर्ष के तहत लिया गया है।

**ङ) विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान:**

31 मार्च, 2012 के अनुसार "बिक्री हेतु उपलब्ध" तथा 'ट्रेडिंग हेतु धारित' श्रेणियों के अंतर्गत विनिधानों पर मूल्यह्रास हेतु 358.89 करोड़ रु0 (पिछले वर्ष 78.28 करोड़ रु.) रु. का प्रावधान किया गया।

च) बैंक ने वर्ष के दौरान "बिक्री हेतु उपलब्ध" श्रेणी से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में कोई प्रतिभूति अंतरित नहीं की (पिछले वर्ष 1720.17 करोड़ रु. थी) और "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में 2263.84 करोड़ रु. अंतरित किए जो भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है। उपर्युक्त प्रतिभूतियों के अंतरण पर बाजार मूल्य पर अंकित मूल्यह्रास 4.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 64.05 करोड़ रु.) था और उसे लाभ व हानि खाते में नामे डाला गया है। बैंक ने 0.20 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 0.16 करोड़ रु.) का मूल्यह्रास दर्ज करके 0.85 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 0.95 करोड़ रु.) की प्रतिभूतियों को भी 'ट्रेडिंग हेतु धारित' श्रेणी से 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' में अंतरित किया है।

छ) वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने जीवन बीमा कारोबार हेतु केनरा बैंक और एचएसबीसी के साथ "केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड" नाम एवं स्वरूप की संयुक्त उद्यम कम्पनी में पूंजी अंशदान के लिए 23.00 करोड़ रु0 (पिछले वर्ष 46.00 करोड़ रु0) का निवेश किया। 31.03.2012 को कुल बकाया पूंजी 184.00 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 161.00 करोड़ रु.) है, जो बैंक द्वारा 23% का पूंजी अंशदान है।

बैंक द्वारा किए गए उक्त निवेश को संयुक्त उद्यमों में विनिधान शीर्ष के तहत "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसे संयुक्त उद्यम निवेश के रूप में धारित करने की मंशा है, यद्यपि यह धारिता भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिमानों के अनुसार अपेक्षित 25% से कम है। प्रबंध वर्ग के मतानुसार आरंभिक घाटों के कारण उक्त विनिधानों के मूल्य का प्रभाव स्थायी स्वरूप का नहीं है इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

**8) डेरिवेटिव्स**

बैंक ने आलोच्य वर्ष के दौरान डेरिवेटिव लेन-देन अर्थात् ब्याज दर संबंधी भावी सौदे, मुद्रा संबंधी भावी सौदे एवं ब्याज दर विनिमय सौदे किए। 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार ब्याज दर संबंधी भावी सौदों तथा विनिमय सौदों के संबंध में कोई बकाया नहीं है। तथापि, 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अंतरबैंक बाजार में किए गए मुद्रा भावी सौदे में एक बकाया स्थिति रही। इसके अतिरिक्त, विभिन्न ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं के अंतर्गत लेन-देन भी किए गए और आज की तारीख तक बकाया राशि 38,138.88 करोड़ रु0 (पिछले वर्ष 31,603.66 करोड़ रु.) है।

**क. वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप**

(राशि करोड़ रु0 में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i. स्वैप व्यवस्थाओं का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
ii. यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं करता है तो होने वाली हानि	शून्य	शून्य
iii. स्वैप करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक	शून्य	शून्य
iv. स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रीकरण	शून्य	शून्य
v. स्वैप बुक का सही मूल्य	शून्य	शून्य

d) In respect of investments under Held to Maturity category, the premium amount amortized during the year is Rs. 67.66 crores (previous year Rs. 92.97 crores) and the same has been accounted for in Schedule No.13 under the head 'Interest Earned' as deduction from 'Income on Investments'.

**e) Provision for Depreciation on Investments:**

Provision for depreciation on investments under 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories as on March 31, 2012, is Rs. 358.89 crore (previous year Rs. 78.28 crore).

f) The Bank has not transferred any Securities (previous year Rs. 1720.17 crores), from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category and transferred Rs. 2263.84 crores from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category (previous year Rs. 962.34 crores) during the year which is in accordance with the RBI guidelines. The Mark to Market depreciation on shifting of above mentioned securities was Rs. 4.53 crores (previous year Rs. 64.05 crores), and the same has been debited to Profit and Loss Account. Bank also transferred securities amounting to Rs. 0.85 crores (previous year Rs. 0.95 crores) from 'Held for Trading' to 'Available for Sale' category by booking depreciation of Rs. 0.20 crores (previous year Rs. 0.16 crores).

g) During the financial year 2011-12 Bank has invested Rs. 23.00 crores (previous year Rs. 46.00 crores) towards capital contribution in joint venture Company for Life Insurance Business with Canara Bank and HSBC under the name and style of "Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited". The total capital outstanding as on 31.03.2012 is Rs. 184.00 crores (previous year Rs. 161.00 crores), which amounts to 23% capital contribution by the bank.

The said investment made by the Bank has been classified under 'Held to Maturity' category under the head investment in joint ventures, as the intention is to hold as joint venture investment although the holding is less than 25% as required under RBI norms. In the opinion of the management the impact in the value of the said investment on account of initial losses is not permanent in nature and hence no provision is considered necessary.

**8) DERIVATIVES**

The Bank has undertaken Derivative Transactions viz. Interest Rate Future, Currency Futures, Currency options and Interest Rate Swap (OIS) during the year. There is no outstanding in respect of Interest Rate Future and Interest Rate Swap (OIS) as on 31-3-2012. However, there is an outstanding position in currency future which is covered in interbank market as on 31-3-2012. Also, transactions under Foreign Exchange Forward Contracts have been undertaken on behalf of various clients and outstanding as on date is Rs. 38,138.88 crores (previous year Rs. 31,603.66 crores).

**a. Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap**

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Current year	Previous year
i. The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii. Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v. The fair value of the swap book	NIL	NIL

**ख. एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स**

(राशि करोड़ ₹0 में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. वर्ष के दौरान एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार) क) जून संविदा ख) जुलाई संविदा	शून्य 51.04	1.00 शून्य
2. एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि 31 मार्च 2012 को बकाया	शून्य	शून्य
3. एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स की कल्पित मूल राशि— बकाया एवं "अत्यधिक प्रभावी" नहीं	शून्य	शून्य
4. एक्सचेंज में किए गए ब्याज दर बकाया डेरिवेटिव्स जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है, का 'बाजार को अंकित मूल्य'	शून्य	शून्य

**ग) परिणामात्मक प्रकटन**

ट्रेजरी विभाग में परिचालनों को तीन कार्यक्षेत्रों में बांटा गया है अर्थात् फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस तथा बैक ऑफिस, जिनमें आवश्यक बुनियादी सुविधाएं तथा प्रशिक्षित अधिकारी हैं, जिनके उत्तरदायित्व सुपरिभाषित हैं।

बैंक की राजकोषीय नीति में वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों के प्रकारों, प्रयोग क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। व्युत्पन्न लेनदेनों में ब्याज दर जोखिम, प्रतिपक्ष जोखिम, बाजार जोखिम, मुद्रा जोखिम, निपटान जोखिम, खुली स्थिति जोखिम तथा परिचालनपरक जोखिम रहते हैं। राजकोषीय नीति में आंतरिक नियंत्रण सीमाओं जैसे क्रय-विक्रय की खुली स्थिति सीमाओं, सौदे की सीमाओं, हानि रोध सीमाओं, अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग/बचाव के लिए सौदा प्रारंभ करने वाले प्राधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके और व्युत्पन्न लेनदेनों से अधिक से अधिक आय हो सके।

मिड ऑफिस व्यापारिक बहियों में लेनदेनों को मॉनिटर करता है और प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) स्थिति की गणना द्वारा व्यापारिक बही में दैनिक आधार पर लेनदेनों में वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। दैनिक बाजार मूल्य स्थिति की दैनिक रिपोर्ट निवेश समिति को प्रस्तुत की जाती है।

बैंक में अपने तुलनपत्र में लिए गए एक्सपोजर के बचाव की नीति है। बैंक की राजकोषीय नीति में एक्सपोजर के बचाव हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। बचावकारी लेनदेनों को नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है।

बचावकारी/ व्यापारिक लेनदेन अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं। बचावकारी लेनदेनों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है। समस्त व्यापारिक संविदाएं बाजार को अंकित की जाती हैं तथा परिणामतः सकल हानि को विवेकसम्मत आधार पर लाभ की अनदेखी करते हुए हिसाब में लिया जाता है।

बैंक करेंसी फ्यूचर/ब्याज दर फ्यूचर के लिए तीन एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), एमसीएक्स-एसएक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स-एसएक्स, युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज (यूएसई) का व्यापारिक एवं निकासी (क्लीयरिंग) सदस्य है। बैंक करेंसी फ्यूचर्स ब्याज दर फ्यूचर्स तथा ब्याज दर स्वेप में स्वामित्व लेनदेन करता है। बैंक ने फ्रंट, मिड तथा बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित की है, विनियमकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) तथा मार्जिन दायित्वों का निपटान एक्सचेंजों के साथ किया जाता है।

ट्रेजरी नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है।

**b. Exchange Traded Interest rate derivatives**

(Amount in Rs. crore)

S. No.	Particulars	Current year	Previous year
1.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) June Contract b) July Contract	NIL 51.04	1.00 NIL
2.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 <sup>st</sup> March, 2012	NIL	NIL
3.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'.	NIL	NIL
4.	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective'.	NIL	NIL

**c) Qualitative disclosure:**

Operations in the Treasury Department are segregated into three functional areas, i.e. Front Office, Mid Office and Back Office equipped with necessary infrastructure and trained Officers, whose responsibilities are well defined.

The Treasury Policy of the Bank clearly lays down the types of financial derivative instruments, scope of usage, approval process. Derivative transactions contain interest rate risk, counterparty risk, market risk, currency risk, settlement risk, open position risk and operational risk. Treasury Policy clearly specify the internal control limits like open position limits, deal size limits, stop-loss limits, deal initiating authority for trading/hedging in approved instruments to contain the risk and maximize return on the derivative transactions.

The mid office monitors the transactions in the trading books and also measures the financial risks for the transactions in the trading book on a daily basis by way of calculating Mark to market (MTM) of positions. Daily MTM position is reported to the Investment Committee.

The Bank also has a policy for hedging its balance sheet exposures. The treasury policy of the Bank spells out the approval process for hedging the exposures. The hedged transactions are monitored on a regular basis.

The hedging/trading transactions are recorded separately. The hedge transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are market to market and resultant gross loss is accounted for ignoring the gain on a prudence basis.

The Bank is Trading & Clearing Member of three exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), MCX-SX Stock Exchange (MCX-SX), United Stock Exchange (USE) for currency futures /interest rate futures. The Bank undertakes proprietary trading in currency futures, interest rate futures & interest rate swaps. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back Office operations, daily mark to market (MTM) and margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the regulators.

Treasury Policy has been drawn up in accordance with RBI guidelines.



## d) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosure-

(करोड़ रु. में) (Amount in Rs. crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष Current Year		पिछले वर्ष Previous Year	
	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest rate Derivatives
i) डेरिवेटिव (अनुमानित मूलधन) Derivatives (Notional Principal Amount)				
a) बचाव व्यवस्था हेतु / For hedging	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) व्यापार हेतु / For trading	2057.03*	शून्य / NIL	60.09	शून्य / NIL
ii) प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्यों की स्थिति Marked to market Positions				
a) आस्तियां (+)/Assets (+)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) देयताएं (-)/Liabilities (-)	11.45	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii) ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv) ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a) बचाव व्यवस्था डेरिवेटिव्स पर / On hedging derivatives	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) व्यापारिक डेरिवेटिव्स पर / On trading derivatives	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
v) वर्ष के दौरान देखा गया 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम प्रभाव Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
a) बचाव व्यवस्था पर / On hedging	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
b) व्यापार पर / On trading	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
अधिकतम / Maximum		-2.57		-1.74
न्यूनतम / Minimum		शून्य / NIL		शून्य / NIL

\*अंतर बैंक बाजार में कवर की गई स्थिति / Position covered in inter-bank market

## 9) आस्ति गुणवत्ता

## क) गैर-निष्पादनकारी आस्तियां:

(राशि करोड़ रु. में)

मदें	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए. (%)	2.21%	0.98%
ii) एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव (सकल)		
क) अथ शेष	1920.54	1468.75
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	3897.59	1556.00
ग) वर्ष के दौरान कमी	2237.64	1104.21
घ) इति शेष	3580.49	1920.54
iii) निवल एनपीए में उतार-चढ़ाव		
क) अथ शेष	938.15	723.82
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	3897.59	1556.00
ग) वर्ष के दौरान कमी	2376.71	1341.67
घ) इति शेष	2459.03	938.15
iv) एनपीए हेतु प्रावधान में उतार-चढ़ाव (स्तरीय आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
क) अथ शेष	973.64	728.55
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1071.91	245.09
ग) बट्टे खाते डाली गई राशि/ अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन	932.88	0.00
घ) इतिशेष	1112.67	973.64

## 9) ASSET QUALITY

## a) Non-Performing Assets:

(Amount in Rs. crore)

Items	Current Year	Previous Year
i) Net NPAs to Net Advances (%)	2.21%	0.98%
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	1920.54	1468.75
b) Additions During the Year	3897.59	1556.00
c) Reductions During the Year	2237.64	1104.21
d) Closing Balance	3580.49	1920.54
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	938.15	723.82
b) Additions during the year	3897.59	1556.00
c) Reductions during the year	2376.71	1341.67
d) Closing balance	2459.03	938.15
iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	973.64	728.55
b) Provisions Made During the Year	1071.91	245.09
c) Write-off/ write-back of Excess Provisions	932.88	695.70
d) Closing balance	1112.67	973.64





उपर्युक्त आंकड़ों में 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार बैंक के एनपीए संविभाग के प्रति बैंक द्वारा किए गए 72.00 करोड़ रु० के अस्थायी प्रावधानों का प्रभाव शामिल है तथा इसे 31.03.2012 को भी रखा गया है।

निवल एनपीए, ईसीजीसी/डीआईसीजीसी के निपटाए गए दावों का समायोजन करने के बाद निकाले गये हैं।

31.03.2012 को बैंक का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 61.52% (पिछले वर्ष 76.79%) है जिसकी गणना बैंक द्वारा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई कुल राशि को हिसाब में लेकर की गई।

प्रावधान में जहां जरूरी हो, निर्धारित से अधिक दर पर किया गया प्रावधान शामिल है।

ख) पुनः संरचित खातों के विवरण

b) Particulars of Accounts Restructured

(राशि करोड़ रु. में) / (Amount in Rs. crores)

		सी.डी.आर तंत्र CDR Mechanism		एसएमई ऋण पुनः संरचना SME Debt Restructuring		अन्य Others	
		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
पुनः संरचित स्तरीय अग्रिम Standard advances restructured	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	13	7	30	39	1770	6933
	बकाया राशि Amount Outstanding	1173.95	161.33	141.64	207.39	5252.02	474.76
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	144.66	16.29	3.79	4.05	18.95	21.00
पुनः संरचित अवस्तरीय अग्रिम Sub Standard advances restructured	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	1	0	1	0	13	48
	बकाया राशि Amount Outstanding	37.44	0.00	2.28	0.00	0.85	1.18
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	12.50	0.00	0.08	0.00	0.04	0.06
पुनः संरचित संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	0	0	0	1	1	0
	बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.34	0.04	0.00
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.002	0.00
कुल Total	ऋणियों की संख्या No. of Borrowers	14	7	31	40	1786	6981
	बकाया राशि Amount Outstanding	1211.39	161.33	143.92	207.73	5252.91	475.94
	घाटा (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	157.16	16.29	3.87	4.07	18.99	21.06

(प्रबंध वर्ग द्वारा समेकित और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया) / (Compiled by management and relied upon by the Auditors)





ग) आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतीकरण/पुनः संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	खातों की संख्या	1	शून्य
ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटा कर)	1.33	शून्य
iii)	कुल प्रतिफल	0.56	शून्य
iv)	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/हानि	0.77	शून्य

घ) खरीदी गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ङ) बेची गई गैर-निष्पादनकारी वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	कुल प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

च) स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधानः

(राशि करोड़ रु. में)

मद	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
स्तरीय आस्तियों हेतु प्रावधान	158.00	35.00

बैंक द्वारा धारित स्तरीय आस्तियों के लिए किया गया संचित प्रावधान, जो वर्ष की समाप्ति पर 530.80 करोड़ रु० (पिछले वर्ष 372.80 करोड़ रु.) है, को तुलन पत्र की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं व प्रावधान' के तहत शामिल किया गया है।

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction.

(Amount in Rs. crore)

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
i)	No. of Accounts	1	NIL
ii)	Aggregate value ( Net of Provisions) of Accounts sold to SC/RC	1.33	NIL
iii)	Aggregate consideration	0.56	NIL
iv)	Additional consideration realized in respect of Accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
v)	Aggregate gain/loss over net book value	0.77	NIL

d) Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount in Rs. crore)

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
1. (a)	No. of Accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2. (a)	Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	Aggregate outstanding	NIL	NIL

e) Details of non-performing financial assets sold:

(Amount in Rs. crore)

S.No.	Item	Current Year	Previous Year
1.	No. of Accounts sold	NIL	NIL
2.	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3.	Aggregate consideration received	NIL	NIL

f) Provisions Standard Assets:

(Amount in Rs. crore)

Item	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets	158.00	35.00

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year end amounting to Rs.530.80 crores (*previous year* Rs. 372.80 crores) is included under Other Liabilities And Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.



10. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	मर्दे	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय	9.27%	8.29%
2.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय	0.73%	0.66%
3.	कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ	1.84%	2.23%
4.	आस्तियों पर आय	0.67%	1.03%
5.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां जमा अग्रिम) (लाख रु. में)	1462.17	1418.00
6.	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रु. में)	6.21	9.04

10) Business Ratios

S.No.	Items	Current Year	Previous Year
1.	Interest Income as a percentage to Working Funds	9.27%	8.29%
2.	Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.73%	0.66%
3.	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.84%	2.23%
4.	Return on Assets	0.67%	1.03%
5.	Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in lacs)	1462.17	1418.00
6.	Profit per employee (Rs. in Lacs)	6.21	9.04

11) आस्ति एवं देयता प्रबंधन / ASSET LIABILITY MANAGEMENT

31.03.2012 के अनुसार आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मर्दों का परिपक्वता ढांचा

Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on 31.03.2012.

(राशि करोड़ रु. में) (Amount in Rs. crore)

परिपक्वता ढांचा MATURITY PATTERN	1 दिन 1 Day	2-7 दिन 2-7 Days	8-14 दिन 8 - 14 Days	15-28 दिन 15 - 28 Days	29 दिन से 3 माह 29 Days to 3 Months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 Months To 6 Months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 Months To 1 Year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 Year To 3 Years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 Years To 5 Years	5 वर्ष से अधिक Over 5 Years	कुल TOTAL
जमाराशियां DEPOSITS											
चालू वर्ष Current Year	1807.25	2672.57	2446.76	7399.54	23023.58	23014.55	33633.81	24231.03	6943.66	30792.19	155964.92
पिछले वर्ष Previous Year	1405.42	3473.17	3859.40	5770.47	19962.67	20443.00	39714.03	28377.45	3756.47	12292.17	139054.25
ऋण एवं अग्रिम (कुल) LOANS & ADVANCES (Gross)											
चालू वर्ष Current Year	6249.93	1532.94	2038.24	5076.76	9925.98	9603.66	11816.13	22320.56	14883.08	29602.53	113049.81
पिछले वर्ष Previous Year	7364.70	1386.68	1079.59	4592.43	9500.62	9421.21	11588.60	29063.90	11997.45	10843.74	96838.90
निवेश INVESTMENTS (Gross)											
चालू वर्ष Current Year	776.14	248.32	160.03	538.08	1238.81	651.85	1470.78	8101.94	8959.48	30314.81	52460.23
पिछले वर्ष Previous Year	40.32	911.77	99.70	115.73	2320.35	597.81	937.60	2956.33	5809.81	28363.62	42153.04



उधार/पुनर्वित्त BORROWINGS /Refinance											
चालू वर्ष Current Year	400.00	0.00	0.00	0.00	0.05	18.88	0.79	150.62	76.38	112.39	759.11
पिछले वर्ष Previous Year	0.05	0.03	0.03	960.11	0.17	36.42	424.11	172.63	0.44	0.75	1594.74
विदेशी मुद्रा आस्तियां FOREIGN CURRENCY ASSETS											
चालू वर्ष Current Year	7836.21	911.48	7.12	449.57	8711.64	6011.62	4284.75	32.38	193.97	00.00	28438.74
पिछले वर्ष Previous Year	2761.82	1010.97	37.06	477.68	5938.35	2748.85	7074.98	300.06	203.15	00.00	20552.92
विदेशी मुद्रा देयताएं FOREIGN CURRENCY LIABILITIES											
चालू वर्ष Current Year	7364.01	910.36	0.49	774.85	8899.37	6087.32	4436.81	91.66	20.07	0.00	28584.94
पिछले वर्ष Previous Year	2628.60	1131.46	65.35	850.31	6187.68	2232.58	7382.45	82.07	47.93	0.50	20608.93

(प्रबंधवर्ग द्वारा तैयार किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)

(Compiled by management and relied upon by the Auditors)

(विभिन्न कंपनियों के सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश, जो पहले '5 वर्ष से ऊपर' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किए जा रहे थे, अब '1 दिन तक' की बकेट के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किए गए हैं)

(\*Investment in Quoted Equity shares of various companies earlier being categorized under "Above 5 years" are now categorized under "up to 1 Day bucket")

## 12. वित्त

### (क) पूंजी बाजार को वित्त

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी आधारभूत निधि का विशिष्ट निवेश कारपोरेट ऋणों में नहीं किया गया है।	452.04	582.70
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर अग्रिम।	0.54	0.70
(iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां	243.05	216.83

## 12) EXPOSURE

### a) Exposure to Capital Market

(Amount in Rs. crore)

S. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
(i)	direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	452.04	582.70
(ii)	advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.54	0.70
(iii)	advances for any other purposes	243.05	216.83

	शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।		
(iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जो शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों की सम्पार्श्विक प्रतिभूति की सीमा तक प्रतिभूत हों अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा अग्रिम पूरी तरह कवर न हो।	100.36	0.35
(v)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	307.42	323.75
(vi)	कारपोरेटों को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा बेजमानती आधार पर संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कम्पनियों की ईक्विटी में प्रवर्तकों का अंशदान वहन करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कम्पनियों को पूरक ऋण।	0.00	0.00
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा ईक्विटी वाले म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु शेयर दलालों को दिया गया वित्त।	0.00	0.00
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए कुल वित्त ईक्विटी के समतुल्य माने जाएंगे तथा पूंजी बाजार ऋण सीमा के अंतर्गत (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों) अनुपालन हेतु लिए जाएंगे।	206.78	192.84
	<b>पूंजी बाजार को कुल ऋण*</b>	<b>1310.19</b>	<b>1317.17</b>

\* इसमें जोखिम पूंजी निधि का 173.88 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 195.63 करोड़ रु.) का अनाहरित भाग शामिल नहीं है।

**ख) स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण** (राशि करोड़ रु.में)

श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>क) प्रत्यक्ष ऋण</b>		
i) आवासीय बंधक : उधारकर्ता द्वारा कब्जा की गई अथवा की जाने वाली अथवा किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह प्रतिभूत ऋण (इसमें प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने हेतु पात्र 4467.46 करोड़ रु० के वैयक्तिक आवासीय ऋण भी शामिल हैं (पिछले वर्ष 3699.77 करोड़ रु.))	6128.95	5085.00

	where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	100.36	0.35
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	307.42	323.75
(vi)	loans sanctioned to Corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows/issues	0.00	0.00
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	All exposure to venture capital funds(both registered & unregistered ) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceiling(both direct & indirect)	206.78	192.84
	<b>Total Exposure to Capital Market*</b>	<b>1310.19</b>	<b>1317.17</b>

\* Does not includes undrawn portion of Venture Capital Fund Investments amounting Rs.173.88 Crore (Previous Year Rs.195.63 crore)

**b) Exposure to Real Estate Sector:** (Amount in Rs. crore)

Category	Current Year	Previous Year
<b>a.) Direct Exposure</b>		
i) Residential Mortgages: Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented [includes individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances amounting Rs. 4467.46 Crs (previous year Rs.3697.77 Crs)].	6128.95	5085.00



ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपारिवारिक आवासीय भवन, कई किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा भंडार गृह स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। इसमें गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं।	5688.10	6148.47
iii.) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	0.00	0.00
क) आवासीय ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (ख) अप्रत्यक्ष ऋण राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी)को निधि- आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण	2722.59	3872.65
<b>स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण</b>	<b>14539.64</b>	<b>15106.12</b>

## (ग) जोखिम श्रेणीवार देश ऋण

(करोड़ रु०में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च, 2012 को ऋण (निवल) (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2012 को प्रावधान (चालू वर्ष)	31 मार्च, 2011 को ऋण (निवल) (पिछले वर्ष)	31 मार्च, 2011 को प्रावधान (पिछले वर्ष)
मामूली	712.70	0.00	1134.79	0.00
कम	1306.11	0.00	1221.97	0.00
सामान्य	216.66	0.00	234.87	0.00
उच्च	37.63	0.00	51.55	0.00
अत्यधिक उच्च	20.67	0.00	27.87	0.00
सीमित	1.93	0.00	4.20	0.00
न्यून ऋण	0.00	0.00	0.15	0.00
<b>कुल</b>	<b>2295.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2675.40</b>	<b>0.00</b>

प्रत्येक देश के लिए जोखिम श्रेणी-वार देश ऋण हेतु बैंक के निवल निधिक ऋण 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम हैं तथा इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

## (घ) बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल) के अतिक्रमण के विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2012 को बकाया
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

## (ड.) बैंक द्वारा समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	अधिकतम ऋण सीमा	स्वीकृत सीमा	31.03.2012 को बकाया
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii) Commercial Real Estate: Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.), including non-fund based (NFB) limits.	5688.10	6148.47
iii.) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other Securitised Exposures:	0.00	0.00
a) Residential b) Commercial Real Estate b) Indirect Exposure Fund Based and Non-fund Based Exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2722.59	3872.65
<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>14539.64</b>	<b>15106.12</b>

## c) Risk Category wise Country Exposure:

(Amount in Rs. crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2012 (Current Year)	Provision held as at March 31, 2012 (Current Year)	Exposure (net) as at March 31, 2011 (Previous Year)	Provision held as at March 31, 2011 (Previous Year)
Insignificant	712.70	0.00	1134.79	0.00
Low	1306.11	0.00	1221.97	0.00
Moderate	216.66	0.00	234.87	0.00
High	37.63	0.00	51.55	0.00
Very High	20.67	0.00	27.87	0.00
Restricted	1.93	0.00	4.20	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.15	0.00
<b>Total</b>	<b>2295.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2675.40</b>	<b>0.00</b>

Bank's net funded exposure for risk category-wise country exposures for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2012 and as such no provision is required in terms of RBI guidelines.

## d) Details of Single Borrower Limit (SBL), exceeded by the Bank:

(Amount in Rs. crore)

S.No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2012
1.	NIL	NIL	NIL	NIL

## e) Details of Group Borrower Limit (GBL), exceeded by the Bank:

(Amount in Rs. crore)

S.No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2012
1.	NIL	NIL	NIL	NIL



(च) अप्रतिभूत अग्रिम: 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार 1667.66 करोड़ रु० की राशि (पिछले वर्ष 1976.66 करोड़ रु.) के अग्रिम अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे: अधिकार (राइट्स), लाइसेंस, प्राधिकार आदि के प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं। प्रबंधन के विचार में बैंक को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रभारित ऐसी अमूर्त प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य कम से कम बकाया राशि के मूल्य के बराबर है।

**13) अतिरिक्त प्रकटीकरण**
**क) जमाराशियों का संकेन्द्रीकरण**

(करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	14019.59	13508.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	8.98%	9.71%

**ख) अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण**

(करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	18696.63	21097.12
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	16.54%	21.79%

**ग) एक्सपोज़रों का संकेन्द्रीकरण**

(करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	23733.24	21256.85
बैंक के कुल एक्सपोज़रों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़रों का प्रतिशत	16.75%	15.29%

**घ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का संकेन्द्रीकरण**

(करोड़ रुपए में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सर्वोच्च चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	529.80	263.51

**ड.) क्षेत्रवार एनपीए**

क्रं. सं.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	4.74	3.44
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम तथा बड़े)	3.94	2.73
3	सेवाएं	6.46	3.96
4	वैयक्तिक ऋण	5.86	5.05

f) **Unsecured Advances:** The advances amounting to Rs.1667.66 Crores as on 31.03.2012 (previous year Rs.1976.66 crores) are secured by way of charge of intangible securities such as rights, licenses, authority etc. In the views of the management, the estimated values of such intangible securities charged to the bank as collateral are at least equal to the outstanding amount.

**13) ADDITIONAL DISCLOSURE:**
**a) Concentration of Deposits**

(Amount in Rs. crore)

	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors	14019.59	13508.00
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	8.98%	9.71%

**b) Concentration of Advances**

(Amount in Rs. crore)

	Current Year	Previous Year
Total Advances to twenty largest borrowers	18696.63	21097.12
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	16.54%	21.79%

**c) Concentration of Exposure**

(Amount in Rs. crore)

	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	23733.24	21256.85
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposures of the Bank on borrowers/customers	16.75%	15.29%

**d) Concentration of NPAs**

(Amount in Rs. crore)

	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top four NPA accounts	529.80	263.51

**e) Sector-wise NPAs**

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		Current Year	Previous Year
1	Agriculture & Allied activities	4.74	3.44
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	3.94	2.73
3	Services	6.46	3.96
4	Personal Loans	5.86	5.05



## ड.) एनपीए का उतार चढ़ाव

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	01.04.2011 के अनुसार कुल एनपीए* (अथ शेष)	1920.54	1468.75
2	वर्ष के दौरान जोड़ (नए एनपीए)	3897.59	1556.00
	<b>उप-जोड़ (क)</b>	<b>5818.13</b>	<b>3024.75</b>
	<b>घटाएं:</b>		
(i)	अपग्रेडेशन	682.19	75.38
(ii)	वसूलियां (अपग्रेडिड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	622.57	333.13
(iii)	बट्टे खाते डाले गए	932.88	695.70
	<b>उप-जोड़ (ख)</b>	<b>2237.64</b>	<b>1104.21</b>
	31 मार्च, 2012 के अनुसार कुल एनपीए-इति शेष-(क) घटा (ख)	<b>3580.49</b>	<b>1920.54</b>

\* कुल एनपीए डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी नं.46/21.04.048/2009-10 दिनांक 24 सितंबर, 2009 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार है।

## च) विदेश में आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
कुल आस्तियां	0.18	0.15
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

छ) तुलन-पत्र से इतर एसपीवी समर्थित (घरेलू एवं ओवरसीज़)-शून्य

ज) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09.02.2011 के परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंक ने पेंशन का दूसरा विकल्प लेने वालों के संबंध में पेंशन देयता का परिशोधन वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ करके 5 वर्षों की अवधि में करने का विकल्प चुना है। तदनुसार 01.04.2011 को शेष 683.60 करोड़ रु. की अपरिशोधित राशि में से बैंक ने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए 170.90 करोड़ रु. की राशि परिशोधित की है।

झ) भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी के पास रखी गई आरआईडीएफ जमा राशियां, जो अब तक "बैंकों के पास जमा राशियां" (अनुसूची 7 - बैंकों के पास अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्त जमा राशि में मद सं० (i) (ख) पर) श्रेणी में रखी जाती थीं अब अनुसूची 8 - तुलनपत्र में विनिधान, मद I (vi) - "अन्य" में रखी गई हैं और यह 7964.05 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 7470.64 करोड़ रु.) हैं। तदनुसार, उक्त जमा राशियों पर आय, जो अब तक अनुसूची 13 अर्जित ब्याज की मद 13 (iii) - "भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिशेष एवं अंतर बैंक निधियों पर ब्याज" के अंतर्गत रखी जा रही थी, अब अनुसूची 13 अर्जित ब्याज, मद 13 (ii) - "विनिधानों पर आय" के अंतर्गत रखी गई है और यह 378.46 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 322.93 करोड़ रु.) है।

## 14) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए अर्थदण्ड का प्रकटन

आलोच्य वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर 63,359/- रु. का अर्थदंड लगाया गया।

## f) Movement of NPAs

(Amount in Rs. crore)

S. No.	Sector	Current Year	Previous Year
1	Gross NPAs* as on 01.04.2011 (Opening balance)	1920.54	1468.75
2	Additions (fresh NPAs) during the year	3897.59	1556.00
	<b>Sub-total (A)</b>	<b>5818.13</b>	<b>3024.75</b>
	<b>LESS:</b>		
(i)	Upgradations	682.19	75.38
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	622.57	333.13
(iii)	Write-offs	932.88	695.70
	<b>Sub-total (B)</b>	<b>2237.64</b>	<b>1104.21</b>
	Gross NPA as on 31 <sup>st</sup> March, 2012 - Closing balance - (A) less (B)	<b>3580.49</b>	<b>1920.54</b>

\* Gross NPA as per item 2 of Annex to DBOD circular DBOD.BP.BC.No. 46/21.04.048/2009-10 dated September 24, 2009.

## g) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Assets	0.18	0.15
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

h) Off-Balance Sheet SPVs sponsored (domestic & overseas) - Nil

i) In terms of RBI circular DBOD. BP. BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank has opted to amortise pension liability with respect to second pension optees for a period of 5 years commencing from FY 2010-11. Accordingly, out of the balance unamortized amount of Rs 683.60 crore as on 01.04.2011, the Bank has amortised Rs 170.90 crore being amount for the year ended 31.03.2012.

j) RIDF deposits placed by the Bank with NABARD/SIDBI/NHB which were hitherto being grouped under "Deposits with Banks (schedule 7- Balance with banks and Money at call & Short Notice at item (i)(b))" has now been regrouped under Schedule 8- Investments in the Balance Sheet at item I (vi)- "Others" amounting to Rs. 7964.05 crore (Previous Year Rs. 7470.64 crore) in accordance with extant RBI guidelines. Accordingly, income on said deposits which was hitherto being grouped under Schedule 13 Interest Earned at item 13(iii)- "Interest on Balance with RBI & Inter Banks funds", has now been regrouped under Schedule 13 Interest Earned at item 13(ii)- "Income on Investment", amounting Rs. 378.46 crores (Previous Year Rs. 322.93 crores).

## 14) Disclosure of Penalties imposed by RBI:

During the year a sum of Rs.63,359/- has been imposed on the Bank as penalty by RBI.

**15) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन**

क) लेखांकन मानक -एएस 5 : आलोच्य अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

अनुसूची 16 के अंतर्गत "अन्य व्यय" में शामिल अवधि पूर्व व्यय 2.47 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 7.14 करोड़ रु.) है। अनुसूची 14 के अंतर्गत "अन्य आय" में शामिल अवधि पूर्व आय 0.49 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 3.30 करोड़ रु.) है।

ख) लेखांकन मानक - एएस 9 : राजस्व मान्यता

लेखांकन नीति सं० 1 (ख)के अनुसार आय की कुछ मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण नकद आधार पर लिया गया है।

ग) लेखांकन मानक -एएस 15 : कर्मचारी लाभ

बैंक एएस-15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" अपना रहा है। परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाएं निम्नानुसार हैं:

**I. भविष्य निधि**

बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में एक नियत अंशदान का भुगतान एक अलग न्यास को करता है, जो इन निधियों का निवेश अनुमोदित प्रतिभूतियों में करता है। इस कोष में आलोच्य अवधि के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया गया है। बैंक का दायित्व इस प्रकार के नियत अंशदान तक सीमित है।

**II. उपदान**

बैंक में 01.01.1983 से पहले कार्यग्रहण करने वाले / बनने वाले अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित उपदान लाभ योजना है। प्रत्येक अधिकारी / कर्मकार जिसने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है वह अधिवार्षिकी, त्यागपत्र देने, सेवा - समाप्ति, विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर अधिकतम 20 माह का उपदान पाने का पात्र है। इस योजना का निधीयन बैंक करता है और इसका प्रबंध एक अलग न्यास करता है। इनके दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

**III. पेंशन**

बैंक में एक परिभाषित पेंशन लाभ योजना है। यह योजना 29/09/1995 की स्थिति के अनुसार बैंक के उन वर्तमान कर्मचारियों पर, जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है और इसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू है। इस योजना की देखरेख एक अलग न्यास करता है और इसका दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर माना जाता है।

**IV. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)**

अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभों में कर्मचारियों और आश्रितों को उनके गृह नगर (होम टाऊन) में बसाना और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ शामिल हैं। ये गैर निधिक हैं और इन्हें बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना गया है।

लाभ एवं हानि खाता और तुलन पत्र में लिए गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिक स्थिति निम्नानुसार है :

**15) COMPLIANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS (AS) ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA.**

a) **Accounting Standard AS-5 – Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies:**

Prior period expenses included in "Other Expenditure" under schedule 16 is Rs.2.47 crore (previous year 7.14 Crores). Prior period income included in "Other Income" under schedule 14 is Rs.0.49 crore (previous year Rs.3.30 Crores).

b) **Accounting Standard AS-9 – Revenue Recognition:**

As per Accounting Policy No. 1(b), certain items of income are recognized on cash basis on account of statutory requirements or materiality.

c) **Accounting Standard AS-15 – Employee Benefits:**

The Bank is following AS-15 (revised 2005) 'Employee Benefits'. The defined employee benefit schemes are as under:-

**I. Provident Fund**

The Bank pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate Trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the profit & loss account. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution.

**II. Gratuity**

The Bank has a defined benefit gratuity plans for Officers who have joined / become Officer before 01/01/1983, Other Officers and Workman. Every Officer / workman who have rendered continuous services of five years or more is eligible for Gratuity, subject to a maximum of 20 months on superannuation, resignation, termination, disablement or on death. The scheme is funded by the bank and is managed by a separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

**III. Pension.**

The Bank has a defined benefit pension Plan. The plan applies to existing employees of the bank as on 29/09/1995 who have opted for the pension scheme and to all employees joining, thereafter. The scheme is managed by a separate Trust and the liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

**IV. Other Defined Retirement Benefits (ODRB)**

Other Defined Retirement Benefits (ODRB) include settlement at home town for employees and dependents and post retirement medical benefit for CMD & ED. These are unfunded and are recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of various defined benefits recognized in the profit and loss account and balance sheet along with the funded status are as under:



(Amount in Rs. crore)

Items	निधित्त / FUNDED				गैर-निधित्त / UNFUNDED	
	ग्रेच्युटी / Gratuity		पेंशन / Pension		छुट्टी भुनाई / Leave encashment	
	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
<b>क) परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन:</b>						
<b>a) Changes in the Defined Benefit Obligation:</b>						
परिभाषित लाभ बाध्यता अथशेष / Opening defined benefit obligation	449.27	289.57	2509.83	895.82	162.70	128.30
अभिग्रहण समायोजन / Acquisition Adjustment	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	21.99	19.76	100.42	105.44	10.42	7.99
ब्याज लागत / Interest Cost	38.19	24.61	213.34	62.71	13.83	10.91
पिछली सेवा लागत / Past Service Cost	0.00	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमांकिक हानि / लाभ / Actuarial loss/gain	9.86	-28.12	112.78	1498.39	9.54	24.05
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	-26.29	-28.55	-52.63	-52.53	-6.54	-8.55
परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष / Closing defined benefit obligation	493.02	449.27	2883.74	2509.83	189.95	162.70
<b>ख. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन</b>						
<b>b) Changes in Fair value of Plan Assets:</b>						
आस्तियों का उचित मूल्य अथशेष / Opening fair value of Assets	297.33	301.94	1826.23	897.78	लागू नहीं Not Applicable	
योजना आस्तियों पर अनुमानित आय / Expected return on plan assets	23.79	24.16	155.23	92.23		
बीमांकिक (लाभ)/हानि / Actuarial (gain)/loss	12.86	-0.26	-9.01	-3.43		
नियोक्ता द्वारा अंशदान / Contributions by employer	151.98	0.05	212.61	462.31		
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	-26.29	-28.56	-52.63	-52.53		
आस्तियों का उचित मूल्य इतिशेष / Closing fair value of assets	459.67	297.33	2132.43	1396.36		
<b>ग) तुलनपत्र में ली गई राशि</b>						
<b>c) Amount recognised in the Balance Sheet:</b>						
बाध्यता का वर्तमान मूल्य - वर्ष के अंत में - (i) Present Value of Obligation - as at the year end - (i)	493.02	449.27	2883.73	2509.83	189.95	162.70
आस्तियों से भिन्न उचित मूल्य - वर्ष के अंत में - (ii) Fair value off the Assets - as at the year end- (ii)	459.67	297.33	2132.43	1396.36	0.00	0.00
अंतर (ii) - (i)/Difference (ii) - (i)	-33.35	-151.94	-751.30	-1113.47	-189.95	-162.70
तुलनपत्र में ली गई निवल (आस्ति)/(देयता) Net asset/(liability) recognised in the Balance Sheet	-33.35	-151.94	-751.30	-1113.47	-189.95	-162.70
<b>घ. लाभ व हानि खाते में लिया गया व्यय</b>						
<b>d) Expenses recognised in the Profit and Loss account:</b>						
वर्तमान सेवा लागत / Current Service cost	21.99	19.76	100.42	105.44	10.42	7.99
पिछली सेवा लागत/मान्य / Past service cost/ recognised	0.00	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
परिभाषित लाभ बाध्यता पर ब्याज / Interest on defined benefit obligation	38.19	24.61	213.34	62.71	13.83	10.91
योजना आस्तियों पर अनुमानित आय / Expected return on plan assets	-23.79	-24.15	-155.23	-92.23	0.00	0.00
चालू वर्ष में लिया गया निवल बीमांकिक घाटा/(लाभ) Net actuarial loss/(gain) recognised in the current year	-3.04	-27.86	80.08	1501.80	9.54	24.05
लाभ-हानि खाते में लिया गया व्यय Expenses recognised in the P&L a/c	33.35	164.31	238.61	429.87	33.79	42.95

<b>उ. तुलनपत्र में ली गई देयता में उतार-चढ़ाव</b> <b>e) Movements in the Liability recognised in the Balance Sheet</b>						
निवल देयता अथशेष / Opening Net Liability	449.27	289.57	2509.83	895.82	162.70	128.30
उपरोक्तानुसार व्यय Expense as above	33.39	164.31	280.32	429.87	27.25	34.40
प्रदत्त लाभ / Benefit paid	-26.29	-28.56	-52.63	-52.53	0.00	0.00
योजना आस्ति पर वास्तविक आय / Actual return on Plan asset	36.65	23.90	146.22	1236.67	0.00	0.00
अर्जन समायोजन / Acquisition Adjustment	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल देयता/(आस्ति) इतिशेष / Closing Net liability/(asset)	493.02	449.27	2883.74	2509.83	189.95	162.70
<b>च. योजना आस्तियों के विवरण</b> <b>f) Details of Plan Assets (Investments) :</b>						
सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	186.35	146.74	1118.70	606.21	लागू नहीं Not Applicable	
कारपोरेट बाण्ड/डिबेंचर / Corporate Bonds/debentures	72.05	72.90	197.73	171.80		
बैंकों में जमा राशियां / Deposit in banks	72.33	71.11	552.00	190.01		
बी.कं. द्वारा प्रबंधित निधियां / Funds managed by Insurance Co.	110.00	0.00	0.00	0.00		
अन्य / Others	18.63	6.58	0.00	14.65		
<b>कुल / Total</b>	<b>459.36</b>	<b>297.33</b>	<b>1868.43</b>	<b>982.67</b>		
उपर्युक्त में से ओबीसी बाण्ड/ जमा राशियों में विनिधान Of the above, investment in OBC Bond/deposits	<b>126.63</b>	<b>85.60</b>	<b>591.24</b>	<b>248.01</b>		
<b>छ. वर्ष के दौरान योजना आस्तियों पर आय की भारित औसत दर</b> <b>g) Weighted Average rate of return on plan assets during the year</b>	<b>9.56%</b>	<b>8.30%</b>	<b>--</b>	<b>8.05%</b>	लागू नहीं Not Applicable	
<b>ज. प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक धारणाएं</b> <b>h) Principal actuarial assumptions used:</b>						
प्रयुक्त पद्धति Method used	अनुमानित यूनिट ऋण Projected Unit Credit		अनुमानित यूनिट ऋण Projected Unit Credit			
बट्टा दर (वार्षिक) / Discount rate (p.a.)	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
योजना आस्तियों पर आय की अनुमानित दर (वार्षिक) Expected rate of return on plan assets (p.a.)	8.00%	8.00%	8.50%	8.05%	0.00%	0.00%
भावी वेतन वृद्धि / Future Salary increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%





झ. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ - गैर-निधिक					लागू नहीं Not Applicable
i) Other Long Term Employee Benefits – unfunded					
	बीमारी की छुट्टी Sick leave		चिकित्सा सहायता Medical Aid		
	2011-12 करोड़ रु. में Rs. in crore	2010-11 करोड़ रु. में Rs. in crore	2011-12 करोड़ रु. में Rs. in crore	2010-11 करोड़ रु. में Rs. in crore	
परिभाषित लाभ बाध्यता अधशेष Opening defined benefit obligation	40.24	31.80	0.48	0.40	
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	3.06	2.01	0.12	0.09	
ब्याज लागत / Interest Cost	3.42	2.70	0.04	0.03	
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	0.00	0.00	-0.04	-0.16	
बीमाकिक हानि/लाभ / Actuarial loss/gain	2.25	3.73	0.01	0.12	
परिभाषित लाभ बाध्यता इतिशेष Closing defined benefit obligation	48.97	40.24	0.61	0.48	
ज. प्रयुक्त प्रमुख बीमाकिक धारणाएं					
j) Principal actuarial assumptions used:					
बट्टा दर (वार्षिक) Discount rate (p.a.)	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	
भावी वेतन वृद्धि Future Salary increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	

## टिप्पणियाँ :

- बीमाकिक मूल्यांकन में ली गई भावी वेतन वृद्धि का अनुमान महंगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया।
- आलोच्य वर्ष के दौरान छुट्टी किराया रियायत के लिए 1.43 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1.77 करोड़ रु.) तथा स्टाफ सैटलमेंट व्यय हेतु 0.13 करोड़ रु. (पिछले वर्ष शून्य) प्रावधान किया गया है जो बीमाकिक प्रमाणपत्र के अनुसार है। तथापि, एलएफसी के लिए 22.73 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 20.96 करोड़ रु.) और स्टाफ सैटलमेंट व्यय के लिए 2.44 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1.77 करोड़ रु.) बकाया हैं।
- पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों में ट्रस्ट द्वारा बैंक के अपने बॉण्डों / जमा राशियों में निवेश की गई क्रमशः 591 करोड़ रु. तथा 126.63 करोड़ रु. की राशियाँ शामिल हैं।

## घ) पेंशन :

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने उन कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः दिया जिन्होंने पेंशन योजना (द्वितीय पेंशन विकल्प) नहीं चुनी थी। इसके परिणामस्वरूप बैंक ने मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में 854.50 करोड़ रुपए की देयता को वहन किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः देने और उपदान सीमा में बढ़ोतरी – विवेकपूर्ण विनियामक संव्यवहार पर दिनांक 9 फरवरी, 2011 का परिपत्र सं० डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया है। उक्त परिपत्र के उपबंधों के अनुसार, बैंक, पेंशन का दूसरा विकल्प चुनने वाले बैंक के वर्तमान कर्मचारियों के लिए पांच वर्षों की अवधि में पेंशन की राशि का परिशोधन कर सकता है। तदनुसार बैंक ने द्वितीय पेंशन देयता के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में निम्नानुसार राशि प्रभावित की है :

## NOTE:

- The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation, takes into account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market.
- During the year provision has been made for LFC at Rs.1.43 crore (previous year Rs. 1.17 Crore) and Staff settlement expenses at Rs. 0.13 crore (previous year NIL), which are as per Actuarial Certificate. However, outstanding for LFC is at Rs.22.73 crore (previous year Rs. 20.96 Crore) and Staff settlement expenses at Rs.2.44 crore (previous year Rs. 1.77 crore)
- Plan Assets of the Pension & Gratuity fund include amounts of Rs. 591.24 crore and Rs.126.63 crore respectively invested by the trust in the Bank's own Bonds/Deposits.

## d) PENSION

During the Financial Year 2010-11, the Bank has reopened the pension option for its employees who had not opted for the pension scheme (II Pension option). As a result of exercise of which the bank has incurred a liability of Rs. 854.50 Crores in respect of the existing employees.

The Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits - Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank may amortise the amount of pension over a period of five years for second pension optees who are existing employees of the Bank. Accordingly, the Bank has charged the following to the profit and loss account with respect to II pension liability of the existing employees:

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	निवल देयता / अथ शेष	लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित राशि	इतिशेष
2010-11	854.50	170.90	683.60
2011-12	683.60	170.90	512.70

(Amount in Rs. crore)

Financial Year	Net Liability/ Opening Balance	Amount charged to Profit and loss Account	Closing Balance
2010-11	854.50	170.90	683.60
2011-12	683.60	170.90	512.70

**ड.) लेखांकन मानक - 17 : खण्डवार रिपोर्टिंग:**

- कारोबार खंड जो प्राथमिक खंड है, में निम्नलिखित शामिल हैं
  - राजकोषीय परिचालन
  - कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग
  - खुदरा बैंकिंग
  - अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन
- भौगोलिक खण्ड को गौण खण्ड के रूप में माना जाता है। चूंकि बैंक का विदेश में कोई परिचालन नहीं है, इसलिए भौगोलिक खण्ड में रिपोर्ट करने योग्य केवल घरेलू परिचालन हैं।
  - राजकोषीय परिचालन: राजकोषीय परिचालन में प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार परिचालन में लेनदेन शामिल है।
  - कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग: इनमें न्यासों, भागीदार फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग में शामिल नहीं किया गया।
  - रिटेल बैंकिंग : व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, भागीदार फर्म, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, सहकारी समितियों इत्यादि अथवा लघु कारोबार को 5.00 करोड़ रुपए तक का ऋण रिटेल बैंकिंग के तहत आता है। लघु कारोबार वह है जहां पिछले तीन वर्षों का वार्षिक पण्यवर्त (टर्नओवर) (मौजूदा कम्पनी के लिए वास्तविक और नई कम्पनी के लिए पूर्वानुमानित) 50 करोड़ रुपए से कम हो।
  - अन्य बैंकिंग कारोबार परिचालन: इनमें राजकोष, थोक बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग खण्डों में शामिल न किए गए अन्य सभी बैंकिंग परिचालन आते हैं। अन्य बैंकिंग कारोबार अवशिष्ट श्रेणी हैं।
- राजकोषीय परिचालनों से हुए खंड राजस्व को, राजकोषीय परिचालन में प्रयुक्त औसत अंतर-खण्डीय निधियों पर ब्याज के बाद दर्शाया गया है। ब्याज निधि लागत की दर पर प्रभारित किया गया है अर्थात् आलोच्य वर्ष हेतु औसत कार्यशील निधियों पर व्यय किए गए कुल ब्याज का प्रतिशत।

**e) Accounting Standard AS-17 - Segment Reporting:**

- The Business Segments, which is the Primary Segment include:
  - Treasury Operations
  - Corporate / Wholesale Banking
  - Retail banking
  - Other banking business operations
- The Geographical segments are recognized as the Secondary Segment. As the Bank is not carrying on any foreign operations, the only reportable geographical segment is of Domestic operations.
  - Treasury Operations: Treasury operations consist of dealing in securities and Money Market Operations
  - Corporate / Wholesale Banking: Includes all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included under "Retail Banking"
  - Retail Banking: The exposure up to Rs. 5.00 Crores to individual, HUF, Partnership firm, Trust, Private Ltd. Companies, public Ltd. Companies, Co-operative societies etc. or to a small business is covered under retail banking. Small business is one where average of last three years' annual turnover (Actual for existing & projected for new entities) is less than Rs.50 crores.
  - Other banking business operations: Includes all other Banking operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail banking Segments. Other banking business is the residual category.
- The segment revenue from treasury operations is shown after interest on average inter-segment funds used in Treasury Operations. The interest has been charged at the rate of Cost of Funds i.e. percentage of total interest expended to average working funds for the year.



भाग क – कारोबार खंड  
Part A – Business Segment

राशि करोड़ रु. में / (Amount in Rs. crore)

कारोबार खण्ड BUSINESS SEGMENTS	राजकोषीय TREASURY		कारपोरेट/ थोक बैंकिंग CORPORATE/ WHOLESALE BANKING		रिटेल बैंकिंग RETAIL BANKING		अन्य बैंकिंग परिचालन OTHER BANKING OPERATION		कुल TOTAL	
विवरण Particular	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year*	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	3873.65	3184.57	10251.29	7591.56	6289.39	4492.01	119.96	206.47	20534.29	15474.61
परिणाम Results	79.72	636.90	776.14	782.25	476.89	463.43	93.01	156.03	1425.76	2038.61
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profits									1425.76	2038.61
आयकर Income Taxes									284.20	535.74
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									1141.56	1502.87
अन्य सूचना Other Information										
खण्ड आस्तियां Segment Assets	53012.91	50261.53	108438.51	98877.26	66529.40	58506.78	1268.91	2689.23	229249.73	210334.81
अनाबंटित आस्तियां Unallocated Assets									1185.34	607.20
कुल आस्तियां Total Assets									230435.07	210942.01
खण्ड देयताएं Segment Liabilities	53012.91	50261.53	108438.51	98877.26	66529.40	58506.78	1268.91	2689.23	229249.73	210334.81
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									1185.34	607.20
कुल देयताएं Total Liabilities									230435.07	210942.01

(प्रबंध वर्ग द्वारा तैयार किया गया और लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)

\*केवल प्रत्यक्ष लागत के आबंटन के आधार पर

(Compiled by management and relied upon by the Auditors)

\*based on allocation of direct cost only.



च) लेखांकन मानक-एस 18 : संबंधित पार्टी लेनदेन

**f) Accounting Standard AS-18 – Related Party disclosures:**

बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का ब्योरा निम्नानुसार है :-

i) Details pertaining to Related Party Transactions in respect of key managerial personnel of the Bank are as follows:-

राशि लाख रु० में (Amount in Rs. Lac)

क्र.सं. S.No.	नाम Name	संबंध Relationship	लेनदेन का स्वरूप Nature of Transaction	2011-12 2011-12	2010-11 2010-11
1	श्री एस.एल. बंसल Sh. S.L. Bansal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.03.2012 से) Chairman & Managing Director (From 01.03.2012)	पारिश्रमिक Remuneration	1.25	—
2	श्री नागेश पैड़ा Sh. Nagesh Pydah	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.02.2012 तक) Ex- Chairman & Managing Director (Upto 29.02.2012)	पारिश्रमिक Remuneration	19.27	3.28
3	श्री एस.सी. सिन्हा Sh. S.C. Sinha	कार्यकारी निदेशक Executive Director	पारिश्रमिक Remuneration	18.85	17.21
4	श्री वी. कण्णन Sh. V. Kannan	कार्यकारी निदेशक Executive Director	पारिश्रमिक Remuneration	14.41	3.85
5	श्री टी.वाई. प्रभु Sh. T.Y. Prabhu	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex- Chairman & Managing Director	पारिश्रमिक Remuneration	5.27	13.99
6	श्री एच. रत्नाकर हेगड़े Sh. H. Rathnakara Hegde	पूर्व कार्यकारी निदेशक Ex-Executive Director	पारिश्रमिक Remuneration	3.68	13.21

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स जीवन बीमा निगम कम्पनी लिमिटेड-(सहयोगी)

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited - (Associate)

छ) लेखांकन मानक -एस 19: पट्टा

बैंक ने परिचालनपरक पट्टे के तहत विभिन्न पट्टा अवधियों के कई परिसर लिए हैं।

**g) Accounting Standard AS-19 – Leases:**

The Bank has taken various premises under operating lease with varying lease periods.

ज) लेखांकन मानक -एस 20 : प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन (रु.)	39.13	59.90
ii)	मूल / ह्रासित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क)	असाधारण मदों के बाद और कर पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रु.)	1141.56	1502.87
ख)	ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	291761182	25,08,78,506
ग)	मूल प्रति शेयर अर्जन (क/ख)	39.13	59.90
घ)	प्रति शेयर अंकित मूल्य	10.00	10.00

कोई संभाव्य ईक्विटी शेयर (परिवर्तनीय बाण्ड) बकाया नहीं है, अतः ह्रासित प्रति शेयर अर्जन, मूल प्रति शेयर अर्जन के बराबर है।

झ) लेखांकन मानक - 22 आय पर कर हेतु लेखांकन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा आय पर कर हेतु लेखांकन पर जारी एस-22 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया और तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं की पहचान की गई। 31.03.2012 को 34.00 करोड़ रुपए की आस्थगित कर आस्ति (पिछले वर्ष 41.00 करोड़ रुपए की आस्थगित कर आस्ति) का निवल शेष निम्नानुसार है:-

**h) Accounting Standard AS-20 - Earnings per Share (EPS):**

S.N.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Basic/Diluted EPS. (Rs.)	39.13	59.90
ii)	Calculation of Basic/ Diluted EPS.		
a)	Net Profit after Extraordinary Items and after Tax (Rs. Crores)	1141.56	1502.87
b)	Weighted Average No. of Equity Shares	291761182	250878506
c)	Basic Earning per Share (a/b)	39.13	59.90
d)	Nominal value per Share	10.00	10.00

There are no potential equity shares (convertible bonds) outstanding and as such the Diluted Earning per Share is same as Basic Earning per share.

**i) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:**

The bank has complied with the requirements of AS 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax asset as on 31.03.2012 amounting to Rs 34.00 crores (Previous year Deferred tax asset Rs. 41.00 crores) consists of following:



(राशि करोड़ रु. में)

(Amount in Rs. crore)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>क) आस्थगित कर आस्तियां :</b>		
ऋण एवं अग्रिमों पर अतिरिक्त प्रावधान	244.00	249.00
छुट्टी नकदीकरण/छुट्टी किराया रियायत आदि के लिए प्रावधान	79.00	68.00
एएफएस से एचटीएम में स्थानांतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास	31.00	32.00
अन्य	144.00	111.00
<b>क का जोड़</b>	<b>498.00</b>	<b>460.00</b>
<b>ख) आस्थगित कर देयताएं :</b>		
विनिधानों पर प्रोद्भूत परन्तु अदेय ब्याज	-294.00	-237.00
खंडित अवधि का ब्याज	-7.00	-7.00
विनिधानों का मूल्यह्रास	-80.00	-88.00
अन्य	-83.00	-87.00
<b>ख का जोड़</b>	<b>-464.00</b>	<b>-419.00</b>
निवल आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं	<b>34.00</b>	<b>41.00</b>
आस्थगित कर आस्ति/देयता (पूर्णांकित)	<b>34.00</b>	<b>41.00</b>

Particulars	Current Year	Previous Year
<b>A. Deferred Tax Assets:</b>		
Additional Provision on Loans & Advances	244.00	249.00
Provision for Leave Encashment/ LFC etc	79.00	68.00
Depreciation on securities transferred from AFS to HTM	31.00	32.00
Others	144.00	111.00
<b>Total of A</b>	<b>498.00</b>	<b>460.00</b>
<b>B. Deferred Tax Liabilities:</b>		
Interest Accrued but not due on Investments	-294.00	-237.00
Broken Period Interest	-7.00	-7.00
Depreciation of Investment	-80.00	-88.00
Others	-83.00	-87.00
<b>Total of B.</b>	<b>-464.00</b>	<b>-419.00</b>
Net Deferred Tax Asset/(Liability)	<b>34.00</b>	<b>41.00</b>
Deferred Tax Asset/(liability) (Rounded off)	<b>34.00</b>	<b>41.00</b>

**ज) लेखांकन मानक - 28: आस्तियों की अनर्जकता**

बैंक की आस्तियों में मुख्यतः वित्तीय आस्तियां शामिल हैं जो एस-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के तहत नहीं आती। बैंक प्रबंधन के मतानुसार उक्त लेखांकन मानक के अनुसार इसकी गैर वित्तीय आस्तियों के मूल्य में कोई अनर्जकता नहीं है।

**ट) लेखांकन मानक - 29: प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां**

लेखों की अनुसूची 12 (खण्ड (i) और (vi)) में यथाउल्लिखित आकस्मिक देयताएं, अदालती मामलों के निष्कर्ष/विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष दायर अपीलों के निपटान/ न्यायालय के बाहर समझौते तथा अन्य किसी घटना, यदि कोई हो, पर निर्भर है। उक्त अनुसूची की मद संख्या (i) और (vi) के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

**ठ) अस्थायी प्रावधान**

राशि करोड़ रु० में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क.	अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष	72.00	72.00
ख.	लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग.	लेखांकन वर्ष में आहरण द्वारा कमी की राशि	0.00	0.00
घ.	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	72.00	72.00

**ज) Accounting Standard – 28 Impairment of Assets:**

The bank's assets substantially comprise of financial assets, which are not covered by AS-28 'Impairment of Assets'. In the opinion of bank's management there is no impairment in the value of its non financial assets in terms of said Accounting Standard.

**क) Accounting Standard – 29 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

Contingent Liabilities as stated in Schedule 12 [clause (i) and (vi)] to the accounts are dependent on the outcome of court cases / disposal of appeals filed before various authorities / out of court settlement and other development if any. No reimbursement is expected in respect of items Nos. (i) and (vi) of said schedule.

**ल) Floating provisions**

(Amount in Rs. crore)

S.N.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Opening balance in the floating provision a/c	72.00	72.00
b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
d)	Closing balance in the floating provisions a/c	72.00	72.00

16. बैंक द्वारा किए गए बैंकाश्योरेंस कारोबार के संबंध में 18.14 करोड़ रु० (पिछले वर्ष 36.99 करोड़ रु.) की फीस/पारिश्रमिक प्राप्त किया गया।

16) Fees/ Remuneration received in respect of bancassurance business undertaken by the Bank is Rs.18.14 Crores. (previous year Rs.36.99 Crore)



**17. पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड का ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स में समामेलन**

पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती जीटीबी) आर्थिक कार्य विभाग(बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "योजना" के रूप में अधिसूचित समामेलन योजना के अनुसार समामेलित किया गया। इस योजना के अनुसार, पूर्ववर्ती जीटीबी का कारोबार, संपत्तियां, आस्तियां और देयताएं निर्धारित तिथि 14 अगस्त, 2004 से बैंक को हस्तांतरित हो गई हैं।

बैंक ने पूर्ववर्ती ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की, उक्त योजना के अनुसार मूल्यांकित और निर्धारित आस्तियों और देयताओं सहित बैंक की पुस्तकों में 1285.26 करोड़ रुपए के सकल "सहज वसूली अयोग्य" अग्रिम, उनके प्रति 821.16 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा विवादग्रस्त मांगों के प्रति 41.21 करोड़ रुपए के प्रदत्त आयकर की "सहज वसूली अयोग्य" आस्तियां सम्मिलित की हैं।

"दिनांक 31.03.2012 को सहज वसूली अयोग्य आस्तियां" 10.11 करोड़ रु. (अग्रिम 1.03 करोड़ रु., अन्य आस्तियां 9.08 करोड़ रु.) हैं, पिछले वर्ष में 16.69 करोड़ रु. (अग्रिम 7.61 करोड़ रु., अन्य आस्तियां 9.08 करोड़ रु.) थीं। बकाया सहज वसूली अयोग्य आस्तियों के लिए बैंक ने पूरा प्रावधान किया है। समायोजन योजना के अंतर्गत निवल घाटा दिनांक 31.03.2012 को 829.59 करोड़ रु. है जबकि पिछले वर्ष यह 858.70 करोड़ रु. था।

बैंक ने अधिगृहीत सहज वसूली अयोग्य आस्तियों के प्रति अंतिम वसूली के आकलन के लिए मेमोरैंडम रिकार्ड रखने का निर्णय लिया है। सहज वसूली अयोग्य आस्तियों को जिस मूल्य पर अधिगृहीत किया गया था उससे अधिक मूल्य पर अंतिम वसूली होने की स्थिति में, अधिगृहीत आस्तियों पर देयताओं के आधिक्य से अधिक होने पर, व्यय इत्यादि के समायोजन के बाद अधिशेष राशि को बारह वर्षों की अवधि के पश्चात् अथवा इससे पहले जो इस योजना के तहत निर्धारित हो, पूर्ववर्ती जीटीबी के पूर्ववर्ती शेयरधारकों में बांट दिया जाएगा।

**18. लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं का विवरण**

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) विनिधान पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	285.36	96.26
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	1078.70	934.38
iii) स्तरीय आस्तियों के लिए प्रावधान	158.00	35.00
iv) आयकर के लिए प्रावधान(एफबीटी तथा आस्थगित कर सहित)	278.67	533.94
v) अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएं (विवरण सहित)		
(क) धन कर	5.53	1.79
(ख) गैर निष्पादनकारी विनिधान	2.89	0.00
(ग) अन्य	189.87	140.90
<b>जोड़</b>	<b>1999.02</b>	<b>1742.27</b>

**17) Amalgamation of erstwhile Global Trust Bank Ltd. with Oriental Bank of Commerce:**

The erstwhile Global Trust Bank Ltd. (eGTB) was amalgamated with the Bank as per the scheme of amalgamation notified by the Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Economic Affairs (Banking Division) "the Scheme". As per the Scheme, the business, properties, assets and liabilities of eGTB stand transferred to the Bank with effect from August 14, 2004, the prescribed date.

The Bank has incorporated gross "Not Readily Realisable" Advances of Rs. 1,285.26 crores, a provision of Rs. 821.16 crores there against and "Not Readily Realisable" Assets comprising of Income-tax paid amounting to Rs 41.21 crores against disputed demands, in the books of the Bank along with assets and liabilities of eGTB as valued and determined in terms of the Scheme.

"Not Readily Realizable Assets" as on 31.03.12 is Rs 10.11 crores (Advances Rs 1.03 crores, other Assets Rs 9.08 crores), previous year figures Rs 16.69 Crores (Advances Rs 7.61 crores, other Assets Rs 9.08 crores). The outstanding NRRAs are fully provided for by the Bank. Net Deficit under the scheme of amalgamation as on 31.03.12 is Rs 829.59 crores previous year figures Rs 858.70 Crores

The Bank has decided to maintain memorandum records for ascertaining the ultimate realization against the Not Readily Realizable Assets taken over. In the event of the ultimate realization from the Not Readily Realizable Assets, over and above the value at which they are taken over, exceeding the Excess of liabilities over assets taken over, the surplus after adjustment of expenses, etc. will be distributed to the erstwhile shareholders of eGTB after a period of twelve years or earlier as prescribed under the scheme.

**18) Break up of Provisions and contingencies shown under the head expenditure in Profit and Loss Account**

(Amount in Rs. crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Provisions for depreciation on Investment	285.36	96.26
ii) Provision towards NPA	1078.70	934.38
iii) Provisions towards Standard Assets	158.00	35.00
iv) Provision made towards Income Tax (including FBT & Deferred Tax)	278.67	533.94
v) Other Provisions and Contingencies (with details)		
(a) Wealth Tax	5.53	1.79
(b) Non Performing Investments	2.89	0.00
(c) Others	189.87	140.90
<b>Total</b>	<b>1999.02</b>	<b>1742.27</b>



## 19) क) ग्राहक शिकायतें

(राशि करोड़ रु. में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) वर्ष के आरंभ में बकाया शिकायतों की संख्या	205	480
ii) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	13406	9747
iii) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	13284	10022
iv) वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	327	205

## (ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) वर्ष के आरंभ में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	0	0
ii) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	9	9
iii) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	7	9
iv) वर्ष के अंत में अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	2	0

## 20. चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटन

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकृत ऋण सीमाओं के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबन्ध वर्ग के मतानुसार विगत में, चालू वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव और संचयी वित्तीय दायित्व निर्धारित नहीं किए गए हैं और वे अभी भी बकाया हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु० में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	5687	3307
2) वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	16137	8931
3) वर्ष 2011-12 के दौरान परिपक्व हुए/रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र	16278	6551
4) 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	5546	5687

21) पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां भी जरूरी हैं, पुनः समूहित/ पुनः व्यवस्थित/ पुनः संरचित किए गए हैं।

## 19) (A) Customer Complaints

(Amount Rs. Crores)

	Current Year	Previous Year
i) No. of complaints pending at the beginning of the year	205	480
ii) No. of complaints received during the year	13406	9747
iii) No. of complaints redressed during the year	13284	10022
iv) No. of complaints pending at the end of the year	327	205

## (B) Awards passed by the Banking Ombudsman

	Current Year	Previous Year
i) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
ii) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	9	9
iii) No. of Awards implemented during the year	7	9
iv) No. of unimplemented Awards at the end of the year	2	0

## 20) Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts (LOCs) on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(Amount in Rs. crore)

	Current Year	Previous Year
1) Letter of comforts outstanding as on 01.04.2011	5687	3307
2) Letter of comforts issued during the year 2011-12	16137	8931
3) Letter of comforts matured/ cancelled during the year 2011-12	16278	6551
4) Letter of comforts outstanding as on 31.03.2012	5546	5687

21) Previous year's figures have been re-grouped/re-arranged/recast wherever considered necessary.

## लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,  
शेयरधारक

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स  
वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के 31 मार्च, 2012 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2012 के तुलनपत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे एवं नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1365 शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे में ऐसी 387 शाखाओं की विवरणियों को भी सम्मिलित किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं होनी थी। ऐसी अलेखापरीक्षित शाखाओं के 1.23% अग्रिम, 5.93% जमाराशियां, 0.60% ब्याज आय तथा 4.70% ब्याज व्यय है।

### वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबन्ध वर्ग की जिम्मेदारी

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों, जो मिथ्याकथन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, से मुक्त है, को तैयार करने से संबंधित डिजाइन व आंतरिक नियंत्रण को लागू करना तथा रख-रखाव करना शामिल है।

### लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

- हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपने अभिमत प्रकट करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं एवं योजना का पालन करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणियां भौतिक मिथ्याकथन से मुक्त हैं या नहीं, लेखापरीक्षा करें।
- लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने संबंधी निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणियों में भौतिक निष्पादन, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या किसी गलती के, से जुड़े जोखिमों का आकलन शामिल है। इस जोखिम आकलन के लिए लेखापरीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों को डिजाइन करने के लिए, बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियां तैयार करने तथा उनके निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करना है। लेखापरीक्षा में प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन प्राक्कलनों की तर्कसंगतता के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।
- हम विश्वास करते हैं कि हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त है।

### सापेक्ष अभिमत का आधार

- हम अनुसूची 18 की टिप्पणी सं० 15 की ओर ध्यान दिलाते हैं जिसमें पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों में, बैंक के अपने बॉण्डों/

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To  
The Shareholders,  
Oriental Bank of Commerce  
Report on the Financial Statements

- We have audited the accompanying financial statements of the Oriental Bank of Commerce as at 31st March, 2012, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2012 and the Profit and Loss account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 1365 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 387 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.23% of advances, 5.93% of deposits, 0.60% of interest income and 4.70% of interest expenses.

### Management's Responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### Basis for Qualified Opinion

- We draw attention to note no. 15 of Schedule - 18 wherein the plan assets of the pension and gratuity fund includes an



जमाराशियों में ट्रस्ट द्वारा निवेश की गई क्रमशः 591.24 करोड़ रु. और 126.63 करोड़ रु. की राशि शामिल हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक – 15 “कर्मचारी का लाभ” के अनुरूप नहीं है।

#### अभिमत

7. हमारे अभिमत में, बैंक की लेखा पुस्तकों में दिखाए अनुसार, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सापेक्ष अभिमत के लिए आधार संबंधी पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर :
  - क. लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र एक पूर्ण एवं सही तुलन. पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2012 तक के बैंक के कार्यों का सही-सही चित्र भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके।
  - ख. लेखा टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ के वास्तविक शेष को भारत में सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दर्शाता है; तथा
  - ग. नकद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह का सही एवं सत्य चित्र दर्शाती है।

#### विशेष ध्यान दी जाने वाली बातें

8. अपने मत को व्यक्त किए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान दिलाते हैं:—
  - (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन विकल्प खोजने तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण कार्रवाई के विषय में अपने परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 द्वारा लेखांकन मानक (एएस) 15, “कर्मचारी लाभ” के प्रावधान लागू करने से दी गई छूट के अनुसरण में 512.70 करोड़ रु. की पेंशन देयता के आस्थगन से संबंधित अनुसूची 18 की टिप्पणी सं 15 (घ) – विवेकपूर्ण नियामक कार्यवाही।
  - (ii) अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 4 वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित लाभांश हेतु विनियामक प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।

#### अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाएं

9. तुलन.पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए गए क्रमशः फार्मेट ‘क’ और ‘ख’ में तैयार किए गए हैं।
10. उक्त पैराग्राफ 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा यथापेक्षित और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :
  - (i) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
  - (ii) बैंक के जो कारोबार हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं।
  - (iii) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ सामान्यतः समुचित पाया गया है और जहां विवरणियों में प्राप्त विवरण अपूर्ण/अपर्याप्त थे, हमने प्रबंध वर्ग द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण पर विश्वास किया है।

amount of Rs.591.24 crore and Rs. 126.63 crore respectively invested by the trust in the Bank's own Bonds/Deposits which is not in accordance with Accounting Standard-15 "Employee's Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

#### Opinion

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph: -
  - (i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2012, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
  - (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
  - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

#### Emphasis of Matter

8. Without qualifying our opinion, we draw attention to: -
  - (i) Note no.15(d) of schedule 18 regarding deferment of pension liability to the extent of Rs.512.70 Crores pursuant to exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, "Employee Benefits" vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits - Prudential Regulatory Treatment.
  - (ii) Note no.4 of Schedule 18 regarding obtaining of permission from regulatory authority for proposed dividend for the financial year 2011-12.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that: -
  - (i) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of audit and have found them to be satisfactory.
  - (ii) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
  - (iii) the returns received from the offices and branches of the Bank have been generally found adequate for the purposes of our audit and where the particulars in the returns received were incomplete/inadequate, we have relied upon the information and explanations furnished by the Management.



11. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, उक्त पैरा-6 में दी गई हमारी टिप्पणी के अध्यक्षीन, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

11. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards, subject to our comments in paragraph 6 above.

कृते एस.पी.मरवाह एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजीकरण सं. — 000229—एन)

कृते मनियन एंड राव  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं0 001983-एस

**For S.P. MARWAHA & CO.**  
Chartered Accountants  
(Firm Registration  
No.: 000229-N

**For MANIAN & RAO**  
Chartered Accountants  
Firm Registration  
No.: 001983-S

(आशुतोष सक्सेना )  
भागीदार  
सदस्यता सं. — 086358

(रविन्द्र सी)  
भागीदार  
स.सं. 213658

**(ASHUTOSH SAXENA)**  
Partner  
M.No. 086358

**(RAVINDRA.C)**  
Partner  
M.No. 213658

कृते तेज राज एंड पाल  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं0 304124-ई

कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं0 000181-एन

**For TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.: 304124-E

**For AGIWAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.: 000181-N

(बी. विजय)  
भागीदार  
स.सं. 214678

(पी.सी. अगीवाल)  
भागीदार  
स.सं. 080475

**(B. VIJAY)**  
Partner  
M.No. 214678

**(P.C. AGIWAL)**  
Partner  
M.No. 080475

कृते बी.पुरुषोत्तम एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं0 0002808-एस

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं0 000287—एन

**For B. PURUSHOTTAM & CO.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.: 002808-S

**For JAIN KAPILA ASSOCIATES.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No.: 000287-N

(टी. रवी)  
भागीदार  
स.सं. 028243

(डी. के. कपिला)  
भागीदार  
स.सं. 016905

**(T. RAVEE)**  
Partner  
M.No. 028243

**(D.K. KAPILA)**  
Partner  
M.No. 016905





# ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

## ORIENTAL BANK OF COMMERCE

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2012

(हजार रु. में) / (Rs. in thousands)

	31.03.2012	31.03.2011
<b>क) परिचालनपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह</b>		
<b>A. Cash flow from operating activities</b>		
I कर पश्चात् निवल लाभ		
I Net Profit after Tax	1141,56,35	1502,86,80
कर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर को घटाकर)		
Provision for Tax (Net of deferred Tax)	396,67,36	533,94,42
<b>कुल/Total (I)</b>	<b>1538,23,71</b>	<b>2036,81,22</b>
II समायोजन :		
II Adjustment for		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि घटाकर)		
Depreciation on Fixed Assets (Net of Revaluation Reserve)	104,21,92	91,75,05
स्तरीय आस्तियों के प्रति प्रावधान		
Provision against Standard Assets	158,00,00	35,00,00
एनपीए अग्रिमों हेतु प्रावधान		
Provision for NPA advances	1078,70,23	934,37,52
अन्य प्रावधान		
Other Provision	483,64,09	238,95,13
गौण ऋणों पर ब्याज		
Interest on subordinate Debts	277,82,59	257,41,22
व्ययों का परिशोधन		
Amortisation of Expenses	0	0
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि		
Profit/Loss on Sale of Fixed Assets	-283,31	36,10
<b>कुल/Total (II)</b>	<b>2099,55,52</b>	<b>1557,85,02</b>
<b>परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन से पूर्व परिचालनपरक लाभ कुल (I)+(II)</b>	<b>3637,79,23</b>	<b>3594,66,24</b>
<b>Operating Profit before changes in Operating Assets &amp; Liabilities Total(I)+(II)</b>		
<b>III परिचालनपरक आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन</b>		
<b>III Changes in Operating Assets &amp; Liabilities</b>		
विनिधान में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Investments	-2841,26,92	-7787,62,10
अग्रिमों में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Advances	-17148,17,55	-13353,29,54
जमा में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Deposits	16910,66,55	18796,66,95
उधारों में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Borrowings	-380,16,14	252,18,24
अन्य आस्तियों में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Other Assets	-445,18,34	-836,80,49



अन्य देयताओं व प्रावधान में कमी/वृद्धि		
Decrease/Increase in Other Liabilities & Provisions	-860,57,63	1240,71,89
<b>कुल/Total (III)</b>	<b>-4764,70,03</b>	<b>-1688,15,05</b>
<b>परिचालनों से सृजित नकदी</b>		
<b>Cash generated from Operations</b>		
प्रदत्त कर (वापसी को घटाकर)		
Tax Paid (Net of Refund)	-981,18,36	-408,56,74
<b>परिचालनपरक कार्यकलापों से निवल नकदी कुल (क)</b>		
<b>Net Cash from Operating Activities Total (A)</b>	<b>-2108,09,16</b>	<b>1497,94,45</b>
<b>ख. निवेशपरक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह</b>		
<b>B. Cash flow from Investing Activities</b>		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री को घटाकर)		
Purchase of Fixed Assets (Net of Sales)	-152,56,44	-126,87,80
<b>कुल (ख)/Total (B)</b>	<b>-152,56,44</b>	<b>-126,87,80</b>
<b>ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह</b>		
<b>C. Cash Flow from Financing Activities</b>		
शेयर पूंजी जारी करना		
Issue of Share Capital	-	41,22,15
शेयर प्रीमियम		
Share Premium	-	1698,77,85
जारी किए गए गौण बॉण्ड		
Subordinate Bonds issued	-	500,00,00
गौण बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज		
Interest paid on Subordinate Bonds	-277,82,59	-257,41,22
लाभांश/लाभांश पर कारपोरेट कर का भुगतान		
Payment of Dividend/Corporate Tax on Dividend	-352,65,58	-266,73,82
<b>कुल (ग)/Total (C)</b>	<b>-630,48,17</b>	<b>1715,84,96</b>
<b>घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क)+(ख)+(ग)</b>		
<b>D. Net Changes in Cash &amp; Cash Equivalents (A+B+C)</b>	<b>-2891,13,77</b>	<b>3086,91,61</b>
<b>वर्ष के प्रारंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>		
<b>Cash &amp; Cash Equivalents at the beginning of the year</b>	<b>11618,08,92</b>	<b>8531,17,31</b>
<b>वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य</b>		
<b>Cash &amp; Cash Equivalents at the end of the year</b>	<b>8726,95,15</b>	<b>11618,08,92</b>

**टिप्पणी :**

- सभी ऋणात्मक ( - ) आंकड़े, अचल आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ को छोड़कर, जिसे परिचालनपरक अस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पहले परिचालनपरक लाभ निकालने के लिए हिसाब में लिया गया है, “नकदी बाह्य प्रवाह” को दर्शाते हैं।
- भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालनपरक कार्यकलापों से सृजित माना गया है और इन्हें निवेश और वित्तपोषण कार्यकलापों के मध्य विभाजित नहीं किया गया है।

**Note:**

- All figures in minus represents 'Cash out-flow', except profit on sale of fixed assets, considered to arrived at operating profit before changes in operating assets and liabilities.
- Direct taxes paid are treated as arising from Operating activities and are not bifurcated between investing & financing activities.

सुभाष महाजन	आर.एल. अग्रवाल	वी. कण्णन	एस.सी.सिन्हा	एस.एल. बंसल
Subash Mahajan	R.L. Aggarwal	V. Kannan	S.C. Sinha	S.L. Bansal
उप महाप्रबंधक (लेखा)	महाप्रबंधक (लेखा)	कार्यकारी निदेशक	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Dy.General Manager (Accounts)	एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	Executive Director	Executive Director	Chairman & Managing Director
General Manager (Accounts) & CFO				



## लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हमने ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुडगांव के 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है। उक्त विवरण बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और हमारी 30 अप्रैल, 2012 की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत बैंक के तदनुसूची लाभ एवं हानि लेखा और तुलनपत्र पर आधारित है और इसके अनुरूप है।

## AUDITORS' CERTIFICATE

We have examined the above Cash-flow Statement of the Oriental Bank of Commerce, Gurgaon for the year ended 31st March, 2012. The statement has been prepared by the Bank in accordance with the requirements of listing agreement clause 32 with stock exchanges and is based on and is in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our report dated 30th April, 2012.

**कृते एस.पी.मरवाह एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं.: 000229-एन

**कृते मनियन एंड राव**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं० 001983-एस

**For S.P. MARWAHA & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN : 000229-N

**For MANIAN & RAO**  
Chartered Accountants  
FRN : 001983-S

**(आशुतोष सक्सेना)**  
भागीदार  
स.सं. 086358

**(रविन्द्र सी)**  
भागीदार  
स.सं. 213658

**(ASHUTOSH SAXENA)**  
Partner  
M.No. 086358

**(RAVINDRA.C)**  
Partner  
M.No. 213658

**कृते तेज राज एंड पाल**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं० 304124-ई

**कृते अगीवाल एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं० 000181-एन

**For TEJ RAJ & PAL**  
Chartered Accountants  
FRN : 304124-E

**For AGIWAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN : 000181-N

**(बी विजय)**  
भागीदार  
स.सं. 214678

**(पी.सी. अगीवाल)**  
भागीदार  
स.सं. 080475

**(B. VIJAY)**  
Partner  
M.No. 214678

**(P.C. AGIWAL)**  
Partner  
M.No. 080475

**कृते बी.पुरुषोत्तम एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 0002808-एस

**कृते जैन कपिला एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 000287-एन

**For B. PURUSHOTTAM & CO.**  
Chartered Accountants  
FRN : 002808-S

**For JAIN KAPILA ASSOCIATES.**  
Chartered Accountants  
FRN : 000287-N

**(टी रवि)**  
भागीदार  
स.सं. 028243

**(डी.के. कपिला)**  
भागीदार  
स.सं. 016905

**(T. RAVEE)**  
Partner  
M.No. 028243

**(D.K. KAPILA)**  
Partner  
M.No. 016905



टिप्पणियां / NOTES

[illegible]







### शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों द्वारा कागजरहित अनुपालन के लिए अनुमति देकर “कम्पनी अभिशासन में एक हरित कदम” उठाया है और 21 अप्रैल, 2012 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि किसी कंपनी द्वारा दस्तावेज की तामील इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है।

इस महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा एमसीए द्वारा जारी परिपत्र को ध्यान में रखते हुए हम वार्षिक आम बैठक बुलाने संबंधी सूचना, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजने का प्रस्ताव करते हैं।

कृपया नोट करें कि शेयरधारकों को बैंक के शेयरधारक सदस्य होने के नाते, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति, उनसे मांग पर्ची प्राप्त होने पर भेजी जा सकेगी।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इस हेतु अपनी सहमति भेजें तथा अपना ई-मेल पता हमारे रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट मैसर्स एमसीएस लि0 को निम्नलिखित फॉर्मेट पर भेजें।

महाप्रबंधक (म. बैं. वि.)

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

एमसीएस लि0

एफ-65, प्रथम तल,

ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,

फेज-1, नई दिल्ली – 110020

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में मेरी/हमारी शेयरधारिता के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज प्राप्त करने हेतु सहमति

शेयरधारक (कों)का नाम स्पष्ट अक्षरों में		धारित शेयरों की संख्या
1.		
2.		
3.		
फोलियो या डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	ई-मेल आईडी	दूरभाष सं.

मैं/हम एतद्वारा वार्षिक रिपोर्ट सहित बैंक के दस्तावेज/सूचनाएं उपरोक्तानुसार ई-मेल द्वारा प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ/देते हैं।

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर



**Important communication for shareholders**

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies and issued a circular on April 21, 2012 stating that the service of document by a company can be made through electronic mode.

Keeping in view the underlying theme and the circular issued by MCA, we propose to send documents like the notice calling the annual general meeting, audited financial statements, directors' report, auditors' report etc. in electronic form.

Please note that the shareholders will be entitled to be furnished, free of cost, a copy of Annual Report of the Bank, upon receipt of a requisition from them, any time, as a shareholder member of the Bank.

The shareholders are requested to convey the consent to the same and register their email address with our Registrar and Transfer Agent, M/s. MCS Ltd. on the following format.

General Manager (MBD)

Place \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

**MCS Ltd**  
F-65, 1st Floor,  
Okhla Industrial Area  
Phase-I, New Delhi-110020.

**CONSENT FOR RECEIVING DOCUMENTS IN ELECTRONIC FORM IN RESPECT OF MY/OUR SHAREHOLDING IN ORIENTAL BANK OF COMMERCE**

NAME OF SHAREHOLDER(S) IN BLOCK LETTERS		NO. OF SHARES HELD
1.		
2.		
3.		
FOLIO OR DPID/CLIENT ID NO.	EMAIL ID	PHONE NO.

I / We hereby give my consent for receiving Bank's documents / notices including Annual Report etc. by email as mentioned above.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Signature of Shareholder(s)



## ई-जमा अधिदेश फॉर्म E-CREDIT MANDATE FORM

सेबी के परिपत्र सं. डीसीसी/एफआईटीटी सीआईआर-3/2001 दिनांक 15.10.2001 के अनुसार अनिवार्य  
Mandatory as per SEBI Circular No. DCC/FITT CIR-3/2001 dated 15.10.2001

1. निवेशक/ग्राहक का नाम/Investor/Customer's Name

2. धारित शेयरों की फोलियों सं./Folio in Which shares held

3. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account

A. बैंक का नाम/Bank Name :

B. शाखा का नाम/Branch Name :

C. बैंक द्वारा जारी माइक्र चेक पर उल्लिखित बैंक तथा शाखा की 9 अंकों की कोड सं.  
9 Digit Code Number of the Bank and branch appearing  
on the MICR cheque issued by the bank

D. खाते का प्रकार (कोड)/Account Type (Code)  
(कृपया सही का निशान लगाएं)/(Please Tick)

बचत बैंक खाता  
SB A/C

चालू खाता  
Current Account

नकद उधार खाता  
Cash Credit Account

E. बैंक लैजर सं./Bank Ledger No.

F. खाता सं. (जो चेक बुक में दी गई है)/Account Number (as appearing on the Cheque book)

प्रभावी होने की तारीख

मैं एतद्वारा घोषणा करता (ती) हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही तथा पूर्ण हैं, यदि अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण लेनदेन में देरी होती है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता, तो मैं इसके लिए संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा (गी)। मैं इस योजना के अंतर्गत सहभागी होने का अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए सहमत हूँ।

**Date of Effect**

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete, if the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I agree to discharge my responsibility as a participant under the scheme.

नोट : कृपया सभी कॉलम भरें। अपूर्ण फॉर्मों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**Note:** Kindly fill all columns. Incomplete forms shall not be entertained.

दिनांक/Date:

निवेशक/ग्राहक के हस्ताक्षर/Signature of the Investor/Customer

**निवेशक/ग्राहक के बैंक का प्रमाण पत्र \*/Certificate of the Investor/Customer's Bank\***

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण हमारे रिकार्ड के अनुसार सही है।/

**Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.**

बैंक की मोहर/Bank's Stamp:

दिनांक/Date :

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the Authorised Official from the Bank

\*(नोट : उपरोक्तानुसार प्राप्त किए जाने वाले बैंक प्रमाणपत्र के स्थान पर, ग्राहक/निवेशक कोरा "रद्द" किया हुआ चेक अथवा उसकी फोटो प्रति संलग्न कर सकते हैं।

\*(Note: In lieu of the bank certificate to be obtained above, customers/investors can attach a blank 'cancelled' cheque or photocopy thereof)







## फॉर्म 'बी' प्रॉक्सी फॉर्म

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स  
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली  
कारपोरेट कार्यालय : गुडगांव

पंजीकृत फोलियो सं० .....  
(यदि अमूर्त न हो)

डीपीआईडी सं० .....  
ग्राहक आईडी सं० .....  
(यदि अमूर्त हो)

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम ..... राज्य के .....  
जिले के ..... का/के निवासी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का/के शेयरधारक  
होने के नाते एतद्वारा ..... राज्य के ..... जिले के  
निवासी श्री/श्रीमती ..... को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर .....  
..... राज्य के ..... जिले के निवासी/श्री/श्रीमती .....

को 13 जून, 2012 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में तथा इसके किसी अधिस्थगन पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... माह के ..... दिन, 2012 को हस्ताक्षरित।

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

कृपया 1 रुपए की  
रेवेन्यू स्टॉम्प लगाएं

नाम : .....

पता: .....

## ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय : हर्ष भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001  
कारपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001  
वार्षिक आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पत्र

दिनांक : 13 जून, 2012,

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

### उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा की जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

### प्रवेश पत्र

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य / प्रॉक्सी)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या

शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश आवश्यकता अनुसार आगे और सत्यापन/जाँच के अध्वधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक -हाल में प्रवेश द्वार पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुनश्च: बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

**प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश**

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह जरूरी है कि,
  - क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित हो ।
  - ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित हो ।
  - ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में कंपनी की मोहर, यदि कोई है, के साथ उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाए या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत, जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट, एशयोरेंस का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
  - क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित हो या
  - ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 8 जून, 2012 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक या उससे पहले, बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में प्लॉट नं. -5, सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुडगांव-122001 में जमा की जानी चाहिए ।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टाम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
8. शेयरधारक, जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है, उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा ।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह फार्म 'बी' में न हो ।



# **FORM 'B'** **FORM OF PROXY**

**ORIENTAL BANK OF COMMERCE**  
**HEAD OFFICE : NEW DELHI**  
**CORPORATE OFFICE : GURGAON**

Regd. Folio No. ....  
(If not Dematerialised)

DPID No. ....  
Client ID No. ....  
(If Dematerialised)

(To be filled in and signed by the shareholder)

I/We, \_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in the district of \_\_\_\_\_ in  
the State of \_\_\_\_\_ being a shareholder/s of ORIENTAL BANK OF COMMERCE,  
hereby appoint Shri/Smt. \_\_\_\_\_  
resident of \_\_\_\_\_  
in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ or failing  
him/her, Shri/Smt. \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_  
in the district of \_\_\_\_\_ in the State of \_\_\_\_\_ as my/our proxy to vote for  
me/us on my/our behalf at the ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on 13<sup>rd</sup> June 2012, at PHD  
Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi and at any adjournment  
thereof.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 2012.

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Please affix  
Rupee 1 revenue  
stamp

Name : \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **ORIENTAL BANK OF COMMERCE**

HEAD OFFICE : HARSHA BHAWAN, E-BLOCK, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI – 110001  
CORPORATE OFFICE : PLOT NO. 5, SECTOR-32, INSTITUTIONAL AREA, GURGAON - 122001

### **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR ANNUAL GENERAL MEETING**

Date : 13<sup>rd</sup> June, 2012

Time : 10.00 A.M.

Place : PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

#### **ATTENDANCE SLIP**

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

#### **ENTRY PASS**

NAME IN BLOCK (Member/Proxy)	FOLIO/DPID/CLIENT ID No.	No. of Shares

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

**P.S.:** No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting



**INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM**

1. The instrument of proxy to be valid,
  - a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing
  - b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing
  - c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Oriental Bank of Commerce.
3. The proxy together with
  - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
  - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Corporate Office of the Bank at Plot No.5, Sector-32, Institutional Area, Gurgaon- 122001, not later than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, 8th June, 2012.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Oriental Bank of Commerce or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Oriental Bank of Commerce.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

**रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट**

एमसीएस लिमिटेड

एफ-65, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया,

फेज-I,

नई दिल्ली-110020

फोन नं. : - 011-41406149

फेक्स : - 011-41709881

**Registrar & Share Transfer Agents**

MCS Ltd.

F-65, Okhla Industrial Area,

Phase-I,

New Delhi-110020

Phone 011-41406149

Fax 011-41709881

**सहायक महाप्रबंधक**

मर्चेन्ट बैंकिंग विभाग

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कारपोरेट कार्यालय, प्रथम तल,

सेक्टर-32, इंस्टीट्यूशनल एरिया,

गुडगांव-122001 (हरियाणा)

टेलीफोन नं. : 0124-4126282/85/86

फैक्स नं. : 0124-4126261

वेबसाइट : [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in)

**ASSTT. GENERAL MANAGER**

Merchant Banking Division

Oriental Bank of Commerce

Corporate Office, 1st floor,

Sector-32, Institutional Area,

Gurgaon-122001 (Haryana)


Tel No. 0124-4126282/85/86

Fax No. 0124-4126261

Website : [www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in)



**WE REWARD LOYALTY OF OUR CUSTOMERS  
BY OFFERING CONCESSIONS ON RETAIL PRODUCTS**



**Corporate Office**

Plot No. 5, Sector - 32 Institutional Area, Gurgaon, Haryana  
[www.obcindia.co.in](http://www.obcindia.co.in)

Printed at : Bridgisi Art Press Ltd., New Delhi

**ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स**  
(भारत सरकार का उपक्रम)

जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है



**Oriental Bank of Commerce**

(A Government of India Undertaking)

*Where every individual is committed*